Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 32वां दिवस [संख्या 25

शुक्रवार
दिनांक 31-3-1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई.

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

ग्राम बुहाटी तहसील डेगाना में बनजारा जाति द्वारा मृत्यु भोज ।

629. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना)। क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रेल, 1977 में ग्राम बुहाटी, तहसील डेगाना में बनजारा जाति के लोगों ने एक मृत्यु भोज किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवसर पर तहसीलदार जगदीश प्रसाद स्वर्णकार ने मौके पर पहुंच कर मृत्यु भोज में बने भोजन को पकड़ा और फिर खुली बोली में नीलाम कर दिया ? अगर हां, तो कितनी धनराशि प्राप्त की गई ? भोज का सामान, कितना वजन में, कितने लोगों के लिये बना था? यह धन राशि प्राप्त करने व नीलाम करने की तारीख क्या थी ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार ने प्राप्त धन राशि तहसील में जमा नहीं कराई जिसकी शिकायत नायब तहसीलदार श्री यादव सिंह ने की ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा यह राशि तहसील में किस तारीख को जमा कराई गई ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न फूड डिपार्टमेंट का है इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है । यह वहां भेज दिया गया है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो आपका काम है। हम तो जवाब चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : प्रश्न खाद्य विभाग का है इसलिये मेरे से सम्बन्धित नहीं है । मैंने 20 तारीख को वहां भेज दिया था ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर क्वेश्चन गलत डिपार्टमेंट के पास चला जाता है तो उस डिपार्टमेंट का फर्ज है कि सही डिपार्टमेंट के पास भेज दे। यहां तो जवाब आना चाहिये । यह राजस्व का नहीं है, फूड डिपार्टमेंट का है तो उसे पहले ही भेजना चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक तरफ आप कहते हैं जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है ।

श्री अध्यक्ष : सदस्य का भी दायित्व है कि ठीक विभाग का नाम अपने प्रश्न में लिखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सबको तो जानकारी नहीं हो सकती है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व से भी सम्बन्धित है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह फूड डिपार्टमेंट का कतई मामला नहीं है। तहसीलदार ने नीलाम से प्राप्त धनराशि जमा नहीं कराई है, जिसकी नायब तहसीलदार ने शिकायत की है। यह भ्रष्टाचार से व्याप्त है और राजस्व से ही सम्बन्धित है। मन्त्री जी गलत कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित किया जाय। यह सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है, मैं मानता हूं। इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनकी व्यवस्था हमेशा असन्तोषजनक रहती है।

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित किया जाता है। यथासम्भव इसी सत्र में लेने का प्रयास किया जायेगा किन्तु बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के पश्चात् ही यदि सम्भव हुआ तो लिया जायेगा।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अब्दुल हादी।

तहसील चौहटन का सैटलमेंट

603 श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौहटन का सैटलमेंट सम्वत् 2012 में हुआ था?

(2) क्या यह सही है कि सं. 2012 में जो भूमिधारी जिस भूमि पर काबिज थे उनको खातेदार मानकर पट्टे जारी किये गये थे?

(3) क्या यह सही है कि जिन जिन खातेदारों को पट्टे जारी किये गये थे, और जो उस भूमि पर आज तक काबिज है उनमें से कुछ खातेदारों के खातों को अब कस्टोडियन के बताये जाकर नीलाम किये जा रहे हैं? अगर नीलाम किये जा रहे हैं तो किन किन कारणों से किये जा रहे हैं और ऐसे कितने मामले हैं?

(4) क्या कस्टोडियन विभाग जो भूमि नीलाम कर रहा है उस भूमि को अपना होना सेटलमेंट से, आज तक रेकार्ड से बता सकते हैं?

(5) क्या राज्य सरकार सेटलमेंट से आज तक काबिज काश्तकारों के इस प्रकार के खातेदारी हकूकों को कायम रखकर काश्तकारों को राहत पहुंचाएगी या उस भूमि से बेदखल करेगी? अगर इस प्रकार काश्तकारों को बेदखल करेगी तो किन नियमों के अन्तर्गत?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

(1) तहसील चौहटन के 147 ग्रामों में से 69 ग्रामों का भू-प्रबन्ध सं. 2012 से 20 साल के लिये तथा 78 ग्रामों का सं. 2013 से 2031 तक 19 साल के लिये लागू हुआ था?

(2) जी हां। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उस समय जो व्यक्ति कृषक की परिभाषा में आता था, उसे भू-प्रबन्ध विभाग से खातेदार मानकर पट्टे जारी किये थे।

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

(3) जी नहीं, किसी भी राजस्व भूमि को वर्तमान में कस्टोडियन की भूमि बताकर जाकर नीलाम नहीं किया जा रहा है। बाड़मेर में केवल 16 निष्क्रांत सम्पत्ति के मामले हैं, जिन पर न्यायालय सक्षम अधिकारी के फैसले पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(4) भू–प्रबन्ध विभाग के रिकार्ड में निष्क्रान्त भूमि के सम्बन्ध में स्वामित्व खातेदारी के इन्द्राज कस्टोडियन पर बाइन्डिग नहीं है क्योंकि निष्क्रान्त भूमियां केन्द्रीय अधिनियमों से प्रशासित होती है। जिनमें किये गये प्रावधानों के अनुसार राज्य के राजस्व सम्बन्धी अधिनियम लागू नहीं होते हैं।

(5) कानून मिश्रित निष्क्रान्त सम्पत्ति पर राजस्व कानून के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को कायम नहीं रखा जा सकता है और नीलाम एवं बेदखली की कार्यवाही निष्क्रान्त नियमों, इवेक्यू लाज के अनुसार की जाती है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारी न्यायालय सक्षम अधिकारी के फैसले पर कार्य कर रहा है 16 निष्क्रान्त सम्पत्ति के मामलों में वह काम्पीटेन्ट अधिकारी कौन है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करूंगा, यह प्रश्न असल में मुझे गलत एड्रेस किया गया है। यह प्रश्न रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का है। फिर भी मैंने जवाब निवेदन कर दिया है। यह रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का मामला है। मैंने जवाब निवेदन कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने इस प्रश्न को रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से ही पूछा है। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने प्रश्न इनको ट्रान्सफर किया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : ऐसी बात नहीं है साहब...... ...

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये, यह बिल्कुल सही है। मुझे मालूम है।

या तो इन्हें प्रश्न एक्सेप्ट नहीं करना चाहिये था और एक्सेप्ट कर लिया तो वापस रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को भेजना चाहिये। अगर आपसे पूछ लिया है और सब्जेक्ट मैटर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का है तो उसको ट्रान्सफर कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहमियत का प्रश्न है। जो प्रापर्टी पूल में है वह पार्टीशन के पहले की है। विभाजन के बाद तमाम इवेक्यू प्रापर्टी थी वह सन् 1951 में इवेक्यू पूल में चली गई। उस समय सैटलमेंट नहीं हुआ था फिर खसरा नम्बर का इन्द्राज कैसे हो गया ? 1948 में वह प्रापर्टी जोधपुर स्टेट में चली गई थी। इस में खसरा नम्बर कैसे आ गया, वह तो इवेक्यू प्रापर्टी है। जो पाकिस्तान में या दूसरी जगह चले गये हैं? वे आज कैसे बैठे हैं, आज वे कैसे काबिज हैं वह भूमि नीलाम हो रही है, अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार का मामला मेरे पास भी आया था, कुछ लोगों की एप्लीकेशन आई थीं। मैंने फेक्चुअल रिपोर्ट मंगाई थी। यह दोनों डिपार्टमेंट से

(श्री परसराम मदेरणा)

सम्बन्धित मामला है। यह बड़ी अहमियत का प्रश्न है। इसलिये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को प्रश्न ट्रान्सफर किया गया है। बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है। इवेक्यू प्रापर्टी जो नीलाम हो रही है उसमें मुस्लिम जाति की ही प्रापर्टी नहीं है बल्कि शिड्यूल्ड कास्ट के मेघवाल व जाटव की भी है। खातेदारी के हक हैं वे आज कैसे नीलाम हो रही हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा और 16 केसेज बताये हैं

(व्यवधान)

राजस्व मंत्री जी कृपया सुनें। मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपने 16 केसेज ऐसे बताये हैं मेरा निवेदन है कि केसेज 16 से भी ज्यादा हैं जिनमें कार्यवाही करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है 16 नहीं ज्यादा केसेज हैं। सं 2012 में सेटलमेंट हुआ तब से ये लोग काबिज थे, पट्टे मिले हुये हैं, आज भी काबिज हैं। उनके पास पट्टा है, उस समय काबिज थे, आज भी काबिज हैं तो मेहरबानी करके उनके लिये स्टे करने की घोषणा कर दीजिये।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : यह सारे राजस्थान की समस्या है। मुकम्मिल जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाये हैं वे गंभीर हैं। मैं यह चाहूंगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा शीघ्रातिशीघ्र प्रश्न का उत्तर दिलाने की सरकार व्यवस्था करे।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन लोगों के पास पट्टे हैं, काबिज थे और आज भी काबिज हैं इसलिये स्टे आर्डर देने के बारे में घोषणा करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सदस्यों ने जो एतराज उठाये हैं वो दुरुस्त हैं। जब तक पूरा उत्तर नहीं आयेगा तब तक नीलामी रोक दी जायेगी।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर और अलवर में भी इवेक्यू प्रापर्टी के बहुत से मामले हैं ....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र : 15 मामले इवेक्यू प्रापर्टी के हैं और हर साल ....

श्री अध्यक्ष : यह पोकरण से सम्बन्धित है, भरतपुर से नहीं है, माननीय सदस्य।

गृह मंत्री (श्री सम्पत राम) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कुछ रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित है तो कुछ पुनर्वास विभाग से दोनों विभागों से मिला-जुला नजर आता है। मैं निवेदन करूं, असेम्बली में प्रश्न काल के बाद में मैं स्वयं परसराम जी से मिल लूंगा। जो मुद्दे उन्होंने बताये हैं वे मुद्दे कितने वाजिब हैं, इस पर गंभीरता से विचार कर लिया जायगा और जो उचित कार्यवाही होगी, कर दी जायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का पूरा सम्बन्ध रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर से है और इसीलिए है कि जो पावर्स सेंटलमेंट कमिश्नर को थी, या कस्टोडियन जनरल ग्राफ इंडिया को थी वह सब पावर्स स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अफसरों को कन्फर कर दी है । अब इसके लिये भारत सरकार से बात करने का प्रश्न नहीं है । इवेक्यू प्रापर्टी के बारे में फाइनल डिसिजन लेने के लिए रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट एम्पावर्ड है ।

दूसरा प्रश्न यह है जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मैं नीलामी रोक दूंगा । उनके अफसर जो नीलामी कर रहे हैं वह तहसीलदार है जो मैनेजर ग्राफ दी इवेक्यू प्रापर्टी की हैसियत से रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है । मुझे पूरा सन्देह है कि यह कोई काम्पीटेंट हैं और स्टे ग्रार्डर अण्डर दी एक्ट एण्ड रूल्स दे सकते हैं । जहां तक मैं समझता हूं जिस प्रापर्टी का जो यह प्रश्न आया है वह इवेक्यू प्रापर्टी के नीचे नहीं आता है । कम्पेन्सेशन टू डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एक्ट के अन्तर्गत अब नहीं है । शायद यह प्रश्न इवेक्यू इंट्रेस्ट सेपरेशन एक्ट के अन्तर्गत काम्पीटेंट आफिसर मुकर्रर किया गया है किसी सिविल जज या जज को उससे सम्बन्ध रखता है । डायरेक्टली अब वह आपके कन्ट्रोल में नहीं है इसलिए शायद आप इसको स्टे नही कर सकेंगे । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप स्टे करने का आश्वासन सदन में दे दीजिए पहले फिर बाद में बात कर लेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं आप से कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन आवर में यह क्वेश्चन आया है । आप दोनों बैठकर गुपचुप बातें कर लेंगे, हमारे नेता महोदय को भी संतोष हो जाएगा । लेकिन सारा सदन जानकारी चाहता है । यह नहीं हो सकता कि आप में आपस में बात हो जाए और मामला खतम हो जाय । क्वेश्चन इस हाउस की प्रापर्टी है । यह आपस में बातें कर लेना हमें पसन्द नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल पेरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न पर माननीय मूलचन्दजी डागा बोलें ही ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर-पश्चिम) : रूल्स के अनुसार यह हाउस की प्रापर्टी है । मैं चाहूंगा कि इवेक्यू सेंटलमेंट के जितने मामले हैं उन सब में नीलामी रोकी जाय । 1971 में जो शरणार्थी आये हैं और चोहटन, बाड़मेर आदि केम्पों में हैं उनको यह प्रोपर्टी अलाट की जावे ।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डागाजी ने जो प्रश्न उठाया है उसको भी मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है ।

जहां तक इवेक्यू प्रोपर्टी की नीलामी को स्टे करने का प्रश्न है हम, चाहते हैं कि विरोधी दल के नेता महोदय को जो भी जानकारी है उसे प्राप्त करें और विरोधी दल को विश्वास में लेकर चलें ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो आपने अपनी बात कह दी लेकिन यह गुपचुप की बात नहीं चलेगी । आपको हाउस में बताना चाहिए ।

(व्यवधान)

Page No 6

(6)

श्री परसराम मदेरणा : बीच में डिस्टर्ब मत करो ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आपने व्यवस्था दे दी कि इसका उत्तर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट देगा । यह भी व्यवस्था की है कि उसके बाद फैक्ट्स रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर बतायेंगे क्योंकि यह हाउस की प्रापर्टी है । जहां तक प्रश्न हमारे चैम्बर में गुपचुप बात करने का है, मैं बताना चाहता हूं कि हम चैम्बर में गुपचुप कुछ करने वाले नहीं हैं । यह कानूनी प्रश्न है और दोनों मंत्री कानून जानते नहीं हैं इसलिए उनका कानून बताने की बात है । जो लीगल पोजीशन है···

(व्यवधान)

इनको पता नहीं है, इनके पास फैक्ट्स नहीं हैं । इनके पास फैक्ट्स होते तो कोई बात नहीं थी । इनके डिपार्टमेंट के पास फैक्ट होंगे इसलिए अलग से बात कर लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : यह बिल्कुल गलत बात है कि हमारे मंत्री कानून नहीं जानते । हमारे राजस्व मंत्री परसरामजी को कानून पढ़ा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह ।

श्री भंवरलाल ऐरन : मंत्री कानून नहीं जानते, इस तरह से नहीं कह सकते ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : जैसा कि भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मिनिस्टर कानून नहीं जानते, यह कहना बिल्कुल गलत है । परसरामजी को यदि सम्बंधित कानून के प्रावधान याद हों तो वे सदन को बताने का कष्ट करें ।

श्री माणकलाल ठाकोर : आप इनसे माफी मंगवाइये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाइये ।

श्री भंवरलाल ऐरन : आप माफी मंगायें

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई माफी मांगने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने का दायित्व सरकार का है । मैं आशा करता हूं कि सरकार के द्वारा संतोषजनक उत्तर मिल जाएगा ।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूं ······

(व्यवधान)

आप के माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता को अगर कानून का अजीर्ण है तो वह अपने पास रखें । जो नियमानुसार कायदे की बात होगी वह करेंगे । उनको जो जानकारी प्राप्त है उसके आधार पर अगर वे हमारा ज्ञान वर्द्धन करेंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे । लेकिन हम कानून नहीं समझते और वे हमसे ज्यादा समझते हैं यह कहना गलत है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह अजीर्ण जैसी बात नहीं कह सकते ······

(व्यवधान)

श्री एच.एन. शर्मा (बेबू) : हमारे राजस्व मंत्री माननीय परसरामजी मदेरणा को कानून पढ़ा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब और कोई प्रश्न नहीं

श्री जीतमल जैन ।

अलवर सहकारी उपभोक्ता भण्डार भवन में कांग्रेस कार्यालय

631. श्री जीतमल जैन (अलवर) :क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अलवर सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए लिये गये भवन का एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के लिये उपयोग में आता है ?

(2) क्या कांग्रेस पार्टी से उक्त भवन के उपयोग के लिये उपभोक्ता भण्डार द्वारा कुछ किराया वसूल किया जाता है, अगर हां, तो कितना वसूल किया जाता है ?

(3) क्या उपभोक्ता भण्डार को अपने कार्यालय भवन का एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी को सबलेट करने का अधिकार है ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

सहकारिता मंत्री(श्री कैलाश मेघवाल):
(1) जी हां ।

(2) जी हां । कांग्रेस पार्टी से 50) रुपये प्रति माह किराया तथा 10) रुपये प्रति माह नल व बिजली के व्यय के लिए लिये जाते हैं ।

(3) जी नहीं । उपभोक्ता भण्डार को कार्यालय भवन का कोई भाग सबलेट करने का अधिकार नहीं है । जिला कांग्रेस कमेटी से कमरा खाली कराने के बाबत कार्यवाही जारी है जिस अधिकारी ने यह अनियमितता की है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह केवल अलवर का प्रश्न नहीं है, इसी प्रकार से क्रय विक्रय संघ भीलवाड़ा के भवन के अन्दर भी ले रखा है । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस इन सारे कार्यालयों को खाली कराया जावे । जल्दी से जल्दी खाली कराया जावे, सरकारी और सहकारी क्षेत्र के भवनों को ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : सप्लीमेंट्री है सर ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सप्लीमेंट्री है सर । मैं इसके बारे में सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : कब तक खाली करवा देंगे आप इसको ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो उपभोक्ता भण्डार के चेयरमैन थे और कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे उन्होंने दोनों की व्यवस्था करने के लिए यह भवन लिया था इसके चेयरमैन जिला कांग्रेस कमेटी के के अध्यक्ष मास्टर भोलानाथजी थे ?

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट बतायें कि क्या सबलेट करने का अधिकार है ? अगर सबलेट करने का अधिकार नहीं है तो इसके बाद भी सबलेट किस तरह से किया गया ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपभोक्ता भण्डार के लिये जो भवन लिया था उसका कितना हिस्सा कांग्रेस के पास है और कितना हिस्सा उपभोक्ता भण्डार के पास है ? जो हिस्सा कांग्रेस के पास है वह क्या उपभोक्ता भण्डार से सबलेट कराया या मकान मालिक से सीधे किराये पर लिया ? यह सबलेट कराने की संज्ञा गलत है।

(व्यवधान)

श्री जीतमल जैन : सहकारिता मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि कौन से सन् में यह भवन किराये पर लिया और किस से लिया था ?

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सहकारिता उपभोक्ता भण्डार के भवन राजनैतिक पार्टियों के लिए किराये पर दिये जा सकते हैं ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जो किराये का चिट्ठा लिखा गया है वह सहकारिता भण्डार के नाम से लिखा है या मकान मालिक के नाम पर लिखा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो एग्रीमेंट का सवाल है। एग्रीमेंट में लिखा होगा कि किस से लिया है, मंत्री महोदय देख लेंगे।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, वे उत्तर दें कि कांग्रेस ने सहकारी उपभोक्ता भण्डार से सबलेट कराया या मकान मालिक से अलग से किराये पर लिया ? इसका जवाब दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनके उत्तर निवेदन करना चाहता हूं। यह भवन 225) प्रति माह से 16-6-65 से किराये पर है। इसको अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार ने लिया है। उसके बाद भोलानाथजी इस भंडार के अध्यक्ष बन गए और जिला कांग्रेस कमेटी के भी वही अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जुलाई 73, से यह कमरा अलग से कांग्रेस कमेटी के लिए किराये पर लिया।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरी बात सुनें। यह जो मकान किराये पर लिया गया है यह प्राइवेट पार्टी का है और प्राइवेट पार्टी को ही सबलेट करने का अधिकार है, मकान मालिक को ही इसका अधिकार है लेकिन उपभोक्ता होलसेल भंडार से यह जो किराये पर लिया गया है, यह जो सबलेट किया गया है, यह अनियमित है। इस पर कार्यवाही करने के लिये हमने आदेश दिये हैं ......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कांग्रेस वाले तो किराया दे रहे हैं परन्तु आप तो किराया भी नहीं दे रहे हैं .. ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

श्री एच. एन. शर्मा : जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी का किराया अभी बाकी है।

श्री नूरा (मसूदा) : आर. एस. एस. की शाखाएं कितने ही सरकारी भवन में बिना किराये के चल रही हैं।

कृषि उपज मंडियों में दस क्विंटल से कम माल नीलाम नहीं करना

632. **श्री हरिकृष्ण** (नदबई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मंडियों में दस क्विंटल से कम की ढेरी नीलाम नहीं की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी ढेरियों को आड़तिया कम रेट पर अपनी दुकानों में रख लेते हैं ?

(3) क्या दस क्विंटल भी जिन्स छोटे किसान के यहां पैदा हो सकती है ?

(4) इस प्रकार क्या छोटे किसान की खुली लूट नहीं हो रही है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) जी नहीं । नीलाम हेतु ढेरियों की मात्रा पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

(2) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई ।

(3) जी हां ।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हरिकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मंडियों में दस क्विंटल से कम की ढेरी नीलाम नहीं होती है । छोटे छोटे किसान जो 8-10 क्विंटल अनाज व अन्य जिन्स पैदा करते हैं, इससे उनको नुकसान होता है । अब तक तो यही रवैया रहा है उन मंडियों में । दस पांच दिनों में कोई नई बात हो गई हो तो मुझे पता नहीं है । दस क्विंटल से कम की ढेरी नीलाम नहीं की जा रही है, यह सही बात है । इससे छोटे छोटे काश्तकारों को नुकसान हो रहा है । 5-6 रुपये क्विंटल का भाव गिराकर आड़तिया मुनाफा कमा रहे हैं ।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर सौ से अधिक कृषि उपज मंडियां हैं । व्यवहारिक तौर पर इन मंडियों में कहां कहां पर दस क्विंटल से कम की ढेरियां नीलाम हो रही हैं, यह बताने का कष्ट करें । सौ से ऊपर कृषि उपज मंडियां हैं । कहीं पर भी दस क्विंटल से कम की ढेरियां नीलाम नहीं की जा रही हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न कर्ता ने प्रश्न के भाग (1) में यह पूछा है - क्या कृषि उपज मंडियों में दस क्विंटल से कम की ढेरी नीलाम नहीं की जाती है । इस सम्बन्ध में मैंने उत्तर के भाग (1) में यह कहा है, जी नहीं । नीलाम हेतु ढेरियों की मात्रा पर कोई पाबन्दी नहीं है । इसलिये इसका कोई प्रश्न नहीं है । रहा सवाल दूसरा वह भी इसमें कवर हो जाता है ....

श्री हरिकृष्ण : ऐसा ही हो रहा है ।

श्री दिग्विजयसिंह : हमारे पास कोई शिकायत नहीं है । आप शिकायत करेंगे तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : आप मंत्री महोदय को जानकारी दीजिए ।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, जो कृषि उपज मंडियां हैं उनकी जांच कराई जाए । वहां पर दस क्विंटल से कम की ढेरियां नीलाम नहीं की जाती हैं । इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : ऐसा कोई नियम नहीं है । इसलिए आदेश प्रसारित करने का प्रश्न नहीं है ।

श्री रतनलाल वर्मा : नीलाम नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि दस क्विंटल से नीचे की ढेरियां नीलाम नहीं की जाती हैं। मंत्री महोदय चाहें तो इसकी जांच करवा लें। यह छोटे किसानों के साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय देख लें। छोटे किसानों को कोई राहत दे सकते हैं तो राहत दीजिए।

श्री दिग्विजयसिंह : करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

कुम्हेर (भरतपुर) उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करना

633. श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में कुम्हेर उप तहसील को तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने में राज्य सरकार को क्या बाधाएं हैं जबकि उप तहसील कुम्हेर में पैंतालीस पटवार सर्किल, चार भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल, क्षेत्रफल 46,533 हैक्टेयर, भू राजस्व 435342 रु. और जनसंख्या एक लाख से अधिक है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से राज्य की एक तिहाई तहसीलों से आंकड़ों में कहीं अधिक है ?

(2) क्या यह सही है कि पटवारियों एवं अन्य राजस्व कर्मचारियों के कुम्हेर उप तहसील से भरतपुर तहसील आने जाने में लगभग पच्चीस हजार रुपया वार्षिक यात्रा भत्ता के रूप में राज्य सरकार को व्यय करना पड़ता है एवं कुम्हेर उप तहसील क्षेत्र के आठ सैकण्डरी स्कूल, उन्नीस उच्च प्राथमिक स्कूलों, दो चिकित्सालयों, पंचायत समिति, थाना, पशु प्रजनन केन्द्र आदि के कर्मचारियों का वेतन लेने आने जाने में लगभग तेरह हजार रुपये वार्षिक यात्रा भत्ता राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है जो कुम्हेर के तहसील बनने और वहां कोषागार स्थित होने से बच सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर तहसील से पृथक कर के कुम्हेर उप तहसील को 'स' श्रेणी की तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने पर भरतपुर तहसील भी 'स' श्रेणी की रह जाएगी और उस स्थिति में भरतपुर तहसील के अतिरिक्त स्टाफ से ही करीब करीब कुम्हेर तहसील का भी संचालन हो सकेगा और लगभग चालीस हजार रुपये वार्षिक यात्रा भत्ते को जो राशि अब व्यय होती है उससे कहीं कम राशि में कुम्हेर तहसील में कोषागार स्थापित हो सकेगा ?

(4) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व रियासती जमाने में कुम्हेर पूर्ण तहसील रही है ? यदि हां, तो कुम्हेर उप तहसील के निवासियों की निरंतर मांग, जनता की सुविधा, सस्ते न्याय की प्राप्ति, नगण्य अतिरिक्त वित्तीय भार होते हुए भी राज्य सरकार कुम्हेर उप तहसील को पूर्ण तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने में क्यों संकोच कर रही है जब कि वर्तमान सरकार के ही पूर्व राजस्व मंत्री ने कुम्हेर उप तहसील की जनता की इन तथ्यों एवं न्यायोचित मांग के ऊपर घोषणा की थी कि कुम्हेर को शीघ्र ही तहसील बनाया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) :

(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुम्हेर सब तहसील को तहसील रूप में क्रमोन्नत करना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता। राज्यों में तहसील के पुनर्गठन के प्रश्न से सम्बन्धित है अतः इस पर उत्तर देना अभी संभव नहीं है।

(4) जी हां। पुनर्गठन हेतु गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकार ने कुम्हेर को तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने की कोई घोषणा नहीं की है।

श्री काशीनाथ गुप्त : अध्यक्ष महोदय जैसा कि मैंने प्रश्न में लिखा है कुम्हेर उप तहसील में 45 पटवार सर्किल है, जब कि कई तहसीलों में 40,39 और 42 तक ही पटवार शामिल हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है. मंत्री महोदय कैसे इन्कार कर रहे हैं? वहां की जनसंख्या को देखते हुए भी यह अत्यन्त आवश्यक है। जहां तक यह कहा गया कि कुम्हेर को तहसील बनाने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व राजस्व मंत्री जब कुम्हेर गये थे, तब उन्होंने यह स्वीकार किया था कि इसको तहसील बनाया जाएगा। कुम्हेर के पटवारियों को रकम जमा कराने के लिए हर महीने भरतपुर जाना पड़ता है और उनको दो दो दिन लग जाते हैं। राजस्व के मामले में वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है जिससे राज्य सरकार को दैनिक यात्रा भत्ते में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) ; क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उप जिला डिविजन....

श्री अध्यक्ष : यह नीति का प्रश्न है।

श्री अब्दुल अजीज: इसलिए, अध्यक्ष महोदय, नई सरकार से यह जानना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के आधार पर क्या नई सरकार तहसीलों में हेरफेर करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है। बीस हजार की आबादी पर नायब तहसीलें हैं। सरकार यह चाहती है कि लोगों को न्याय सस्ता दिलाया जाएगा। यहां पर इसके लिए सरकार हां कर लेती है किन्तु सस्ता न्याय दिलाने के लिए तहसीलें और सब डिविजन खोले नहीं जाते हैं। सवाल यह है कि सस्ता न्याय दिलाया जाए। मकराना की आबादी पचास हजार है परन्तु वहां पर नायब तहसील है..

श्री अध्यक्ष : यह कुम्हेर तहसील का स्पेसिफिक सवाल है।

श्री अब्दुल अजीज : यह नीति का प्रश्न है। सरकार की घोषणा है कि लोगों का सस्ता न्याय दिया जाएगा। सस्ता न्याय तहसीलों और एस. डी. एम. कोर्ट्स से रिलेटेड है। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, इसका पता सदन के सदस्यों को लगाना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री ईश्वर चन्द्र : पुनर्गठन समिति बना दी गई है, वह कब से काम शुरू करेगी? कौन इसके सदस्य हैं? इसकी घोषणा करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन स्पेसिफिक है। प्रश्नकर्त्ता ने भाग (4) में यह पूछा है कि वर्तमान सरकार के ही राजस्व मंत्री ने ऐसा आश्वासन दिया था कि कुम्हेर उप तहसील को क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। तो क्या इस सम्बन्ध में भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने कोई आश्वासन दिया है? और दिया है तो क्या वर्तमान राजस्व मंत्री उसको आनर करेंगे या नहीं करेंगे? यह सवाल है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है कि इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्ट्री है।

भूतपूर्व राजस्व मंत्री जी यहां पर सदन में, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, विराजमान हैं। हाउस में मौजूद हैं। इसलिए इस बारे में उनसे जानकारी ली जाए कि उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की है या नहीं की है?

श्री अध्यक्ष : कोई चर्चा की हो तो उससे इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री रामसिंह विश्नोई।

वित्त मंत्री (श्री आदित्येन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने केवल इतना कहा है कि जब कभी भी तहसीलों के सम्बन्ध में पुनर्गठन पर विचार होगा तब कुम्हेर का नम्बर प्रथम होगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के खण्ड (2) के उत्तर में यह फर्मा दिया है कि प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से यह नहीं करना चाहते हैं। तो कब करना चाहते हैं? इनकी प्रशासनिक कठिनाइयां क्या हैं? कितना व्यय होगा? ब्यौरेवार बता दें।

श्री काशीनाथ गुप्त : यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपके प्रश्न से मेरी सहानुभूति है। मन्त्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

पावरलूम, हैण्डलूम और ऊनी धागे बनाने के तकुओं के लाइसेन्स

634. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पिछले तीन वर्षों में पावरलूम, हैण्डलूम और ऊनी धागे बनाने के तकुओं के लाइसेन्स जारी किये गये हैं?

(2) उपरोक्त लाइसेन्सों में डी. पी. ए. पी. सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों के पश्चिमी जिलों को कितने लाइसेन्स व कितने पावरलूम, हैण्डलूम और ऊनी धागों के तकुए दिये गये हैं और उनका प्रतिशत राज्य की कुल संख्या के अनुपात में कितना है?

(3) उपरोक्त लाइसेन्सों आदि में से कितने शहरों को दिये गये और कितने गांवों को दिये गये हैं? और शहरों तथा गांवों का अनुपात कितना है?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(4) क्या यह सत्य है कि गांवों को बहुत कम करघे, पावरलूम, हेण्डलूम तथा ऊनी धागे के तकुए दिये गये हैं और खास तौर से डी. पी., ए. पी. सूखा सम्भाव्य जिलों के गांवों को बहुत ही कम दिये गये हैं? अगर यह सही हैं तो राज्य सरकार उपरोक्त स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करेगी? और क्या आगे से सब पावरलूम, हैण्डलूम और ऊनी धागे के तकुए तथा अन्य उद्योगों के लाइसेन्स केवल गांवों के लिए और खास तौर से सूखा सम्भाव्य जिलों के गांवों के लिए सुरक्षित रखेगी?

उद्योगमन्त्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): (1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पिछले तीस वर्षों में पावरलूम का कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है। हैण्डलूम लगाने के लिए किसी प्रकार के लाइसेन्स जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊनी धागे बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 16,720 ऊनी तकुओं का आवण्टन करके 21 उद्यमियों को लाइसेन्स दिये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) डी. पी. ए. पी. क्षेत्र में पश्चिमी जिलों में नागौर व जोधपुर, बीकानेर, सीकर में 5860 ऊनी तकुओं का आवण्टन किया जाकर 12 उद्यमियों को लाइसेन्स जारी किये गये हैं जो कुल आवन्टित तकुओं का 35% है। इसके अलावा 2200 तकुओं का लाइसेन्स राजस्थान लघु उद्योग निगम को दिया गया है। निगम द्वारा चूरू में 800 तकुए तथा जालौर में 600 तकुए लगाये जाने की योजना है। राजस्थान हाथ करघा परियोजना मण्डल द्वारा जोधपुर एवं पाली जिले में 28 फरवरी, 1978 तक 1100 सुधरे हुए करघे सघन विकास योजना के तहत लगाये गये हैं जो राज्य के कुल 8 जिलों में लगाये गये करघों का 26.5% है।

(3) उपरोक्त जारी किये गये लाइसेंसों में से 14920 तकुओं के 18 लाइसेंस नगर पालिका क्षेत्र में एवं 2100 तकुओं के तीन लाइसेन्स ग्रामीण क्षेत्र में दिये गये हैं। कस्बे एवं गांवों में दिये गये लाइसेन्सों का अनुपात 7:1 है।

(4) यह सत्य नहीं है कि इस आवंटन में गांवों की उपेक्षा की गई हो या डी. पी. ए. पी. क्षेत्रों की उपेक्षा की गई हो। वास्तविकता यह है कि राज्य की नीति के अनुरूप ग्रामीण व अर्द्धग्रामीण या कस्बों में अधिक सुविधा दी जाती है और इस प्रकार हाथ करघा विकास के लिए 10 000 से कम आबादी वाले कस्बों में 3360 करघे एवं दस हजार से ज्यादा आबादी वाले कस्बों में 746 करघे लगाये गये हैं। इस प्रकार गांवों एवं शहरों में अनुपात क्रमशः 80 : 20 है। डी. पी. ए. पी. सूखा सम्भाव्य जिलों में से जोधपुर एवं पाली जिलों में 28 फरवरी, 1978 तक 1100 करघे लगाये गये जो मण्डल द्वारा सघन विकास योजना के तहत लगाये गये करघों का 26.5% है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 9 जिलों में, जिसमें डी.पी. ए.पी. सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के नागौर, जोधपुर एवं चूरू जिले शामिल हैं, जिला उद्योग केन्द्र खोले जाने की योजना है। उक्त जिला उद्योग केन्द्रों से उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने सम्बन्धी

(14)

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

सभी सुविधाओं के साथ साथ मार्केटिंग की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमति सुमित्रा सिंह (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि डी. पी. ए. पी. में सीकर जिला नहीं होते हुए भी क्या उनके मन्त्री बनने के बाद स्पिन्डल्स (तकुए) आवटित किए गये हैं?

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): नवलगढ़ के लिए कितने तकुओं का लाइसेन्स दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकर्ता।

श्री रामसिंह विश्नोई: माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में जो लघु उद्योग लगाने की घोषणा की है। जो तकुए उद्यमियों का अलाट किये हैं, क्या वे पुराने ही उद्यमियों को अलाट किये गये हैं और नये उद्यमियों को लाइसेन्स नहीं दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी करघा प्रदान नहीं किया है। उन्हीं को दिया है, जो पहले के थे। इसका क्या कारण है कि गांवो में नहीं दे रहे हैं और जिनके पास थे, उन्हीं को वापस आवन्टित किये जा रहे हैं?

श्री ईश्वर चन्द्र: क्या यह सही है कि केन्द्रीय मंत्री जार्ज फर्नाण्डिस ने राजस्थान के लिए कोई भी पावर लूम....

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री ईश्वरचन्द्र: मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। आप तो केवल झुंझुनू की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व): ब्यावर में जो 600 तकुओं के लाइसेन्स दिये है क्या वह बाहर वालों के दिये गये हैं? क्या ब्याववर के निवासियों ने कोई आवेदन नहीं किया था?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य उत्तर तो आने दीजिये।

श्री ईश्वरचन्द्र: अभी मैंने पूछा ही नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: माननीय सदस्य, आप प्रश्न फिर दुहरा दें। आपने क्या पूछा था मैं प्रश्न भूल गया।

श्री रामसिंह विश्नोई: मेरे क्षेत्र में ऊनी धागे के जो लाइसेंस डी.पी.ए.पी. में ग्रामीण क्षेत्र में दिये हैं; वह कितने तकुओं के हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो 16,720 तकुऐ आवण्टित हुए हैं, ये पिछले वर्ष ही हुए हैं इसके पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। इसके बारे में पूरा ब्योरा दे दिया है।

श्री रामसिंह विश्नोई: ग्रामीण क्षेत्रों में?....

श्री सूर्यनारायण चौधरी: मैं आपको बता रहा हूं। मेरा जवाब नहीं सुनेंगे?

श्री मूलचन्द्र डागा : नहीं सुनेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुनने से पहले ही आप क्वेश्चन कर रहे हैं।

केकड़ी में 18-10-75 को 600 ...

श्री मूलचन्द डागा : केकड़ी म्युनिसिपल एरिया है। गांवों में कितने दिये हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केकड़ी कस्बा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं मेरा उत्तर दूं, आप सुन लेंगे।

श्री शंकरलाल : आप के पास नाम है क्या?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं हो तो बाद में देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : केकड़ी, बघेरा सभी आ रहे हैं, सुना तो।

श्री मूलचन्द डागा : बघेरा

श्री अध्यक्ष : आप मन्त्री महोदय को कन्फ्यूज नहीं कीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : ये तो हमको कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : I am not confused. आप मेरी बात सुन लीजिए। प्रश्न का खण्ड (4) है इसके उत्तर में कहा है, यह स्थिति नहीं है कि इस आवण्टन में गांवों की उपेक्षा की गई हो या डी.पी.ए.पी. क्षेत्र की उपेक्षा की गई हो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कस्बों से अधिक सुविधाएं दी जाती हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, उसका उत्तर नहीं आया है। आपने आज्ञा दी फिर भी इन्होंने उत्तर नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमति सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्त्ता का सप्लीमेन्ट्री प्रश्न साफ है। उन्होंने पूछा है कि आपने एक भी गांव में एक भी व्यक्ति को लाइसेंस दिया हो तो बता दीजिये, ताकि हम सन्तुष्ट हो सकें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप मेरा उत्तर सुन लीजिये पूरा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमने आपका उत्तर सुन लिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सुन लिया है तो मत पूछिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें कृपया।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) आपने झुन्झुनू में कितने टकुए लगाये? यह बताने की कृपा करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या शासन के आदेश की अवहेलना कर रही हैं। इनको सदन से बाहर निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : आप तो अपना सप्लीमेंट्री करिये। इससे आपको कोई मतलब नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों से कितनी दरख्वास्ते आई ? बीकानेर में राजस्थान की आधी ऊन पैदा होती है, वहां पिछले साल आपने कितने स्पिण्डल्स नये व्यक्तियों को दिये ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि, अगर आप इस तरह से इन्ट्रप्ट करेंगे Then I have got right not to reply.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न करें। आप सब अनुभवी विधायक हैं। आप जानते हैं सदन की परम्परा को। आप व्यवधान क्यों करते हैं।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

श्री खेतसिंह राठौड़: मुझे ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय को हाई ब्लड प्रेशर का रोग है।

श्री अध्यक्ष : आप डाक्टर तो नहीं हैं, माननीय सदस्य। श्री बजरंग लाल शर्मा।

(व्यवधान)

No more supple mentary on this question.

श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़) : जवाब तो आ जाय जो प्रश्न किया है उसका।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, Only one supplementary question.

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय डिटेल में उत्तर दे रहे हैं-

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जनता पार्टी के सदस्य होकर मन्त्री महोदय को उलझन में क्यों डाल रहे हैं ?

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं। मन्त्री महोदय ने पहले सुआं मोटो देने का फर्माया है ? मेरे प्रश्न से इसका समाधान हो जायगा। आप इनको भी शांतिपूर्वक सुनने की हिदायत दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां ऊन ज्यादा पैदा होती है वहां पर आपने कितने तकुए दिये ? किसी व्यक्ति का वह पर लाइसेन्स दिया क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन जिन कस्बों के लिए और क्षेत्रों के लिए लाइसेन्स की दरख्वास्तें प्राप्त हुई, उनमें म्युनिसिपल टाउन भी है। जो छोटे छोटे इलाके हैं उनको वायबिलिटी के आधार पर दिये गये हैं। किसी गांव की लाइसेन्स के लिए एप्लीकेशन आई हो और हमने रिजेक्ट की हो, ऐसी बात नहीं है। जहां जहां से भी एप्लीकेशन आई है, वहां हमने लाइसेन्स दिये हैं।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि जो मिले हैं, जहां पर दो सौ, तीन सौ और चार सौ तकुए हैं वहां पर टेक्नोलोजी की आवश्यकता है। वह अधिकतर उन्हीं स्थानों में मिलती है जहां अधिक तकुए होते हैं। निश्चित रूप से तकुए लगाने वालों के लिए भी वही कस्बे उपयुक्त होते हैं। आप यह देखेंगे कि बीकानेर के अलावा कोई बड़ा शहर नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने पहले उत्तर दिया है कि गांवों में दिये गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : गांवों में आप एक भी आदमी को देना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अगर आप शहरों में रोक कर गांवों में देंगे–

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में तकुए उन्हीं लोगों को दिये, बीकानेर में दिये, ब्यावर में दिये, गांवों में इनका कोई प्रोग्राम नहीं है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, आसन पैरों पर है।

श्री बजरंगलाल शर्मा।

राजस्व अभियान के अन्तर्गत कृषि भूमि का आवंटन

635. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) राज्य में जिलावार राजस्व अभियान के दौरान कुल कितनी कितनी कृषि भूमि का भूमिहीन लोगों को आवंटन किया गया ?

(2) जिलावार उपरोक्त भूमि में से कितनी कितनी भूमि—

(अ) अनुसूचित जाति के लोगों को,

(ब) अनुसूचित जन जाति के लोगों को आवंटित की गई ?

(3) उक्त आवंटित भूमि में से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आवंटित भूमि में से कितनी भूमि पर अलाटीज का कब्जा करा दिया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) : (1) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार राजस्व अभियान और अन्त्योदय योजना के सम्बन्ध में अपना विजय कीर्ति स्तम्भ स्थापित करने जा रही है। लेकिन जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसमें यह है कि सूचना आठ जिलों से प्राप्त नहीं हुई है। इसको क्या आप कम्पलीट उत्तर मानेंगे ? तीन जिलों के अन्दर आपने किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित

Page No 18

(18)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

जन जाति के लोगों को आबंटन नहीं किया। झुंझुनूं में 6 एकड़ भूमि अलॉट हुई, नागौर में 20 एकड़ हुई, यह आपका राजस्व अभियान है। मन्त्री महोदय इस बारे में बयान दें और बतावें कि वह किस बात को लेकर यह अभियान चला रहे हैं। यह समुचित उत्तर नहीं है। इसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाय। यह बताने की कृपा करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आपने किस प्रकार से लाभान्वित किया है जिनके नाम पर यहां पर सम्पतरामजी भी कहते रहे हैं कि जो कुछ होगा उन्हीं के लिए होगा ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने कटघरे में खड़ा कर दिया मन्त्री जी को।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह सूची दी गई है, मैं यह निवेदन करूंगा कि अलवर जिले में अनुसूचित जाति के 526 लोगों का आवंटन किया गया, अनुसूचित जन जाति के 882 लोगों को आवंटन किया गया, बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति के 721 लोगों को, जनजाति के 13311 लोगों को, डूंगरपुर में 393 को ··

श्री बजरंगलाल शर्मा : मन्त्री महोदय, यह आदमी नहीं हैं, एकड़ हैं।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, सब जगहों की सूची है, आठ जिले ऐसे हैं जहां से सूचना नहीं आई है कि वहां पर कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आवंटन किया गया। यह सूची मैं दे दूंगा। अभी वहां से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शंकर लाल : कौन कौन से जिले हैं, बताइए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय देखिए। स्थान ग्रहण करें। आपको चाही हुई जानकारी मिल गई। I will not allow any supplementaries.

श्री बजरंगलाल शर्मा : स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : सरकार पर आप दबाव डालें।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक जरूरी सप्लीमेंट्री है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सरकार पर दबाव डालें।

(व्यवधान)

मेरा नम्र निवेदन है कि ··

श्री कौशलकिशोर जैन : बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष : शासन पैरों पर है। अब दो सैकिण्ड तक कोई भी न बोलें।

स्थगित प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

ग्राम भवानी शंकरपुरा की भूमि

336. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भवानी-शंकर पुरा तहसील जयपुर का खसरा नम्बर 136 वक्फ दादुपंथीज (धार्मिक) तथा खसरा नं. 137 नगर विकास न्यास, जयपुर की खातेदारी में दर्ज है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत भू-प्रबन्ध (1969-70) के समय श्री सुखदेव आर्य वर्तमान डिप्टी कलेक्टर जागीर, जिला भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने ए. एस. ओ. जयपुर को अपने प्रभाव में लेकर उक्त दोनों सम्पत्तियों को तहसीलदार, जयपुर के मना कर देने पर भी एक फर्जी व्यक्ति श्री गुलाबदास के नाम इन्द्राज दुरुस्ती करवा ली थी तथा उक्त अधिकारी ने बेचान से पहले ही फर्जी रजिस्ट्री करवा ली थी ?

(4) क्या यह सही है कि कानूनन धार्मिक भूमि को तथा नगर विकास न्यास की भूमि को व्यक्ति विशेष के हित में इन्द्राज दुरुस्ती नहीं किया जा सकता ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भयंकर अपराधों की जांच करवाई जाकर सजा देने हेतु कई प्रार्थना-पत्र भूतपूर्व सरकार को दिए गए हैं परन्तु इस अधिकारी को भूतपूर्व सरकार ने पूर्ण संरक्षण दिया ?

(6) क्या यह सही है कि उप-लोकायुक्त महोदय राजस्थान ने इस अधिकारी के विरुद्ध जांच करने के लिए वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारी श्री जोसफ को नियुक्त किया था ?

(7) क्या यह सही है कि प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट आते ही इस शिकायत को भी तत्कालीन राजस्व मंत्री ने अपने प्रभाव से जुडिशियल इन्क्वायरी को खारिज करवा दिया, केवल प्रशासनिक जांच ही विचाराधीन रही है ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को अपने पद के प्रभाव से इस धार्मिक सम्पत्ति को हड़पने के लिए जयपुर में ही गत आठ वर्ष से नियुक्ति दी गई है ?

(9) क्या वर्तमान राज्य सरकार श्री आर्य के विरुद्ध इतनी बड़ी गम्भीर अनियमितताओं के लिए उनके द्वारा किए गए दुरुपयोग के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री):(1) भू-प्रबंध सम्वत 2015 लगायत 2034 एवं वर्तमान पटवार रिकार्ड के अनुसार ग्राम भवानीपुरा तहसील जयपुर का खसरा नं. 136 रकबा 15 बिस्वा गैरमुमकिन आबादी वक्फ दादूपंथी गुरु स्वामी की खातेदारी में दर्ज है और खसरा नं. 137 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा गैरमुमकिन आबादी सिवाय चक मिलकियत सरकार दर्ज है।

(2) श्री सुखदेव आर्य दिनांक 14-8-70 से दिनांक 9-6-71 तक भू-प्रबंध अधिकारी, जयपुर पर नियुक्त थे।

(3) जी नहीं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा 1969-70 में जयपुर शहर की 12 मील

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

की परिधि में जाने वाले गांवों की भूमि का सर्वे एवं आपरेशन किए जाने के समय श्री गुलाबदास नामक व्यक्ति ने दिनांक 13-9-71 को एक उजरदारी पेश की थी। इसका निर्णय सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 21-12-71 को किया : इस उजरदारी के पेश होने एवं फैसला होने की अवधि में श्री आर्य, भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर, के पद पर स्थापित नहीं थे। इस कारण ये सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं थे। उक्त उजरदारी के सम्बन्ध में तहसीलदार, जयपुर द्वारा आपत्ति पेश भी की गई थी परन्तु इसे अस्वीकार किया गया एवं श्री गुलाबदास की उजरदारी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर नये खसरा नम्बरान 110, 111, 112 व 114 के कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी उनके नाम अंकित करने के आदेश ए.एस.ओ. ने दिये थे। बेचान से पूर्व रजिस्ट्री नहीं हुई।

(4) जी हां।

(5) यह सही नहीं है। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इस मामले में बाद विचार यह पाया गया कि श्री आर्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः मामला समाप्त कर दिया गया परन्तु अन्य कुछ मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही होकर उन्हें दण्ड दिया गया है।

(6) जी हां, सतर्कता आयोग द्वारा यह मामला राजस्व मण्डल को भेज कर श्री डी. सी. जोसफ, सदस्य, राजस्व मण्डल से जांच करवाई गई थी।

(7) यह सही नहीं है। श्री जोसफ की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सतर्कता आयोग ने कुछ और जानकारी एकत्रित की एवं सम्बन्धित पत्रावलियां भी मंगवाई थीं। इसी दौरान सतर्कता आयोग समाप्त हो गया एवं मामला कार्मिक विभाग को प्रेषित कर दिया गया जहां बाद जांच अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता न मानते हुए मामले को समाप्त कर दिया गया।

(8) यह सही नहीं है कि उक्त अधिकारी को धार्मिक सम्पत्ति हड़पने के लिये जयपुर से नियुक्त रखा गया हो।

(9) जहां तक इस भूमि के मामले का सम्बन्ध है, मामला बाद जांच समाप्त कर दिया गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या यह वही व्यक्ति है जिसके सम्बन्ध में नाथूराम मिर्धा के लिए फर्जी वोट डालने के मामले में हाई कोर्ट से फैसला हुआ था कि उसने फोर्जरी की है?

श्री बजरंग लाल शर्मा : प्रश्न (7) में स्पष्ट पूछा है, 'क्या यह सही है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आते ही इस शिकायत को भी तत्कालीन राजस्व मंत्री ने अपने प्रभाव से जुडिशियल इन्क्वायरी को खारिज करवा दिया ?" इसका कोई उत्तर नहीं?

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चोमू) : मेरा भी पूरक प्रश्न है। राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करें कि क्या इस अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं? माननीय मूलचंद ने पूछा है कि क्या यह वही अधिकारी है जिसको नाथूराम मिर्धा की रिट पिटीशन में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया है ? इसका राजस्व मन्त्री क्यों नहीं जवाब देते ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मेड़ता निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर की कई विभागीय जांच के बाद दिनांक 26–8–76 के आदेश द्वारा श्री आर्य की दो वार्षिक वृद्धियां हमेशा के लिए प्रभाव–शील तिथि से रोकी गईं। दूसरे, डिप्टी कलेक्टर जागीर के पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध पाए गए आरोपों को लेकर आदेश दिनांक 2–9–79 के द्वारा उन्हें रिकार्डेड वार्निंग की सजा दी गई।

श्री आर्य जयपुर में दिनांक 14–8–70 से 9–6–71 तक भू–प्रबन्ध अधिकारी के पद पर रहे। इसके बाद 25–5–72 तक निलम्बन में रहे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री खेतसिंह।

तहसील शेरगढ़ में राजस्व अभियान का कार्य

358. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व अभियान के तहत कितने म्यूटेशन व अन्य क्या क्या कार्यवाहियां तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर के विभिन्न गांवों में की गईं तथा उससे कुल कितने व्यक्तियों को लाभ मिला ?

(2) क्या यह सही है कि इस अभियान में जनता पार्टी के एक कार्यकर्त्ता को सभी गांवों में साथ लेकर इस अभियान के इन्चार्ज मजिस्ट्रेट अपनी राजकीय जीप में घूमे तथा उन्हीं के इशारे पर परिवारों का चयन किया और इसके बारे में स्थानीय विधायक ने लिखित में जिलाधीश, जोधपुर को शिकायत इस अभियान के दरमियान की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार की यह हिदायत थी कि कांग्रेस पार्टी से चुने हुए विधायकों को इस अभियान में न बुलाया जावे ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री): (1) राजस्व अभियान के दौरान तहसील शेरगढ़ में निम्नलिखित कार्य हुआ:—

1. खातेदारी अधिकार दिए गए 36
2. नियमन किए गए मामलों की संख्या 147
3. मकानों व बाड़ों के मामले निपटाये गए 113
4. बेदखली के आदेश दिए गए 339
5. लगान माफ किए गए मामलों की संख्या 1910
6. आबादी विस्तार के निपटाये गए मामले 17
7. रूपान्तरण के मामले निपटाये गये 16
8. वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की 324
9. नामान्तरकरण 3920

(2) अभियान के दौरान केवल चार बार ऐसे एक कार्यकर्त्ता को राजकीय जीप में बैठने दिया गया था। यह कहना सही नहीं है कि उक्त कार्यकर्त्ता के इशारे पर परिवारों का चयन किया गया। इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के विधायक महोदय ने लिखित में जिलाधीश को शिकायत की थी जिस पर जिलाधीश ने संबंधित अधिकारी को तत्काल

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

निर्देश दिए कि वे अभियान को इस प्रकार संचालित करें जिससे कार्यवाही निष्पक्ष रूप से हो एवं निष्पक्ष होने का लोगों में विश्वास भी पैदा हो। इसी आशय का उत्तर भी जिलाधीश ने माननीय विधायक को दिनांक 31-10-77 को भेजा था।

(3) जी नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे 20 साल के राजनैतिक जीवन में और कांग्रेस के 30 साल की हुकूमत में इस प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब भी कोई अभियान चलाया जाता था तो स्थानीय विधायकों को विश्वास में लिया जाता था। यह पहला मौका है कि मुझे सूचना न देकर इस अभियान में जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राजकीय जीप में लेकर मजिस्ट्रेट घूमे और उसके इशारे पर काम किया। इससे बढ़कर शर्मनाक बात और नहीं हो सकती

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री कौशल किशोर जैन : खेतसिंह जी कह रहे हैं कि विधायकों से पूछा करते थे। आपने तो विधायकों को 20-20 महीने जेल में रखा।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री: जिलाधीश जोधपुर ने दिनांक 18-10-77 को माननीय श्री खेतसिंह, श्री नरपतराम, श्री राम सिंह विश्नोई, श्री परसराम, श्री रणजीत सिंह व श्री माधोसिंह इन सब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा—

"मान्यवर,

मैंने दिनांक 5-10-77 को अपने पत्र दिनांक 5-10-77 द्वारा राजस्व अभियान एवं अन्त्योदय योजना संबंधी पुस्तिका, जो जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित की गई थी, आपको प्रेषित की थी, साथ ही आपके सुझावों एवं सहयोग हेतु अनुरोध किया था। अभियान के क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं की जानकारी अपने कार्यकर्त्ताओं से शायद आपको प्राप्त हुई है। मैं आभार मानूंगा यदि आप ऐसी समस्याओं के संबंध में मुझे अवगत करा सकें ताकि प्रशासन समय रहते ही सुधार हेतु प्रयास कर सके।"

(व्यवधान)

सुनिये सुनिये, आप सुनिये। आप सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह जो जानकारी दी गयी है वह कलेक्टर द्वारा दी गयी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप कौन हैं जो बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पुस्तिका को भेजने की विस्तृत सूचना

(श्री परसराम मदेरणा)

जो कलेक्टर ने दी वह तो ठीक है लेकिन राजस्व अभियान के अन्तर्गत जो एडवाइजरी कमेटी लैण्ड अलॉटमेंट की बनी उसमें एम. एल. ए. शरीक हो सकते हैं। मैं खुद भी तीन चार जगह गया। वहां पर एस. डी. ओ. इस कमेटी का चेयरमैन होता था। मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं, एस. डी. ओ. ने मुझे पूछा तक नहीं कि किस व्यक्ति के लिए क्या किया जाय। जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही किया।

जो सवाल शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि उनको अन्त्योदय योजना और दूसरे अभियानों की कोई इत्तला नहीं दी और एस. डी. ओ. और दूसरे राजस्व अधिकारियों ने जनता पार्टी के हारे हुए केन्डीडेट को अपनी जीप में बैठा कर घुमाया। उसके ही कहने से प्रत्येक गांव में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो पांच परिवार घोषित करने थे वह किये। मेरा निवेदन यह है कि इस सदन में जो भी माननीय सदस्य इत्तला देते हैं वह उनकी जानकारी के अनुसार सही देते हैं। जोधपुर जिले के शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वह सही है। स्थिति ऐसी है कि जोधपुर जिले के सभी गांवों से जो केन्डीडेट्स जीत कर आये हैं वह सभी कांग्रेसी विधायक आये हैं। अभी जो चुनाव फलोदी में हुए उसमें जरूर जनता पार्टी जीती है। जनता पार्टी के लोग जो कि हारे हुए हैं, अधिकारियों की जीपों में बैठ बैठ कर गांवों में इस प्रकार गये जैसे कि वह ही वहां से जीते हुए एम. एल. ए. हों। गांवों में इस पार्टी के लोगों को 'जोंगा पार्टी घूम रही है' कहते हैं। जोधपुर जिले के जो स्थानीय एम. एल.एज. हैं उनको कहीं पर भी कान्फीडेन्स में नहीं लिया गया क्योंकि वह लोग कांग्रेसी हैं। आज आपके खास तौर से जोधपुर जिले के प्रशासनिक अधिकारी इतने डीमोरेलाइज हो गये हैं कि वह वही काम करते हैं जो कि जनता पार्टी के हारे हुए नेता कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना तक कहूंगा कि उन हारे हुए जनता पार्टी के नेता लोगों का जोधपुर जिला प्रशासन में भारी इन्टरफियरेन्स है। इतना इन्टरफियरेन्स होना निन्दनीय और अशोभनीय है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि जिला कलेक्टर ने सभी एम. एल. एज को चिट्ठियां भेजी हैं लेकिन क्या दूसरी जगह पर कलेक्टर के नीचे सर्बोडिनेट आफिसर, जो कि एस. डी. ओ. और तहसीलदार हैं, ने सूचना दी या नहीं ? जैसा कि माननीय सदस्य खेतसिंह जी ने कहा, उनको कोई इत्तला ही नहीं दी गई। दूसरे यह कहा कि हारे हुए जनता पार्टी के नेताओं को जीप में बैठा कर उप जिला अधिकारी और तहसीलदार अपने इलाके में घूम रहे थे। कांग्रेस के एम. एल. एज. को कोई सूचना उन्होंने नहीं दी कि कौनसी तारीख को, कहां पर, किस वक्त अलाटमेंट्स राजस्व अभियान के अन्तर्गत होंगे या अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कौनसे पांच परिवारों को चुनना चाहिए। मैं मेरे इलाके की बात बताना चाहता हूं। हमारे पास प्रोग्राम तो आ गये लेकिन तहसीलदार अपनी जीप में अलग जा रहा था, एस. डी. ओ. अलग अपनी जीप में जा रहा था और मैं अलग अपनी जीप में जा रहा था। हो सकता है उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा

Page No 24

(24)

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

इसलिए कांग्रेस के एम. एल. एज. को नहीं पूछा। इससे उनको महसूस हुआ कि

(व्यवधान)

उनको कहा तक नहीं कि आप पधारो साहब।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। इस एक प्रश्न पर पांच मिनट से ज्यादा बहस हो गई है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय फर्मा रहे थे कि जिलाधीश ने इत्तला दी थी कि राजस्व अभियान इस तारीख से शुरू होगा, उसमें आप माननीय सदस्य आमन्त्रित हैं। यह पत्र तो हमारे पास पहुंचा लेकिन उसके बाद में उप जिलाधीश और तहसीलदार ने कोई सूचना नहीं दी कि वह कौनसी तारीख को कहां पर अपना प्रोग्राम रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन तहसीलें हैं। सिवाय एक रेवदर तहसीलदार को छोड़ कर दूसरे आबू और सिरोही के तहसीलदारों ने मुझे कोई सूचना नहीं दी कि कौन से दिन अन्त्योदय अभियान का कहां पर प्रोग्राम है, कब कब राजस्व अभियान का कहां कहां प्रोग्राम है। कहां कहां उनका कब कब क्या कार्य होगा। कुछ भी नहीं बताया। सिरोही और आबू तहसील में जितने भी राजस्व अभियान के अन्तर्गत अलाटमेंट्स हुए हैं, या अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो भी पांच पांच परिवार प्रत्येक गांव से चुने गये हैं वह सभी वहां से हारे हुए जनता पार्टी के केन्डीडेट्स के कहने से हुए हैं। इसलिए राजस्व मंत्री जी जो कह रहे है वह सभी, मैं मानता हूं, गलत है। किसी भी कांग्रेसी एम. एल.ए. को कान्फीडेन्स में इन अभियानों के अन्तर्गत नहीं लिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेन्ट्री प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह तो बहुत बड़ा सवाल है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा का अधिवेशन शुरू होता है तब विधान सभा की बैठकों के लिये सभी एम. एल. एज. को आमन्त्रित किया जाता है इसी तरह उनका फर्ज था कि वह हमको बताते, कौन सी तारीख को कहां कहां पर प्रोग्राम है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह हिदायत थी कि कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायकों को इस अभियान में न बुलाया जावे और सिर्फ जनता पार्टी के नेताओं को ही बुलाया जावे चाहे वह हारे हुए ही हों, इसलिए ऐसा हुआ है ?

(व्यवधान)

(श्री शंकरलाल)

मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, निमाज के तहसीलदार के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वह अपने साथ में जनता पार्टी के नेताओं को लिये घूम रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अब भी आप कांग्रेस की सरकार के जमाने की तरह उम्मीद करते हैं कि एस. डी. ओ. और तहसीलदार आपके बंगले पर आयें और आपको ले जावें। यह बिलकुल नहीं होगा। वह जमाना गया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, शान्त रहें। आसन पैरों पर है माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

अब मैं सिर्फ दो सप्लीमेन्ट्री प्रश्न इस प्रश्न पर पूछने के लिये अनुमति दूंगा, एक तो प्रश्नकर्त्ता को दूसरा श्री रामकृष्णदास गुप्ता को ।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, इन अभियानों के अन्तर्गत हमें कोई सूचना स्थानीय तहसीलदार और एस.डी. ओ. ने नहीं दी और न ही हमें पूछा ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मुझे पता है माननीय सदस्य नूरा झूठ बोल रहे हैं। यह एस. डी.ओ की मीटिंग में बैठे हुए थे, उनके साथ घूम रहे थे। मैंने देखा है आप मसूदा में घूम रहे थे।

श्री नूरा : हमें जीपों की कोई जरूरत नहीं है। हम तो पैदल ही घूम सकते हैं। जबरदस्ती बैठाना नहीं चाहते। पर कम से कम तहसीलदार और एस डी. एम. को स्थानीय एम.एल.ए. को यह सूचना तो देनी चाहिये कि कौन से दिन कितने बजे क्या प्रोग्राम है उनका ताकि वहां पर पहुंच जावें ।

श्री रतनलाल वर्मा : आप जीप में बैठ कर गये या नहीं ?

श्री नूरा : आप इस प्रकार से जबरदस्ती कर रहे हैं। सवाल जोधपुर का है और मसूदा की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, श्री नूरा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस योजना के बारे में भाषण दिया तो यह कहा था कि हम विपक्ष का पूरा सहयोग चाहते हैं और विपक्ष भी उतनी ही इसमें दिलचस्पी ले । लेकिन न तो मुझे एस.डी.ओ. ने इत्तला दी और न ही किसी ने दी। जिस पत्र का हवाला दिया गया है वह मुझे डाक से भेज दिया गया मेरे गांव के पते पर । मैं जोधपुर में बैठा था । मुझे मालूम नहीं हुआ । मैं मालूम करता, यह मेरा फर्ज था। लेकिन उस व्यक्ति को, जिसकी जमानत जब्त हुई, राजनैतिक दृष्टिकोण से जीप में साथ में बैठाकर घुमाया।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : खुली सभा में कोई भी आदमी आ सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार बार खड़े होते हैं। कितनी देर बरदाश्त करूँ। एक सप्लीमेन्ट्री लिया जावेगा क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आप ने बीकानेर जिलाधीश को इस प्रकार के आदेश दिये कि स्थानीय विधायक को अपने क्षेत्र में लेकर जाय। मैंने जिलाधीश से संपर्क किया कि ऐसे आदेश लिखित में हो तो कृपया बतायें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तीन लाइन के अन्त्योदय योजना के आदेश हैं। ऐसा आदेश नहीं आया कि विधायक को साथ में मौके पर ले जाया जाय। यही नहीं, जिला अन्त्योदय समिति है उसमें किसी एम.एल.ए. को नहीं बुलाया। नौकरशाही मंत्रिमंडल पर हावी है। आप लोगों को XXX बना रही है। यह मौका है।

एक माननीय सदस्य : इस तरह की बात करना ...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता ; मेरा अपमान हुआ है। बीकानेर के कलेक्टर ने एक मीटिंग काल की 3 बजे ..

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्य सप्लीमेन्ट्री पूछने के बजाय भाषण दे रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता: बीकानेर के एम.एल.ए......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, XXX शब्द का प्रयोग असंसदीय है। मैं आदेश देता हूं कि यह शब्द अंकित न हो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस शब्द को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जिस कंटेक्स्ट में प्रयोग किया है यह असंसदीय है और अभद्र है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं इसको वापस लेता हूं। अधिकारी लोग गुमराह कर रहे हैं मंत्रियों को।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : प्रश्न काल में भाषण नहीं दिया जा सकता। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो भाषण दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछ कर बैठ जाइये। नियमों के खिलाफ कृपया कार्य मत कीजिये। मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पुन: निवेदन करता हूं कि आप सप्लीमेन्ट्री पूछिये। एक लिमिट होती है इसकी भी। आप भाषण कर रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I am sorry, Sir. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या जिलाधीश को.... .

(व्यवधान)

यह गवर्नमेन्ट मेरी भी है।

क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिलाधीश को, एस.डी.ओ. को पत्र लिख कर भेजा कि आप विधायकों से इस सम्बन्ध में सहयोग लें?

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह फर्माया कि गुमानसिंह केन्डीडेट हारा हुआ था उसको जीप में बिठाया गया। जैसा मैंने निवेदन किया कि ट्रान्सपोर्ट फेल हो गयी इसलिये चार बार बैठने का अधिकार दिया गया!

(व्यवधान)

जो सूचना है वह मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय खेतसिंहजी, कृपा कर सुनिये।

श्री शंकरलाल : आपका उत्तर ही झूठा है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कांग्रेस के विधायकों का सहयोग न लिया जाय, ऐसे आदेश दिये गये। मेरा निवेदन है कि ऐसे आदेश नहीं दिये गये बल्कि यह आदेश दिये गये कि जितने भी विधायक हैं चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल के हों उनका सहयोग लिया जाय। अलाटमेंन्ट कमेटी का जहां तक सवाल है एम.एल.ए. उसका मेम्बर नहीं होता है। जब मीटिंग बुलायें तो उनका सहयोग लिया जा सकता है। 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत एक सक्यूंलर निकाला गया। राजस्थान सरकार की ओर से...

(व्यवधान)

आप सुनिये। सुनिये आप।

श्री नूरा : जनता पार्टी को....

श्री पुरुषोत्तम मंत्री ; सुनिये आप।

20 पोइन्ट प्रोग्राम जब जारी हुआ था तत्कालीन राजस्थान सरकार ने एक सक्यूंलर निकाला था और वह सक्यूंलर यह था कि यदि ··

(व्यवधान)

जिला खण्ड और उप खण्ड समिति में प्रधान या सरपंच कांग्रेस का न हो तो दूसरे कांग्रेसी को लिया जाय। विरोधी दल को न लिया जाय।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री एच.एन. शर्मा : स्वतन्त्रता के नाम पर कलंक हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत जीवद के सरपंच द्वारा आवंटित भूमि

430. श्री कुन्जीलाल (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास (सवाई माधोपुर) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जीवद के सरपंच श्री फूलचन्द मीणा द्वारा उनके एवं उनके भाई के लड़कों के गलत वल्दियत बतलाते हुये लगभग 32 बीघा भूमि अवैध ढंग से आवंटित करवाई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(श्री कुंजीलाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने अपनी पत्नी को बेवा बता कर भी 3 बीघा जमीन आवंटित करवाई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि श्री फूलचन्द भू.पू. सरपंच ग्राम पंचायत जीवद पं. स. बामनवास के लड़के एवं उनके भाई के लड़के श्री रामस्वरूप की गलत वल्दियत बतलाते हुए 32 बीघा भूमि अनियमित रूप से वर्ष 1968 एवं 1970 में आवंटित कराई है। आवंटन निरस्त करने एवं सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही हैं।

(2) जी हां, यह सत्य है। सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है एवं आवंटन निरस्त करने हेतु भी समुचित कार्यवाही की जा रही है।

जोधपुर के पुराने हवाई अड्डे हेतु आरक्षित भूमि का मुआवजा

431. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) ग्राम सालावास जिला जोधपुर के पुराने हवाई अड्डे हेतु आरक्षित भूमि के लिये गांव गडा विश्नोइयान के कितने काश्तकारों की कितनी भूमि अवाप्त की गई ?

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई है उनमें से काफी लोगों को अभी तक उनकी भूमि का किराया व मुआवजा नहीं मिला है ? अगर हां, तो मुआवजा व किराया जिन लोगों को नहीं मिला उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिन लोगों को मुआवजा व किराया देना है उनका कितना कितना किराया व मुआवजा बनता है व कब तक उन्हें उक्त रकम राज्य सरकार द्वारा दे दी जायगी ?

उत्तर

(1) ग्राम सालावास में हवाई अड्डे के लिए निजी भूमि 44 काश्तकारों की 824 बीघा 9 बिस्वा अवाप्त की गई।

(2) केवल 3 गैर खातेदारों को छोड़ कर शेष सभी को मुआवजा एवं किराया की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिन 3 व्यक्तियों को मुआवजा नहीं दिया गया, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1–श्री मंगीया पुत्र लाखा भांबी

2–श्री मंगलाराम पुत्र गंगाराम विश्नोई

3–श्री पलीया पुत्र टीकूराम भांबी

(3) उक्त तीनों ही गैर खातेदार आसामी थे। राजस्व विभाग की आज्ञा पं. (23) राज/4/75 दिनांक 8–7–76 के तहत इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। मुआवजा दिये जाने हेतु पुनः जांच करा ली जावेगी।

ब्लाक नाहरगढ़ में अनुसूचित जनजाति के कृषकों की भूमि

432. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर, तहसील जयपुर, ब्लाक नाहरगढ़ में अनुसूचित जन जाति के कृषकों के सन् 1958 तक कुल कितने खाते थे ? नाम, पिता का नाम तथा क्षेत्रफल का पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जन जाति के खातेदारों की भूमि का नामान्तरकरण किसी गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के नाम नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो उक्त ब्लाक की ऐसी किसी कृषि भूमि का नामान्तरकरण किसी गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के नाम किया गया है ? यदि हां, तो कब और किसके आदेश से और किस नियम के अन्तर्गत ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ब्लाक नाहरगढ़ के नाम से तहसील जयपुर में कोई राजस्व ग्राम नहीं है। तहसील जयपुर में "नाहरगढ़" के नाम से एक ग्राम अवश्य है। जिला जयपुर, तहसील जयपुर के ग्राम नाहरगढ़ में अनुसूचित जन जाति के कृषकों के सन् 1958 तक 8 खाते थे। नाम पिता का नाम तथा क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां, नाहरगढ़ ग्राम में केवल एक व्यक्ति बिन्या पुत्र गुल्ला मीना की भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 1 बिस्वा गै. मु. छतरी और खसरा नं. 251 रकबा 3 बिस्वा गै. मु. शमशान का नामान्तरकरण संख्या 38 श्री रामेश्वर पुत्र रामगोपाल पारीक के नाम एस. डी. ओ. जयपुर के आदेश दिनांक 6-9-65 जो मु. नं. 150/1963 के आधार पर किया गया था। उक्त आदेश एस. डी. ओ. जयपुर ने सैटलमेंट बन्द होने पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के यहां से मुन्तकिल होकर आये प्रार्थना-पत्र उनवानी रामेश्वर बनाम बिन्या अन्तर्गत धारा 125 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरुस्ती इन्द्राज में दिया गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

उपजिलाधीश, बहरोड़ के कार्यालय के कर्मचारी

433. श्री रामकरणसिंह (कोठपुतली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उपजिलाधीश श्री छोटू सिंह भदोरिया बहरोड़, अलवर में जितने दिन रहे उस समय कौन कौन नाजिर और रीडर कितने कितने दिन रहे ?

(2) उक्त उपजिलाधीश के कार्यकाल में श्री ओम प्रकाश गुप्ता किस किस कार्य पर रहा ?

(3) श्री ओम प्रकाश गुप्ता बहरोड़ में कब से कार्य कर रहे हैं ?

(4) इसका स्थानान्तरण कब कब हुआ और किस वजह से रद्द किया गया ?

(श्री रामकरणसिंह)

(5) क्या यह सही नहीं है कि यह व्यक्ति केवल अधिकारियों की दलाली करने, मुकदमों का ठेका लेने का कार्य कर रहा है और इस ही वजह से इसका स्थानान्तरण समय समय पर रद्द किया गया है ?

(6) क्या यह सही नहीं है कि श्री छोटूसिंह भदोरिया उप-जिलाधीश के समय जितने भी मुकदमों के फैसले हुये वह सब फाइलें फैसला सुनाने व फैसला करने से पहले श्री ओमप्रकाश गुप्ता के पास जाती हैं ? वह मुद्दई और मुदायले से सौदा तय करता है ?

(7) क्या यह सही है कि श्री ओम प्रकाश गुप्ता ने श्री भदोरिया साहब से फैसले लिखने के बाद खास सौदा होने व रकम मिलने पर लिखा हुआ फैसला फाइल से निकाल कर जलाया है और पुनः फैसला बदला है ?

(8) क्या यह भी सही है कि मुद्दई और मुदायले को बारी बारी से सौदे करने के लिए उपजिलाधीश के घर पर बुलाया जाता रहा है और जनता को लूटा है ?

उत्तर

(1) श्री छोटूसिंह भदोरिया उपजिलाधीश बहरोड़ अलवर के समय में श्री ओम प्रकाश नाजिर तथा श्री मांगीलाल रीडर दिनांक 5-11-73 से 31-1-76 तक एवं श्री स्वरूप चरण रीडर 1-2-76 से 23-4-76 तक रहे ।

(2) श्री ओमप्रकाश नाजिर के पद पर रहे ।

(3) श्री ओमप्रकाश दि. 23-11-77 से तहसीलदार बहरोड़ के कार्यालय में कैशियर के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

(4) श्री ओम प्रकाश का स्थानान्तरण दिनांक 19-9-77 को उपजिलाधीश कार्यालय बहरोड़ से सहायक जिलाधीश कार्यालय किशनगढ़ वास (अलवर) में हुआ था एवं श्री ओमप्रकाश कार्यमुक्त होकर किशनगढ़ वापस चले गये थे उनका स्थानान्तरण आदेश रद्द नहीं हुआ । पुनः उनका स्थानान्तरण कैशियर तहसील बहरोड़ में हुआ ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी नहीं ।

(7) जी नहीं ।

(8) जी नहीं ।

शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ताओं को भूमि का आवंटन

434. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र 3 अप्रेल, 73 को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये गये थे जिसमें श्री रूपचन्द पी. डब्ल्यू. आई. पुराना जाटा बास, बाड़मेर निवासी भी सम्मिलित थे ?

(2) क्या भारत सरकार के गृह मन्त्रालय द्वारा देय महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा 40/- प्रति माह पेंशन के रूप में इन शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ताओं को प्राप्त हो रहा है ?

(श्री रामकिशोर मीणा)

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने इन शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ताओं को 25 बीघा सिंचित भूमि व 2000/- रुपये नकद राशि में देने की घोषणा की थी ?

(4) क्या इस घोषणा की क्रियान्विति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो इसकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 3 (32)72/डी./सी ई.आर. दिनांक 30-10-72 के अनुसार सिर्फ सैना के शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ता अधिकारियों एवं सैनिकों को ये सुविधायें देय हैं।

(3) जी नहीं। सैना के शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ता अधिकारियों एवं सैनिकों को ही ये सुविधायें देय हैं।

(4) ये सुविधायें सिर्फ सैना के शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ता अधिकारियों व सैनिकों को ही देय हैं। जिनकी क्रियान्विति की जा चुकी हैं। ये सुविधायें सिविलियन शौर्य चक्र प्राप्तकर्त्ताओं को देय नहीं हैं।

बाड़मेर जिले को आवंटित तकुए

435. श्री कानसिंह (शिव) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 25,500 तकुए गत वर्ष आवंटित किये हैं ? यदि हां, तो इसमें से बाड़मेर जिले को कितने तकुए आवंटित किये गये और कितने तकुए के लिए प्रार्थना-पत्र बाकी हैं ?

(उत्तर).

जी नहीं। वस्त्रायुक्त, भारत सरकार, बम्बई द्वारा वर्ष 1977 में राज्य में विभिन्न पार्टियों/निगमों को 15520 ऊनी तकुए आवंटित किये गये जिनमें से बाड़मेर जिले को कोई ऊनी तकुआ आवंटित नहीं हुआ। यद्यपि इन आवंटित तकुओं में से 400 ऊनी तकुए राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा बाड़मेर जिले में जाइन्ट सैक्टर में लगाने का अन्त:कालीन (प्रोवीजनल) निर्णय लिया है। इसके अलावा बाड़मेर जिले के चार प्रार्थना-पत्र कुल 3100 तकुओं के लिए टैक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई के विचाराधीन है।

सांभर साल्ट लिमिटेड

436. श्री विजयेन्द्रपालसिंह (आसीन्द) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांभर साल्ट लिमिटेड हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड को ही सहयोगी है ?

(2) क्या सांभर साल्ट लिमिटेड घाटे में जा रहा है ? यदि हां, तो कितने वर्षों से और प्रति वर्ष उसमें कितना घाटा हुआ ?

(3) क्या राज्य सरकार सांभर साल्ट लिमिटेड का संचालन अपने अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सांभर साल्ट्स लिमिटेड हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की ही सहयोगी कम्पनी (अर्थात सहायक कम्पनी) है। यद्यपि स्थानीय अधिनियम के अनुसार

(उद्योग मंत्री)

सांभर साल्ट्स लिमिटेड प्रथक रूप से एक स्वतन्त्र रजिस्टर्ड कम्पनी है, तथापि सांभर साल्ट्स लिमिटेड में हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. के 60% शेयर हैं।

(2) जी हां। सांभर साल्ट्स पिछले दो वर्षों से घाटे में जा रहा है। 1975-76 में 31,80,975/- रुपये का घाटा हुआ जब कि 1976-77 में 46,97,172 रुपये का घाटा हुआ।

(3) राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्र सरकार को लिखा था। केन्द्र सरकार ने उत्तर में इस बारे में कानूनी अड़चन बताई।

राजकीय उपक्रम बोर्ड तथा निगम

437 श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने राजकीय उपक्रम, बोर्ड तथा निगम हैं ? उनकी सूची, उनके वर्तमान अध्यक्षों के नामों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में भी जानकारी दें।

(3) उनमें से कितने लाभ और नुकसान में चल रहे हैं? प्रत्येक का लाभ और नुकसान का अलग अलग विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन कोई बोर्ड अथवा निगम कार्यरत नहीं है। इस विभाग के अधीनस्थ जो विभागीय इकाइयां एवं कम्पनियां कार्यरत हैं उनका विवरण निम्नानुसार है :—

1– विभागीय इकाइयां :—

क– लवण स्रोत, डीडवाना।

ख– लवण स्रोत, पचपदरा।

ग– राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना।

घ– राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर।

2– कम्पनियां :—

क– गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर।

ख– हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि. जयपुर।

ग– राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. जयपुर।

विभागीय इकाइयों में कोई अध्यक्ष पद नहीं है। गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर एवं हाईटेक प्रेसीजन ग्लास लि. धौलपुर में भी वर्तमान में कोई अध्यक्ष पद नहीं है। राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. में श्री ओंकार-सिंह खींवसर, अध्यक्ष पद पर मनोनीत है।

(2) कम्पनियों में राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. के अतिरिक्त अन्य की वित्तीय स्थिति वर्तमान में सन्तोषजनक है।

(3) राजकीय उपक्रम विभाग के अधीन कार्यरत इकाइयों/कम्पनियों के लाभ-हानि का पिछले दस वर्षों का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पंचायत समिति एवं जिला परिषद् कानून में संशोधन

438 श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार पंचायत समिति एवं जिला परिषद कानून में कुछ संशोधन करने का विचार रखती है? अगर हां, तो उक्त कानून में कब तक क्या क्या संशोधन कर दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार प्रधानों एवं प्रमुखों के चुनाव प्रणाली में कुछ संशोधन करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो उक्त कानून में आवश्यक संशोधन सरकार द्वारा कब तक कर दिए जावेंगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो उक्त चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायती राज संस्थाओं के गठन सम्बन्धी मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में शीघ्र अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही पंचायत समिति एवं जिला परिषद कानून में तदनुसार संशोधन करने के बारे में विचार किया जावेगा।

(2) पंचायती राज संस्थाओं के गठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने के पश्चात् ही प्रधानों एवं प्रमुखों के चुनाव सम्बन्धी प्रणाली में तदनुसार संशोधन करने के बारे में विचार किया जाना संभव है।

(3) पंचायती राज संस्थाओं के गठन के सम्बन्ध में निर्णय लेने के उपरान्त ही पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र कराने के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

बी. डी. ओ. कार्यालय, धौलपुर के कर्मचारी

439. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

- धौलपुर आफिस में वर्तमान बी.डी.ओ. कब से हैं और उनका स्टाफ कितने अर्से से वहीं मुकर्रर है जिनका आज तक तबादला नहीं किया गया है ? स्टाफ में कौन कौन धौलपुर के ही रहने वाले हैं ?

उत्तर

पंचायत समिति, धौलपुर के वर्तमान विकास अधिकारी श्री राममूर्ति सिंह दिनांक 22-9-77 से ही पंचायत समिति धौलपुर के कार्यालय में कार्यरत हैं। पंचायत समिति धौलपुर के कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारी, जिनका अब तक स्थानान्तरण नहीं हुआ है तथा जो धौलपुर के निवासी हैं, की कार्यावधि का विवरण अंकित कर सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन

440. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री शंकरलाल)

(1) राजस्थान में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन कब तक और किस प्रणाली द्वारा कराये जाने का राज्य सरकार का विचार है ?

(2) क्या राज्य सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों में भी कुछ परिवर्तन करना चाहती है ? यदि हां, तो किन किन अधिकारों में क्या क्या परिवर्तन कब तक करने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के गठन संबंधी मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जावेगा

(2) जी हां। अभी तक यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जावेगा।

बाड़मेर जिले की श्रमिक ठेका सहकारी समितियां

441. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में शुरू से लेकर अब तक कितनी श्रमिक ठेका सहकारी समितियां कब कब बनी हैं ? उनकी नामावली प्रत्येक की अलग अलग सदस्य संख्या एवं उनकी हिस्सा पूंजी का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कितनी सफल हुई हैं और उन्होंने अपने लाभ का कितना हिस्सा सहकारी समितियों के सदस्यों को वितरित किया है ?

(3) समितियों का आडिट जो समय समय पर किया गया है उसमें जो अनियमितताएँ पाई गई और जिनके विरुद्ध गबन के आरोप पाये गये उनका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) उक्त अनियमिततायें और गबन के आरोपों के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाये गये ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त समितियों से कुछ विशेष व्यक्तियों ने ही लाभ उठाया है और उन्होंने सहकारिता आन्दोलन का दुरुपयोग किया है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार कुल 23 श्रमिक ठेका सहकारी समितियों का गठन किया गया है। उनमें से एक समिति का रजिस्ट्रेशन कैन्सिल किया जा चुका है व 2 सहकारी समितियां अवसायन में आ गई हैं। शेष 20 समितियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(2) उपरोक्त सहकारी समितियों में से 11 समितियां कार्यरत हैं। उन्होंने लाभ का कोई हिस्सा अपने सदस्यों को अभी तक वितरित नहीं किया है।

(3) ब्यौरा परिशिष्ट 'स' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) (अ) आडिट रिपोर्ट्स में पाई गई अनियमितताओं के लिए सहकारी समितियों को समस्त आरोपों की पूर्ति कर अनुपालना रिपोर्ट्स भेजने हेतु लिखा जा चुका है।

Page No 35

(35)

(सहकारिता मंत्री)

(आ) भैरूंजी श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड की आडिट रिपोर्ट वर्ष 71-72 के आधार पर समिति के खजान्ची के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया था। धारा 74 (1) की जांच के दौरान आडिट रिपोर्ट में अंकित अनियमित व्यय प्रमाणित नहीं हुए जिसके कारण मामला समाप्त कर दिया गया।

(इ) जिले की वे सहकारी समितियां जो कमीशन बेसिस पर कार्य करवा रही हैं के विरुद्ध जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जांच पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(6) इस जिले की 5 श्रमिक ठेका सहकारी समितियों ने प्राप्त ठेकों के कार्य को स्वयं के स्तर पर न कर अपने सदस्यों से कमीशन के आधार पर करवाया है जिससे संस्था को कम व कुछ विशेष सदस्यों को अधिक लाभ मिला है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगलिया के चुनाव

442. श्री रामदेवसिंह (धोद): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांगलिया, पंचायत समिति दांता रामगढ़ के चुनाव कब हुए थे व इसमें कौन कौन पदाधिकारी हैं? कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त सहकारी समिति के कुल कितने सदस्य हैं व कितने सदस्यों को कितना कितना कर्जा दिया गया है? तारीखवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त समिति का अन्तिम आडिट कब हुआ था? आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. सांगलिया, पंचायत समिति दांता रामगढ़ के चुनाव दिनांक 17-6-74 को हुए थे। पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त सहकारी समिति के राजस्थान सरकार सहित कुल 301 सदस्य हैं। ब्योरा संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) अन्तिम आडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

[सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

सहकारी उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा

443. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कौशल किशोर जैन)

(1) क्या यह सही है कि 1978 में सहकारी उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा में सदस्यों को विक्रय के लिए प्रोत्साहन हेतु 100/-की खरीद पर 1 बैग देने का निश्चय किया ?

(2) क्या यह सही है कि उस हेतु जो बैग बाजार से खरीदा गया उसका वास्तविक बाजार मूल्य 11/-रु. है जब कि उपभोक्ता भण्डार ने प्रति बैग 15) रु. का बिल बनवाया ?

(3) राज्य सरकार इस घोटाले की जांच कराने के लिए क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भण्डार के द्वारा दो तरह से बैग खरीदे गये हैं जिनकी कीमतें अलग अलग हैं। 14 इन्च के बैग की कीमत 13/- रुपये प्रति बैग व 16 इन्च के बैग की कीमत 15.60 रुपये प्रति बैग है।

(3) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भीलवाड़ा को युवा जनता भीलवाड़ा के अध्यक्ष श्री सत्य नारायण लाहोटी से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

ग्राम पंचायत, शिवबाड़ी की भूमि

444. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, शिवबाड़ी, जिला बीकानेर की दरख्वास्त पर 667 बीघा जमीन (कृषि भूमि) को भूतपूर्व सरकार ने आबादी भूमि में परिवर्तित करने के आदेश दिए ? यदि हां, तो पंचायत शिवबाड़ी ने आबादी में परिवर्तित करने के आदेश में लिखी शर्तों को बेचने के पहले पूरा किया ? परिवर्तित करने के आदेश की प्रतिलिपि भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत, शिवबाड़ी ने पहले इस परिवर्तित आबादी भूमि का नाम देश नेता सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर सुभाष कोलोनी रखा परन्तु राज्य सरकार व एस.डी.ओ.(नोर्थ) बीकानेर द्वारा रुकावट डालने व परिवर्तित न करने पर पंचायत ने इस कोलोनी का नाम तत्कालीन कोलायत विधायिका कान्ता खतूरिया के नाम पर "कान्ता खतूरिया कालोनी" रख दिया और इसके बाद आबादी भूमि में परिवर्तित करने की आज्ञा दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत शिवबाड़ी पर इस जमीन के प्लाट्स की बिक्री के लिए फर्जी नीलामी व भ्रष्टाचार और धांधली के आरोपों की शिकायतें जिलाधीश, बीकानेर और राज्य सरकार से अनेकों बार की गई और उप जिला विकास अधिकारी बीकानेर अजीत सिंह सिंघवी तथा जिलाधीश बीकानेर द्वारा जांच की गई व रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या तत्कालीन उप जिला विकास-अधिकारी, बीकानेर अजीत सिंह सिंघवी इस जमीन की नीलामी व बिक्री में लाखों रुपयों के घोटाले होने के परिणाम पर पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि इसकी सी. बी. आई. से जांच कराई जावे ?

Page No 37

(37)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

(5) क्या इस जमीन की बिक्री में हुए घोटाले की किसी केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी द्वारा जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा बसाई जा रही जय नारायण व्यास कोलोनी और पंचायत शिव-बाड़ी की इस स्कीम कान्ता खतूरिया कोलोनी के बीच सिर्फ 15 फीट चौड़ी सड़क है और जयनारायण व्यास कोलोनी में जमीन 1 रु. से 3 रु. प्रति फुट तक नीलाम हुई है और पंचायत शिवबाड़ीनेकान्ता खतूरिया कोलोनी की जगह 5 पैसे से 10 पैसे प्रति फुट बेची है ? यदि हां, तो इस जमीन आसमान का अन्तर का क्या कारण हो सकता है ?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस कान्ता खतूरिया कोलोनी में जमीन को बेचने की तथाकथित कार्यवाही को निरस्त कर दिया है परन्तु कुछ अधिकारीगण के निजी स्वार्थ के कारण मामला खटाई में पड़ा है ?

(8) इस कान्ता खतूरिया कोलोनी में कितने प्लाट्स किस साइज के काटे गये हैं कितने नीलाम किये गये, कितने प्लाट्स की रजिस्ट्री करवाई गई है ? खरीददारों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें, शिवबाड़ी के कितने निवासियों को इनमें से प्लाट्स दिये गये ?

(9) क्या इस कोलोनी से संबन्धित संपूर्ण रिकार्ड पंचायत शिवबाड़ी या जिलाधीश के यहां प्राप्य व सुरक्षित है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत ने शर्तों की पालना नहीं की है। आराजी खसरा नं० 89 की 667 बीघा 12 बिस्वा भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित करने के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत ने इस कोलोनी का नाम कान्ता खतूरिया कोलोनी के नाम पर रख कर पत्र व्यवहार किया था। इससे पूर्व इसका क्या नाम रखा गया था इस बाबत जांच कराई जा रही है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। श्री अजीत सिंह सिंघवी उप जिला विकास अधिकारी, बीकानेर ने जमीन की नीलामी सम्बन्धी प्रबंध कार्यवाही के कारण ग्राम पंचायत को लाखों रुपये की हानि होने की पूर्ण आशंका व्यक्त करते हुए इस प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराने का उल्लेख किया है।

(5) भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में अनौपचारिक जांच कार्यवाही की गई थी जिसे गृह-मंत्रालय ने गोपनीय दस्तावेज इंगित कर राज्य सरकार को भेजी है। राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये गोपनीय रिकार्ड को सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

(6) जी हां। इस मामले में अभी तक जांच कार्यवाही विचाराधीन है।

(7) जी नहीं। अभी तक यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Page No 38

(38)

(पंचायत राज्यमंत्री)

(8) निम्न प्रकार के प्लाट्स काटे गये हैं:-

भूखण्डों की तादाद	प्रत्येक भूखण्ड का नाप
105	50 80 वर्ग गज
398	40 70 ,,
700	40 60 ,,
202	30 60 ,,

उपरोक्त में से 1103 भूखण्ड विक्रय किये गये हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । केवल 70 भूखण्डों की रजिस्ट्री करवाई गई है ।

(9) इस कोलोनी से संबंधित रिकार्ड पंचायत समिति, शिवबाड़ी के नगर परिषद, बीकानेरमें विलय हो जाने के उपरान्त पंचायत द्वारा नगर परिषद को दिया गया है । यह जांच की जा रही है कि इस कोलोनी से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्ड भूतपूर्व ग्राम पंचायत शिवबाड़ी ने नगर परिषद बीकानेर को दे दिया था अथवा नहीं । जांच पूर्ण होने पर ही वस्तु स्थिति की जानकारी मिल सकती है ।

(आदेश सूची विस्तृत होने कारण के विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, खेतड़ी के अध्यापक के विरुद्ध शिकायतें

445. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है किसी बुद्धराम मेहता नामक अध्यापक को अप्रेल, 1977 में पंचायत समिति, खेतड़ी में अध्यापक का कोई स्थान रिक्त न होते हुए भी उसे खेतड़ी पंचायत समिति में लगाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक को खेतड़ी पंचायत समिति में ही रखने हेतु एक अन्य अध्यापक को खेतड़ी से स्थानान्तरण कर श्री बुद्धराम के लिए स्थान रिक्त किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री बुद्ध राम मेहता अध्यापक को कुचामन (नागौर) पंचायत समिति से शिकायत या वहां पर अधिकारियों व कर्मचारियों से झगड़े करने के कारण स्थानान्तरण किया गया और इसी प्रकार उसने खेतड़ी में कर्मचारियों के साथ अपना रवैया रखा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक ने खेतड़ी पंचायत समिति के ग्राम ढाणी अहीरान के कई पढ़े-लिखे युवकों को सचिव, सामुदायिक विकास व पंचायत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के नाम से फर्जी नियुक्ति जारी कर गरीब व मजदूर व्यक्तियों से हजारों रुपये लेकर खा गया है जिसकी शिकायत जिलाधीश झुंझुनूं से गई है और अध्यापक बिना अवकाश स्वीकृत कराये ढाणी अहीरान शाला से गायब रहा?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक को इसी अवधि में ढाणी अहीरान से खेतड़ी पंचायत समिति के ही प्राथमिक शाला गणेशपुरा में विकास अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया है ताकि ढाणी अहीरान के लोग अपने पैसे उससे न मांग सकें और वह अध्यापक इस कर्जदारी से बच निकले ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया जबकि भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, खेतड़ी ने भी अध्यापक को खेतड़ी पंचायत समिति में नहीं रखने का आग्रह किया था ?

(6) पूर्व में यह अध्यापक किस किस राज्य में किस किस पद पर नौकरियां कर चुका

(श्री मालाराम)

हैं और इसका आचरण कैसा रहा है? यदि नहीं, तो क्या इसके बारे में राज्य सरकार जांच कराने की मंशा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति खेतड़ी ने अध्यापकों के रिक्त स्थान होने के संबंध में पूर्व में सूचना दी थी जिसके आधार पर श्री बुद्धराम मेहता अध्यापक का पंचायत समिति कुचामन से पंचायत समिति खेतड़ी में स्थानान्तरण किया गया था। श्री बुद्धराम मेहता ने उनको धर्मपत्नी के साथ शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति कुचामन द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत की थी अतः उनके अनुरोध पर ही उपरोक्त स्थानान्तरण किया गया था किन्तु इसी बीच जिला कर्मचारी वर्ग समिति (जिला परिषद) झुन्झुनूं द्वारा पंचायत समिति खेतड़ी में चयनित अध्यापकों को आवंटन कर देने के कारण पंचायत समिति खेतड़ी में अध्यापक का स्थान रिक्त नहीं रहा था।

(2) पंचायत समिति खेतड़ी से श्री बसन्त लाल यादव अध्यापक, जो पंचायत समिति बहरोड़ के निवासी हैं उनका स्थानान्तरण पंचायत समिति बहरोड़ में किया जाकर उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त होने वाले स्थान पर श्री बुद्धराम मेहता अध्यापक को लगाने के आदेश दिये गये थे।

(3) जी नहीं। श्री बुद्धराम मेहता का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया था। उनके स्थान्तरण संबंधी प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पूर्व तथा उनके स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद भी उनके विरुद्ध झगड़ा करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। उनके विरुद्ध कुछ दिनों पूर्व एक शिकायत प्राप्त होते ही उप विकास आयुक्त सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राजस्थान, जयपुर को खेतड़ी पंचायत समिति में भेज कर जांच करा कर श्री बुद्धराम मेहता के विरुद्ध गंभीर दुराचरण के आरोप पाये जाने पर उन्हें तत्काल निलम्बित करने व पुलिस के हस्तक्षेप योग्य मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा कर कार्यवाही प्रारम्भ कराने व अन्य मामलों में नियमानुसार विभागीय जांच करने हेतु जिलाधीश झुन्झुनूं एवं विकास अधिकारी खेतड़ी को आदेश दिये जा चुके हैं जिसकी पालना में उन्हें निलम्बित भी किया जा चुका है।

(4) श्री बुद्धराम मेहता ने ग्राम सचिव पद के लिए जाली नियुक्ति आदेश उप सचिव, साम्प्रदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के पद के नाम से बना कर तीन व्यक्तियों से रुपये लेकर देने की शिकायत की गई थी। इस विभाग द्वारा इस बाबत प्रारम्भिक जांच कराई जाकर मामला पुलिस में देने व अन्य कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं। श्री बुद्धराम मेहता बिना अवकाश स्वीकृत कराये पाठशाला से भी अनुपस्थित रहे हैं।

(5) जी नहीं। श्री बुद्धराम मेहता अध्यापक ने दिनांक 10-1-78 को एक प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपनी धर्मपत्नी का देहान्त दिनांक 20-12-77 को हो जाने तथा उनके 2 बच्चे व वृद्ध पिता की देखरेख करने वाला कोई नहीं होने से अपना स्थाना-

(पंचायत राज मंत्री)

न्तरण अपने ग्राम के नजदीक की मुकन्दपुरा ढोसी व गणेशपुरा प्राथमिक पाठशालाओं में से किसी एक प्राथमिक पाठशाला में करने हेतु अनुरोध किया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर मुख्य कार्यालय के निर्देशों के आधार पर श्री बुद्धराम मेहता का स्थानान्तरण प्राथमिक पाठशाला गणेशपुरा में किया गया था। तब तक भी श्री बुद्धराम मेहता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पंचायत समिति खेतड़ी से प्राप्त नहीं हुई थी। शिकायत प्राप्त होते ही प्रारम्भिक जांच पूर्ण करा कर उन्हें निलम्बित करके तत्काल विभागीय जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने व पुलिस में मुकदमे दर्ज कराने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(6) इस बाबत शीघ्र जांच कराने हेतु जिलाधीश झुन्झुनूं एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति खेतड़ी को लिखा गया है।

कामां तहसील में बाढ़ से क्षति

446. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या बाढ़ व अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कामां तहसील में वर्ष 1977 में बाढ़ कब आई और बाढ़ सहायता कार्य में राज्य सरकार ने कितना धन व्यय किया ?

(2) कामां क्षेत्र के कितने गांव बाढ़ ग्रस्त हुए, कितनी जमीन रबी की फसल की बुवाई के बिना रह गई ?

(3) क्या कामां तहसील को राज्य सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया ? यदि हां, तो कब? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) कामां क्षेत्र में बाढ़ की चपेट से कुल कितने मकान कच्चे व पक्के गिरे ? कृपया अलग अलग संख्या बतावें।

(5) कामां क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाले मकान मालिकों के, कुल कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई ?

(6) यदि कामां क्षेत्र में बाढ़ से क्षति ग्रस्त होने वाले मकान मालिकों को अब तक सहायता नहीं दी गई, तो क्यों नहीं दी गई ?

(7) राज्य सरकार कामां क्षेत्र की बाढ़ समस्या को स्थाई रूप से हल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या यह भी राज्य सरकार की योजना है कि जिन किसानों की जमीन बाढ़ से खराब हो गई और रबी की फसल नहीं बुवी उन किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाय ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) कामां क्षेत्र में बाढ़ की चपेट से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और उनके परिवारों को सहायता के रूप में कितनी कितनी राशि दी गई ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार कामां तहसील में 5 अगस्त सन् 1977 से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और अब तक इस क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों के भोजन, पुनर्वास, मकान सहायता एवं कृषि

(अकाल राहत मंत्री)

तकावी पर लगभग 15,80,574) रुपया व्यय निम्न प्रकार किया जा चुका है :—

	रकम
अ–भोजन पुनर्वास आदि	4,84,799) रु.
ब–मकान अनुदान	4,45,775) रु.
स–तकावी	6,50,000) रु.
योग :—	15,80,574) रु.

(2) कामां तहसील के 164 ग्राम बाढ़ ग्रस्त हुए हैं उनमें से 95 ग्रामों में लगभग 10,000 हैक्टेयर भूमि में रबी फसल की बुवाई नहीं हो सकी है।

(3) कामां तहसील के 259 ग्रामों में से 164 ग्रामों को दिनांक 14-2-78 को राज्य सरकार द्वारा अकालग्रस्त घोषित किया गया है।

(4) जिलाधीश के अनुसार 2273 कच्चे व 13 पक्के मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त होकर गिरे हैं।

(5) कामां क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत हेतु 1705 मकान मालिकों को चार लाख पैंतालीस हजार सात सौ पिच्छहत्तर रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

(6) लगभग 107 क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को मौके पर मौजूद न होने के कारण सहायता का वितरण नहीं किया जा सका है जो अब किया जा रहा है। आशा है कि वह कार्य 31-3-78 तक पूरा कर लिया जावेगा। क्षतिग्रस्त मकानों में से कुछ ऐसे मकान हैं जो नोहरे इत्यादि हैं ऐसे मकानों हेतु सहायता दिया जाना वांछनीय नहीं है।

(7) इस क्षेत्र की बाढ़ समस्या के स्थाई हल के लिए सरकार भरसक प्रयत्नशील है। केन्द्रीय सहायता से सिंचाई विभाग बाढ़ की रोकथाम हेतु स्थाई योजना बना रही है।

(8) सीमित आर्थिक साधनों को देखते हुए राज्य सरकार के लिए क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निःशुल्क गेहूं के रूप में ऐसे प्रभावित लोगों को सहायता देने हेतु राज्य सरकार ने जिलाधीश, भरतपुर को 1400 टन गेहूं का आवंटन कर दिया है।

(9) कामां क्षेत्र में बाढ़ के कारण 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उनमें से 2 व्यक्तियों के परिवारों को एक हजार रुपये प्रति परिवार एवं 2 परिवारों को 500) रु. प्रति परिवार सहायता दी जा चुकी है।

तहसील आसींद के गांवों में राहत कार्य

447 श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसींद) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे। -

(1) क्या यह सही है कि तहसील आसींद की पंचायत घतरपुरा, सावड़ी, ओजयाना के गांव में बहुत कम वर्षा होने से खरीफ फसल बिलकुल नहीं हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह क्षेत्र तहसील भीम व ब्यावर से लगा हुआ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि भीम तहसील की पंचायत जेतगढ़ के गांव आसींद तहसील के गांव के बीच में हैं ?

(4) क्या यह सही है कि भीम व ब्यावर तहसील की आसींद सीमा के गांव

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

अकाल में है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार आसींद के गांवों को भी अकाल राहत में घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिलाधीश भीलवाड़ा ने सूचित किया है कि कम वर्षा के कारण तहसील आसींद की ग्राम पंचायत चतरपुरा व मोजयाना के 15 गांवों में सम्वत् 2034 में फसल कम हुई है, लेकिन यह क्षति 50 प्रतिशत से कम है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) इस क्षेत्र से लगने वाली भीम व ब्यावर तहसीलों के कुछ गांवों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण अभाव स्थिति की घोषणा की गई है। लेकिन आसींद तहसील क्षेत्र के गांवों में खराबा 50 प्रतिशत से कम होने के कारण सरकार द्वारा अभाव स्थिति की घोषणा किया जाना संभव नहीं है।

अलवर में सरकारी हवेली की नीलामी

448. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक सरकारी हवेली, जो अलवर जिला कचहरी की दक्षिणी द्वार के बाहर स्थित है और जिसका क्षेत्रफल करीब 3100 वर्गगज है, की नीलामी 1957 में हुई थी, जिसमें आखिरी बोली श्री प्यारेलाल हाड़ा, रिटायर्ड तहसीलदार की 11000/-रु. की थी, उस पर इसे नहीं बेचा गया ?

(2) क्या यह सही है कि इसके बेचान की रजिस्ट्री सन् 1967 में श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री प्रभुदयाल के नाम केवल 11500/-रु में कर दी गई जब कि इसका असेसमेंट पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा करीब 3 लाख रुपये का किया गया था ?

(3) इसका क्षेत्रफल जब 3100 वर्ग गज का था तो रजिस्ट्री में 4511 वर्ग गज का क्यों दिखाया गया है ? इसमें 1411 वर्ग गज भूमि और कहां से शामिल कर दी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि आखिरी बोली श्री प्यारेलाल हाड़ा की 11,000 रुपये की थी उसके बाद नीलामी की बोली नहीं लगी तथा यह कह कर बोली बन्द कर दी गई कि हवेली का असेसमेंट राज्य सरकार की ओर से तीन लाख रुपये का है ? फिर कब और किस समय यह हवेली श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री प्रभुदयाल के नाम 11,500/-रु. में बेच दी गई ?

(5) क्या यह सही है कि बोली लगाने वालों के हस्ताक्षर बोली छोड़ने के बाद कराये जाते हैं ? यदि हां, तो कब कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं कराये गये हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि इस हवेली के आधे भाग का किराया आज श्री लक्ष्मीनारायण जी लगभग 800/-रु. माहवार उठा रहे हैं ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर जिला कचहरी के दक्षिणी द्वार के बाहर स्थित श्री अखेसिंह जी की हवेली नामक नजूल सम्पत्ति का नीलाम दिनांक 20-1-57 को प्रारम्भ किया गया और दिनांक 5-2-57 को 11,000/-रु. की बोली श्री हीरालाल महाजन की थी। दिनांक 1-5-57 को बमौजूदगी बोली देहन्दान 11,500/-रु. की उच्चतम बोली श्री लक्ष्मीनारायण के नाम हवेली का नीलाम समाप्त किया गया। हवेली को श्री प्यारेलाल हाडा, रिटायर्ड तहसीलदार जिनकी बोली ही नहीं थी उक्त हवेली को बेचे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। हवेली का पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा 3,15,000/-रु. का बताया गया मूल्यांकन सही नहीं था अत: उच्चतम बोली देहन्दा श्री लक्ष्मीनारायण के नाम इसके बेचान की रजिस्ट्री सन् 1967 में करा दी गई।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के तखमीनों में हवेली का क्षेत्रफल 4511 वर्ग गज समय-समय पर अंकित किया गया जिसके आधार पर ही उक्त क्षेत्रफल विक्रय पत्र में 4511 वर्ग गज अंकित किया गया है। श्री लक्ष्मीनारायण के द्वारा कथित हवेली की मौके पर निशादेही एवं हद अर्वा का ज्ञान कराने की दरख्वास्त देने पर भवन एवं पथ विभाग द्वारा मौके पर सर्वेक्षण किया गया तथा अधिशाषी अभियन्ता, भवन एवं पथ ने बनी हुई हवेली का क्षेत्रफल 3160 वर्ग गज श्री लक्ष्मीनारायण की मौजूदगी में बताया।

(4) जी नहीं। श्री प्यारेलाल हाड़ा की 11,000/-रु. की कोई बोली नीलामी की नहीं थी। नीलामी की बोली 20-1-57 से आरम्भ की गई। दिनांक 5-2-57 को 11,000/-रु. की बोली हीरालाल महाजन की थी। 11-2-57 को 11,300/-रु. की आखरी बोली श्री रामचन्द तमाखू वाले की रही। इसके बाद 16-2-57 तक किसी ने बोली नहीं बढ़ाई। इस हवेली को और अधिक बोली बढ़ाने के लिए सर्व साधारण की सूचना के लिये नोटिस प्रकाशित किया गया कि हवेली का आखरी नीलाम दिनांक 24-2-57 को होगा जो व्यक्ति बोली लगाना चाहते हो बोली लगावें। दिनांक 24-2-57 को नीलाम में आखरी बोली श्री लक्ष्मीनारायण की 11,500/-रु. की रही। यह नीलाम समाप्त नहीं किया गया क्योंकि तहसीलदार चुनाव के कार्य में व्यस्त रहने के कारण मौके पर नहीं गये। नीलामी की सूचना दैनिक राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19-4-57 और 24-4-57 को प्रकाशित कराई गई व शहर में डोंडी पिटवाई गई परन्तु 11,500/-रु. से अधिक की बोली किसी ने नहीं लगाई। लिहाजा दिनांक 1-5-57 को बमौजूदगी बोली देहन्दान 11,500/-रु. में इस हवेली का नीलाम श्री लक्ष्मीनारायण के नाम समाप्त किया गया।

(5) फर्द बोली के आधार पर यह स्पष्ट है कि नीलामी में बोली लगाने वालों ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 20-1-57 से 24-2-57 तक पूर्ण विज्ञापन एवं डोंडी के पश्चात् हस्ताक्षर फर्द बोली पर किये हैं।

(6) यह भवन निजी सम्पत्ति होने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक वास्तविक स्थिति के आधार पर सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम रोहुआ में भरे पानी को निकालने की व्यवस्था

449. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोहुआ जिला सिरोही में अत्यधिक वर्षा के कारण पिछले दो सालों से पूरा ग्राम रोहुआ पानी से भरा हुआ है ? अगर हां, तो उक्त ग्राम से पानी बाहर निकालने के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में पानी भरने से ग्राम के सारे काश्तकार बरबाद हो गये हैं एवं उनकी सारी खातेदारी की जमीन पानी में डूबी हुई है ? अगर हां, तो उनकी काश्त की जमीन में से पानी कब तक खाली करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में से फालतू पानी निकालने के लिये अभी तक कोई निश्चित योजना बनाकर कार्यान्वित नहीं की गई ? अगर हां, तो क्यों ? अब कब तक किस स्कीम द्वारा पानी निकाल कर काश्त एवं गांव की आबादी भूमि खाली करवा कर काश्तकारों को एवं अन्य ग्रामवासियों को राहत पहुंचा दी जावेगी ? उक्त योजना में कुल कितना खर्चा होगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि एक ऊंची सीमेंट की टंकी बनवाकर पंपिंग सेट से पानी पम्प करके गांव में भरा पानी खाली किया जा सकता है ? अगर हां, तो इस प्रकार की योजना मंजूर की जाकर कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि अत्यधिक वर्षा के कारण उक्त ग्राम रोहुआ में इस वर्ष अकाल की स्थिति घोषित की गई है ? अगर हां, तो अब तक क्या क्या अकाल राहत कार्य खोले जाकर कितने मजदूर कार्य पर लगाये गये हैं ? क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम का भरा हुआ पानी अकाल राहत कार्य के लिये निकलवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अगस्त, 1976 में तथा वर्ष 1977 में अत्यधिक वर्षा होने के कारण तथा रोहुआ गांव के तीन ओर पहाड़ी और एक ओर मिट्टी का ऊंचा धोरा होने के कारण पानी इकट्ठा हो गया था । भरे हुए पानी को पम्प द्वारा लिफ्ट करके निकालने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा तैयार किया गया 2 लाख 51 हजार रुपये का एस्टीमेट राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

(2) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार रोहुआ गांव के 127 व्यक्तियों की एक हजार बीघा भूमि व 13 कुए पानी में डूबे हुए हैं । इस पानी को शीघ्र निकालने हेतु कार्यवाही शीघ्र की जावेगी ।

(3) चारों ओर ऊंचाई व पहाड़ों से घिरे होने के कारण इस ग्राम के निचले क्षेत्रों में भरे हुए पानी को निकालना आसान नहीं है । फिर भी सरकार का

Page No 45

(४५)

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मन्त्री)

यह प्रयास है कि सिंचाई विभाग की योजना के अनुसार पानी को लिफ्ट किया जाकर गांव की प्रभावित जनता को राहत पहुंचाई जावे।

(4) टंकी बनाकर पानी खाली करने से सम्बन्धित माननीय सदस्य के सुझाव की व्यावहारिकता पर सिंचाई। जल प्रदाय विभागों की तकनीकी राय ली जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जी हां। इस गांव में कोई राहत कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इस ग्राम के पास ही सिंचाई विभाग का पंचदेवल एनीकट के कार्य पर इस गांव के प्रभावित लोगों को कार्य उपलब्ध कराया जा सकता है। पानी निकालने के कार्य को राहत कार्य के रूप में लगाना तकनीकी कठिनाइयों के कारण सम्भव नहीं है।

उद्यान सहायक की बकाया वेतन का मामला

450. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1947 से स्थायी रूप से सेवारत राजस्थान कृषि विभाग के एक उद्यान सहायक श्री विमल कुमार के पदस्थापन आदेश व अवकाश स्वीकृति का मामला लम्बे समय से राज्य सरकार के सचिवालय स्तर पर कृषि (ग्रुप-1) विभाग में विचाराधीन पड़ा है? यदि हां, तो मामले पर निर्णय लिये जाने में विलम्ब के क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि श्री विमल कुमार ने अप्रेल, 1964 में अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति से उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान किया नवम्बर, 1965 में वापस कार्य भार की रिपोर्ट अधिकारियों को प्रस्तुत की? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई व क्या वे आदेश फाइल पर उपलब्ध है?

(3) क्या पूर्व स्वीकृति एक माह के उपार्जित अवकाश (अप्रेल, मई, 1964) का वेतन श्री विमल कुमार को चुकाया गया? यदि नहीं, तो किन नियमों के आधार पर यह भुगतान रोका गया?

(4) क्या नवम्बर, 1965 में कार्यभार की रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के बाद से आज तक श्री विमल कुमार को कोई भी वेतन या भत्ता आदि दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(5) क्या यह सही है कि राज्य के तत्कालीन संचालक कृषि विभाग द्वारा श्री विमल कुमार को अवैधरूप से सेवा मुक्त करने के प्रयास में जान बूझ कर नियम विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाहियां की गई?

(6) क्या श्री विमल कुमार के विरुद्ध राजस्थान सेवा (संशोधित) अधिनियम, 1970 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(7) क्या राज्य सेवा नियमों के आधार पर ऐसा किया जाना आवश्यक नहीं था?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(8) क्या नियमानुसार कार्मिक व विधि विभाग से इस मामले पर सहमति ली गई है ?

(9) नवम्बर, 1965 से आज तक श्री विमल कुमार के इस संबंध में कितने आवेदन व स्मरण-पत्र कृषि कार्मिक जन अभियोग निराकरण व अभाव अभियोग विभागों के अधिकारियों को प्राप्त हुए ?

(10) इन पत्रों पर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(11) किन किन अधिकारियों द्वारा कितने कितने पत्रों के उत्तर श्री विमल कुमार को अब तक भेजे गये ?

(12) क्या विमल कुमार को इस संबंध में कोई समुचित उत्तर अधिकारियों द्वारा अब भेजा जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी, हां, श्री विमल कुमार एक माह का अवकाश दिनांक 12-4-64 से 12-5-64 तक स्वीकृत करा कर गये थे और 19 माह बाद दिनांक 10-11-65 को अपनी जोइनिंग की रिपोर्ट दी जिस पर जिला कृषि अधिकारी भरतपुर ने स्वयं सक्षम न होने के कारण श्री विमल कुमार को जयपुर में मुख्यालय में जोइनिंग रिपोर्ट देने को कहा जिसकी अनुपालना में श्री विमलकुमार ने दिनांक 23-11-65 को मुख्यालय कृषि विभाग में अपनी जोइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके पश्चात् फिर श्री विमल कुमार स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे।

(3) जी नहीं, क्योंकि श्री विमल कुमार काफी लम्बे अर्से तक अनुपस्थित रहे तथा उक्त एक माह के वेतन का भुगतान लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि श्री विमल कुमार को निदेशालय दिनांक 26-3-70 के द्वारा राजस्थान राज्य सेवा नियम 1951 के नियम 23 (2) के अन्तर्गत सूचित कर दिया गया था कि वे अब राज्य सेवा में नहीं रहे।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं, क्योंकि इस नियम में संशोधन 8-4-70 को किया गया है जब कि श्री विमलकुमार दिनांक 26-3-70 को ही राज्य सेवा में नहीं रहे।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

(9) सन् 1965 से 1978 तक कुल 20 आवेदन पत्र कृषि निदेशालय में प्राप्त हुये।

(10) जिस दिन से श्री विमल कुमार सेवा में नहीं रहे अर्थात 26-3-70 के बाद इनके 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन पर उनके राज्य सेवा में न रहने के कारण कोई कार्यवाही ही नहीं की गई है। इसके पूर्व 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन पर उचित कार्यवाही कर उन्हें सूचित किया गया।

(11) अलग अलग विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(12) जी नहीं।

Page No 47

(47)

जयपुर जिले के हटाये गये सरपंच

451. **श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली):** क्या पंचायती राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जिला जयपुर के कितने सरपंचों को नियम 17 (4) और अन्य फौजदारी या दोषों में हटाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इन्हें कब हटाया और क्या अब भी वे कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या हटाये हुए या जिनके केस अन्डर जांच हैं उन्हें पुनः सरपंच बने रहने का अधिकार है।

(3) यदि हां, तो किस नियम के तहत? यदि नहीं, तो उन्हें कब वापस हटाया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के 6 व्यक्तियों को सरपच पद से हटाया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। हटाया गया कोई भी व्यक्ति सरपंच पद पर कार्य नहीं कर रहा हैं।

(2) सरपंच पद से हटाने के आदेश की तिथि से 5 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त हटाये गये व्यक्ति पुनः सरपंच पद पर निर्वाचित हो जाने पर ही सरपंच बने रह सकते है। जिन सरपंचों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो वे यदि वर्तमान चुनावों में पुनः निर्वाचित हो गये हों तो वे जब तक उनके विरुद्ध विचाराधीन जांच में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम 195 की धारा 17 (4) के परन्तुक के अनुसार परिनिर्णय फाईंडिंग लेखबद्ध नहीं किया जावे तब तक सरपंच पद पर बने रह सकते हैं।

(3) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के प्रावधानों के अनुसार जब तक किसी सरपंच को अपने पद से नहीं हटाया जावे अथवा धारा 17(4) के परन्तुक के अनुसार किसी सरपंच के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच पूर्ण की जाकर परिनिर्णय लेखबद्ध नहीं किया जावे तब तक वह व्यक्ति सरपंच पद पर बना रह सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

टौंक जिले में डेयरी विकास योजना

452. **श्री अजीतसिंह (टौंक):** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) टौंक जिले में डेयरी विकास योजना पर क्या कार्य हो रहा है ?

(2) क्या इस योजना को मालपुरा क्षेत्र तक सीमित रखा जावेगा ?

(3) डेयरी योजना से किस किस सड़क की मरम्मत या निर्माण कराना होगा।

उत्तर

(1) टौंक जिले में डेयरी विकास योजना के अंतर्गत एक दूध अवशीतन केन्द्र 4000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का कार्यरत है जिसका विस्तार कर 20,000 से 30,000 लीटर प्रतिदिन बनाने का कार्य इन दिनों हाथ में है। आशा है तीन माह के अन्दर यह विस्तार कार्य पूरा कर लिया जायेगा। वर्तमान में दुग्ध संकलन मार्ग लम्बा हरी सिंह तथा दुग्ध संकलन मार्ग दुदू से 20 समितियों के माध्यम से 5,000

(कृषि मन्त्री)

लीटर प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है। इन मार्गों पर पड़ने वाली समितियों पर पशु चिकित्सा, पशु आहार तथा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधायें प्रदान की जा रही है।

(2) जी नहीं। यह योजना समस्त जिले में चालू की जावेगी।

(3) डेयरी योजना के अन्तर्गत टौंक जिले में ग्राम कबीली को लम्बाहरी सिंह व दुदू सड़क से जोड़ा जावेगा। इस पर लगभग तीन लाख रुपयों की लागत आवेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-3-78)

ग्राम दुहार चौगान के निवासी को भूमि का आवंटन

79. श्री शिवनारायण (थाना गाजी): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या आपातकाल में हुए गलत भू-आवन्टनों को राज्य सरकार निरस्त कर रही है ? यदि हां, तो ये कब तक कर दिये जावेंगे ?

(2) क्या दिनांक 3-9-75 को श्री रामस्वरूप पुत्र श्री नारायण सहाय सुनार निवासी दुहार चौगान तहसील थाना गाजी अलवर को जो गलत आवटन (बाबत आराजी नं. 512, 930 व 931 वाके दुहार चौगान) हुआ था वह निरस्त कर दिया गया है ? इस आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्व मन्त्री महोदय को आवेदन दिया गया था जो उचित कार्यवाही हेतु एस. डी. ओ. राजगढ़ के यहां भेजा गया जिसकी जांच की जाकर दि. 30-10-77 को आवंटन कमेटी ने निरस्त करने की सिफारिश कर दी परन्तु अभी तक कोई अन्तिम आदेश नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) गलत आवंटनों को निरस्त करने के लिए कानून में प्रावधान है। राज. भू-राजस्व कृषि प्रयोजना हेतु भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत कार्यवाही स्वयं जिलाधीश कर सकते हैं। राज. भू. राजस्व अधिनियम की धारा 83 के तहत राज्य सरकार भी ऐसे मामलों में कार्यवाही कर सकती है यद्यपि ये शक्तियां अब राज्य सरकार ने राजस्व मण्डल को सौंप दी हैं। गलत आवंटन के जो मामले सामने आते हैं उनमें उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

(2) श्री रामस्वरूप को जो आवंटन हुआ था वह निरस्त नहीं किया गया है। इसे निरस्त करने हेतु जो आवेदनपत्र राजस्व मन्त्री को प्रस्तुत हुआ था उसे उचित कार्यवाही हेतु उप जिलाधीश राजगढ़ मुकाम अलवर को प्रेषित कर दिया गया था परन्तु इस मामले में राज भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवन्टन नियम) 1970 के नियम 14 (4) के तहत अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में विचार होकर आवंटन को बहाल रखा गया है यदि किन्हीं व्यक्तियों को इस फैसले से शिकायत हो तो वे विधिवत सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

यहां तक भू-आवंटन सलाहकार समिति का संबंध है इसे किसी आवंटन को निरस्त करने बाबत विचार कर सिफारिश करने के अधिकार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-78)

नागौर जिले में पीने के पानी के लिए कुओं का निर्माण

90. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1965 से आज तक अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नागौर जिले में पीने के पानी के लिए कितने कुए बनवाये गये, कितने कुओं की मरम्मत कराई गयी जिसके लिए एक हजार से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी ? सूची तहसीलदार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नागौर जिलान्तर्गत डेगाना तहसील में कितने कुओं का निर्माण कराया गया व कितने कुओं की मरम्मत करायी गयी ? कृपया ग्रामवार स्वीकृत धनराशि व स्वीकृति की तारीख बताते हुए, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) डेगाना तहसील के जिन कुओं की मरम्मत हेतु स्वीकृति दी गयी, उनमें कितना कार्य हुआ ? कितने रुपयों का बिल सम्बन्धित ग्रामवासियों ने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, उसमें से कितनी धनराशि का भुगतान किस तारीख को किया गया व अभी भी कितना भुगतान करना बाकी है ? भुगतान न करने के कारण सहित, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में 1965 से अब तक राहत मद से पानी पीने हेतु किसी भी नये कुए का निर्माण नहीं करवाया गया। लेकिन उक्त अवधि में 1000/ रुपये से अधिक की धनराशि प्रति कुए के लिए स्वीकृत की जाकर 69 कुओं की मरम्मत कराई गई जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील डेगाना में राहत मद से 69 कुओं की मरम्मत कराने हेतु स्वीकृति दी गई थी जिसका विवरण सदन की मेज पर दिया गया है।

(3) प्रश्न संख्या (2) में उल्लेखित 69 कुओं में से 45 कुओं की राशि का भुगतान किया जा चुका है। 13 कुओं के भुगतान के लिए बिल बनाया जा कर प्रि-आडिट हेतु जिलाधीश द्वारा सहायता विभाग में भेजा जा चुका है और सहायता विभाग इस विषय में अग्रिम कार्यवाही कर रहा है। 8 कुओं का कार्य चालू नहीं हुआ है एवं 3 कुओं के कार्य के सम्बन्ध में एस. डी. ओ. मेड़ता जांच कर रहें है। मरम्मत किये गये कुओं एवं भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-78)

सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को राशि का भुगतान

88. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1971 से लेकर 31 मार्च,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

1971 तक किस किस ठेकेदार को किस-किस कार्य के लिए कितनी कितनी रकम का भुगतान किया गया है ?

(2) इस रकम से ठेके की रकम के अतिरिक्त कितना कितना एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान किया गया है ?

(3) एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान उपयुक्त अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किया गया या नहीं ? यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति किस किस भुगतान के सम्बन्ध में कब कब प्राप्त हुई थी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची के कालम में दर्शाया गया है।

(3) एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) सर्व श्री मूलचन्द डागा, शीशराम ओला, रामदेव चौधरी, रघुनाथ विश्नोई व वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय कारागृह जयपुर में जुलाई 1977 से बन्दियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन व भूख हड़ताल व आज से होने वाले एक आमरण अनशन के विषय में।

इन प्रस्तावों को एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसे सदन में दिनांक 5 अप्रेल, 1978 को लिया जावेगा।

(2) सर्वश्री जयकृष्ण शर्मा व रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम महुआ खुर्द तहसील अलवर में कुछ हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को पूर्व में आवंटित कृषि भूमि को साधन सम्पन्न लोगों द्वारा छीन लिये जाने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में 30 मार्च से शुरु होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के झगड़े और पिकेटिंग तथा बीकानेर में एक अध्यापक की पिटाई के विषय में।

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) सर्वश्री रामसिंह विश्नोई, माधोसिंह, परसराम मदेरणा, खेतसिंह, श्रीमती मदन कौर व श्री शंकरलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की कमी के विषय में।

राज्य में सीमेंट की कमी के विषय में हाल ही चर्चा हो चुकी है और राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य भी दिया जा चुका है, अतः मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(5) सर्वश्री रामरघुनाथ चौधरी, सुमित्रासिंह, सदस्य विधान सभा की ओर

Page No 51

(51)

(श्री अध्यक्ष)

से इस वर्ष टिड्डियों के भारी हमले की आशंका के विषय में।

यह प्रस्ताव मात्र आशंका पर आधारित है, फिर भी इसे राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योप्रतसिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है....

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा था उसके सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उसको मैं देख लूंगा। अभी मुझे याद नहीं है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आये हैं उनको सरकार को भेजा गया है। जानकारी प्राप्त होगी तो मैं उनको अजेण्डा में ले लूंगा।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगा कि मैंने अल्प संख्यकों के नौकरी में इन्वाल्वमेंट के बारे में तीन बार क्वेश्चन दिये, वह इस खतरे के पेशेनजर दिये कि शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स का तो पर्सेन्टेज है लेकिन अल्प संख्यकों का कोई पर्सेन्टेज नहीं है। आखिर इनके हकूक किस प्रकार महफूज होंगे ? इसके लिए कुछ न कुछ डाइरेक्शन सरकारी तौर पर दिया जाना चाहिये। स्किल्ड-अनस्किल्ड, क्वालीफाइड, अनक्वालीफाइड, आर.ए.एस. और आर. पी. एस. में कितना इन्वाल्वमेंट उनका हुआ है ? मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मेरे सवाल के जवाब नहीं आये हैं। सवाल आया भी था लेकिन काल नहीं हुआ। उसका जवाब भी मेरे पास नहीं आया। मैं बिल्कुल अन्धेरे में हूं। मुझे अवगत कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगित प्रश्न था यह तो मुझे याद है। उसका उत्तर नहीं आया तो मुझे कक्ष में मिलें और चर्चा करें। मैं इस सम्बन्ध में सचेष्ट हूं। और उचित व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा।

श्री मंजूर अली : जो दूसरा सवाल था वह भी नहीं आया।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री हजारीमल सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें शीघ्रता की जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं शीघ्रता करने का प्रयास करूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है कि अलवर तहसील में महुआ खुर्द में हरिजनों और कमजोर तबकों के लोगों को बेदखल कर दिया गया है। जब हम लोग इस बात को इस हाउस में रखते हैं ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव नम्बर दो पर है। ध्यान आकर्षण में ले लिया है, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह मैंने दिया है और जो ध्यान आकर्षण में है वह दूसरे वाला है यह पहले वाला है।

श्री अध्यक्ष : आप भी बोलना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने व्यवस्था नहीं दी है। आपने कहा है कि सरकार से जानकारी चाही गई है। मेरा महुआ खुर्द वाला है, जहां हरिजनों को बेदखल किया गया है ...

श्री अध्यक्ष : समझ गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने इस सम्बन्ध में आपके सामने स्थगन प्रस्ताव रखा। हम जब इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव रखते हैं तो हमें वेदना होती है....

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट बोलिये। कल भी आप आधा घन्टे तक बोले।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसे प्रश्न आयेंगे तो बोलना ही पड़ेगा। हम तो इसलिए यहां आये हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी उदारता के साथ भी सहानुभूति रखिये। नियमों में प्रावधान नहीं है फिर भी आधा, आधा घन्टा ले लेते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी उदारता के अनुसार मैं सीमित रहूंगा, यह आपको विश्वास दिलाता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महुआ खुर्द के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा वहां पर जिन परिवारों को बेदखल किया गया है उनकी सूची मैंने सदन में रखी है। उन परिवारों को बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत अलवर जिले के अन्दर भूमि अलाट हुई। भूमि अलाट होने के बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो वहां के बड़े बड़े बिस्वेदारों ने गरीब लोगों की भूमि पर मवेशी छोड़कर उनकी फसल नष्ट कर दी। उन्होंने कलेक्टर और यहां के उच्च अधिकारियों को दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद उन्होंने पटवारी को वेरीफिकेशन के लिए भेजा। पटवारी ने रिपोर्ट की कि अमुक अमुक फसल खड़ी थी और उनकी फसल को नष्ट कर दिया गया। गोवर्धन पुत्र शुक्ला, इस प्रकार से 17 परिवार हैं जिनकी सूची मैंने सदन की मेज पर रख दी है।

मुझे इस बात से बड़ी वेदना होती है, अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा और हमारे माननीय सदस्य भी कहते हैं कि अन्त्योदय योजना इस देश के अन्दर तेजी के साथ लागू हो रही है, उससे लोगों में बहुत घबराहट पैदा हो रही है। लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आपने आज प्रश्नोत्तर काल में देखा कि एक एक जिले में आठ आठ बीघा और 22, 22 बीघा भूमि हरिजन परिवारों को अलाट की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जिस जिले की यह समस्या है और जिस समस्या को लेकर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उस जिले के अन्दर सन् 1975-76 के अन्दर एक लाख बीघा भूमि साढ़े चौबीस हजार परिवारों को अलाट हुई थी। उन साढ़े चौबीस हजार परिवारों में से साढ़े सोलह हजार

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

परिवार हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे। तो साढ़े सोलह हजार परिवारों को भूमि अलाटमेंट में कुछ कुछ खामियां हो सकती हैं। आज अन्त्योदय योजना की भी गारन्टी देते हैं इसमें भी खामियां हो सकती हैं। जिन साढ़े 24 हजार परिवारों में से साढ़े 16 हजार हरिजन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भूमि अलाट हुई उनको कुछ लोग, जो साधन सम्पन्न हैं, बेदखल करते है। मैं कहना चाहता हूं कि आज गरीब परिवारों के उत्थान की बात लेकर चलना चाहते हैं, आपकी यह अन्त्योदय योजना ढकोसला मात्र है। और आज आप उसका दम भरना चाहें तो भरिये। केवल 8 बीघा और 22 बीघा भूमि एक जिले में आपने दी है। मेरे ही जिले में, जिस जिले के अन्दर एक लाख बीघा भूमि अलाट हुई, 2200 बीघा भूमि अलाट की है। आप इन आंकड़ों को देखें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन आंखें नहीं खोलता। हमारे यहां की सरकार उसके बारे में सोचती नहीं है। वेदना यह है कि और इस प्रकार की कार्यवाही को नहीं रोका जा रहा है। एक लाख बीघा भूमि के अलाटमेंट में जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनमें से आज इस हाउस के अन्दर राजस्थान के माननीय गृह मन्त्री जी बैठे हैं, उनको भी मालूम है कि 1975-76 के अन्दर एक एक गांव में जाकर उन्होंने कितनी भूमि अपनी कान्सटीट्यूएन्सी में अलाट की थी। यदि उन हरिजन परिवारों को बेदखल किया गया और उस पर सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो, अध्यक्ष महोदय, आप सोच सकते हैं कि यह तो एक गांव महुआखुर्द है उसकी देखा देखी दूसरे गांव वाले करेंगे। जैसे एक दिन जयपुर का मसला उठाया तो दूसरे दिन जोधपुर का आ गया और तीसरे दिन अलवर जिले के महुआखुर्द की बात रख रहा हूं। इस तरह से सारे राजस्थान में यह बातें बढ़ती चली जायेंगी उसका नतीजा होगा कि कमजोर तबके के लोगों को जो राहत पहुंचाना चाहते हैं, वह उनको नहीं पहुंचा पायेंगे। सत्ता पक्ष के लोग, सत्तारूढ़ पार्टी के अन्दर जो बैठे हैं, उनमें से कुछ विधायक उनके निर्वाचन क्षेत्र के सुखी सम्पन्न परिवारों को संरक्षण देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, इस वजह से गरीब लोगों को राहत नहीं मिल पाती। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह दुख का विषय है। हमें भी दुःख होता है।

श्री अध्यक्ष : आप कहते रहिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुख्य मंत्री जी ने कहा था, वह बात आज भी कहना चाहता हूं, कोई भी योजना गरीब के लिए हो, चाहे बीस सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे अन्त्योदय योजना हो, चाहे कोई तीसरी योजना बना लीजिये, अगर गरीब की योजना लागू करने में हमने सही तरह से हिस्सा लिया, तो कोई भी राजनैतिक पार्टी हो, गरीब हमेशा के लिए आपको याद रखेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और गरीब की सहानुभूति आपके साथ होगी। कथनी और करनी में अन्तर होने पर गरीब की सहानुभूति किसी के साथ होगी, यह असम्भव है। इसलिए मैं चाहूंगा, आप सरकार का ध्यान दिलायें। इस प्रकार की जो कार्यवाही होती हैं उनको सच्चाई से रोकें ताकि हाउस में यह बात बार-बार न आये।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मैंने और माननीय श्री जयकृष्ण जी ने प्रस्तुत किया था। महुआ खुर्द ग्राम के अन्दर 18 गरीब व्यक्तियों को राजस्थान सरकार ने 1976 के अन्दर भूमि का आवंटन किया था। माननीय गृह मंत्री, जब भूतपूर्व जागीरदारों का नाम आता है तो नाराज होते हैं। उन्हीं के जिले के वे लोग हैं जो सम्पन्न लोग हैं, सामन्तवादी हैं। मुख्य मंत्री जी ने अन्त्योदय योजना चालू की उसमें उन्होंने अल्प सख्यकों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी उसमें मदद पहुंचाई है। आपकी कौनसी योजना थी जिससे मुसलमानों को मदद मिली ? इस महुआ खुर्द गांव के अन्दर 18 लोगों को जमीन दी थी। इस गांव में आधे मुसलमान हैं, मेव हैं। आप अन्त्योदय योजना का ढोल पीट रहे हैं। अन्त्योदय योजना में एक को जमीन नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन लोगों को मदद मिली थी उनको सामन्तवादियों ने लाठियों के सहारे बेदखल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से कहूंगा उन लोगों को वापस काबिज कराया जाये, जो जमीनें छीन ली गई हैं, वे वापस दिलाई जायें।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां : जिन से छीन कर अलाटमेंट किया था उसमें ...

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सिवाय चक जमीन थी।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): एक व्यवस्था का प्रश्न है।

आज प्रश्नोत्तर काल के समय एक नया शब्द सदन के सामने आया है। विरोधी दल के माननीय नेता ने एक शब्द काम में लिया है। वह शब्द है 'जोंगा कम्पनी'। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 'जोंगा कम्पनी' कोई कहीं रजिस्टर्ड कम्पनी है, कोई ऐसी संस्था है जिसका नाम इन्होंने लिया है। यह जो शब्द सदन के अन्दर आपने कहा, यह शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय नष्ट न करें, माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह कछवाह : मान्यवर, ऐसा कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है। न शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाये। क्या इन्होंने अपने किसी भूतपूर्व कार्यकर्ता के बारे में कहा है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं ? न कोई स्थगन प्रस्ताव है ....

श्री माधोसिंह कछवाह : यह शिष्टाचार की बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : इनको ताड़ना दीजिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अखबार की दो लाइनें पढ़ूंगा। पुलिस के संरक्षण में

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किया है, कृपया इस पर न बोलें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा। बच्चों की जिन्दगी का सवाल है। राजस्थान प्रदेश के अन्दर लाखों बच्चों की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं, बोलना हो तो दो मिनट बोल लें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आपकी मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अखबार में छपा है, पुलिस के संरक्षण में शिक्षकों के बहिष्कार के बावजूद परीक्षायें शांतिपूर्ण प्रारम्भ हैं। 'पुलिस के संरक्षण में' और 'शांतिपूर्ण' इन दोनों बातों में विरोधाभास है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा नौबत यहां तक आ गई है कि हजारों शिक्षक बहिष्कार कर रहे हैं परीक्षाओं का, वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं, दूसरे अध्यापक कर रहे हैं और पुलिस के पहरे में परीक्षायें चल रही हैं। मैं इसके साथ साथ आगे पढ़ कर सुनाऊंगा। कुछ स्थानों पर परीक्षाओं के संचालन के लिये जिलाधीश के माध्यम से, अनेक विभागों के कर्मचारियों का सहयोग भी लिया गया है। आगे लिखा है—"इसी कारण सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं अनेक जिलों में निर्धारित तिथियों पर नहीं हो सकीं।" यह पोजीशन चल रही है। यह तो परीक्षा पुलिस करवा रही है या आर. एस. एस. के लोग।

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : आर. एस. एस. बीच में कहां से आ गया?

(व्यवधान)

श्री नूरा : नहीं बोलने देने की

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं इसलिये कह रहा हूं। एक टेलिग्राम आया है मेरे पास, "All teachers biocated exam. peons RSS volunteers invigilated."

श्री रघुनन्दन व्यास : श्योपत जी जो बात कह रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या जो परीक्षायें हो रही हैं उसके पक्ष में नहीं हैं? यह क्लेरिफिकेशन साथ में हो जाये।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री श्योपत सिंह मकासर : "All the teachers biocated exam. peons RSS Volunteers invigilated."

यह टेलीग्राम आया है। कल मैं बीकानेर में था। बीकानेर के अन्दर अध्यापक पिकेटिंग कर रहे थे। बहुत ही अजीब रिवाज है इस देश के अन्दर, जब भी आन्दोलन करते हैं तो पिकेटिंग करते हैं। मगर पिकेटिंग करते हुए अध्यापकों को आर. एस. एस. के लोगों ने पीटा है। हास्पिटल के अन्दर हैं। जब बात करते हैं तो परेशान होते हैं। परीक्षायें

(56)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हों, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मगर इस तरह से परीक्षायें किसी एक विशेष संगठन के झण्डे के नीचे, पुलिस के पहरे के अन्दर और दूसरे कर्मचारियों के माध्यम से हों तो उन परीक्षाओं का नतीजा क्या होगा। बिना हजारों शिक्षकों का इमदाद के एक्जामिनेशन करवाना चाहते हैं। उसके आन्दोलन को आप अनदेखा करना चाहते हैं। इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, यह क्या शिक्षकों के साथ ज्यादती नहीं है ? उनके साथ बातचीत नहीं करके आप राजस्थान के लाखों बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आप हकूमत में हैं और आपको हुकूमत का नशा है, परन्तु आप यह मत समझिये कि हमेशा हुकूमत में रहेंगे। आप पुलिस के पहरे में एग्जामिनेशन करा लेंगे लेकिन उनकी कापियां कौन जांचेगा ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : मुझे अफसोस इस बात का है कि आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते····

श्री रघुनन्दन व्यास : उनकी परीक्षायें हो रही हैं।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : विभिन्न विभागों के लोगों को लाकर आप परीक्षायें ले रहे हैं लेकिन उनकी कापियां कौन जांचेगा ? अध्यापक वर्ग का सहयोग नहीं मिलता है तो नतीजा क्या होगा ? अध्यापकों का सहयोग लीजिये। उनसे आप बातचीत कीजिये और सुचारु रूप से परीक्षायें चलाइये।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : देश को बरबाद कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : देश के ठेकेदारों से ठेकेदारी मत चलाइये।

श्री रघुनन्दन व्यास : नहीं तो परीक्षायें कैसे होंगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह उस विषय पर बोल रहे हैं जिस पर माननीय गृह मंत्री जी ने चिन्ता प्रकट की थी और कहा था कि उनकी बातें जायज हैं और वरिष्ठ अध्यापकों को वेतन जो है वह पूरा मिलना चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हजारों लोग हड़ताल पर हैं। हजारों लोग बायकाट कर रहे हैं, उसको भी आज आप अनदेखा कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है। आप असेम्बली के बाहर जाते हैं तो बाहर का वातावरण क्या है यह आपको मालूम होना चाहिये। शिक्षक आन्दोलन कर रहे हैं, छात्र आन्दोलन कर रहे हैं, कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं, मजदूर आन्दोलन कर रहे हैं, किसान आन्दोलन पर हैं, और गरीबों की बात आप सुनते हैं कि किस तरह से बेदखली हो रही है, किस तरह की ज्यादतियां हो रही है, और तो और आपकी जनता पार्टी के लोगों में भारी असन्तोष है, फिर कोई बात कही जाती है····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं संजीदगी के साथ कह रहा हूं। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मामले को संजीदगी

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

से देखें। आप चाहते हैं कि बच्चों की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हों तो शिक्षकों को मनाकर इस व्यवस्था को चालू किया जाय।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में आपके लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री नूरा : मुझे आप से पूरी उम्मीद है कि आप मुझे समय देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगर आप बोलना चाहते थे तो आप प्रस्ताव देते। आपका प्रस्ताव नहीं है।

श्री नूरा : एक मिनट मुझे दें। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दो मिनट अवश्य देंगे।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोल लेता हूं। उसके बाद सरकार जवाब दे दे।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : मैं कुछ सरकार की तरफ से अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप इस संबंध में ही बोलना चाहते हैं ?

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह नहीं होगा। मैं विवश हूं।

श्री नूरा : आप से मैं ऐसी आशा नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, जब से विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है इस सदन में काफी माननीय सदस्यों ने कानून व्यवस्था के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं और चिन्ता व्यक्त की है। यह सत्य है कि हमारे देश में और प्रान्त में कानून व्यवस्था रही है, लेकिन कुछ दिनों से लेबर में, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें और और जगहों पर कुछ अवांछनीय तत्व दिक्कतें पैदा कर रहे हैं ताकि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। न्याय के लिए लोग मिलना चाहते हैं तो उनके ऊपर आप यह आरोप लगाते हैं। यहां पर बैठे हुए हम यह नहीं सुन सकते हैं।

श्री सम्पतराम : सरकारी कर्मचारी अपने वेतनमान के संबंध में सरकार का ध्यान अपने प्रदर्शन के जरिये या दूसरे तरीकों से आकर्षित करते हैं इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन चाहे अध्यापक हों, चाहे कोई राजनैतिक दल हो या कोई अवांछनीय तत्व हों, उनके हाथों में हम अपनी शिक्षण संस्थाओं का जीवन नहीं सौंप सकते। यह सरकार का परम उत्तरदायित्व है कि जो साल भर से बच्चे पढ़ रहे हैं नई औलाद है, जिनकी शिक्षा पर लोगों ने पैसा खर्च किया है, अवांछनीय तत्व उनके एक्जामिनेशन का प्रबन्ध नहीं होने दें और शांति भंग करें, यह सरकार बरदाश्त नहीं करेगी। अगर कोई आदमी चला जाय

Page No 58

(58)

(श्री सम्पतराम)

जैसे कि बिजली वालों की हड़ताल हो और बिजली वाले चले जायं तो जो बिजली का काम जानने वाले दूसरे आदमी हैं उनको समाज के हित में, समाज के लाभ के लिए लाया जा सकता है, जहां कहीं भी बिजली वाले मिलेंगे वहां से लाया जा सकता है। इसी प्रकार से एक्जामिनेशन को देखने के लिए जहां कहीं से भी एक्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए लोग मिलेंगे तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे····

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिक्षक जो हड़ताल कर रहे हैं वह क्या असामाजिक तत्व हैं ?

(व्यवधान)

आप शिक्षकों को असामाजिक तत्व कह रहे हैं। मुझे अफसोस है कि आपने यह कहा कि वह असामाजिक तत्व हैं। आपकी जबान पर कोई लगाम नहीं है···

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह शिक्षक संघ के प्रति एटीट्यूड है, मंत्रीजी का।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिक्षकों को असामाजिक तत्व कह कर आपने सारे शिक्षक वर्ग का अपमान किया है। आप अपने इन शब्दों को वापिस लें····

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप यह शब्द वापस लें।

श्री नूरा : यह शब्द आपके लिए सही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने असामाजिक तत्व कहा है ··

श्री रघुनन्दन व्यास : आप क्या विद्यार्थियों का जीवन बरबाद करना चाहते हैं ? हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कांग्रेस के लोग भी यही भाषा बोलते थे। तुम्हारी भाषा में और कांग्रेस की भाषा में कोई फर्क नहीं है। आपका भी वही हश्र होगा जो उनका हुआ है। खबरदार हो जाइये····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

× × × ×

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था। मेरा अधिकार है। मुझे समय मिलना चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम सदन में बोलेंगे। आप हमको बाहर निकाल दें। मंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें।

श्री नूरा : बिना सोच विचार के आपने बात कही है। क्या आप अपने ये शब्द वापस ले रहे हैं या जांच करायेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : पाइंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में यह परम्परा रही है कि जब दल के नेता, उप नेता खड़े हों और विपक्ष दल के नेता कभी भी हाउस में खड़े हो जायं कुछ बात कहने के लिए तो दूसरे जो हैं बैठ जाते हैं। जब तक वे अपनी बात न कह दें तब तक अन्य माननीय सदस्य खड़े नहीं होते हैं। यह इस हाउस

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

की परम्परा रही है। इस संबंध में विपक्ष के नेता कहना चाहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री महोदय को उनकी बात पहले सुननी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने एक बात कही...,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता इन्टरवीन करना चाहते हैं सरकारी जवाब के दौरान तो उनकी बात सुननी होगी।

श्री परसराम मदेरणा : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारे लिए अभी यह कहा कि कांग्रेस के लोग भी अध्यापकों के सम्बन्ध में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे और उन्हें असामाजिक तत्व की संज्ञा दिया करते थे, तो हमने कतई उनके लिए इस तरह ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिन शब्दों का प्रयोग गृह मन्त्री जी आज अध्यापकों के लिए कर रहे हैं। यह उनके सोचने की बात है। अगर गृह मन्त्रीजी ऐसे शब्दों को अध्यापकों के लिए प्रयोग में लाये हैं तो मैं समझता हूं ऐसे शब्दों का प्रयोग टीचर्स का अपमान है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस देश में शिक्षक का बड़ा महत्व रहा है। माननीय सदस्य ने मेरे शब्दों को इस भावना से लिया है तो मैं उन्हें वापिस लेता हूं। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किये थे वे दूसरे रूप में किये थे। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यापकों का काम है, बच्चों को मां और बाप से भी ज्यादा प्यार करना। उनका ध्येय रहता है कि उनकी पढ़ाई सफल हो। हमारी संस्कृति भी यह रही है कि जिनके पास बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें वे आजीवन गुरू पुकारते हैं। अध्यापक जो सही मायने में अध्यापक होता है, भले ही संघर्ष करे, आन्दोलन करे, लेकिन बच्चों को एग्जामिनेशन में जाने से नहीं रोकेंगे। मैं समझता हूं अध्यापक वर्ग की यह भावना नहीं हो सकती है। लेकिन चन्द आदमी उनमें घुस जाते हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता लेकिन इस प्रकार के जो अवांछनीय तत्व हैं और जो व्यवधान पैदा करते हैं तो हमारा फर्ज है कि आउट साइड से, कहीं से भी स्टाफ लायें, कहीं से भी व्यवस्था करें ताकि शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाली पीढ़ी बराबर एग्जामिनेशन दे और परीक्षा का पूरा लाभ ले, यह हम चाहते हैं।

हमारा अध्यापक वर्ग भी ऐसा नहीं सोच सकता है कि बच्चे परीक्षा से वंचित रह जायं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बच्चों को एग्जामिनेशन में जाने से रोकते हैं तो यह सदन मुझे आगाह करे कि मुझे उनके लिए क्या कहना और करना चाहिए। जिनकी तोड़-फोड़ की नीति है वे चाहते हैं कि बच्चों की एक साल की मेहनत की हुई है उसको बेकार कर दें और इस प्रकार के हालात पैदा कर दें तो उनके सम्बन्ध में सरकार को कड़ा रुख लेना होगा। आज यह नहीं हो सकता है कि सरकार एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं कर पाये। कहीं से भी हम प्रबन्ध करें लेकिन बच्चों की समय पर परीक्षा कराना सरकार का दायित्व है।

(श्री सम्पतराम)

अध्यापक वर्ग आजाद है, अपनी मांग करे और जो उचित होगा पहले भी उसको माना है और आज भी मान रहे हैं लेकिन यह नहीं हो सकता है कि हमारे बच्चों को कोई एग्जामिनेशन हॉल में जाने से रोके।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना है तो बतायें....

(व्यवधान)

श्री नूरा : कल तीन मास्टरों की पिटाई कर दी और उन्हें गिरफ्तार किया। जितना पुलिस का हस्तक्षेप शिक्षा विभाग में हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस इन्टरवीन करे। कोई रोकता है तो पुलिस पकड़ कर ले जाय, यह समझ में आता है लेकिन यह समझ में नहीं आता कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग को पिटायें। आप कहते हैं, अच्छी बात है लेकिन आप महरबानी करके अच्छी परिपाटी डालिये। क्या आप ठीक समझते हैं कि हमारे बच्चों की परीक्षा हो और शिक्षकों की एक भी न्यायोचित मांग नहीं मानें ? आप कहते हैं कोई आन्दोलन नहीं है तो हमको भी कोई परेशानी नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा। आज हजारों अध्यापक हड़ताल पर हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्योपत सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है। बात को दोहराना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्य सरकार पंचायतों के इलेक्शन के कारण एक महीने एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर सकती है तो क्या अध्यापकों की मांग को देखते हुए सप्ताह-दो सप्ताह के लिये परीक्षाएं पोस्टपोन नहीं की जा सकती हैं ? वार्ता करके इस समस्या को हल किया जा सकता है....

(व्यवधान)

आज छात्रों के अध्यापक आन्दोलन कर रहे हैं, इसको गम्भीरता से लें। प्रतिष्ठा का सवाल बना कर उनकी न्यायोचित मांगों को न मान कर उनको नहीं कुचलें। हमारे शिक्षा मंत्री लेक्चरार रहे हैं ...

[व्यवस्था-सूचक घण्टी]

(व्यवधान)

रूंगटा द्वारा नौकरी की धमकी देने पर

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया, बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर आपकी व्यवस्था सिरोधार्य है लेकिन राजस्थान के पश्चिमी ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट की कमी के विषय में कुछ विशेष मुद्दे खड़े हो गये हैं। इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्ब लोक महत्व का है। पूर्व में यह स्टेटमेंट दिया गया था कि 1977 में राज्य सरकार ने मांग की थी भारत सरकार से सीमेंट की वह 7 लाख 27 हजार बैग्स की मांग की थी किन्तु भारत सरकार से आवन्टन हुआ वह 5 लाख 75 हजार बैग्स का हुआ। उसके बाद यह भी बताया गया

(श्री परसराम मदेरणा)

कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार के उद्योग मन्त्री जी को एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखा कि इस सीमेंट से कुछ होगा नहीं। राजस्थान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कम्पलीट करने के लिये पूरी क्वान्टिटी में सीमेंट मिलना चाहिये।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 1978 का मार्च का आज अन्तिम दिन है और जो हमको सीमेन्ट का अलाटमेंट होता है, वह त्रैमासिक अलाटमेंट होता है। पहले तो यह नहीं बताया गया कि राजस्थान की सीमेन्ट की क्या डिमान्ड थी, दूसरे गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिये जो कोटा निर्धारित होता है, उसका क्या हाल है, जो आटोनोमस बाडीज हैं उनके लिये कितना अलाटमेंट हुआ है, और कन्जम्शन के लिये राजस्थान में कितनी सीमेन्ट की डिमान्ड थी और कितना कोटा अलाट किया गया है। इन सबके बारे में यह सदन अनभिज्ञ है। उन्होंने प्रगति विवरण प्रकाशित अवश्य किया है लेकिन इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। 31 मार्च को 1978 के तीन मास खतम हो रहे हैं, इसका मतलब है, हमारा त्रैमासिक कोटा भी लैप्स होने जा रहा है। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट द्वारा पूरा फालो-अप नहीं हो रहा है क्योंकि डाइरेक्ट आदेश कन्ट्रोलर फैक्ट्रीज को कर रहा है और फैक्ट्री सीधे डीलर को कर रही है। डीलर को पूछते हैं कितना अलाटमेंट हुआ तो वह भी बताने की स्थिति में नहीं है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया था, कुछ लदान के मामले में, दूसरा तिमाही का कोटा लैप्स हो गया था, हमने उसको रिवेलिडेट करने के लिये कहा है। वह शायद एक आध महीने के लिये किया गया था। सितम्बर में कोटा लैप्स हो गया वह रिवेलिडेट होगा या नहीं होगा, यह भी अभी पता नहीं। जोधपुर को चार हजार बैग्स का कोटा अलाट हुआ था और वहां 1500 बैग्स पहुंचे हैं, बाकी सीमेन्ट का चित्तौड़ की सीमेन्ट फैक्ट्री से लदान होना था।

चितौड़ की सीमेन्ट फैक्ट्री में सीमेन्ट का उत्पादन हो रहा है भारत सरकार पर किन्हीं कारणों से हरियाणा सरकार ने दबाव डाला और भारत सरकार ने यह आदेश दे दिया कि राजस्थान का प्रायोरिटी को छोड़कर हरियाणा को सीमेन्ट का पूरा लदान कर दिया जाय। आपके अधिकारी फैक्ट्री में बैठे रहे। राजस्थान का कोटा लैप्स हो रहा है। आज राजस्थान सरकार का फालो-अप एक्शन नहीं है, और सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट इसलिये नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी जानकारी में नहीं है। कितना कोटा कहां से मिलना है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हमको राजस्थान का कोटा जो राजस्थान में फैक्ट्री है वहीं से नहीं मिल रहा है, बाहर से नहीं मिल रहा है और दूसरे राज्यों को वहीं की फैक्ट्रियों का और हमारे राजस्थान की फैक्ट्रियों का कोटा अलाट हो रहा है। इसी वजह से राजस्थान का जो जोधपुर का कोटा है वह थ्री-फोर्थ अलाट हो रहा है, उसके अनुपात में थ्री-फोर्थ अलाटमेंट हो रहा है और जो कन्जम्पशन में आया है वह आधा आया है। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान में जो सात जिलों में स्थिति है, एक साल में जो कोटा अलाट होता है उसका 50 परसेन्ट भी राजस्थान सरकार अलाट नहीं कर रही है।

(62)

((श्री परसराम मदेरणा)

जल्दी से जल्दी सीमेंट उपलब्ध करायेंगे। आपने यह भी कहा था कि हम सीमेंट 1978 की फर्स्ट तिमाही का फिफ्टी पर्सेंट से ज्यादा सीमेंट का कोटा लैप्स हो रहा है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में आप पुनर्विचार करें और राज्य सरकार से वक्तव्य दिलवायें ताकि स्थिति स्पष्ट हो जावे। आज 31 तारीख है। आज 31 तारीख को अगर हमारा कोटा री-वेलिडेट नहीं होता है तो यह कोटा लैप्स हो जाएगा, लैप्स इसलिए हो जाएगा कि सीमेंट कण्ट्रोलर ने राजस्थान के हितों की अवज्ञा करके टोप प्रायोरिटी लिख कर भेज दी है हरियाणा स्टेट के लिए। फलस्वरूप हरियाणा स्टेट को फैक्ट्री उत्पादन का सीमेंट पहले मिलेगा और राजस्थान महरूम रह जाएगा। इसलिए इस सम्बन्ध में आप पुनर्विचार करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। आपने यह फर्माया कि इसके ऊपर पहले स्टेटमेंट हो चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने प्रोसीडिंग्स को देखा है, पहले जो स्टेटमेंट खाद्य मन्त्रीजी ने दिया था वह जयपुर जिले के लिए दिया था। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं वह पश्चिमी राजस्थान और खास तौर से जोधपुर जिले के लिए निवेदन करना चाहते हैं। हमें मालूम हुआ है कि केवल दो सौ बोरी सीमेंट दी गई है। अब आप ही बताइये, जहां की आबादी 14 लाख से ऊपर हो, जहां पर यही महीने काश्तकार के पास भी होते हैं जिनमें वह अपने कुए, अपने रिजर्वायर ठीक करता है, जिसके लिए उसको सीमेंट की जरूरत होती है। नालियों के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। इस वक्त सीमेंट मिलना बन्द हो जाय तो कैसी हालत होती है। आज हालत यह है कि जोधपुर के अन्दर सीमेंट की एक बोरी साठ रुपये में ब्लैक में मिल रही है। एक बेग का साठ रुपया लेते हैं। हमने मालूम किया कि जब सीमेंट नहीं है तो यह कहां से आई तो पता चला कि यह राजस्थान कैनाल की सीमेंट है जो ब्लैक में आकर जोधपुर में बिकती है। इसलिए मैं आपसे खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खाद्य मंत्री से आग्रह करें कि वह मेहरबानी करके स्टेटमेंट देवें। जो प्रश्न के जवाब में बताया था उसके बारे में भी निवेदन करता हूं कि उन्होंने डिस्टिब्यूशन किया है उसमें भी घोर पक्षपात किया है। खासतौर से पश्चिमी जिलों में उन्होंने बिल्कुल कम कोटा दिया है। उसकी वजह से आज जयपुर में सीमेंट की कमी नहीं है, और जिलों में कमी नहीं है, पूर्वी राजस्थान में कमी नहीं है लेकिन खास तौर से पश्चिमी जिलों में, हमारे जिलों में सीमेंट की कमी होने के कारण साढ़े सित्तर रुपये में भी सीमेंट का बैग नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि यह निश्चित-तौर पर भयंकर स्थिति है। इस स्थिति को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि तीन चार दिन के अन्दर एक स्टेटमेंट हाउस में दिला दें। मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर पहले बोलते हुए कहा था कि भारत सरकार से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और

(श्री खेतसिंह)

इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आपने सीमेन्ट इम्पोर्ट तो क्या, एक्सपोर्ट की है। आज राजस्थान की फैक्ट्रियों की सीमेंट दूसरे राज्यों में जाती है जब कि अपने राज्य को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती है। खाद्य मंत्रीजी तो यहां पर मौजूद नहीं हैं, सिचाई मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपापूर्वक इस ओर ध्यान देवें। यह बहुत ही अहम मसला है। कृपापूर्वक जितना जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था करा कर राजस्थान के अन्दर जो घोर समस्या है उसका समाधान कराने की कोशिश करें। आप सीमेंट उपलब्ध कराने का प्रयास करें ताकि ब्लैक को कम किया जा सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में सोमवार को वक्तव्य देगी।

श्री शंकरलाल : एक मिनट में निवेदन करना चाहता हूं।

(विराम)

आप नाम पुकारें तो बोलूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शंकर लाल जी, आपका क्या सवाल है ?

श्री शंकरलाल : सीमेंट के बारे में है। एक मिनट में निवेदन कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : सीमेंट के लिए दस मिनट और दूंगा क्योंकि सीमेंट कहीं नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, वक्तव्य जो आया था····

श्री रामसिंह बिश्नोई : मैं तो एक दो सुझाव देना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर सरकार वक्तव्य अभी दे दे तो आप सुन लें।

(विराम)

दो दो मिनट आप सभी बोल लें।

श्री शंकरलाल: अध्यक्ष महोदय, सीमेंट का उत्पादन कम होने से कमी हुई है, यह बताया गया। हम यह जानना चाहेंगे कि देश के लेवल पर जितनी सीमेंट का उत्पादन होता है और जो स्टेट्स को अलाटमेंट होता है वह अलाटमेंट आपके हिस्से में कितना हुआ है और उसके अनुपात में दूसरे राज्यों को कितना हुआ है ? राजस्थान को पहले कितना कोटा मिलता था और कितना कोटा वास्तव में मिला ? उसके बारे में आपने क्या प्रयास किए ? विरोधी दल के नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में कहा है कि जो आपको अलाटमेंट हुआ उसका वितरण आपने जिलों की आवश्यकतानुसार किया या नहीं किया ? आज यह शिकायत है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर मरुप्रदेश के जिलों में आज वास्तव में सीमेंट की बहुत कमी हो गई है। कहते हैं कि जहां हजार बोरी सीमेंट का अलाटमेंट होना

(श्री शंकरलाल)

चाहिए उनकी जगह पर सौ बोरी का अलाटमेंट हो रहा है। वह भी सारी की सारी ब्लेक में चली जाती है। डीलर कहते हैं कि हम फैक्ट्रियों के चक्कर लगाते हैं तो भी हमें अलाटेड कोटा नहीं मिलता है। इसके अलावा आपने जो डिस्ट्रिक्टवाइज डिस्ट्रिब्यूशन किया है वह भी ठीक ढंग से किया या नहीं? यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि जो ब्लेक में सीमेंट मिल जाती है वह कहां से आती है। जब सरकार कहती है कि सीमेंट की कमी है और कन्ट्रोल से सीमेंट का डिस्ट्रिब्यूशन होता है तो फिर ब्लेक में सीमेंट कहां से मिल जाती है? वैसे तो एक बोरी सीमेंट कण्ट्रोल प्राइस पर नहीं मिलती है और ब्लेक के अन्दर चाहे जितनी सीमेंट पचास और साठ रुपये बैग में मिल जाती है वह कहां से आती है? इन तीन बातों का राज्य सरकार जवाब दे और खास करके पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए आश्वासन दे और बताये कि उनका अलाटमेंट कम क्यों किया और कब उनको बढायेगी? यह बहुत गंभीर समस्या है, किसानों की इस सीमेंट को लेकर तबाही हो रही है। चाहे उनके कुओं की बात हो चाहे उनकी नालियों की बात हो, इस समय जब कि सीमेंट की बहुत आवश्यकता है वे सीमेंट से वंचित हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : सरकार इसके बारे में जवाब दे।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चन्द बातें पाइन्ट टू पाइन्ट रख देता हूं।

वास्तव में सीमेंट की कमी किस प्रकार से होती है यह मैं आपको बताता हूं। मिलों में जाकर ये डीलर लोग सीमेंट लाते हैं। चूंकि सीमेंट की कमी है इसलिए उनको आसानी से फैक्ट्री से सीमेंट नहीं मिलती इसलिए पांच-पांच, दस-दस हजार रुपये देकर सीमेंट लानी पड़ती है। इसके बाद जब सीमेंट बाजार में आती है उस वक्त एक बेग में जितनी सीमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं रहती, बिल्कुल आधी हो जाती है। इससे बहुत ज्यादा करप्शन होता है। लाखों करोड़ों रुपये इस प्रकार से खाते हैं। मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर जब सीमेंट का बेग पहुँचता है तो उसमें बीस किलो से ज्यादा सीमेंट नहीं होती है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आप भी यह मानते हैं कि राजस्थान में सीमेंट की बहुत कमी है, इससे किसानों को परेशानी हो रही है। खासतौर से जोधपुर और जालोर के अन्दर इतनी कम सीमेंट आती है कि वहां पर किसी गांव के अन्दर, किसी किसान के पास सीमेंट पिछले छः महीने से नहीं पहुंची है। तो आप, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट से कहें कि वे गांवों के लिए सीमेंट की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। सीमेंट की पश्चिमी जिलों में जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है, इसलिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, पर्याप्त है।

श्री रामरघुनाथ।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव में नाम सम्मिलित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने भी फर्माया, आप भी यह महसूस

(श्री माधोसिंह)

करते हैं कि पूरे राजस्थान में सीमेंट की कमी हो रही है। आठ महीने से, जब चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में जब से यह सरकार आई है उस समय से सीमेंट की भारी कमी है, पूरी तरह से व्यापारियों को छूट मिली हुई है और वह सीमेंट का ब्लेक कर रहे हैं। मैं आपको सिरोही जिले के लिए कह रहा हूं कि आज तीन महीने से वहां के लिए अलाटमेंट हुआ ही नहीं है। आखिर सीमेंट कहां जाती है? किसी भी वजह से कमी हो, गांव में सीमेंट उसी हालत में उपलब्ध होती है जब कि उसके पन्द्रह-बीस रुपये ज्यादा दिये जावें। ज्यादा रुपया देने पर सीमेंट ब्लेक में मिल जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार या तो इसके ऊपर कन्ट्रोल करे या जो आपके इन्सपेक्टर हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको आदेश दें कि वे पता लगावें कि आखिर में यह सीमेंट फैक्ट्रियों से कौनसी गली से चली जाती है और मार्केट में ज्यादा पैसे देने पर ही उपलब्ध होती है। आज काश्तकारों को खास जरूरत है सीमेण्ट की। उनकी फसलें कटना शुरू हो गई हैं। फसलें कटने के बाद वे कन्सट्रक्शन शुरू करेंगे। यह समस्या तीन महीने तक ही रहेगी, जब तक बारिस न हो यह समस्या मौजूद रहेगी। मैं खुद अभी गांव गया था। हालत इतनी खराब है कि काश्तकार अर्जियां लेकर तहसील में जाता है परन्तु सीमेंट उपलब्ध नहीं है। आखिर में यह सीमेंट कहां जाती है? इसके ऊपर आप कन्ट्रोल क्यों नहीं करते हैं? सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री है, चित्तौड़ में सीमेंट फैक्ट्री है। वहां से सीमेंट हरियाणा में जाती है। एक तरफ तो सीमेंट जा रही है और दूसरी तरफ आपको ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं मिलते हैं। सभी जिलों में, सब जगह आप सीमेंट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यहां से सीमेंट हरियाणा क्यों जा रही है? करनाल में उप चुनाव हो रहा है इसलिए शायद यह कोटा आप वहां पर भेज रहे हैं और जब तक वहां चुनाव नहीं हो जाता है, यहां के लोगों को सीमेंट से वंचित करना चाहते हैं। आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी नहीं की गई तो किसानों में इतना ज्यादा हड़कम्प मच जाएगा कि आप उसको सम्भाल नहीं पायेंगे।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बोलें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। उनको अधिकार है परन्तु आपने स्टेटमेंट के लिए निर्देश दे दिए हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय ने मजाक किया है। आपके सामने पाइन्ट रख रहे हैं।

श्री केदारनाथ: मेरी बात सुन लीजिये। जो बातें स्टेटमेंट में कवर न हों, आपको अधिकार है, क्लेरिफिकेशन के लिए आप पूछ लें। वैसे बोलने का आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: इस पर मैंने पुनर्विचार किया है। अगर माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो यह सरकार के लिए लाभदायक होगा। वे किन्हीं मुद्दों से सरकार को अवगत करा दें तो इसमें हर्ज क्या है?

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, पहले जो स्टेटमेंट हुआ था, वह अधूरा

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

था। उसमें पूरे राजस्थान की जानकारी नहीं थी। कितना कोटा अलॉट हुआ, कितना मिला, यह पूरी जानकारी नहीं आई। आज सीमेंट वाजिब दाम पर नहीं मिलती है। 70 रुपये एक बैग के दें तो मिल जाती है। यह क्या तमाशा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गरीब काश्तकारों को पांच-पांच कट्टे सीमेंट पम्पिग सैट के लिए क्यों नहीं मिलती है? उनको 60-70 रुपये देने पड़ते हैं। आप इसकी इन्क्वायरी करवायें। ए. सी. सी. की सीमेंट गुजरात से आती है और ब्लैक में मिल जाती है। यह काश्तकारों के साथ बड़ा भारी षड्यन्त्र है। पहले भी सीमेंट की कमी थी तो आपके राजस्थान के अधिकारी लोग सीमेंट फैक्ट्री में बैठे रहते थे और अलाटमेंट होते ही वे सीमेंट का लदान करवाते थे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इस प्रेक्टिस को चालू करायें। वहां पर अधिकारी को भेजें और जितना अलाटमेंट हुआ है, उसका दबाव के साथ लोडिंग करायें वरना यह विशिअस सर्किल आपके कब्जे में नहीं आने वाला है। कम्पनी के जो एजेन्ट हैं, वे आपके कब्जे में नहीं आएंगे। उनको पैसे कमाने से मतलब है। चाहे प्रोडक्शन गिरे, किसानों को सीमेंट मिले या न मिले, इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। यह एक विशेष समस्या है। 80 परसेंट सीमेंट आपको काश्तकारों को पम्पिंग सेट के लिए देनी चाहिए। गवर्नमेंट ने खुली छूट दी है। कन्ट्रोल नहीं है। यह तो अच्छा किया। किन्तु काश्तकारों को वाजिब दाम पर सीमेंट मिलनी चाहिए। सीमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, यह देखना और व्यवस्था करना सरकार का काम है। छूट है तो मिलती क्यों नहीं? इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट कहूंगा। बाड़मेर का उल्लेख नहीं हो पाया है....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बीकानेर की समस्या की ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आधा मिनट मुझे भी दें।

श्री अध्यक्ष : बीकानेर के लिए एक मिनट। परन्तु आप नई बात कहें। उसी बात को न दोहरायें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में ट्यूब वैल्स की समस्या नहीं है। परन्तु वहां पर चार, पांच हजार कारीगर हैं और वे सीमेंट मिलने पर ही अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। राजस्थान कैनाल वहां पर बन रही है। सीमेंट के हजारों थैले मिट्टी में दबे पड़े हैं। इस प्रकार सीमेंट वहां पर खराब हो रही है। दूसरी तरफ राजस्थान कैनाल की सीमेंट ब्लैक में बिक रही है। राजस्थान में सीमेंट के पांच प्लान्ट हैं, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ की सीमेंट फैक्ट्रियां पहले राजस्थान की आवश्यकता की पूर्ति करें और उसके बाद सीमेंट बचे तो दूसरी जगह भेजें। यह मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो मंत्री महोदय यह इन्फार्मेशन दें कि विभिन्न जिलों में किस प्रकार सीमेंट का वितरण किया गया ? सबसे कम सीमेंट का वितरण बाड़मेर जिले को किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं, इन दिनों किसान और सभी टांके बनाते हैं पीने के पानी के लिए। बाड़मेर सब डिविजन में टांके बनते है। पीने के पानी के टांके बनाने के लिए आप सीमेंट की व्यवस्था करेंगे तो आपको भी समस्या हल होगी। पीने के पानी की आवश्यकता है, उसकी तो पूर्ति करना आवश्यक है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आफिसर लाबी से बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य आफिसर लाबी से बात न करें, यह परिपाटी अब तक रही है। यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। आप अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था कीजिए। कोई भी सदस्य दो सदन न चलावें एक ही सदन के अन्दर, इसकी आप व्यवस्था करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, इतना शोर हो रहा है तब भी माननीय सदस्य दिलेरी के साथ बात कर रहे है....

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र ने राजस्थान को कितना सीमेन्ट अलाट किया ? जो सीमेंट अलाट किया गया, उनमें से राजस्थान सरकार ने कितना प्राप्त किया और विभिन्न जिलों को किस प्रकार वितरित किया गया। यह अपटुडेट इन्फार्मेशन मंत्री महोदय सदन में प्रस्तुत करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं कह चुका हूं परन्तु आज 31 मार्च है, इसलिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार के सिविल सप्लाइज मिनिस्टर यहां पर मौजूद नहीं हैं उन्हें पता था कि आज इस तरह का एडजोर्नमेंट मोशन आ रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कोटा अलाट हुआ है, उसका वितरण हुआ है या नहीं हुआ, यह दूसरी बात है। हमारी शिकायत यह नहीं है। परन्तु जो अलाटमेंट हो गया है राजस्थान को, उस अलाटमेंट को आपने उठाया है या नहीं उठाया है ? अगर नहीं उठाया है तो कहीं वह लेप्स तो नहीं हो रहा है ? जो कोटा आज तक नहीं उठाया गया तो लेप्स हो जायगा। इसलिए राज्य सरकार का सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट इस कोटे को लेप्स न होने के लिए, इस कोटे को रिवेलिडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भारत सरकार के कन्ट्रोलर आफ सीमेन्ट को नहीं करता है तो वह कोटा लेप्स हो जायगा। मेरा अनुरोध है कि सरकार लेप्स हो रहे कोटा को रिवेलिडेट कराने के लिए आज ही भारत सरकार के कन्ट्रोलर आफ सीमेंट को रिक्वेस्ट भेजे। मुझे यह डेफिनेटली मालूम है कि कोटा लेप्स हो रहा है। मैंने जिलाधीश से पुछवाया है। वह तो नहीं मिल सके हैं किन्तु उनका जो डिपार्टमेंट है, उससे मुझे यह इन्फोर्मेशन मिली है कि जोधपुर के अन्दर यह कोटा लेप्स हो रहा है। 4 हजार का कोटा था उसमें से 1500 सीमेंट के थेले पहुंचे हैं और 2500 थेले का हिस्सा लेप्स होगा।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं सीमेंट डीलर्स को यह कहा गया है कि हरियाणा

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार का जो कोटा है, उसको वे टाप प्रायोरिटी दें। यह आदेश है भारत सरकार के कन्ट्रोलर आफ सीमेंट का राजस्थान का कोटा बाद में दिया जाए। याने राजस्थान का न देकर पहले हरियाणा की मांग पूरी की जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान का कोटा लेप्स न हो, इस सम्बन्ध में सरकार को आज ही व्यवस्था करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : मैं निवेदन करूंगा कि बिल नहीं देते है। सीमेंट पड़ा रहता है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष, महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव इस मामले में था। मेरा नाम आपने आसन से फर्माया है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, श्रीमान, और आपने अस्वीकार कर दिया। टिड्डी की आशंका मात्र से किसान क्या और इन्सान क्या सिहर उठता है, कांप उठता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का संबंध है, ग्रामीण समस्याओं को आप व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। जब टिड्डी आती है तो क्या स्थिति होती है। अरबों खरबों की तादाद में टिड्डी आती है और फसलों को सफाचट कर जाती है। यू. एन. ओ. की कृषि संस्था ने घोषणा की है, चेतावनी दी है कि जहां अरब देशों में युद्ध की ज्वाला भड़की है वहीं टिड्डी अलग से आक्रमण की तैयारी कर रही है जिसका सीधा निशाना भारत है। हिन्दुस्तान पर जब आक्रमण होगा तो राजस्थान सबसे पहले आयेगा। टिड्डी अब आए और चाहे 2 माह बाद आए बरबादी अवश्यम्भावी है। रबी की फसल पकने पर खड़ी है और टिड्डी आ गई तो सफाचट कर जाएगी। और अगर जून और जुलाई के महीने में टिड्डी आयेगी तो भी टिड्डी आने के बाद क्या स्थिति होगी, यह एक सोचने वाली बात है। एक गंभीर स्थिति पैदा करने वाली बात है। किसान अभी अकाल से पीड़ित है। ज्यादातर गांवों में अकाल से किसानों और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। खाने-पीने की कमी की दिक्कत अलग हो रही है। उस पर आयन्दा आने वाले दिनों में टिड्डी आवेगी और पहले से कोई इन्तजाम नहीं हुआ तो किसानों की हालत बद से बदतर और खराब हो जाएगी। राजस्थान में टिड्डी आने से एक और अकाल पड़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा, राजस्थान में जो टिड्डी विभाग है, वह इसके लिए जल्दी से तैयारी करे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा कर दी है, चेतावनी दे दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त हो गया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाये। विशेष कर जब कि इसकी चेतावनी मिल गई है। किसानों में डर पैदा हो गया है। अतः युद्धस्तर पर इसके लिये पहले से तैयारी कर लेनी चाहिये ताकि किसानों का नुकसान नहीं हो और देश का नुकसान न हो।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट में कह लें।

श्रीमती सुमित्रासिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में पेश किया गया है। मेरा यही निवेदन करना है कि यह खबर अखबारों में छपी है। 19-20 तारीख के अखबारों में छपी है किन्तु टिड्डी दल का जो आक्रमण होने वाला है, उसके बारे में आज तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो वर्षों से रबी का उत्पादन गिर रहा है।

(दर्शक दीर्घा से एक दर्शक द्वारा सदन की अवमानना)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आपसे परेशान हैं।

कई माननीय सदस्य : आप से परेशान हैं। आपने ही बताया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अफ्रीका, सऊदी अरब एवं यमन में टिड्डी दल सक्रिय हो चुका है वह जल्दी से जल्दी भारत पर आक्रमण करेगा। आप जानते हैं, यदि टिड्डी दल भारत में आया तो खास तौर से राजस्थान की क्या स्थिति होगी। इस समय गेहूं की फसल खेतों में पकी खड़ी है या खेतों में फसल कटी हुई पड़ी है। जून के आखिरी सप्ताह तक अगर टिड्डी दल का आक्रमण होता है तो उस समय खरीफ की फसल होगी तो वह बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। कितनी हानि होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्तनीय प्रश्न है। यदि टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया तो जनता के पास कोई उससे बचने का चारा नहीं है। सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार काश्तकारों को आगाह करे। इस प्रकार का खतरा है वे सावधान रहें तथा अपने प्रिवेन्टिव मेजर्स लें। इसके लिए यथाशीघ्र जो प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये जा सकें, वह लिये जायें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह: अभी तो समय है, सरकार द्वारा कुछ किया जा सकता है। जो कुछ वह कर सकती है, वह कार्यवाही करे। वरना काश्तकार भयभीत हो गये हैं, वह परेशान हैं, न जाने किस समय टिड्डी दल का आक्रमण हो जाय। भारत सरकार और राजस्थान सरकार को इसके बारे में गम्भीर चिन्ता होनी चाहिये। इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी चाहिये। कृषि मन्त्री महोदय और राजस्थान सरकार का ध्यान, अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों के लिए भयावह स्थिति पैदा हो गई है। उनमें डर पैदा हो गया है इस डर को निकाला जाये।

श्री नूरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का काफी हिस्सा अभावग्रस्त है। अकाल और अनावृष्टि से पीड़ित है। अभी ओला वृष्टि हुई थी अब टिड्डी दल के आक्रमण की आशंका पैदा हो गई है, खतरा पैदा हो गया है। अगर टिड्डियों का आक्रमण होता है तो टिड्डियां फसलों को चौपट कर देंगी। जो नुकसान होने वाला है, उससे बचने के लिए जनता को आगाह करने के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। आपको समय रहते व्यवस्था करनी चाहिये। नहीं तो अनाज तो पहले से ही कम है। ओला वृष्टि से पहले ही नुकसान हुआ है। टिड्डी दल का हमला होगा तो राजस्थान का भारी नुकसान होगा। यह मेरा निवेदन

(श्री नूरा)

हैं। इस सरकार को जब काफी सुनाओ, कहो, तो जाकर कुछ करती है इसलिए मैं आपको विधान सभा में निवेदन करना चाहता हूं, यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो राजस्थान का बहुत नुकसान होगा। इसलिए सरकार इसकी अविलम्ब व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री हरजीराम बुरडक।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरडक (सभापति राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1977-78 के राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो आप द्वारा जो व्यवस्था दी जाती है वह शिरोधार्य है। अतिवृष्टि हो गई और जन-धन को क्षति हुई यह तो कोई अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। मैंने भी मेरे क्षेत्र में अकाल पीड़ितों के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पेश करना चाहा था उसे आपने अस्वीकार कर दिया। आपमें हमको पूर्ण विश्वास है, लेकिन...

श्री अध्यक्ष : कोई भेदभाव की व्यवस्था तो मैंने नहीं की, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : आपने नहीं की, मैंने तो तवज्जह दिलाई है।

श्री अध्यक्ष : कोई बात हो तो आप मेरे चेम्बर में आकर बात कर लीजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर नगर स्थित नाहरी के नाके में अतिवृष्टि से सड़क व जन धन को हुई क्षति

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जयपुर नगर स्थित नाहरी के नाके में अतिवृष्टि से सड़क व जनधन को हुई क्षति की ओर आवासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष जयपुर में अत्यधिक वर्षा हुई थी। इस वर्षा ने पिछले वर्षों के सभी रिकार्ड तोड़ दिये जिसके कारण जगह-जगह सड़कें टूट गईं, कच्ची बस्तियों में पानी भर गया एवं नगर का जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया। नाहरी का नाका क्षेत्र में भी इस वर्षा से अत्यधिक हानि हुई। जगह-जगह सड़कों में दरारें पड़ गई तथा कई जगह सड़कों के ऊपर भारी मात्रा में मिट्टी एकत्रित हो गई। विशेष नुकसान इस क्षेत्र में टाटानगर

Page No 71

(71)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

शास्त्री नगर एवं रामनगर क्षेत्र में हुआ, जहां पर कि बड़े गहरे गहरे खड्डे पड़ गये एवं भारी खतरा हो गया। टाटानगर क्षेत्र में गहरे खड्डे पड़ने से कुछ झोंपड़ियां भी गिर गईं। न्यास ने इस भयानक दैवी प्रकोप से क्षेत्र के बचाव के लिए अपने कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की थी जिसमें 24 घण्टों राहत के लिए कर्मचारी उपलब्ध रहते थे। इस तरह पूरे जयपुर शहर की योजनाओं में प्रतिपूर्ति से राहत कार्य की व्यवस्था न्यास द्वारा की गई थी। टाटानगर कच्ची बस्ती एवं रामनगर क्षेत्र में भारी गड्ढे पड़ने से पक्के मकान ढहने का खतरा भी पैदा हो गया था। न्यास ने रात दिन कार्य कर बोरियों में मिट्टी भरवा कर जगह-जगह चैक डेम भी बनवाये एवं इन खड्डों में दुबारा मिट्टी भरवाने की व्यवस्था भी की। राहत कार्यों में न्यास को लगभग 3.50 लाख रुपया व्यय करना पड़ा जिसके कारण नाहरी का नाका क्षेत्र में किसी भी पक्के मकान को कोई भी क्षति नहीं हुई। न्यास ने अपने ही साधनों से शास्त्री नगर एवं रामनगर के क्षेत्रों में, जहां कि भूखण्ड बेचे गये थे और जो कि न्यास की योजनायें हैं, 21 लाख रुपये की राशि से बर्साती नालियों के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया है जिसमें इस वित्तीय वर्ष में न्यास द्वारा नालियों के निर्माण पर अब तक 6.24 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है एवं ऐसी आशा है कि अगली वर्षा से पूर्व अधिकांश नालियों का कार्य पूर्ण हो जावेगा।

नाहरी का नाका क्षेत्र के एक भाग में राजस्थान आवासन मण्डल ने भी भवन निर्मित कर विकास कार्य किया है तथा इस भाग में पक्की नालियों के निर्माण पर 6.75 लाख रुपये की धनराशि व्यय की है, जिसमें 4.75 लाख वर्षा से पूर्व ही आवासन मण्डल के क्षेत्र की नालियों पर व्यय किये हैं तथा 2 लाख रुपये की राशि आवासन मण्डल की योजना से लेकर सुभाष नगर के नाले तक वर्षाती नाली बनाने के कार्य पर व्यय की है। यह कार्य आगामी वर्षा से पूर्व ही समाप्त हो जावेगा।

जहां तक नाहरी का नाका क्षेत्र में बसों के आगमन का प्रश्न है, आवागमन बराबर जारी है तथा इस क्षेत्र में किसी भी पुलिया को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। पुलिया पर भी आवागमन में कोई बाधा नहीं है। नगर सुधार न्यास, जयपुर एवं राज्य सरकार नाहरी का नाका क्षेत्र में सुधार करने के लिए सतत् रूप से जागरुक है। जहां तक नाहरी का नाका क्षेत्र में सड़कों के संधारण का प्रश्न है, यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने हाथ में ले रहा है। इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास व आवासन मण्डल से प्राप्त रिपोर्ट भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में बाढ़ से हर वर्ष होने वाली क्षति को दृष्टि में रखते हुए न्यास द्वारा स्थाई हल के लिए एक योजना बनाई है जो विचाराधीन है। उसके पूरा होने पर ऐसा विश्वास है कि भविष्य में इस क्षेत्र में जनधन की कोई हानि नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम तो नहीं है लेकिन आप आज्ञा दें तो एक मिनट निवेदन करना

Page No 72

(72)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चाहती हूं । मैं भी जयपुर में रहती हूं और जयपुर की ही समस्या है ···

श्री मूलचन्द डागा : गिरधारीलालजी बोलेंगे तो ये जरूर बोलेंगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, डागाजी को चुप करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसा नहीं है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि नाहरी का नाका के लिये सत्रह लाख रुपये की योजना मन्जूर की गई है किन्तु रुपये अभी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । वहां पर प्रोविजनल तरीके से नालियां बनाई गई हैं ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, या तो आप बोल लें या गिरधारीलालजी बोल लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि मुझे भी बोलने दिया जाय तो मैं आपकी आभारी रहूंगी ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मुझे आपके आभार की आवश्यकता है, उसके साथ ही सहयोग की भी । श्री गिरधारी लालजी सहयोग दें । आप बोलिये, गिरधारी लालजी नहीं बोलेंगे । आप बोलिये, माननीय सदस्या ।

श्री शंकरलाल : यह दोनों तय नहीं कर पाये ।

श्री अध्यक्ष : दुविधा में मत पड़िये । स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या । श्री गिरधारीलालजी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर की समस्या है, इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने एतराज उठाया है, उन्हें मालूम नहीं कि नाहरी का नाका की क्या समस्या है । वे मेरे साथ वहां पर चलते तो मालूम हो जाता कि वहां पर जनता को किस प्रकार का कष्ट है । माननीय बही ने वही उत्तर दे दिया है जो सेक्रेटरी साहब ने लिख कर दे दिया है । वे स्वयं वहां जाते और मालूम करते तो उनको जनता का कष्ट मालूम होता । जयपुर में जो अमानीशाह का मार्ग है, मेरे साथ अभी वहां चलें । आपने कह दिया कि एक भी जगह सड़क नहीं टूटी । वहां पर एक बहुत बड़ी पुलिया है, टूट गई है और उसके दोनों तरफ सड़क में गड्ढे पड़ गये हैं ।

दूसरी बात आपने कही कि कोई पक्का मकान नहीं टूटा । मेरा निवेदन है कि रामनगर में पक्के मकान टूट गये हैं । बसों का जहां तक सवाल है, आज भी आप रोडवेज के जनरल मैनेजर साहब से पूछ लें, नाहरी का नाका क्षेत्र में बसों का आना जाना बन्द है । नाहरी का नाका में नई बस्ती है, यू. आई. टी. ने विकास का पैसा लिया है । रामनगर और शास्त्री नगर में मकान गिरे हैं । टाटा नगर में मकान गिरे हैं । जनतापुरी में भी मकान गिरे हैं । सड़कों पर भी बहुत ज्यादा मिट्टी आ गई है, इस कारण इन पर साइकिल भी नहीं चल सकती, अनाज नहीं पहुंच सकता । इन बस्तियों की हालत बहुत खराब हो रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, आज वहां मेरी भी जाने की हिम्मत नहीं होती, यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं । आप चूंकि मेरे अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आपका अपमान नहीं हो, साथ ही मेरे अधिकारों की रक्षा करना आपका फर्ज है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा कष्ट है इस कष्ट का तुरन्त निवारण करायें। सड़कों पर से मिट्टी हटाई जाय, सड़कों की मरम्मत कराई जाय। हाउसिंग बोर्ड के मकान जवाहर नगर में भी बने हैं लेकिन नाहरी का नाका में बने मकानों के आसपास बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है। वहां पर कोई मुफ्त में भी रहना पसन्द नहीं करता। सारे लोग जवाहर नगर में चले गये मेरा निवेदन करना है कि नाहरी का नाका में मकान बना कर सरकार का पैसा खराब किया गया है। वहां पर केन्द्रीय सरकार की भी एक टोली आई थी। उस क्षेत्र के लिए 17 लाख रुपये मन्जूर हुए हैं। लेकिन वहां पर सड़कें अब भी टूटी हुई है, उनकी मरम्मत नहीं कराई गई है। पुलिया टूट गई है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अभी समाप्त कर रहा हूं।

बड़ी मुश्किल से 17 लाख मंजूर हुए हैं। यदि वह 17 लाख रुपये नहीं मिले तो आने वाली वर्षा में सम्पूर्ण नाहरी का नाका रामनगर, शास्त्री नगर, मेजर शैतानसिंह कालोनी, सुभाष नगर के सारे के सारे नगर डूब जायेंगे। इसलिए मन्त्रीजी स्पष्ट रूप से कहें कि मैं प्रयास कर रहा हूं, 17 लाख रुपये मिल जायेंगे और उससे सारे के सारे काम हो जायेंगे। वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर सकूं, ऐसी मुझ में हिम्मत हो। यह हिम्मत दिलाने का काम मन्त्री महोदय करें जिससे मै सत्र समाप्त होने के बाद अपने मतदाताओं से कह सकूं कि मैंने विधान सभा में यह कहा था, अध्यक्ष महोदय के सामने कहा था।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय में बड़ी हिम्मत है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मै आश्वासन चाहता हूं कि जयपुर में 17 लाख रुपये से सड़कों की मरम्मत हो जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। मन्त्री महोदय की इच्छा हो तो उत्तर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक समस्याओं का सवाल है, हमारे सामने जब जब भी कोई समस्या आई है तो सभी गिरधारीलालजी भार्गव को ओलभा देते हैं, सारी समस्याओं का समाधान कभी ढूंढा है तो आपने ढूंढा है। आज भी मैं आपको आमन्त्रित करता हूं जिस प्रकार से भी समस्या से लड़ाई लड़नी है, लड़ें, जितना भी सहयोग वे मुझ से चाहेंगे मैं दूंगा निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पैसा कब तक मिल जाएगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 17 लाख रुपये दिलवायेंगे, इतनी बात कहें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

Page No 74

(७५)

गैर सरकारी सदस्य कार्य

उत्तर प्रत्युत्तर, यह क्या है ? स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: ये 17 लाख रुपये मिल जायं, इस बारे में मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: वहां पानी भरा हुआ है, बरसात के दिन आ रहे हैं, लोग हमें सता रहे हैं। मैं क्या करूं ?

श्री अध्यक्ष: मैंने देखा है, पानी निकल जाएगा।

श्री एच. एन. शर्मा: ये 17 लाख रुपये गांवों को दिए जायं न कि शहरों को।

अशासकीय विधायी कार्य: विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1978

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मूलचन्द डागा: मैं फिर बोलता हूं।

मैं राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: हमारी तरफ से ना कहा गया है, हमने एतराज किया है। आप तो संसद के सदस्य रहे हैं, आप जानते हैं यह बिल आ रहा है। बिल्कुल नकल कर रहे हैं, हमने अक्ल से काम लेकर ना कहा है ...

श्री अध्यक्ष: सरकारी पक्ष ने अस्वीकार कर दिया है।

श्री मूलचन्द डागा: सवाल यह नहीं है.......

श्री अध्यक्ष: आप झगड़ा करना चाहते है तो.......

श्री मूलचन्द डागा: यह प्रोविजन नहीं है। जब तक लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस के बाहर न हो, कल यह है कि इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर...

श्री अध्यक्ष: क्या नार्मल इन्ट्रोड्यूस होना चाहिए ?

श्री मूलचन्द डागा: By convention at the introduction stage it is not opposed. It is a convention. यह कन्वेन्शन है।

श्री अध्यक्ष: कन्वेन्शन है लेकिन गैर सरकारी विधेयक सदन में कब आया है ?

श्री मूलचन्द डागा: On what grounds he is opposing ? अगर लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस न हो तो दूसरी बात है Otherwise there is no opposition.

श्री अध्यक्ष: I would like to get acquainted with this procedure.

श्री मूलचन्द डागा : नियम पढ़ देता हूं। Motion for leave to introduce Bill, Rule 64.

श्री अध्यक्ष : Over riding. majority will have it.

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो आपके सामने सबमिशन कर रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर : इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर अगर सरकार को एतराज हो तो सरकार का प्रवक्ता मुख्य सचेतक या संसदीय मामलात के मंत्री कहें तो उनको दो बातों पर एतराज हो सकता है। एक तो बिल लीगली या कान्सटीट्यूशनली वैलिड नहीं है या उसका कान्शंस प्रिक करता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। ट्रेजरी बैंचेज से नकारात्मक संकेत हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि आपने पूछा, बिल को वोट पर रखा कि जो पक्ष में हों…

श्री अध्यक्ष : मैं फिर एक बार वोट पर रखता हूं।

क्या इस विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति

श्री परसराम मदेरणा : पाइन्ट आफ आर्डर। रूल 64 के तहत जो माननीय सदस्य एतराज कर रहे हैं, पहले आप उसको पढ़ लें। सदस्यों को बोलने का समय देना पड़ेगा। इन्ट्रोड्यूज करके समय दोनों ही सदस्यों को बोलने का अवसर नियम 64 के तहत आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में प्रश्न खड़ा होगा कि यह बिल लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस में है या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : Rule 64 says:

"If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question :

Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discusion thereon.

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस की बात आपके सामने रखें at the time of its introduction····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष अनुमति दें तो।

श्री मूलचन्द डागा : यह शकधर की किताब है।

(श्री मूलचन्द डागा)

"By convention the motion for introduction is not opposed. If motion for leave to introduce the bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief statement from the member who moves and the member who opposes the bill but the member who opposes the bill should give in writing in advance"....

अगर आपको एडवान्स नोटिस दिया हो....

श्री ईश्वरचन्द्र : रूल 64 में कहां है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं शकधर की किताब पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : नियम 64 में आपकी डिस्क्रिशन पर निर्भर है। सदन ने जब वोट कर दिया तो सवाल ही नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा ने जो आपत्ति पैदा की उसको मैं निरस्त करता हूं, स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री शंकरलाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी, फिर भी निवेदन ?

श्री शंकरलाल : आप कौन होते हैं व्यवस्था देने वाले ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मैं राजस्थान कनीनका उपरोपण विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान नहीं करता हूं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है वह तो शिरोधार्य है लेकिन जिस समय यह बिल इन्ट्रोड्यूज किया गया था उस वक्त तो किसी भी सदस्य ने आपत्ति नहीं की। इसलिये कम से कम उस सदस्य को बोलने तो देते, उन्हें सुनते उसके बाद में आप इसको पुट टू वोट करते तो बात अलग होती। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ और आपने यह निर्देश दे दिया।

श्री मूलचन्द डागा : आप नियम पढ़ें तो सही।

श्री अध्यक्ष: जहां तक सवाल डिस्कशन का है डिस्कशन किस हद तक हाउस पसन्द करता है, उस पर निर्भर करता है। हाउस सुप्रीम है, वह चाहे तो उसको ओवररुलाईड कर सकता है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस में कम से कम डिस्कशन तो होना चाहिये था फिर उस पर ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से कोई मन्त्री स्टेटमेन्ट देते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

The House is competent and thereafter the Speaker is competent. But here the most competent is the House to decide.

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी वह तो शिरोधार्य है। हम उसके बारे में जो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन इस प्रकार के बिल के लिये ऐसी परम्परा रही है कि जो भी माननीय सदस्य बिल रखते है उनको बोलने का अधिकार होता है, वह अपना स्टेटमेन्ट देते हैं, उसके बाद में दूसरे माननीय सदस्य भी अपने विचार रखते हैं, उसके बाद में ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से स्टेटमेन्ट होता है। उसमें चाहे तो मन्त्री उसको रिजेक्ट करें या उसको मान लें, यह तो सरकार की मर्जी पर है, लेकिन ऐसी परम्परा रही है कि उस पर विचार तो किया जाना चाहिये। इसके अलावा यह बिल नोनीं ऑफिशियल बिल है, इस पर पहले हाउस में विचार कर लिया जाता और बाद में राज्य सरकार की तरफ से कोई भी मन्त्री चाहे लॉ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अपना जबाब दे देते कि हम इसको मान रहे हैं या नहीं, और फिर इसको रिजेक्ट कर देते। नोन-ऑफिशियल बिल के लिये इस प्रकार का सरकार का एटीट्यूड उचित नहीं है। ऐसे बिल को अगर आप डिस्अलॉऊ करते तो कोई दलील दी जाती कि इस बिल में यह खराबी है या हम ऐसा ही कोई बिल ला रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आप कोई बिल इस प्रकार का ला रहे हैं। फिर यह क्या बात हुई कि आप कोई जनहित का बिल लावें नहीं और दूसरे कोई बिल लावें तो आप उसको लाने नहीं दें। इस प्रकार का व्यवहार जनता पार्टी की सरकार करके हमसे यह चाहती है कि हम उसको कोआपरेट करें, यह कैसे हो सकता है।

(व्यवधान)

आपकी गवर्नमेन्ट की तरफ से जबाब तो आना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं, न आपके हैल्थ मिनिस्टर, न आपके मिनिस्टर फोरपार्लियामेन्ट्री-अफेअर्स ने ही कोई स्टेटमेन्ट दिया। आपको कम से कम यह तो कहना चाहिये कि इसमें यह खराबी है इसलिये हमारी कांशंस अलाउ नहीं करती है। कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया गया और लोवर बेन्चेज ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आखिर आपको इसके लिये एक स्टेटमेंट तो देना चाहिये था जिससे कि सरकार के माइण्ड का पता लगता। पर सरकार ने अपना माइन्ड ही अप्लाई नहीं किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। They have not read the bill even.

गवर्नमेन्ट का जबाब होना चाहिये था। पहले डिस्कशन होना चाहिये था जैसी कि आज तक सदन की परम्परा रही है।

एक माननीय सदस्य : फुल माइन्ड अप्लाई किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कृपया शान्त रहें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे कुछ कहने का तो मौका देते। मेरी सुन तो लेते उसके बाद में अगर आप रिजेक्ट करते तो कोई बात होती। मुझे हाउस में आर्गूमेंन्ट रखने का तो अधिकार है ही पर आपने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब इस संबंध में चर्चा नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा विधेयक श्री मूलचन्द डागा प्रस्थापित करें।

दयाद्र, प्राण हरण विधेयक, 1978

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्णतः अशक्त और शैयाग्रस्त हो जाने वाले अथवा किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों का दयाद्र प्राणहरण उपबन्धित करने के लिये दयाद्र प्राणहरण विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री शंकरलाल ; अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने में मुझे आपत्ति है। पहले वाले बिल के लिये आपत्ति नहीं थी। इस बिल पर लीगली आपत्ति है। बिल की जो धारायें हैं उनके अनुसार पहले तो ऐसा कानून बनाना केन्द्रीय सरकार के पावर के अन्तर्गत है। दूसरे इसके जो स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में हैं और उसके अलावा प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन में दिया है लास्ट में कि दयाद्र प्राणहरण के लिये जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा दी जाय। जिस रीति से प्राणहरण किया जाय, उसके लिये नियम बनाना चाहते हैं। इसमें किसी इन्सान को मारने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, किसी को मारने का अधिकार मांग रहे हैं यह कैसे हो सकता है। इसके उद्देश्य एवं कारणों के विवरण में लिखा है कि इस देश में हजारों लोग या तो पूर्णतः अशक्त है या ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनका कोई उपचार भारत में उपलब्ध नहीं है। वे स्वयं अपने आप पर, अपने कुटुम्ब पर और समाज पर भी भारस्वरूप हैं। वे प्राणान्त के इच्छुक है किन्तु देश की विधि में कोई उपबन्ध न होने से डाक्टर पूर्ण रूप से यह जानते हुए भी कि उन्हें निरोग नहीं किया जा सकता है इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में इस प्रकार के बिल लाये नहीं जा सकते हैं। अभी तक हमारे देश के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जैसी विदेशी लोगों की है। इसलिये किसी को मारने के अन्दर कई काम्पलीकेशन्स हो जायेंगे। किसी को मारने की कैसे छूट दे सकते हैं? चाहे किसी को असाध्य रोग हो जाये घर वाले उसकी मृत्यु कैसे चाह सकते हैं? उसके रिश्तेदार उसकी मृत्यु नहीं चाह सकते। वैसे लीगली भी आप किसी को मारने का बिल कैसे ला सकते हैं यह बिलकुल गलत है। मैं इसका लीगल पोइन्ट आफ व्यू व माननीय दृष्टिकोण से विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा बिल इस सदन में वह माननीय सदस्य लेकर आये हैं जो जैनी हैं, जिनका जीवन सिद्धान्त ही अहिंसा परमोधर्म है। वह कहते है कि इन्सान को जान से मार दो। यह जैन और ओसवाल होने के बावजूद ऐसा बिल लाये हैं कि किसी असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति को जान से मार देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय परम्परा यह रही है कि अगर कोई घर का व्यक्ति बीमार हो

Page No 79

(79)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जाता है तो उसके परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं। यह तो विदेशों में होता है कि बीमार व्यक्ति के परिवार वाले उसकी सेवा नहीं करते है। यहां तो बीमार व्यक्ति के रिश्तेदार भी उसकी सेवा करते हैं। माननीय सदस्य जैनी है उनको तो ऐसा बिल लाना चाहिये था कि किसी के पास खाने को रोटी नहीं है तो उसको खाने को रोटी दी जाय। यह क्या बिल लाये कि बीमार है तो उसको जान से ही मार दो।

श्री मूलचन्द डागा : आप पहले मेरी सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहे। स्थान ग्रहण करे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मूलचन्द डागा से वह प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा बिल सदन में क्यों लाये कि जिससे किसी की जान ही ली जाय। मैं उनको नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले लें। इस बिल के जो उद्देश्य है वह हमारी भारतीय परम्परा और भारतीय संस्कृति के विपरीत है। हमारे यहां तो बूढ़ों बुजुर्गों और बीमारों की सेवा की जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बिल पर हाउस में पूरी बहस तो होनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम पहले मेरी बात तो सुन लीजिये। मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय ता दगे। Will you please give me some time.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन तो लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, डागाजी को ऐसा बिल लाना चाहिये था कि किसी को खाने को रोटी नहीं मिलती है तो उसको रोटी मिले।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का बिल इस विधान सभा में लाने की अधिकार ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बड़ी ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे इस बिल को रिजेन्ट करें लेकिन मुझे बोलने का तो अधिकार है। आप लोगों को इस बिल के सम्बन्ध में इतनी जल्दबाजी से फैसला नहीं करना चाहिये। आप इस बिल की भावना को समझें। मेरा मतलब इसमें किसी को मारने का नहीं है। इसमें मारने का किसी को सवाल ही नहीं है। इसमें तो यह है कि किसी भी मनुष्य को ऐसा असाध्य रोग हो गया है....

एक माननीय सदस्य : वह आपको है

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको बोलने की अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष : यह गैर सरकारी संकल्प है। इस पर मुझे भी एक दो शब्द कहने हैं, वह कहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने दिया जाय। मुझे बोलने का तो अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : जी पूर्ण अधिकार है। आप बोल सकते हैं अगर आप चाहे तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी डिस्प्यूटेबल बिल है। यह बिल आपकी भावना और मंशा से भरा हुआ है लेकिन यह कन्ट्रोवर्सी सारे विश्व में जारी है। माननीय सदस्य को अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का। माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी ने जो संकेत दिया वह भी वास्तविक है। मेरा इन दो शब्दों में यह अनुरोध है कि आप अपनी बात अवश्य कहें किन्तु कहने के बाद क्या आप इस विधेयक को वापस लेने का विचार करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है। टाक आउट कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आनन्द लेने का विषय नहीं है। यह परम्परा सदन की नहीं है कि इस तरह व्यवधान करें। एक दूसरे की बात बड़ी शान्ति से सुननी चाहिये। व्यवधान करने का कोई अर्थ नहीं है। इस सदन की स्वस्थ परम्परा है, यह एक ट्रेनिंग का विषय है। इस पर उदारता पूर्वक विचार सुनिये और अपने विचार व्यक्त करिये। सदन की गरिमा को बढ़ाने की चीज है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो बात कही, श्रीमन, मैं उस बात को मानता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ असाध्य रोगों से लोग पीड़ित हो जाते हैं। जिन्दगी में जब तक आराम से आदमी जीता है तब तो जिन्दगी है लेकिन कई बार लोग ऐसे रोगों से पीड़ित हो जाते हैं...

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। विधान सभा में ऐसा बिल भी आ सकता है या नहीं ? यह मेरा पोइन्ट आफ आर्डर था।

श्री अध्यक्ष : डागाजी शायद यह भी कहना चाहते हैं कि रोगी स्वयम भी चाहे, अपने आपको खत्म करना तो There is underlying motive. This is a beautiful idea which should be discussed.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसकी क्रियान्विति तो देखिये।

श्री मूलचन्द डागा : आप ज्यादा विद्वान हैं। मुझे अपनी बात कहने तो दीजिये। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप। कृपया शान्तिपूर्वक इनकी बात को सुन लीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सुनेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा है आपकी।

(श्री मूलचन्द डागा)

मैंने यह कहा है कि कुछ प्राणी ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं कि उनके लिये जीवन भारी हो जाता है और वह मर जाना चाहते हैं। मेडिकल बोर्ड, एक डाक्टर नहीं, कई डाक्टरों का एक बोर्ड बैठे और बोर्ड इस बात की तहकीकात करे कि कौन से इस प्रकार के रोग हैं जो कष्टदायी हो सकते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है। अभी हमारे देश में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो असाध्य रोग ग्रस्त व्यक्ति को कष्ट से छुटकारा करा सके। ऐसी हालत में एक डाक्टर नहीं, कई एक्सपर्ट डाक्टर बैठे हैं और बैठने के बाद अगर यह ओपनियन दें कि यह ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, उस रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज इस बात की जांच करे कि एक तरीके से सुम्रो मोटो या किसी तरह का दबाव तो नहीं है तो उसको इजाजत दें....

(व्यवधान)

श्री अचलाराम (देसूरी) : लोगों का आपने खून खच्चर कराया। डागाजी और खून खच्चर कराना चाहते हैं। डागा महोदय जी....

श्री मूलचन्द डागा : क्या बात है। शान बढ़ गयी आपकी।

तो, श्रीमन्, जो डिस्ट्रिक्ट जज हो वह इस बात की जांच करे, क्या कारण है कि यह आदमी मृत्यु चाह रहा है क्यों कह रहा है कि अब मेरे से जिन्दा नहीं रहा जाता। मैं दिन भर और रात भर परेशान रहता हूं। महात्मा गांधी ने कभी हत्या नहीं की थी लेकिन एक व्यक्ति की पीड़ा को देख कर उनको भी पीड़ा हुई थी। कई ऐसे मामलों पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिये हैं। केलिफोर्निया में दो भाइयों ने अपनी मां के गले पर कपड़ा कस दिया। एक ने कहा, मेरी मां बड़ी दुख पा रही है मैं पीड़ा ले नहीं सकता, सहानुभूति ही प्रकट कर सकता हूं। तो पीड़ा को नहीं ले पाता है। जिन्दगी में असाध्य रोग से कोई आदमी तड़फता है, दुनियां में रहने से कोई लाभ वह नहीं समझता है, तो आदरणीय शंकरलाल जी ने जो धारा बतायी वह इस पर लागू नहीं होती है आदमी खुद कहता है कि इस दुनिया में रहने की मेरी इच्छा नहीं है। ऐसी हालत में भी आदमी भीख मांगकर भी पेट भरता है। किसी डाक्टर को ऐसे आदमी को भाग्य नहीं सौंपा गया है। भाग्य किसी को सौंपा गया है तो वह जज के हाथ में सौंपा गया है। इस बिल के द्वारा उसको अधिकार दिया है, वह सारे तरीकों से जांच करेगा कि ऐसे आदमी की पीड़ा का इलाज नहीं हो सकता है या नहीं, आप चाहें तो बीसों जजमेंट मैं कोट कर सकता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में निकला है। आप चाहें तो मैं उदाहरण बता सकता हूं। एक व्यक्ति दिन रात चिल्लाता है, सारे मोहल्ले की शान्ति भंग कर देता है। वह कहता है कि मुझे हटा दो। डाक्टरों ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, सारे मोहल्ले की शांति भंग हो गई है। उस आदमी के रोग कोई इलाज नहीं है, कितने ही सालों से वह तड़फ रहा है। इसलिए मैंने, श्रीमान्, वर्ड यूज किया है 'मर्सिकिलिंग वह भीख मांगता है कि मुझे जिन्दगी से उठा लें।

आपकी भावना बड़ी अच्छी है। हिन्दुस्तान के लोगों की बड़ी अच्छी भावना है, वृद्ध माता पिताओं की सेवा करना चाहते हैं,

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं इस संस्कृति की पवित्रता की कद्र करता हूं। जिन लोगों की पीड़ा जीने को अलाऊ नहीं करती उनके प्रति आपको हम-दर्दी है, आप दिल से उसकी सेवा करना चाहते है। इसलिए मैंने यह कहा है, बोर्ड आफ डाक्टर्स, एक डाक्टर नहीं बल्कि बोर्ड आफ डाक्टर्स के कहने के बाद अगर जज कहे, तो मर्सी किलिंग की इजाजत दें।

मैं चाहता था कि इन्ट्रोडक्शन के बाद इसे फोर केन्सीडरेशन रखने की मुझे इजा-जत देते। इस सदन में इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन होता, विचार होता उसका आप जवाब देते। उसके बाद में ऐसे कई केसेज बताता। जब मैंने यह पालियामेंट में मूव किया था तो मेरे पास वर्ल्ड के काफी लोगों के लेटर्स आये थे जिनमें They have appreciated और उन्होंने लिखा कि यह बहुत अच्छा बिल है। मेरे पास वक्त होता तो सारे वर्ल्ड के लेटर्स पेश करता।

मेरा पहला विधेयक खत्म हो गया। मैंने कहा कि कोई आदमी अपने नेत्रदान करना चाहता है कि मरने के बाद मेरी आंखें निकालकर दूसरे आदमी के लगा दें। कोई लिखकर देता है कि मेरा शरीर है और मैं दुनिया से चला जाता हूं तो मेरे जाने के बाद मेरी आंखें निकालकर किसी दूसरे आदमी के काम आ जायें तो दे देना। लेकिन आज सदन ने उस अस्वीकार कर दिया। मैं चुप रह गया। मुझे एतराज नहीं। मैंने यह कहा इस पर विचार होता तो मैं आपके विचार सुनने पर प्रभावित होता। डाक्टर हरीसिंह जो बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े जानकार लोग बैठे हैं। सारे मान-नीय सदस्य इस बात पर चर्चा करते और चर्चा होने के बाद यदि सदन की इच्छा होती तो मैं वापस ले लेता। यह ऐसा विषय था जिसके ऊपर आपने खुद ने कहा कि बहुत कन्ट्रोवर्शल पाइन्ट है। आपकी नालेज के मुकाबले में मेरी नालेज नहीं है लेकिन मैं चाहता था कि इस विषय को चर्चा के लिये रखा जाता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैंने यह बात सोची है और मेरे दिमाग ने यह कहा है इसलिये यह मैंने सदन में रखा है। और जैसा मैंने कहा था — Every Parliamentarian has appreciated and it should be taken into consideration. मैंने आंखों का बिल दिया था वह इसलिए दिया था कि मरने के बाद किसी की आंख का उपयोग हो जाये तो ले लेना चाहिए लेकिन हाउस ने टाक आउट कर दिया। मैं चुप हूं। यह कोई पार्टी पालिटिक्स का विषय नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं मानता हूं पार्टी पालिटिक्स का विषय नहीं है। और सुनते हैं तो भावात्मक एकता भी बनती है और कटुता में भी कमी आती है। यह स्वस्थ परम्परा की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा तो फर्ज है। मैंने नहीं समझा था कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर अपोज करेंगे। मैंने कानून में कहीं नहीं पढ़ा कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर अपजो-शन हो सकता है। अगर अपोज होता है तो केवल कान्सटीट्यूशनल या लीगल पाइन्ट्स पर उसके सिवाय और पाइन्ट्स पर अपोज नहीं होता है, जैसा माननीय सदस्य श्री माथुर साहब ने कहा, और कोई विरोधी मेम्बर कोई बात कहता है तो उसे कचरे में फेंक दिया जाता है। उसको सुनना और समर्थन

(श्री मूलचन्द डागा)

देना, आप क्या जानें। मैं कहता हूं आप चाहे हर बात को फेंक दें, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं अपनी कोशिश करूं और अपना फर्ज अदा करूं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अचलाराम : वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है, इस दृष्टि से वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय डागा जी, मर्सी किलिंग का बिल लाये। पता नहीं वह किस किस को मारना चाहते हैं ?

श्री शंकरलाल : I object to it कोई कांग्रेस पार्टी का बिल नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत है। मैंने प्रपोज किया है। पहले वाले बिल को प्रपोज किया वह गलत किया It is not a party bill.

श्री अचलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डागा जी ने कहा कि मरने वाले की आंख काम आ जायेगी। वह बात तो बहुत ही कम उपयोगी है लेकिन सम्राट अशोक ने प्राचीन काल में अनाप शनाप दुश्मनों को पराजित करके मारकर भी पश्चाताप किया था। अन्त में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। क्या उनके दिल में दया नहीं आई थी ? वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु ने पेड़ों में भी जीव बताया है। उन्हें भी दुःख देना अहिंसा परमोधर्मः के खिलाफ है....

श्री मूलचन्द डागा : धन्य हो, बड़ी अच्छी बात कही आपने।

श्री अचलाराम : डागा जी जैन धर्म मानते हैं। जैन धर्म कहता है, अहिंसा ही परम धर्म है। पानी में भी किसी जीव को पीकर पेट में नहीं बचा सकते तो किसी को कत्ल करते हुए कैसे देखना चाहेंगे ? मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने कहा है मानव मानव को तकलीफ नहीं दे। मैं तो यह सोचता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। मैं मोशन को पुट करता हूं।

माननीय सदस्य, श्री डागा।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय; दो दो मिनट हमें भी दें।

श्री अध्यक्ष : आप विथड्रा करना चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : I will not withdraw मैंने जो कह दिया वह कह दिया। मैं अकेला ही वोट दूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष, दो दो मिनट हमको भी दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

क्या सदन की सहमति है माननीय सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा को विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई।

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

यह तो कन्सीडरेशन के लिए लिया जाये। It has already been introduced.

श्रीमान्, मैंने राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977 सदन की सेवा में विचारार्थ रखा है। यह मेरे विचार नहीं है, सारे हिन्दुस्तान के जो युवक है, जो जवान साथी आये हैं और जयप्रकाश बाबू भी···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रायोरिटी बदली गई है। पहले संकल्प चलते और फिर बिल आना चाहिये था। यह क्रम कैसे बदला गया ? इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की इच्छा है कि संकल्प पहले आयें तो वही होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम चाहते हैं कि संकल्प पहले आयें।

श्री अध्यक्ष : पूर्ववत् जो व्यवस्था थी वही है। इनको बोल लेने दीजिये फिर सदन में संकल्प ले लेंगे।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के लिए मनोनयन पत्र वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय समितियों से मनोनयन पत्र वापस लेने का समय दिनांक 31 मार्च, 1978 के मध्याह्नतर 3 बजे तक निर्धारित किया गया था। मेरा प्रस्ताव है कि मनोनयन पत्र वापिस लेने का समय आज सायं 5 बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 3 तारीख तक बढ़ा दो।

श्री अध्यक्ष : श्री डागा।

एक माननीय सदस्य : जो प्रस्ताव रखा है, वह पुट हो जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि मुख्य सचेतक ने वित्तीय समितियों से मनोनयन पत्र वापस लेने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री डागा

श्री मूलचन्द डागा : आजकल सारे हिन्दुस्तान का यह विचार है कि जो युवक हैं, उनके कारण ही देश बनता है, वे बड़े आदर्शवादी होते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हमें अपने मतदाता की आयु 18 साल की कर देनी चाहिये। श्री मान्, इसके

(श्री मूलचन्द डागा)

लिये जयप्रकाश नारायण जी ने तारकुण्डे से रिपोर्ट मांगी थी तो उन्होंने भी यही सुझाव दिया था। The suggestion made by the various committees including Mr. Tarkundey was for reducing the election cost as well as votiug age from 21 to 18" तारकुण्डे साहब ने यह कहा कि 21 वर्ष की जगह 18 वर्षीय युवक को मतदाता बनाया जाना चाहिये। हमारा रिप्रजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट है उसमे जो धारा है उसमें 21 साल की कम से कम उम्र मतदाता की रखी है। उसके आधार पर मतदाता सूची में नाम लिखा जाता है। यह प्रोवीजन है—

"Subject to the foregoing provisions of this part every person who is not less than 21years of age on the qualifying date and is ordinarily resident in a constituency shall to be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency"

तो मैं यह कहना चाहता था, यह प्रावोजन है he must be of 21years of age. रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट में भी 21 साल की उम्र का मतदाता के लिये प्रोवीजन है। जे. पी. ने कहा है देश का विकास हो चुका है। युवकों को आगे आना चाहिये। जो युवक हैं 18 साल की अवस्था के वे इलेक्शन में पार्टीसिपेट करना चाहते हैं। इस राय का सब जगह स्वागत हुआ है। उन्होंने कहा, मतदाता की उम्र 21 साल की जगह 18 साल कर दी जाये। तो मैंने यह सुझाव....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जो स्पष्टीकरण करना था, वह आपने कर दिया। आपको राइट आफ रिप्लाई है। डिबेट हो जाने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : तीन पाइन्ट्स हैं। दो मिनट में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप मंत्री के रूप में बोलेंगे; आप हमें बोल लेने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : दो दूसरे पाइन्ट भी बता देता हूं। मृत्यु भोज के लिए पाबन्दी रखी है। मैंने डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न भी उठाया है। डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान रखा है। मैंने कहा है किसी आदमी को 6 साल के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए। जो आपका सेक्शन 17 है वह सेक्शन 17 कहता है....

श्री अध्यक्ष : यह तो आप पूरी डिबेट कर रहे हैं। इन्ट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर डिबेट....

श्री मूलचन्द डागा : इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर जो आदमी मूव कर रहा है....

श्री अध्यक्ष : इन्ट्रोड्यूस करके आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : It is not the introduction stage.

आप क्या फर्मा रहे हैं। It is for consideration.

श्री अध्यक्ष : अब आपने रख दिया।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रभारी सदस्य हैं। इन्होंने उद्देश्यों और कारणों का विवरण दिया है। हम सब पढ़े लिखे हैं। हम जानते हैं कि किस भावना से यह बिल लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, आपको बोलना हो तो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं आपके सामने कि माननीय प्रभारी सदस्य जो यह बिल लाये हैं यह बिल इस राज्य से सीधा सम्बन्धित बिल नहीं है। पूरे भारतवर्ष से सम्बन्धित है। मैंने सुना है आप पालियामेंट के मेम्बर रहे हैं। पंच और सरपंच के लिए 25 से 21 वर्ष करने वाली बात कहने जा रहे हैं इसलिए मैंने प्रस्ताव दिया है राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

18 वर्ष की आयु वाले को मताधिकार देने वाली बात कही है। मेरा निवेदन है।

(2.26 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

यह 18 वर्ष होनी चाहिए। हर व्यक्ति यह चाहता है कि चुनाव में मतदाता का मौका मिले। फिर 21 वर्ष का आदमी भी वृद्ध हो जाता है। चुनाव लड़ने का....

श्री मूलचन्द डागा : 21 वर्ष का वृद्ध हो जाता है? क्या बात कर रहे हैं?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप इस अवस्था में भी जवान हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष होनी चाहिये।

डागा जी, जरा सुनें आप। आपको सुनना चाहिये।

मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यू. पी. सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने माना है कि 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु वाले सरपंचों के चुनाव लड़ें, इसलिए मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

प्रभारी माननीय सदस्य ने यह जो कहा है मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 में प्रावधान है यदि कोई आदमी जिमाये तो वह डिस्क्वालिफाइड हो जावेगा। जिमाने वाला डिस्क्वालिफाइड। सब्जी और हलुए की बाल्टी लाने वाला यदि पकड़ा गया तो वह भी डिस्क्वालिफाइड। इसलिये वह चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। मेरा निवेदन करना यह है कि यह यदि विलोपित कर दिया जाये तो लोगों को भय नहीं रहेगा। अभी लोगों में भय है। कानून है कि इतने इतने आदमियों को नहीं जिमा सकता। अगर यह भावना खतम हो जाए तो गांवों में खूब जीमन होने लगेंगे। कानून को पालना हो पाये या न हो पाये, वह बात अलग है, जरा डर तो है। इसको हटाये जाने से नुकसान होगा। अगर भय निकल गया तो बहुत गड़बड़ी पैदा होगी। मेरा निवेदन है कि इसको विलोपित नहीं करना चाहिये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तीसरी बात निवेदन करने जा रहा हूं। 6 वर्ष तक डिसक्वालिफाइड रहे और चुनाव की उम्र है 25 वर्ष, तो 25 और 6 वर्ष, 31 हो गये। तो उनका कहना है 31 वर्ष की उम्र में कार्य क्षमता रहेगी नहीं। मेरा निवेदन करना यह है कि वह विलोपित नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य ने भी बात मानी है कि विलोपित नहीं होना चाहिये। अगर इसको विलोपित कर देते हैं तो ऐसे आदमी चुनाव के मैदान में खड़े होंगे उनके फार्म रिजेक्ट कैसे होंगे। मेरा निवेदन है 6 वर्ष के लिये डिसक्वालिफाइ करते हैं, यह अवधि कम होनी चाहिये। उन्होने भी दो वर्ष वाली बात मानी है। मैं भी दो वर्ष वाली बात का समर्थन करता हूं। उपयुक्त यह रहेगा कि इस प्रकार का बिल राज्य सरकार अपनी ओर से लाये। मैं माननीय कानून मन्त्री जी से, जो यहां विराजमान हैं, निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से मतदाता की आयु घटानी है, इस प्रकार का बिल सरकार की ओर से इस सदन में प्रस्तुत किया जाये। माननीय मन्त्री जी घोषणा कर दें। इस बिल में बड़े बड़े मुद्दे हैं इसलिये मैंने जनमत जानने वाली बात रखी है। यह मेरा प्रस्ताव है। वैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि कानून मंत्रीजी सदन को यह आश्वासन दे दें कि राज्य सरकार तुरन्त ही जनता पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर 21 से 18 वर्ष की आयु मतदान के लिए करना चाहती है। यदि सरकार की ओर से यह आश्वासन मिल जाय कि निकट भविष्य में कुछ होने वाला है तो मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रभारी सदस्य से कि वे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर इस बिल को वापिस ले लें।

श्री मूलचन्द डागा : एक तरफ तो आप जनमत का प्रस्ताव रख रहे हैं और दूसरी तरफ वापस लिवाना चाहते हैं। आप कोन्ट्रे-डिक्ट्री बात बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं माननीय मंत्रीजी से कह रहा था।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी दो तरीके की बात क्यों है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं माननीय मंत्रीजी महोदय से निवेदन कर रहा था कि इस बिल को जनमत को जानने के लिए प्रसारित किया जाय यह मेरा प्रस्ताव है। इसको पास नहीं किया जाना चाहिये। माननीय मंत्रीजी इस प्रकार का बिल सदन में लाने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप महरबानी करके इस बिल को वापिस ले ले।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर ...

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : वह आपके बैठने से खतम हो गया। मुझे दो मिनट दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : आपका तो मोशन है। माननीय सदस्य को बोलने का तो राइट है। लेकिन जिनका पहले मोशन है वह पहले बोल लें। उसके बाद माननीय सदस्य बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष, आपकी जैसी आज्ञा हो। आप कहें तो मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बोलिये ।

श्रीमती उज्ज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के संबंध में माननीय प्रभारी सदस्य ने यह बिल रखा है । इसके बारे में मुझे तीन बातें कहनी हैं । प्रथम बात तो यह कहना चाहती हूं कि जनता पार्टी के घोषणापत्र में मतदाता की 18 वर्ष की आयु करने की बात है । 18 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति बालिग हो जाता है तो उसको भी पंचायत के चुनावों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है, इन्होंने यह कहा कि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, उसे लोपित किया जाना चाहिए "मृत्यु भोज की पाबन्दी को विलोपित करने की बात कहना चाहते हैं । पहले यह होता था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना, घर, जेवर आदि बेचकर अपनी प्रतिष्ठा समाज में बनाने के लिए मृत्यु भोज किया करता था । यह अच्छा ही हुआ कि मौसर पर बन्धन लगाया गया, और लोग इससे बच गये । इस चीज को इस बिल में विलोपित करने का जो प्रस्ताव है वह ठीक नहीं है । इसको विलोपित नहीं किया जाना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि जो आपने अयोग्यता की अवधि 6 साल की रखी है निश्चित रूप से उसको घटाकर 1 वर्ष किया जाय ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह मेरे सुझाव है । इस कारण से मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल, विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु संशोधन प्रस्ताव

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय । उपाध्यक्ष, महोदय, तीन मुख्य बातें इस बिल की हैं । पहली बात तो यह है कि पंच और सरपंच का चुनाव लड़ने की आयु जो है 25 साल उसके बजाय 21 साल की जाय दूसरी बात यह है कि मौसर के मुकदमों में जिनको सजा मिलती है उसको अयोग्यता नहीं माना जाय । तीसरी बात यह है कि अगर अयोग्य हो जाय तो एक साल के लिये हो जाय या उसकी अवधि दो साल की रखी जाय । तो, उपाध्यक्ष महोदय यह तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं । जैसा कि इसमें कहा गया है, पंचायत एक्ट में प्रावधान है कि मृत्यु भोज के सिलसिले में सजा पाये हुए व्यक्ति को ग्राम पंचायत का पंच या सरपंच रहने का कोई अधिकार नहीं है । मृत्यु भोज का कानून आज भी है । तो मृत्यु भोज कराने वाला आदमी पंच या सरपंच बने या न बने इस पर विचार प्रवर समिति में ही संभव होगा ।

एक प्रस्ताव है मतदाता की 18 साल की आयु रखने का । 21 साल की आयु कम करके 18 साल की जाय या नहीं, प्रवर समिति इस सदन की बनती है वह विचार करके इस बारे में निर्णय लेगी ।

इसी तरह से एक सीमा अयोग्यता की है । जब अयोग्यता की सीमा का सवाल आता है वह दो साल की हो, तीन साल की क्यों न हो ? सवाल यह है कि अयोग्यता क्या क्या

(श्री शंकरलाल)

हो, क्वालिफिकेशन क्या थया हो । यह धाराएं पंचायत एक्ट में है । इस तरह की बहुत सी बात है ।

जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए माननीय गिरधारीलालजी ने कहा था जनमत जानने की आवश्यकता तो तब होती है जब कि किसी चीज पर पूरी जनता के विचार जानने हों, यह तो जो कानून है उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है । किस प्रकार के डागाजी उसमें संशोधन लाये हैं यह देखना है । आपने कह दिया कि डागाजी विथड्रा कर लें और फिर सरकार संशोधन विधेयक लाये तो उससे क्या मतलब निकलेगा । इसलिये इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दें । मैं डागाजी से निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनाव निकट में नहीं है । पंचायतों के चुनाव अभी अभी हुए हैं । पंचायतों के चुनाव होने से पहले ये बिल लाये होते तो सोचा जा सकता था कि इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाय । मैं तो चाहता था कि पंचायतों के चुनावों के पहले ही यह बिल आ जाता....

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पहले ही पेश कर दिया था । पंचायतों के चुनाव होने से पहले ही मैंने इस बिल को पेश किया था ।

श्री शंकरलाल : आपने पेश तो कर दिया था लेकिन उस पर विचार होकर निर्णय नहीं हुआ । जब पंचायतों की मियाद खतम होगी, तभी पंचायतों के चुनाव होंगे । इसलिये इस सदन का उपयोग करना चाहिए और कानून ऐसा बनाना चाहिए ताकि बार बार संशोधन न करना पड़े । तो पूरी धाराओं पर विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । प्रवर समिति में इस पर पूरी तरह से सोचा जाय । फिर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ-जायेगी उस पर निर्णय लेकर कानून बना दिया जाये । इसलिए मैं निवेदन करूंगा प्रभारी माननीय सदस्य से कि प्रवर समिति में भेजने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष । श्री रामकृष्णदास गुप्ता ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल मूव किया गया है माननीय सदस्य द्वारा इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वाल्व्ड है । हमारे कई एक्ट्स के अन्दर प्राविजन है, जैसे कि इन्डियन पेनल कोड के अन्दर प्राविजन है, कि 18 साल पूरा करने के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी कान्ट्रैक्ट के अन्दर एन्टर होने का अधिकार है । 18 साल की उम्र की व्यवस्था इन्डियन पेनल कोड आदि में की गई है, तो 18 साल का विशेष अर्थ है । 18 साल की उम्र से कम उम्र वाला व्यक्ति यदि किसी महिला से शादी करता है तो वह आफेन्स है और 18 साल की उम्र पूरी करने पर किसी ने किसी महिला के साथ शादी कर ली तो it is valid. तो 18 साल की उम्र की एक इम्पार्टेन्स है । जितने भी कानून बने हुए हैं जैसे इन्डियन पेनल कोड आदि उनमें 18 साल की आयु को मान्यता दी है । मैं चाहूंगा जैसे कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में है, 18 वर्ष की उम्र वाले को वोट देने के अधिकार की मांग रखी है, और 18 साल के व्यक्ति को वोट देने के अधिकार की बात करते हैं तो 18 साल की अवस्था के व्यक्ति के लिए

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव में खड़े होने के लिये 25 साल की उम्र हो या 21 साल की उम्र हो, इसका बहुत माकूल अर्थ नहीं है। हम इस तरीके की उम्र फिक्स करें कि बच्चे में इतना विवेक आ जाय। उम्र का मतलब यही है। 15 साल के बच्चे को अधिकार इसलिए नहीं दिया है कि उसमें इतना विवेक नहीं होता है कि वह सही और गलत की बात कर सके। भारत में जितने भी कानून अभी मौजूद हैं उनमें 18 साल की अवस्था वाले को विवेकशील माना है। इसका मतलब है कि 18 साल की उम्र वाले व्यक्ति में इतना विवेक आ गया है कि वह चुनाव में खड़ा हो जाय, चाहे वह पंच के लिए हो, चाहे सरपंच के लिए हो, चाहे विधान सभा के लिए हो, चाहे पार्लियामेंट के लिए हो। तो 18 साल की अवस्था इसमें होनी चाहिए। मुझे आशा है कि जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार 18 साल की उम्र वाले को वोट देने का अधिकार होगा। आज कानून में जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और जिस व्यक्ति को इतना विवेकशील माना गया है कि वह अपने प्रतिनिधि चुने तो इस व्यक्ति में इतना विवेक भी है कि वह सही गलत समझ सकें। सरकार में 18 साल के व्यक्ति को नौकरी पाने का अधिकार है तो, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये से मैं जनता सरकार से चाहूंगा और मांग करूंगा कि राष्ट्रीय पैमाने पर विचार करना छोड़-कर कि अशोक मेहता की कमेटी बठी हुई है या राष्ट्रीय सवाल है, हमें चाहिये कि जो स्टेट इश्यू है उसमें सारे राष्ट्र का मार्ग दर्शन राजस्थान करे। राजस्थान पहला राज्य होना चाहिये जिसमें 18 साल की उम्र का व्यक्ति पंचायत एक्ट में पंच बन सके। 18 साल का व्यक्ति सरपंच बन सके, 18 साल का व्यक्ति प्रधान बन सके और 18 साल का व्यक्ति जिला प्रमुख बन सके। ये सब अधिकार उसे होने चाहिये। इसकी पहल राजस्थान से क्यों नहीं हो?

दूसरा जो अमेन्डमेंट सजेस्ट किया गया है वह मोरल टर्पिट्यूड में डिसक्वालिफिकेशन का पीरियड 6 साल से घटाकर दो साल किया है। किसी भी व्यक्ति को सेवाओं से बर्खास्त करने में घूसखोरी से लेकर अन्य सारे आफेन्स आते हैं और वे सब मोरल टर्पिट्यूड में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जिसने अवसर मिलने पर अपने अधिकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग किया हो, के हाथ में प्रजातान्त्रिक शक्तियों को देना कहां तक न्यायोचित होगा? अगर कोई भी व्यक्ति एक बार मोरल टर्पिट्यूड में दोषी पाये जाने के बाद दुबारा राजकीय सेवाओं में नहीं लिया जा सकता है तो उसको पंच या सरपंच बनने का क्या अधिकार है? जब राजकीय सेवाओं में दुबारा नहीं आ सकता है तो उसको पंच या सरपंच बनने का अधिकार क्यों दें? सरपंच बन कर तो राजकीय कर्मचारियों को वह आदेश देगा क्योंकि जो बी. डी. ओ. और तहसीलदार होते हैं, उनको उनके अधीन काम करना होता है। तो मोरल टर्पिट्यूड में दोषी पाये जाने पर डिसक्वालिफिकेशन के पीरियड में सरकार दुबारा संशोधन करें तो फिर 6 साल ही क्यों, कभी भी पंच और सरपंच बनने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गंभीरता से और विवेकशील होकर सोचना होगा।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

माननीय सदस्य स्वयं इसे वापस लेना चाहें तो वापस ले लें वरना यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । प्रवर समिति अपने वेल्युएबल सुझाव इस सदन को दे । यह दोनों रास्ते है । विधि मंत्री जी इस पाइन्ट पर सोचेंगे और सरकार मौन चिन्तन और मन्थन में लगी रहे तो शंकरलाल जी का जो प्रस्ताव है वही माना जाय । इसमें सदन का गौरव होगा ।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ कहना है ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा, माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उनके सुझाव पर भी बाद में माननीय मंत्री जी कह दें ।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 साल की उम्र के नौजवान को मताधिकार दिया जाय और अन्य सारे अधिकार दिये जाय, इसके लिये हम लोग निरन्तर लड़ते रहे है । डा० लोहिया ने जो कहा था वह विचार आज आया है पिछले 30 सालों में कांग्रेस शासन में उस विचार को माना नहीं । आज माननीय सदस्य लाये हैं यह बिल और इसमें भी डरते-डरते संशोधन किया हैं, क्योंकि जो कमजोर हैं वह वास्तविकता से आंख नहीं मिला सकता हैं । जैसा गुप्ता जी ने कहा, 18 साल की उम्र वाले को पंच बनाना चाहिये, सरपंच बनाना चाहिये और भी जो पोस्ट और अधिकार हैं वे उसको मिलने चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप जानते है 18 साल का आदमी प्रापर्टी बेच सकता है, प्रापर्टी खरीद सकता है, रजिस्ट्री करवा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह शादी कर सकता है कोर्ट के जरिये से । इतने महत्वपूर्ण काम 18 साल की उम्र का आदमी कर सकता है लेकिन आज जो व्यवस्था है उसमें 18 साल के आदमी को, नौजवान को वोट के राइट से वंचित किया हुआ है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सारा सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे । जैसा मध्य प्रदेश ने कर किया है, 18 साल के नौजवान को वोटिंग का राइट दिया है उसी प्रकार राजस्थान में जनता सरकार अपने मेनिफेस्टो के हिसाब से 18 साल के जवान को मताधिकार दे । आज जो अनुशासनहीनता दिखती हैं और जो वातावरण बना हुआ है जिसका विपक्ष के माननीय सदस्य लाभ उठाते हैं अगर आप चाहते है कि उस नौजवान को कुछ उत्तरदायित्व दे तो उसको वोटिंग का दायित्व दे । इसलिये इस प्रश्न पर मन्त्री महोदय विचार करे ।

दूसरा जो संशोधन किया है मृत्यु भोज वाला, उसके लिये लिखा है—

"This omission will bring back the social workers to the Panchayats."

जो लोग मृत्यु भोज करते हैं, पैसों का अपव्यय करते है उनको अगर वे सोशल वर्कर समझते हैं तो ऐसा सोशल वर्कर उन को मुबारक है ......

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सूची के क्रम के अनुसार विषयों पर विचार

श्री रघुनाथ विश्नोई : व्यवस्था का प्रश्न है । जो संकल्प मैंने पिछले ... रखा था और जो अनिर्णी... कायदे से उस...

((श्री रघुनाथ विश्नोई)

आना चाहिये। हमेशा यही परम्परा रही है और रूल्स में भी है कि सर्व प्रथम अनिर्णीत संकल्प पर गवर्नमेंट रिप्लाई होने के बाद या निर्णीत होने के बाद में दूसरा विषय आना चाहिये। आज दिन तक यह परम्परा रही है इसलिये गवर्नमेंट रिप्लाई होने के बाद……

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता: "2 अक्टूबर, 1977 से सारे राजस्थान में शराबबन्दी लागू की जाय" वह संकल्प तो अपने आप डेड हो गया, क्योंकि 2 अक्टूबर, 1977 तो जा चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप अपनी बात कह दीजिये। गवर्नमेन्ट रिप्लाई का समय चाक आउट हुआ है इसलिये आज गवर्नमेन्ट रिप्लाई हो और उसके बाद निर्णीत हो। यह रूल्स में भी है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, एक मुझे भी निवेदन करना है। कार्य सूची के अनुसार काम होना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज का जो बिजनेस है उसमें यह फर्स्ट आइटम है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : माननीय सदस्य ने कहा कि संकल्प डेड नहीं हुआ है। शराबबन्दी होगी तभी जीवित रहोगे, अन्यथा नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने कभी शराबबन्दी न होने के बारे में नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा है। मै तो स्वयं इसके पक्ष में हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में समय शराबबन्दी के लिये दिया गया है, उससे अधिक माननीय सदस्य क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का यह प्रश्न तो ठीक है कि माननीय मन्त्री महोदय का जवाब आ जाना चाहिये लेकिन उस पर डिस्कशन इसलिये नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा, संकल्प में था कि 2 अक्टूबर, 77 से शराबबन्दी लागू की जाये तो 2 अक्टूबर की तारीख तो चली गई। इसलिये वह संकल्प स्वतः ही समाप्त हो गया। अब सरकार की नीति क्या है इस बारे में मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट हो सकता है लेकिन रिजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये मैंने विचार सुन लिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 2 अक्टूबर, 1977 से शराब बन्दी लागू हो, यह रिजोल्यूशन है। मन्त्री महोदय का जवाब हो सकता है। उनकी नीति क्या है। मेरा निवेदन है यह फर्स्ट आइटम है इसलिये पहले यह आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की जो कार्य सूची है उसमें जो विचारार्थ बिल है, पहले उस पर विचार होना चाहिये। उसके बाद जो स्थिति होगी, उस पर विचार करेंगे।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1977

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था

(श्री ईश्वरचन्द्र)

कि यह बिल जिस मंशा से लाया गया है और पंचायतों के चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिलाने के लिए जिस प्रकार के शब्द माननीय सदस्य ने लिखे हैं वे घोर आपत्तिजनक हैं। वे निश्चय ही मृत्यु भोज जैसी कुरीति को एनकरेज करेंगे। जो मृत्यु भोज करता है वह दोषी सिद्ध होने पर भी पंचायतों के चुनाव लड़े, जनता का प्रतिनिधि बने, यह जो व्यवस्था इन्होंने इसमें रखी है, इससे एक तरह की जो बहुत बड़ी कुरीति है मृत्यु भोज की उसको राजस्थान में हम कभी खतम नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत जगह इस तरह की परिपाटी है कि जीवित अवस्था में भी व्यक्ति मृत्यु भोज कर देता है। शायद माननीय डागाजी भी इसी मंशा से बिल लाए हैं कि वे अपना मृत्यु भोज भी कर दें और डिस्क्वालिफाई भी नहीं हों।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि यह जो बिल रखा है, यह राजनैतिक अधिक है, इसमें चिंतन कम है। हमारी सरकार इस बारे में सजग है। जनता पार्टी का जो मैनीफेस्टो है उसको अगर माननीय सदस्य पढ़ लेते तो वह बिल नहीं लाते। चूंकि आपकी भावना शुद्ध नहीं है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्दजी, मैंने जिस समय आपका नाम पुकारा था आप यहां पर नहीं थे। फिर भी अभी आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : संक्षेप में ही कहूंगा। इसमें लम्बा चौड़ा बहुत कहने को है भी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस विधेयक में यह प्रावधान रखे हैं कि पंच सरपंच के चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल की जगह 21 साल की जावे और छः साल की डिस्क्वालिफिकेशन घटा कर दो साल की जावे, ये दोनों ही प्रस्ताव स्वागत योग्य हैं। 18 साल की उम्र वोट देने के लिए रख दी जाय। जहां तक शादी करने की बात है, 18 साल से 21 वर्ष उम्र बढ़ावे का अभी अमेंडमेंट हो गया है, शादी के लिए और उम्र बढ़ाई गई है। इसलिए यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। सोचने का सवाल यह नहीं है कि 18 साल की उम्र में शादी कर सकता है या नहीं। इसके लिए अमेंडमेंट अलग से लाये हैं। लेकिन वोट देने के लिए जो 18 साल की उम्र का प्राविजन माननीय सदस्य डागा साहब ने रखा है यह बहुत ही सही रूप से रखा है।

एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि अगर कोई मृत्यु भोज करता है तो मृत्यु भोज करने के बाद भी उसे सोशल वर्कर कहना अच्छा नहीं मालूम देगा। उनको शायद पता नहीं कि केवल मृत्यु भोज करने वाले को ही दण्ड नहीं मिलेगा बल्कि जो मृत्यु भोज में सरपंच शामिल होते हैं, गांव

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

के दूसरे लोग किसी न किसी तरह से उसमें शामिल हो जाते हैं उनको भी सजा मिल जाती है और उन पर जुर्माना हो जाता है। जब आप मानते हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बर और विधान सभा के मेम्बर जब इस तरह से डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं तो कमीशन को ऐसे अधिकार हैं कि वह उसमें रिलेक्सेशन कर दे, तो इस प्रकार के लोगों, जिन लोगों के साथ इस प्रकार की कोई बात हो, को अगर छः साल के लिए डिस्क्वालिफाई कर दें तो उचित नहीं है। किसी नासमझी की वजह से या और वजह से ऐसा हो सकता है। आप यह न समझें कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप इस बात को इस तरह न लें जिस तरह से आप ले रहे हैं। इसमें कोई राजनैतिक रंग या कलर नहीं है। आपने कहा कि इसमें राजनैतिक रंग और कलर है। यह भी कहा कि हम अगर जनता पार्टी के मेनीफैस्टो को पढ़ लेते तो इसको लाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका मेनीफेस्टो ही पढ लें और आपके मेनीफेस्टो से ही सारा काम चल रहा हो, या आपके मेनीफेस्टो से सब काम हो जायं तो मैं कहूंगा कि इस सरकार के डूबने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो आपका मेनीफेस्टो या और नौ महीने में जिस तरह से सारा काम हुआ हैं अगर आप इसको उसी नजरिये से देखते हैं तो यह आपके लिए सोचने का एक विषय है। आप बार बार उसी बात की दुहाई दे रहे हैं। जैसे आपने कहा, मैं भी इस हाउस में कहना चाहता हूं, चाहे डागा साहब इस अमेंडमेंट को रखें या चाहे दूसरे अमेंडमेंट रखें, पंचायतों के चुनाव हो गए लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव तीस साल तक भी राजस्थान में नहीं होने वाले हैं। यह बिल चाहे प्रवर समिति को सुपुर्द करें, चाहे आप कहीं रखें, चुनाव होने वाले नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जो डागा साहब ने बिल रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्दजी जैन। बहुत संक्षेप में आप कह दें, क्योंकि मंत्री महोदय को भी निवेदन करना है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, डागा साहब ने जो गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है जरूर उनके कुछ सुझाव मानने योग्य हैं और कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको कत्तई नहीं माना जा सकता। वार्ड पंच के बारे में मैं बाडमेर जिले का अनुभव कह रहा हूं। वार्ड पंच की एज 21 साल होने से ऐसा मैंने पाया है कि जो सेकण्डरी पास है, हायर सेकण्डरी पास है परन्तु उनकी एज 22 साल की है इसलिए वार्ड पंच के चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए योग्य वार्ड पंच पंचायतों में नहीं मिलते। ऐसे उप सरपंच बनते हैं जो सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं, इतने ही पढ़े मिलते हैं। जब कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में हम शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो नवयुवकों को अगर वार्ड पंच का अवसर मिलता हैं, 21 साल से 25 वर्ष तक के बच्चों को पंच और सरपंच बनने का अवसर मिलता है तो इन लोगों को बहुत ही लाभ होता है। तो इसलिए यह जो प्राविजन है वास्तव में गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के प्राविजन के लिए या तो अपना अमेंडमेंट रखे

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

या इनके अमेंडमेंट को मान लें लेकिन यह प्रोविजन करना चाहिये।

दूसरा जो सजेशन है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 है, यह थोड़ा डिफेक्टिव रहा है। यह सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने का कानून है। फिर भी वास्तव में यह सामाजिक कुप्रथा प्रचलित है। आज भी मृत्यु भोज होते हैं, हम भी आंखें मून्द लेते हैं, सरपंच भी आंखें मून्द लेते हैं, जन प्रतिनिधि आंखें मून्द लेते हैं। इसके बारे में सख्त प्रोविजन रहना चाहिये। इस तरह का आफेंस करने वालों को हम दण्डित करें। वार्ड पंच और सरपंच के लिए खड़ा होने के लिए जो कानून बनाया है वह बहुत ठीक बनाया हुआ है। वह इसी भावना को लेकर बनाया गया है कि इस प्रकार की सामाजिक कुप्रथा में जो लोग शामिल होते हैं उनको वार्ड पंच या सरपंच नहीं बनाया जाय। तो यह प्रोविजन जो बनाया गया था वह बिल्कुल ठीक बनाया गया था। यह जो डागा साहब ने प्रस्तुत किया है यह बिल्कुल ठीक प्रस्तुत नहीं किया है। किस दृष्टिकोण से यह प्रस्तुत किया है? क्यों यह कोशिश कर रहे हैं कि यह सामाजिक कुप्रथा कायम रहे? क्यों इस प्रकार की सामाजिक कुप्रथा कायम रखना चाहते है? यह दृष्टिकोण बहुत ही गलत दृष्टिकोण है यह सिक्स-ईयर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है वह इसी दृष्टिकोण से रखा गया है कि एक पंचायत में कोई पंच, सरपंच इस कारण से डिस्क्वाफाई हो जाता है या मोरल टर्पिट्यूड के कारण से डिस्क्वालिफाई हो जाता है तो वह दूसरी दफा छः साल के बाद ही खड़ा हो सकता है। वैसा ही प्रोविजन असेम्बली के लिए है। असेम्बली का सदस्य अगर डिस्क्वालिफाई होता है तो वह छः साल के लिए ही डिस्क्वालिफाई होता है। यह प्रोविजन भी सही है।

अब प्रश्न यह होता है कि पंचायतों के चुनाव हुए लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव आप नहीं करायेंगे। तो मेरा तो खास तौर से यही कहना है कि ऐसा न हो कि यह जो पंचायतों के चुनाव कराये हैं उसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव न करायें और अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार करें। अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट आये वह इस प्रकार की रिपोर्ट आए जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए अलग प्रोसीजर बता दें और अभी जो जिला परिषदों और पंचायत समितियों में वार्ड पंचों से चुनाव होते हैं, इससे भिन्न रिपोर्ट दे दे तो एक प्रकार से विषम स्थिति पैदा हो सकती है। जो पंच सरपंच निर्वाचित हुए उनके दृष्टिकोण से ही, पंचायत समितियों में वार्ड पंचों का वोटिंग होगा, उस आधार पर पंचायत समितियां बनेगी और जिला परिषदों का भी इसी प्रकार से गठन होगा, जो पिछला कानून था उसी आधार पर उनके चुनाव होंगे। ऐसा न हो कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट इससे भिन्न आए और जो हम ढांचा बनायें वह और इन पंचायतों के चुनाव अनकांस्टीट्यूशनल हो जावें। तो इसके बारे में देखने की आवश्यकता है और गौर करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और जो चुनाव कराये गये हैं वह सब अवै-

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

धानिक हो जावें तो जो खर्चा हुआ है वह व्यर्थ जाएगा और जो पंचायतों के पंच सरपंच आए है वे भी सन्तुष्ट नहीं होगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्रीजी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही बहुत निवेदन हो चुका है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं इसके खिलाफ में बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को आउट राइट रिजेक्ट करना चाहिये और इसलिए करना चाहिये कि इसमें यह प्रोविजन है, 18 वर्ष की आयु का कोई भी वोटर हो सकता है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि 21 वर्ष की आयु वाले को आप सरपंच बनाना चाहते हैं, जिनको कि आपने न्याय पंचायत के अधिकार दिए है। आप यह चाहते हैं कि न्याय पंचायतों का काम वह करे, गांव क विकास का काय वह करे। ये सारे काम आप एक व्यक्ति, सरपंच के जिम्मे करना चाहते हैं। मेरी यह मान्यता हैं और मेरा यह तजुर्बा है, जिन्दगी भर का तजुर्बा है कि जिन्होने भी यह कानून बनाया है, वह विचार करके ही बनाया था। जो 21 वर्ष का नवयुवक अभी तक स्कूल, कालेज में पढ़ता है, और जिसका कि केरियर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वह इलेक्शन लड़ कर सरपंच बनेगा तो वह क्या करेगा? यदि वह गांव का सरपच बन जाता है तो वह इस दायित्व को नहीं सम्भाल पाएगा। दोनों तरह के काम वह नहीं कर पाएगा। यह बिल तो इसलिए है कि छात्रों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनको यह दिखाना चाहते हैं कि हम आपको, छात्रों को कितना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हीं यह सारी बात है। मेरी यह निजी धारणा है कि जो पुराना कानून है, वह रहना चाहिए। मैं यह जरूर चाहता हूं कि पुराने कानून में जो डिफेक्ट्स है उसमें अमेंडमेंट आने चाहिए। जो मृत्यु भोज की बात है, उसको भी गम्भीरता से देखना है····

श्री शंकरलाल : इसीलिए तो मैंने यह कहा है कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए····

श्री खेतसिंह राठौड़ : सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने से भी यह समस्या हल नहीं होगी। प्राइवेट मेम्बर के बिल को गवर्नमेंट नहीं मानेगी। वह उसको रिजेक्ट कराएगी। इसलिए यह अच्छा होगा कि मन्त्री महोदय या सरकार यह आश्वासन दे, पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, निश्चित तौर से आज की भावनाओं को मद्देनजर रख कर पंचायत कानून में जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक अमेन्डमेंट बिल वह सदन में जल्दी से लाएगी। इस प्रकार का आश्वासन सरकार से मिलने के बाद इस बिल को रिजेक्ट किया जाना चाहिये।

श्री मन्जूर अली : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब समय नहीं दे सकूंगा।

विधि मन्त्री महोदय।

श्री सूर्य नारायणसिंह चौधरी (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मूलचन्द जी डागा ने जो बिल विचारार्थ पेश किया है, उसके सम्बन्ध में अभी जो माननीय खेतसिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए, उससे मैं सहमत हूं। अभी चूंकि चुनाव हो चुके है पंचायतों के, इसलिए इन चुनावों को देखते हुए, पंचायत कानून में जो संशोधन माननीय डागा साहब ने प्रस्तावित किए हैं, उनकी फिलहाल आवश्यकता. अनिवार्यता अथवा इतनी जल्दी में इनको विचार हेतु लेकर स्वीकार करने में कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

इसमें माननीय डागा साहब ने जो तीन संशोधन बताए हैं, प्रस्तावित किए हैं, उनके सम्बन्ध में हम लोगों का सरकार की तरफ से जो दृष्टिकोण है वह यह है कि मौजूदा स्ट्रक्चर को टू टायर या थ्री टायर सिस्टम रखा जाए, इस पर विचार चल रहा है। पंचायत एक्ट के अन्दर संशोधन करने के लिए जो सुझाव रखे गये हैं, उन पर भी सरकार की तरफ से विचार होगा। निश्चित रूप से वह नान कन्ट्रोवर्शियल चीज होगी। इसमें प्रतिपक्ष को विश्वास में लिया जाएगा। विचार विमर्श के बाद में व्यापक संशोधन या व्यापक प्रस्ताव सरकार की तरफ से पूरे पंचायत अधिनियम के संदर्भ में पेश किए जायेंगे। यह आश्वासन मैं देना चाहता हूं सरकार की तरफ से। यह आश्वासन देते हुए मैं माननीय श्री डागा साहब से अनुरोध करूंगा कि वे इसके ऊपर पुनर्विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं उन सब का आभारी हूं जिन्होंने इस विषय पर अपनी बात कही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह बात कही है उसका सारा दारोमदार यह था, आज की सारी थिंकिंग यह है कि 18 वर्ष की आयु वाले को मतदाता होना चाहिए। बड़ी मेहनत से तारकुंडे ने जो रिपोर्ट बनायी उसमें यह कहा कि 18 वर्ष की आयु वाले को मतदान का, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। युवकों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए ताकि युवक अपने तरीके से काम कर सकें। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, इस बात को जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में माना है और हमने भी इस बात को कहा था कि 18 वर्ष की ऐज किसी की हो जाती है तो उसको मतदाता मानना चाहिए। पंच या सरपंच का चुनाव लड़ने वाले के लिये जो उम्र आज 25 साल रखी गयी है वह 21साल रखी जाए। मैंने, मान्यवर, यह इसलिए रखा है कि आजकल लोगों के अन्दर शिक्षा फैली है, गांवों के अन्दर पढ़े लिखे युवक मिलते हैं। ये युवक आदर्शवादी, उत्साही हैं और काम करना चाहते हैं। उत्साही युवक जो काम करना चाहते हैं, उन लोगों को आप काम से वंचित क्यों करना चाहते है ? इसलिये कि उम्र कम है। उम्र से ही आदमी अक्ल वाला नहीं हो जाता है। ज्यादा उम्र के बूढे भी देखे हैं। मैं इस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता। इधर बैठने वाले माननीय खेतसिंह जी ने कहा, उम्र से ही अक्ल नहीं आती है। कोरा अनुभव उनका होता है। परन्तु आज लड़के होशियार होते हैं। समझ रखते हैं। कुछ तो बहुत ही होशियार होते हैं। कुछ लोगों की चाहे उम्र 80|90 वर्ष

(श्री मूलचन्द डागा)

हो जाए फिर भी वे जीवन भर देवता की तरह रहते हैं। उन लोगों की बात मैं नहीं करता। सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है उसके सम्बन्ध में जब कभी यह आर्गूमेंट करते हैं माननीय सदस्य...

श्री माधोसिंह : उम्र का भी तकाजा होता है। माननीय सदस्य, जो उधर बैठे हैं, उनकी जो उम्र है और जो तजुर्बा है, वह भी आप समझ लीजिए। जितनी उम्र उतना ही तजुर्बा होगा, यह समझ लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल नहीं है।

आज देश में यह बात चल रही है। लोगों के दिमाग में यह बात है। जो उत्साही नवयुवक हैं, जिसने यौवन की देहली पर पांव रखा है, जो काम करना चाहता है उसको आगे बढ़ाया जाए। आप कह रहे हैं इनको पीछे रखो। मैंने यह बिल पंचायतों के चुनाव होने के पहले ही यहां पर रख दिया था। बाद में नहीं रखा है। एक बात कहना चाहता हूं। आज भी कई पंचों के चुनाव होंगे और सरपचों के चुनाव होने वाले हैं। वैसे यह बात अलग है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर विज्ञान मोदी का भैरोंसिंह जी के स्थान पर और माधूसिंह को मोरारजी के जगह पर लगा दो।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत है। आज भी सबसे बड़ा बैठा है मुख्य मन्त्री के पद पर।

मोहनलाल सुखाड़िया भी कम उम्र में मन्त्री बने थे। आपकी यह सारी बात गलत है। ये बड़े लोग हैं। उम्र के हिसाब से आप देखते हैं इसका मुझे बड़ा दुःख है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : खेतसिंह जी के कन्जरवेटिव व्यूज हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य ने यह कही कि विरोधी दल का कोई सदस्य बिल पेश करे तो सरकार का यह काम है कि उसको रिजेक्ट करे। मैं इस बात को जानता हूं, कोई अच्छी बात करता है, मुझे इस बात की खुशी है। आप बोलने लगे, इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। माननीय श्री शंकरलालजी ने कहा इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाए क्योंकि इसमें एक मृत्युभोज वाली बात है। श्रीमान्, मैंने यह इसलिए कहा है कि जो मृत्युभोज एक्ट बना है, वह क्यों बना है, मृत्युभोज की किसी पंच ने इत्तला नहीं की, उसने इन्फार्मेशन नहीं दी तो वह डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। यह उसको सजा होगी। मैं इसको पढ़ देता हूं....

"Any such Sarpanch, Panch Patwari or Lambardar, failing to give information required by sub-section (i)" her is punishable.

इन्होंने यह भी कर दिया कि कोई आदमी खाना खाने चला जाये उसको डेप्राइव कर दिया जायगा।

"No person shall hold or give or join or take a part in a Mrityu Bhoj."

(श्री मूलचन्द डागा)

जो कोई आदमी चला भी गया और उसने परोपकारी कर दी तो उसका क्या होगा ? He is deprived. मृत्यु भोज में शामिल होने के कारण उसको हटा दिया। आज के वैज्ञानिक युग में किसी को 6 साल तक के लिए डिस्क्वालिफाई करके रखना क्या उचित है ?

श्री अयूब खां : उपाध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी सो रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पार्लियामेंट के अन्दर 25 साल का व्यक्ति मेम्बर बन सकता है। मेम्बर आफ पार्लियामेंट 25 साल का बन सकता है इसलिये मैंने कहा कि पंच-सरपंच 21 साल का होना चाहिए। 25 साल का व्यक्ति पार्लियामेंट का मेम्बर बन सकता है, असेम्बली में आ सकता है लेकिन जब हमने कहा कि 21 साल का व्यक्ति पंच सरपंच बन सकता है, तो आप कहते हैं कि वयोवृद्ध होना चाहिए।

यह मोरल टर्पिट्यूड क्या है ? यह एक बड़ी वाइड टर्म है। मोरल टर्पिट्यूड को डिफाइन नहीं किया है। 1957 का एक पंजाब का जजमेंट है-"The term 'moral turpitude' is rather a vague one and it may have different meanings in different contexts."

सपोज कीजिए आपने ग्रेन बेचने का लाइसेंस ले लिया और किसी मामले में सजा हो गई तो 6 साल के लिये डिस्क्वालिफाई हो गये। मेहरबानी करके जो आजकल डिस्क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। आज आदमी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। आज विश्व की दूरी खतम हो गई है। रोज हमारी नयी जिन्दगी शुरु होती है। कल की कमजोरी पर हमें आज नहीं जीना है। कल पाप किया था उसके लिए आज सजा दी जाये, यह नहीं होना चाहिए। समाज में कल कुछ हुआ होगा। मैंने दो साल डिस्क्वालिफिकेशन का पीरीयड दिया तो हमारे बड़े आदर्शवादी नेता जोरों से कहने लगे, इस प्रकार से तो भ्रष्टाचार फैल जाएगा। 6 साल के पीरियड के लिए डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाय।

श्रीमान्, विधि मन्त्री के पास हमारे सवाल का कोई उत्तर नहीं। हमारे भटनागर साहब कहने लगे, पंच और सरपंच के चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल क्यों, 18 साल रख दो। ये मेरे से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। अभी आपके राजनारायण ने कहा है, 21 साल कर दो। इस पर जनता पार्टी के तीन सदस्य बोले हैं उन तीनों ने यह कहा है। सब ने यह कहा है। मैं कहना चाहता हूं, 21 साल के युवक को आगे आने दीजिए।

मैंने कहा था, मृत्यु भोज कानून बनाया, वह डिफेक्टिव है। आज तक कितने मृत्यु भोज किए गये हैं ? सरकार आंकड़े बताये उनमें से कितनों को सजा हुई है ? मुश्किल से सारे साल में एक दो केसेज होते हैं। यह बहुत डिफेक्टिव है। यह ऐसा कानून है, जो अलमारी में सजाने के लिए है। यह ठीक है, जनता पार्टी वाले यह बिल नहीं लाये थे। शंकरलाल जी ने कहा है, इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए। मैं भी चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस बिल को सलेक्ट कमेटी में रखा जाये। यह बड़ा प्रोग्रेसिव बिल है। यह बिल उस

(श्री मूलचन्द डागा)

वक्त रखा था जब चुनाव होने वाले थे। नहीं तो सारा बिल अमेण्डमेण्ट करके रखता। सरकार कुछ करने नहीं देती है। आप बहुमत में हैं इसलिये आपने कहा है इसे रिजेक्ट किया जाय। बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। मैं तारीफ करूंगा। आपने जो भाषण दिया उसको कोई पढ़े और कोई हमें यह समझाये कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह ख्वामाख्वाह कह दिया है। आगे का फैसला और है।

श्री मूलचन्द डागा। श्रीमन्, इन्होंने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए कहा है। मेरा निवेदन है या तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये ताकि राजस्थान में इसके ऊपर चर्चा हो। पंचायतों का मामला है इस पर जनता की क्या ओपीनियन है उसको लीजिए। उसके बाद आप अमेण्डमेण्ड लाना चाहते हैं आप लायें। मन्त्री जी चले गये बिना जवाब सुने। उन्होंने कृपा की, वह चले गये हैं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब आप भी चले जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य ने जो बिल इण्ट्रोड्यूज किया है, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है। अब इस स्टेज पर बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य डागा जी का जो अमेण्डमेण्ट है, उसके बारे में कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहा है? यह मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा अब जो अमेण्डमेण्ट है, उस पर सदन की राय जानना चाहूंगा। एक संशोधन प्रस्ताव है इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि राय लेने से पहले माननीय सदस्य से जानकारी कर ली जाय कि वह प्रेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहें तो विदड्रा कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने हेतु जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा प्रस्ताव है, प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संबंध में, माननीय शंकरलाल जी का।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदड्रा नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रस्ताव विचारार्थ लिये जाने के संबंध में।

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य मूलचन्द डागा ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसे विचारार्थ लिया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

व्यवस्था

संकल्प सत्रावसान पर व्ययगत

माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई के संकल्पके संबंधमें मैंनिवेदन करना चाहूंगा कि नियमानुसार जो एक बार संकल्प प्रस्तुत हो चुका है, वह डेड नहीं होता है अलाइव रहता है। माननीय सदस्य चाहें तो नियम 257 में विथड्रा कर सकते हैं। नियमानुसार यह स्थिति है कि संकल्प समाप्त नहीं होता है। नियम 115 में डिबेट हो चुकी है, इसलिए यह अलाइव है। इस पर जो चर्चा करना चाहें वह कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले गवर्नमेंट का रिप्लाई आना चाहिये उसके बाद ···

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : प्रश्न में यह है कि या तो माननीय सदस्य, जिन्होंने संकल्प रखा है वापस ले लेंगे या फिर उस पर बहस होगी। मैं चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण ···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि "सदन की राय में दिनांक 2 अक्टूबर, 1977 से सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दी जाय।" मैंने इसमें एक संशोधन दिया है कि यह तारीख 2 अक्टूबर, 1978 कर दी जाय क्योंकि 2 अक्टूबर, 1977 समाप्त हो गई है। यदि संकल्प इसी रूप में पास हो जाता है तो जो शराब की दुकानें खुल चुकी हैं वह क्या वापस बन्द की जायेंगी और की जायगी तो पिछली तारीख से कैसे होगी ? जिन्होंने शराब पी ली है उनके पेट से कैसे वापस उगलवाई जायगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह संकल्प बिल्कुल निर्जीव हो गया है, निष्प्राण हो गया है। जनहित में इसको वापस ले लेते तो बहुत बढ़िया होता। वापस नहीं लेते हैं तो 2 अक्टूबर, 1977 के बजाय 2 अक्टूबर, 1978 समझा जाकर डिबेट शुरू हो।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह तो ठीक है। आपने 257 का हवाला दिया है। अगर सत्र की समाप्ति पर समाप्त होता है, सत्र की समाप्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। जो संकल्प प्रस्तुत किया गया उसमें 2 अक्टूबर, 1977 थी, वह तारीख चली गई है इसलिए वह प्रस्ताव स्वतः ही गिर गया है। इसलिए रूल 257 इस पर लागू नहीं होता। 2 अक्टूबर, 77 से यह लागू होना असंभव है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो संशोधन रखा…

श्री शंकरलाल : प्रस्ताव ही नहीं रखा तो संशोधन रखने का प्रश्न कहां है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं आपको संशोधन पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कोई प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हो तब ही…

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में और भी ऐसा प्रावधान है…

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसमें 'हो' लगाकर हाउस को अधिकार दे दें तो इस संकल्प पर चर्चा की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उस पर जो व्यवस्था दी गई है उसमें मैं परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझता। माननीय गिरधारी लालजी ने कहा है कि इसमें संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाय। वे चाहें तो संकल्प पर उस आधार पर विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां तक संकल्प का सवाल है इस पर चर्चा हो सकती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1978 आ गया है और इस संकल्प को 2 अक्टूबर, 1977 से लागू करना चाहते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि "2 अक्टूबर, 1977" के स्थान पर "2 अक्टूबर, 1978" प्रतिस्थापित कर इसे संशोधित रूप में पढ़ा जाय और इस पर विचार हो। यह मेरा संशोधन है।

श्री मथुरा दास माथुर : कोई शेरो शायरी हो जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैने व्यवस्था दे दी है, बार बार चैलेंज न करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य ने कोई संशोधन दिया है, और माननीय सदस्य, जिन्होंने अपना संकल्प रखा है वापस नहीं लें तो उस हालत में 1978 वाला प्रकरण आ गया है, उसका निराकरण करें।

संशोधनों की व्याप्ति

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कोई भी संशोधन इस पर नहीं आ सकता। रूल 265 में यह है कि संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत………

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा रूल ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 265, Sir। 'संशोधन उस प्रस्ताव से सुसंगत तथा उसकी व्याप्ति के भीतर होगा जिस पर वह प्रस्थापित किया जावे।" तो यह संकल्प प्रस्थापित हुआ है, आज नहीं हो रहा है। इस कारण इस पर कोई भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं आ सकता और नहीं आ सकता इसलिए इस पर विचार हो चुका है। आपको अधिकार है…

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह संशोधन मैंने पहले रखा है, यह "शराब बन्द की जाय" के प्रस्ताव की व्याप्ति के भीतर संशोधन है। बीकानेर के

(103)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

वकील साहब अगर इसको पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा, यह उसकी व्याप्ति के भीतर है। मैंने 78 का संशोधन रखा है, अब यह हाउस की मर्जी पर है, इसको चलाना चाहता है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संशोधन के बारे में पहले सदन की राय ली गई और संशोधन के बारे में व्यवस्था दे दी गई है। ओरिजनल रिजोल्यूशन अलाइव है। मैं माननीय मनोहरसिंह जी मेहता से अपने विचार व्यक्त करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "1977" के स्थान पर "1978" कर दिया जाय। आप सदन की स्वीकृति ले लें।

श्री ईश्वरचन्द्र : पहले चर्चा 77 पर या 78 पर होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों पर ही कर सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों पर कैसे होगी''''

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गिरधारीलालजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं डिबेट चालू कर रहा हूं ओरिजनल रिजोल्यूशन पर। माननीय मनोहरसिंहजी मेहता उस पर बोलेंगे, आपके अमेण्डमेन्ट पर नहीं।

अशासकीय संकल्प
2 अक्टूबर, 1977 से सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराब-बन्दी

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष जी, आज के इण्डियन एक्सप्रेस में आप लोग देखेंगे उसमें लिखा है कि–

"The Centre will make good 50 percent of States' established excise revenue losses each year as a result of prohibition. The compensation will start from 1978-79."

उसमें आगे यह लिखा है कि –

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माथुर साहब के विचार पहले आ जाने चाहिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुन नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनका पुश्तैनी अधिकार चला आ रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: और आपका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मय भी पीते हैं और तांबा भी,

ये भी जारी है वो भी जारी है।
मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने ऐसा ढाला,
मेरे तन के लोहू में पिचहत्तर प्रतिशत है हाला।
पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आंगन में,
मेरे मधुशाला का हामी हूं, मेरी हामी मधुबाला।

श्री मनोहर सिंह मेहता : "The State Governments have also been asked to include in their service conduct rules a clause banning drinking for Government servants, as has been done by the Centre in its own rules."

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

उपाध्यक्ष जी, सन् 1977 चला गया लेकिन शराबबन्दी नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि जनता पार्टी ने 9 महीने में 5 जिलों में शराब बन्द की है, कुछ तहसीलें की हैं, और जो तीन जिले लिए हैं, बड़े बड़े जिले हैं। राजस्थान सरकार की शान रहती अगर हिम्मत करके पूरे राजस्थान को ड्राई कर देते। लेकिन इसको भी मुश्किल है। माननीय सदस्य 1977 वाले संकल्प पर बोलेंगे, ठीक है 1977 चला गया लेकिन आप कम से कम यह तो कीजिए जिन 13 जिलों में शराबबन्दी की है वहां ऐसे अधिकारियों को न भेजें जो शराब पीते हों, उन जिलों में जो अधिकारी शराब पीयें उनको डिसमिस करें, जो विधायक वहां शराब पीते हों, उनके लिए नियमों में संशोधन लाकर उन्हें एम. एल. ए. शिप से हटा दीजिए। अगर 13 जिलों में यह शराब बन्दी सफल कर सकें तो आगे का जो रास्ता जल्दी तय करने वाले हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नशाबंदी को सफल बनाने के लिए 13 जिलों में सख्त कदम उठावें। फिर 2 अक्टूबर, 1978 आने वाला है, उस समय पूर्ण नशाबन्दी की जाय। वैसे तो 4 साल में सारे देश में नशाबन्दी होने वाली है लेकिन राजस्थान हर नैतिक काम में, हर साहसी काम में आगे रहा है इसलिए हिम्मत कीजिए। आपने अन्त्योदय का काम उठाया है उसका संबंध है शराबबन्दी से। अगर शराबबन्दी नहीं होती है तो अन्त्योदय कभी नहीं होगा। अन्त्योदय का काम है भ्रष्टाचार मिटाना। भ्रष्टाचार मिटाना है तो शराबबन्दी करनी होगी।

आप हिम्मत कीजिए, अब तो आपके लिए यह अच्छा हो गया कि 50 प्रतिशत केन्द्र दे रहा है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हिम्मत करनी चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कांग्रेस सरकार ने बड़ा ही पाप का काम किया, वचन भंग किया। सन् 1967 में संकल्प किया था कि हम 1972 से पूर्ण नशाबन्दी कर देंगे। 1972 चला गया, शराब से उत्तरोत्तर आमदनी बढ़ती गई। जो इधर सदस्य विराजे हुए हैं उनके प्रति मेरे मन में आदर है लेकिन ये मन से शराबबन्दी नहीं चाहते। जो भी हो वचन भंग से बढ़ कर कोई पाप नहीं है लेकिन चूंकि अब आपने शासन सम्भाला है इसलिए 5 जिलों में शराबबन्दी की है लेकिन जो दो संकल्प हैं अन्त्योदय करने और रिश्वतखोरी को बन्द करने के, ये तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप शराबबन्दी न करेंगे। आप हिम्मत करें कि 2 अक्टूबर, 1978 से पूर्ण प्रोहिबिशन हो जाए। इसकी व्यवस्था करें। अगर यह भी नहीं कर सकते हो तब 13 तहसीलों में शराब बन्द है तो कृपया उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन तीनों जिलों को 2 अक्टूबर से ले लीजिये और फिर 78-79 में कम्पलीट प्रोहिबिशन कर दीजिए।

इस समय जब अन्त्योदय योजना को सारा देश देख रहा है तो इसको सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रोहिबिशन अत्यावश्यक है। एक वर्ष के लिए नए स्कूल खोलना बन्द करें, चाहे एक वर्ष के लिए सड़कें नहीं बनें, बिजली की लाइनें एक साल के लिए न लगावें, सब प्रगति के काम यदि आप रोक दें तो कोई हर्ज नहीं लेकिन नशाबन्दी का काम हिम्मत से करें। मैं जाकर साहब के पास भी अखबार लेकर गया था, जब कि

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

50 प्रतिशत मदद केन्द्र से मिलने वाली है, तो हिम्मत से आगे बढ़िए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी ऐसी चीज है जिसको इस सदन में कई बार डिस्कस किया गया है। परन्तु यह सरकार उस शिकारी की तरह मालूम होती है जो भेड़ों को मार सकती है लेकिन शेर से डरती है। गंगानगर राजस्थान का वह इलाका है जहां शराब का सबसे अधिक उपभोग नजर आता है और जहां सरकार को सबसे अधिक एक्साइज ड्यूटी से आमदनी होती है। इस महीने में ही 80-80 लाख में ठेके की नीलामी हुई है। उस गंगानगर इलाके में शराबबन्दी की पहल न करके चूरू, बीकानेर व नागौर के इलाके में शराबबन्दी की है, मैं यह समझता हूं कि वह असली समस्या से दूर भागना और उन भावनाओं के तीखेपन को कम करना है। अगर हमारी जनता सरकार को अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करना है और महात्मा गांधी की इच्छाओं व आदर्शों को सफल बनाना है तो सबसे पहले राजस्थान में कहीं शराबबन्दी करनी चाहिए थी तो गंगानगर में करनी चाहिए थी। जनता शराब छोड़ सकती है या नहीं, इल्लिसिट लिकर खेतों से निकालना बन्द हो सकता है या नहीं, बूटलेगिंग बन्द होती है या नहीं, वह कुरुक्षेत्र है शराबबंदी का, पानीपत है। आपने गंगानगर में शराबबन्दी न करके बीकानेर में बेचने की परोक्ष रूप से छूट दे रखी है। आप अपने आंकड़े देख लें। गंगानगर के सारे ठेके इस साल 1½-2 गुने हायर रेट्स में गए हैं ...

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय सदस्य बिना पीए उत्तेजित हो रहे हैं। संयम से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय सदस्य की स्वाभाविक प्रकिया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऐसे लोग शराब पीए हुए नहीं होते हैं। नशा जो होता है आदमी के अन्दर है बाहर नहीं। आदमी शराब पीकर विवेक को देता है।

श्री अयूब खां : आपको अनुभव है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने शराब कभी भी पी नहीं है, लेकिन मुझे इसका अनुभव है। इसलिये कह रहा हूं।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो बीकानेर से आते हैं, गंगानगर का नाम लिया इसलिये गंगानगर के बारे में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास गुप्ता पहले बोल लें फिर आप बोलना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नशाबन्दी सम्पूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा करें। कम से कम और नहीं तो इसी समय यह घोषित करें कि गंगानगर जिले में पूर्ण नशाबन्दी लागू होगी। अन्यथा आप शराबबन्दी जहां कर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रहे हैं जहां आप एक जगह बन्द करेंगे तो दूसरी जगह से वहां पर शराब आ जायेगी। वहां इल्लिसिट लिकर भी बननी शुरू हो जायेगी। इसलिये आप किसी राजनैतिक दबाब में नहीं आकर जैसा कि आपकी जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि जनता पार्टी शराबबन्दी करेगी, तो उस संकल्प को आप दृढ़ता से लागू करें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय वित्त मन्त्री जी यह घोषणा आज इस सदन में नहीं करते हैं तो राजस्थान की जनता को यह विश्वास भी नहीं होगा कि आपकी सरकार शराबबन्दी लागू करना चाहती है। और अगर सही मायने में शराबबन्दी लागू करना चाहते हैं तो इसी समय वित्त मंत्री जी इस सदन में घोषणा करें कि आज से ही गंगानगर जिले में पूर्ण नशाबन्दी लागू हो गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट और। अभी समाप्त करता हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने चूरू, सीकर, जोधपुर, बीकानेर में तो शराबबन्दी लागू कर दी लेकिन गंगानगर, जो कि शराब का घर है, में शराबबन्दी क्यों नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है, गंगानगर में जो शराब की दुकानें उठी हैं वह ड्योढ़ी और दुगनी कीमत में उठी है। बीकानेर का जो सबसे बड़ा ठेकेदार है, जो कि दारू के ठेकेदारों में राजस्थान में किंग कहलाता है उसने गंगानगर जिले में दुकानों में हिस्सेदारी की है। वह जानता है कि जिन इलाकों में शराब बन्द है वहां पर वह दारू स्मगल करके बेच देगा। दूसरे पुलिस व राजस्थान के आबकारी के जो भ्रष्ट और अकर्मण्य अधिकारी हैं उनसे साजिश करके शराब वहां पर बेच देंगे। इस प्रकार शराब की बिक्री पर टैक्स सरकार को मिलता है वह भी नहीं मिलेगा। मेरा निवेदन है कि आपने यह गलत नीति क्यों अपनायी? आपने सम्पूर्ण राजस्थान में ही क्यों नहीं शराबबन्दी लागू कर दी? इसके अलावा गंगानगर जिले की सीमायें बीकानेर जिले की सीमाओं से लगती हैं, इसलिये सारी की सारी शराब बीकानेर में और आसपास के इलाकों में, जहां की नशाबन्दी लागू है, बिकने लग जायेगी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने गंगानगर जिले और जोधपुर में जो शराब की डिस्टीलरी हैं उनमें एक प्रतिशत भी माल कम नहीं बनाया है। आपका शराब का प्रोडक्शन उतना का उतना ही है। इसके साथ साथ शराब की एक्साइज ड्यूटी भी आपकी कम नहीं हुई है। और न ही शराब की बोतलें ही कम खरीदी गयी हैं तो फिर आपने क्या शराबबन्दी लागू की है? आपने जो 13 जिलों में शराबबन्दी लागू करने की घोषणा की है यह एक मृग मरीचिका है। इसलिये मैं वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। वित्त मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपका पूर्ण नशाबन्दी लागू करने का संकल्प अच्छा है लेकिन आप उसको अमल में तो लावें। आप यह आंख मिचौनी क्यों कर रहे हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप शराबबन्दी के लिये इस सदन में

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

एक कानून बनावें उसमें यह प्रोविजन रखें कि जो मनुष्य पीये या पिलायेगा उसको दस साल की कठोर सजा मिलेगी। जिन जिलों में शराबबन्दी लागू है वहां अगर शराब पीते हुए पकड़े जायें या शराब पकड़ी जाय तो उस एरिया में जो डी.वाई.एस.पी. पुलिस और लॉ एंड ग्रार्डर मेन्टेन करने वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको भी कठोर सजा दी जानी चाहिये। इस प्रकार का कानून में आप संशोधन नहीं करेंगे तब तक आप शराबबन्दी की नीति को सफल नहीं कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने जोर से बोलते है कि मेरी घण्टी की आवाज आप तक नहीं पहुंचती है। कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। उसने गरीबी हटाई नहीं बल्कि गरीबी बढ़ाई थी। उसी तरह आप शराबबन्दी का नारा देकर, मुझे ऐसा दिखाई देता है, शराबबन्दी नहीं करके गली गली में शराब की दुकानें खोल रहे हैं और शराब बन्दी के नाम पर आप घर घर में इल्लिसिट शराब बनवा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप शराबबन्दी तो कर नहीं पायेंगे और शराब की भट्टियां हर खेत में पैदा करवा देंगे जिससे अनाज की जगह शराब ही खेतों की भट्टियों से निकला करेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां भी आपने शराबबन्दी की है वहां पर पूरा चेक रखिये। साथ ही सम्पूर्ण राजस्थान में शराबबन्दी लागू करने की घोषणा करें। अगर आप सम्पूर्ण राजस्थान में नशाबन्दी लागू करने की घोषणा अभी करने की स्थिति में नहीं हैं तो कम से कम सम्पूर्ण गंगानगर जिले में तो आज से नशाबन्दी लागू हो जायेगी यह घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम पंवार (टी. वी.): उपाध्यक्ष महोदय, अभी गंगानगर जिले के बारे में सदन में कुछ चर्चा हुई तो मुझे भी बोलने का सरूर आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी की नीति अच्छी है मगर इसके लिये आपको चन्द जिलों को ही नहीं लेना चाहिये इससे राज्य सरकार को नुकसान होता है और शराबबन्दी की नीति पर भी अमल नहीं हो पाता है। इसलिये शराबबन्दी को पूर्णतया से लागू किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, शराब से बहुत नुकसान होता है। शराब पापों का घर है। शराब से बहुत सी कुरीतियां पैदा होती हैं। इन्सान चरित्रहीन हो जाता है। सामाजिक स्तर भी इंसान का बिगड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सिर्फ कुछ जिलों में और कुछ तहसीलों में ही शराबबन्दी लागू करने से शराबबन्दी नहीं होगी। हमको शराबबन्दी पूर्णतया लागू करनी होगी। जब पूर्ण नशाबन्दी लागू होगी तभी शराबबन्दी होगी और शराबबन्दी की आपको सख्ती से पालना करनी होगी।

Page No 108

(१०८)

(श्री डूंगरराम पंवार)

यहां तो शराबबन्दी पूरी तरह से प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अभी आपने सीकर, चूरू और बीकानेर में शराबबन्दी लागू कर दी लेकिन उसके पास में गंगानगर की सीमा लगती है वहां पर आपने शराब बन्दी लागू नहीं की है। तो वहां इल्लिसिट शराब बनेगी या शराब का स्मगलिंग होगा इस तरह से वहां पर लोग शराब पीयेंगे। इतना ही नहीं मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने वहां भी लागू कर दी तो उसके पास जो दूसरी जगह है वहां से शराब आ जायेगी। इसलिये सम्पूर्ण राजस्थान में आप शराबबन्दी लागू करें। पर मैं तो समझता हूं कि इससे भी समस्या हल नहीं होगी क्योंकि राजस्थान में शराबबन्दी है और हरियाणा में नहीं है तो हरियाणा से शराब राजस्थान में आयेगी। इसलिये मेरा सुझाव है राज्य सरकार को कि सम्पूर्ण देश में शराबबन्दी लागू की जाय। फिर आप उसका कड़ाई से पालन करें तो कहीं जाकर शराबबन्दी हो सकती है। वरना राजस्थान में आप शराबबन्दी लागू कर दे तो राजस्थान के पास के प्रान्त हरियाणा से शराब आ जायेगी और शराब का वह का वह प्रभाव होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने सम्पूर्ण राजस्थान में और हमारे देश में भी शराबबंदी पूर्णतया लागू कर दी और आपने सख्ती से इसकी पालना नहीं की, इसको चेक नहीं किया तो लोग कच्ची शराब निकालना शुरू कर देंगे। इसलिये आपको एक कानून बना कर इसकी कड़ाई से पालना करानी पड़ेगी ताकि शराब कोई भी नहीं पी सके। हमारे यहां पर लोग बाहुर तो शराब की बुराई करते हैं लेकिन कई सदस्य और कई लोग ऐसे हैं जो कि छिप कर शराब पीते हैं। मेरा निवेदन है कि शराब को पीने की ही मुमानियत करनी चाहिये क्योंकि शराब से नुकसान बहुत होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल गंगानगर जिले का है, गंगानगर में तो भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने एक फर्स्ट क्लास शराब की डिस्टीलरी खोल रखी है। वहां पर लोग बहुत शराब पीते हैं। एक बात और भी है, उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार में यह भी चाहा था और जब कभी बात चलती तो उस वक्त के राजनेता यह कहते थे कि गंगानगर के विकास की क्या जरूरत है वहां तो वैसे भी लोग शराब में मस्त रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि गंगानगर जिले की भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने पिछले तीस सालों तक उपेक्षा की और गंगानगर की जो समस्यायें थीं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरे गंगानगर के लोगों को भी शराब पिला पिला कर ऐसा कर दिया कि वह अपनी वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान ही नही दे सके। आज भी देखा जाय तो आपने गंगानगर के लिये क्या किया। वहां पर नहर का काफी अच्छा इलाका है पर कोई सड़क नहीं है, शिक्षा का कोई विकास नहीं हुआ। सुखाड़िया साहब ने तो गंगानगर जिले को राजस्थान सरकार की तिजोरी समझ लिया था, वहां के लोगों को कभी भी होश में नहीं आने दिया। वहां के लोग शराब की डिस्टीलरी खुल जाने से शराब पीकर बेहोश रहे और कांग्रेस सरकार गंगानगर जिले का शोषण ही करती रही। उन्हें पूर्णतया मूर्ख बनाये रखा। इसलिये मेरा निवेदन है कि शराब-

(श्री डूंगरराम पंवार)

बन्दी पूर्णतया लागू की जाय और गंगानगर जिले का विकास किया जाय। अगर आपने पूर्णतया शराबबन्दी राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में नहीं की तो राजस्थान में शराब हरियाणा से आयेगी। इससे आपको सरकारी खजाने में कमी होगी और हरियाणा के सरकारी कोष में वृद्धि होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको पूर्णतया पूरे देश में लागू करना होगा। यह एक बड़ी लड़ाई है जिसको हमें सख्ती से लड़ना है। सम्पूर्ण देश में सख्ती के साथ नशाबन्दी लागू करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल।

श्री भैरवलाल कालाबादल (रामपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के महान् नेता महात्मा गांधी ने जब स्वतन्त्रता आन्दोलन की लड़ाई शुरू की थी उस वक्त उन्होंने शराबबन्दी के लिये भी आन्दोलन छेड़ा था। वे जीवन भर शराबबन्दी के लिये लड़ते रहे। उन्हें विश्वास था कि मेरे मर जाने के बाद मेरे शिष्यगण इस शराबबन्दी आन्दोलन को आगे बढ़ायेंगे और देश में सम्पूर्ण नशाबन्दी लागू हो जायेगी। पर, उपाध्यक्ष महोदय, उनके मर जाने के बाद जिन कांग्रेसी लोगों ने उनकी समाधि पर शपथ खायी थी कि उनकी नीतियों को कार्यान्वित करेंगे वह सभी शिष्य उनकी नीतियों को भूल गये। धीरे धीरे वे शराब की बिक्री बढ़ाते थे और शराब के प्रचार के लिए इस तरह से कहते थे कि

"दारूड़ी धक धक करे,
प्यालो करे पुकार
ऊभी कामनी अर्ज करे
पीयो न राज कुमार

उस जमाने के सामन्ती शासकों ने शराब को घर घर में पहुंचा दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक बार और कह दें।

(व्यवधान)

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से लोगों ने प्रचार करके दारू हमारे यहां पर गरीबों के घर घर में पहुंचा दी है। इस बीमारी से आदिवासी लोग, गांव के गरीब लोग ज्यादा ग्रसित हैं। वे लोग ज्यादा पीते हैं। पढ़े-लिखे लोग और जिनके पास दौलत है, वे चुपके चुपके कीमती बोतलें पीकर ऐश करते हैं और गरीब के लिये ठर्रा है वह ठर्रा पीकर पागल होता है। एक बूढ़ा दारू पीता था। उसकी आदिवासी पत्नी ने पति को समझाया। उस आदिवासी महिला को महात्मा गांधी की बात याद थी। महिला के क्या विचार हैं यह मैं आपके सामने रखता हूं।

दारू मत पीओ ढोला
करे छं लोग घणी निन्दरा।
लोग घणी निन्दरा करे छं
बुरो कहे छे थाने
थें तो मद्य पीओ ला
बावला शर्म लगं छं म्हाने॥

है। पतिदेव तू दारू पावे छं। मां सू आकर लोग कहे छे, थारी निन्दा करे छं। यह बहू कह रही है दारूड़िया को।

श्री गिरधारीलाल भार्गव। एक दफा और। दारूड़िया कौन? उस महिला का पति?

श्री भैरवलाल कालाबादल : दारू पीबा वाळो। दारूड़िया की बहु कह रही छै कि

"छोरा छोरी भूखां मरता
नशास थां पर नाखे
खाबा में नहीं नाज
ऊदरा ऊंचा ऊंचा हो हो झांके

ऊंदरा कहते हैं चूहे को। तो बहू कह रही थी कि भूख के मारे छोरा छोरी हाय हाय कर रह्या है और घर में खाबा ने नाज नहीं है। ऊंदरा ऊंचा हो हो कर झांक रह्या छै। घर में ऊंदरा ने खाबा ने नाज नहीं छै। ऐसी दशा शराबी की होती है। उसकी पत्नी आगे कहती है।

"जी दिन सूं मैं परणी आयी
रात्यां रगड़्या गट्टा"

जो दिन सूं मैं परणन आयी हूं रात भर गट्टा रगड़्या। दूसरां को पीसणो पीसती पीसती थाक गी हूं। थारा राज में न तातो खायो न रातो पहिन्यो।

"तो भी माथे फाठो लुगड़ो
बाल करे ठठ्ठा

माथे के ऊपर फटा हुआ लुगड़ो बालक भी देख रह्या छै और ठठ्ठा कर रह्या छै। वे भी देख रह्या छै कि दारू पीवे छै। आगे औरत कहे छै कि

दारूड़िया ने न परणाती
तो क्यों मैं दुख सहती

मेहनत मजदूरी सूं भर लेती पेट
कुंवारी रहती।

मैं कुआरी ही रह जाती तो मेहनत मजदूरी कर लेती लेकिन दारूड़िया ने परणावा सूं म्हारी सगली इज्जत लुट गई। तूं जब दारू पीकर घर आवे तो सोटी लेकर चोटी पकड़ कर मारे छै। वह कह रही है कि-

दारूपीकर जब तू घर आवे,
ले हाथां में सोटी घर तिरिया ने मारन लाग्यो

पकड़ हाथ में चोटी
समझा 2 कर मैं हारी
क्यों एक न मानी।
नरका का कीड़ा जद बणसी
मालूम पडसी थाने।

मैं थाने समझा समझा कर हार गई लेकिन था न मान्यो म्हारी। नरका का कीड़ा बणो ला जद मालूम पड़सी थाने।

थाली बेच बाटकी बेची
बेची गाड़ी पाडी खाद बीज
तो बाकी रह गयो

दो 2 परणी लाड़ी दो दो औरतें परणी रोती ही रहीं।
यो सडियोड़ो पाणी पीता

थांने लाज नहीं आवे।
घर में हांण जगत में हांसी आवे
कीमत बिगड़ी जावे।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, कभी की शराब बन्दी हो जानी चाहिये थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ उस समय ही शराबबन्दी हो जानी चाहिये थी। कांग्रेस सरकारें चलती रहीं और लोग शराब पीते रहे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नूरा।

श्री अब्दुल अजीज : आप का नाम नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम तो मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : देख लेंगे।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी के बारे में चर्चा हो रही है कि 1977-78 से शराबबन्दी कर दी जाय। जनता सरकार की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसको कानून से बन्द करने की बात करती है। हमारे मेहता साहब जैसे महानुभाव घर घर घूम कर के लोगों में प्रचार करके उन को समझा बुझा कर प्यार से यदि बन्द करायें तो अधिक लाभदायक होगा। शराब यदि बन्द होगी तो वह प्यार से होगी कानून से नहीं। आज हम देखते हैं कि कुटीर उद्योग की तरह शराब घर में बननी शुरू होने लगी है। आगे घर घर में बनने लग जावेगी। कानून बना हुआ है कि अवैध शराब नहीं बनायी जाय लेकिन उसका क्या पालन हो रहा है? कोई पालन नहीं हो रहा है। कानून के बने होने के बावजूद इतनी अवैध रूप से शराब बन रही है कि रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कई लोग मर गये जो लोग बनाते है और पीते हैं वे तो मरते ही हैं जो लोग गांव के हैं वे भी पीते हैं तो वे मरते हैं। लोगों को अवैध शराब बनाने का तरीका मालूम है। लोग शराब बना कर पीकर मर जाते हैं। शराब बंदी करनी है तो इसका प्रचार और लोगों को समझा बुझा कर करनी चाहिये। यह कानून से बंद नहीं होगी। शराब जो वैज्ञानिक तरीके से बनती है कम से कम उससे कोई मरेगा तो नहीं। इसलिये कानून से बन्द करने के न मैं पक्ष में हूं और न ही मेरी पार्टी है। नाजायज शराब लोग बनायेंगे और लोगों को लूटेंगे। कानून होते हुए भी न तो कांग्रेस सरकार इसको रोक सकी और न ही जनता पार्टी की सरकार इसको रोक सकेगी। मेजर साहब ने भी कहा था कि थाने के पचास कदम दूर ही अवैध रूप से शराब बनती है उस को भी नहीं रोक सकते। विधायक जन को जाकर समझा नहीं सकते और यहां कहते है कि शराब बन्द कर दो। कानूनी रूप से शराब को बन्द करने का मतलब है एक आतंक खड़ा करना। कानूनी रूप से शराब को बन्द करने का मतलब है लोगों को मौत के मुंह में देना। वैज्ञानिक रूप से जो शराब बनती है उसको पीना कानूनी रूप से नहीं किन्तु प्रचार से बन्द कीजिये। शराबबन्दी कानून से न 77 में, न 78 में और न आगे की जानी चाहिये। शराबबंदी कानूनी रूप से नहीं किन्तु मनोवैज्ञानिक रूप से की जानी चाहिये। किसी प्रकार की बन्दिश शराबबन्दी के लिये कानूनी रूप से नहीं की जानी चाहिये, यही मेरा और मेरी पार्टी का मत है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल।

श्री अयूब खां : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बोल लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री जी यहां नहीं है पर मेरी बात को सुनने के लिए श्री मेहता साहब जरूर हैं। मैं अपने कुछ विचार इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। एक बार अब्राहम लिंकन ने सभा बुलाई और इसलिए बुलाई की शराब बन्द की जाये। जब लोग बोलने के लिए खड़े हुए तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि इस सभा में भाग लेने के लिए वही लोग काम्पीटेन्ट हैं जिन्होंने शराब पी हो और पीकर छोड़ दी हो क्योंकि वही उसकी कशिश को जानता होगा। मुझे पता नहीं हमारे यहां इस समय सदन में कितने माननीय सदस्य इस कोटि में आते हैं...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : और आप की यह दलील मानी जाये तो धारा 376 आई. पी. सी. हटाने की मांग वही कर सकता है जो कि गिल्टी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो बेचलर हैं 376 कोट मत कीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं तो सिर्फ अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि कितने माननीय सदस्य इस पर बोलने के अधिकारी हैं और कितने नहीं हैं। फिर शराबबन्दी की बात करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वह जानें कि शराब कहां से आई। हम जब तक इसका आदि नहीं जानेंगे तब तक हमारे लिए अन्त पर भी विचार करना मुश्किल है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कोई लम्बी बात नहीं कह रहा हूं।

लार्ड बायरन फ्रांस में जब बच्चा था तो एग्जामिनेशन देने गया। अपने यहां भारतवर्ष में इम्तिहानों में न तो कोकाकोला मंगा सकते हैं, अब तो वह वैसे ही बन्द हो गया, और न गन्ने का रस मंगा सकते हैं लेकिन वहां तो व्हिस्की का पैग भी मंगा सकते हैं। उसने व्हिस्की का पैग मंगाया और कहा जाता है कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : विषय पर बोलिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस विषय को मेरे ख्याल से माननीय सदस्या से अधिक जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आज प्राइवेट मैम्बर्स डे है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे शराब का कुछ कुछ असर दिमाग पर है इसलिए डिस्टर्ब करना चाहते हैं।

श्री पदमसिंह राठौड़ : यह वस्तु ही ऐसी है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको सबसे ज्यादा तजुर्बा है, यह मैं मानता हूं।

लार्ड बायरन के लिए यह मशहूर था कि कोई नोबल फैमिली ऐसी नहीं थी कि जहां लार्ड बायरन का खून न हो। जब वह पैरिस की गलियों से गुजरता था तो जो खिड़की दरवाजे खुले होते थे तो फटा-फट बन्द हो जाते थे। तो मैं यह कह रहा था कि लार्ड बायरन परीक्षा दे रहा था, पेपर में पूरे दो घंटे गुजर गये। जब कॉपी लेने के लिए टीचर आया तो कहा, "Two minutes please, collect other copies, meanwhile I am writing"

टीचर ने सोचा कि यह लड़का दो घन्टे कुछ नहीं लिख सका तो दो मिनट में क्या लिखेगा। फिर दो मिनट बाद वह लौटा। उसने मास्टर कापी ले ली। वह कापी आज तक फ्रांस के म्यूजियम में सुरक्षित है। उसमें सिर्फ दो लाइनें लिखी थीं,

"God looked into water and blushed."

भगवान ने पानी में झांक कर देखा और शरमा गया। शरमाने से लाली आती है। सफेद पानी में जो लाली पैदा हुई वह शराब बन गयी। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग शराब पीते हैं वह यह

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मान कर पीते हैं कि यह भगवान की मुस्कराहट से उत्पन्न लाली है। मैं आपको निवेदन करता हूं, कल ही की बात है मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा। मैं तो नहीं पीता लेकिन वह पीता है···

श्री अयूब खां : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय सदस्य ने जो लार्ड बायरन के लिए कहा कि युवतियां उस पर मरती थीं। वह तो उसकी चाल पर मरती थीं, वह लंगड़ा कर चलता था।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेहता जो कहते हैं, शराब मत पीओ, शराब पीना बुरा है। यह भी चैक-अप कर ले, माननीय सदस्य, श्री मेहता साहब का ताल्लुक रहा या नहीं ·

श्री उपाध्यक्ष : शराब से नहीं वेयर-हाउस से रहा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं निवेदन करता हूं कि मेरे दोस्त ने कहा। जो कहा वह मैं लिख कर लाया हूं, मुझे याद नहीं था: 'तू अपनी पारसाई में खुदा को भूल बैठा है, मैं हरएक घूंट से पहले खुदा का नाम लेता हूं' भगवान की मुस्कराहट से उत्पन्न लाली है। इस हालत में जब कि भगवान की लालिमा से यह शराब बनी है तो कोई मुल्क ऐसा है, कोई समाज, कोई सभ्यता ऐसी है, धरती का कोई कोना ऐसा है कि जहां शराब नहीं है। और हम कानून बनाकर इसको रोकेंगे तो ह्यूमन नेचर के खिलाफ चलेंगे। क्या आप यह भी नहीं चाहते कि जो व्यक्ति परेशान है, गम में है उसके मन से थोड़ी देर के लिए वह निकल जाये? जो लोग भी पीते हैं उनको पता है। संसार में बढ़िया से बढ़िया रचना जितनी भी मिलेगी वह एक या दूसरी तरह के नशे में रची हुई होगी चाहे वह सोमरस हो या आनीवाकर हो····

श्री अब्दुल अज़ीज : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह विधान सभा है न कि स्कूल की। डिबेट आप इस तरह से बोल रहे हैं। लोगों के भविष्य के बारे में सोचियेगा। यह स्कूल डिबेट नहीं है। जिस तरह से स्कूल में आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इस तरह भाषण दे रहे हैं। He should come to positive aspects.

श्री बजरंगलाल शर्मा : बाकी तो ठीक देखता हूं लेकिन आपकी तरफ देखता हूं तो लगता है कालेज में ही पढ़ा रहा हूं। इनको देखकर कौन नहीं मानेगा कि स्कूल में डिबेट चल रही है। बीच में पाइन्ट आफ आर्डर कर देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं पर अव्यवस्था होगी, मंदिर में झगड़े होंगे, धर्मशाला में होंगे और मस्जिद में होंगे लेकिन सबसे कम अगर कहीं एफ. आई. आर. दर्ज हुई होंगी तो वह मयखाने से हुई होंगी। और जगह लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जिस तरह से बिगड़ी हुई है इस तरह कहीं मयखानों में लॉ एण्ड आर्डर की समस्या नहीं होगी। हमारे गृह मंत्री जी के पास रोजाना एडजोर्नमेंट मोशन नहीं आये। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि शराबी शराब पीता है तो ज्यादा सम्मान करता है। ज्यादा अच्छी बातें करता है और सत्य बोलता है जब कि पवित्र जल भीतर चला जाता है····

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सत्य बोलते हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मान्यवर ऐसा कहा जाता है कि When the holy water goes in, the truth comes out. पवित्र जल भीतर जाता है तो सच बात बाहर आती है। इस बात को भी पदम सिंह जी गवाही देंगे। मेरा सवाल यह नहीं है कि कौन पीता है कौन नहीं पीता। मैं एक ही बात कहता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानता हूं जो शराब पीते हैं। मैं उनको बेनकाब नहीं करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मयखाने में जब एक रात दस्तक लगी, आवाज लगी, कौन हैं, साहब ? दरवाजा खोलकर देखा तो शेख साहब हैं। यही हालत है। यह ऐसी चीज है कि जिसमें कशिश होती है, शराब से दिव्य ज्ञान होता है और बड़े बड़े साहित्यकारों को शराब से प्रेरणा मिली है। यह सर्वकालिक और सर्वदेशक बुराई है जिसे कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता। ज्यों ही आदमी उसके सामने से गुजरता है कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। कभी तो मौसम बेईमानी करा देता है। इन सारे प्रश्नों पर आपको विचार करना होगा। मानवीय भावना और समझाइश से इस पर काबू पाया जा सकता है। कानून पास कर देंगे इससे शराब रुक जायेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप अहमदाबाद में देख लीजिए, बम्बई में देख लीजिए। कानून बना कर शराबबन्दी की तो नहीं होगी। जब तूफान आता है आंखें बन्द कर लेते हैं भले ही तूफान चलता रहे। शराबबन्दी करके आप अपनी आंखें बन्द कर लेंगे तो शराब चलती रहेगी। शराब क्यों चलती रहे ? मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये फुल फ्लेजड सेशन बुलाया जाये। इस सिलसिले में विस्तार से विचार हो तो शायद मंथन होकर कुछ सार निकले। इस पर गहराई से विचार करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वासना फिल्म में राजकुमार ने बोतल खोली दांतों से। गले में एक घूंट जाते ही कहा, क्या चीज बनाई है शराब बनाने वाले ने। गले में एक घूंट जाते ही शहनाइयां बजने लगी। वैसे मैं शराब का हामी नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां।

जो सदस्य बोल चुके हैं, उनको अवसर नहीं दूंगा।

श्री अयूब खां (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में इतना ही कहूंगा, नशा चाहे शराब का हो, चाहे अन्य चीज का, नशा खराब है। उसके अन्दर बुराइयां हैं, दोष हैं। हर दृष्टि से देखें चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें, चाहे अन्य दृष्टि से देखें, कोई भी व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसे अपने अधिकार का ध्यान रहता है। दूसरे के अधिकारों का ध्यान नहीं रहता है। धार्मिक दृष्टि से भी शराब को मुस्लिम धर्म में बिल्कुल हराम कहा गया है। अन्य धर्मों में भी शराब को इजाजत नहीं दी गई है। आर्थिक दृष्टि से भी यह नुकसानदायक है, स्वयं का नुकसान होता है, पड़ोसियों का नुकसान होता है और मिलने वालों का नुकसान होता है। इन्सान को जो कुछ भी मिलता है, वह खर्च कर देता है, उसके बाद कुछ

(श्री अयूब खां)

नहीं बचता। सरकार कोई व्यापारिक संस्था नहीं है। सरकार यह न सोचे कि इससे एक बहुत बड़ा टैक्स मिलेगा। सरकार को व्यापारिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिये. इस दृष्टि से सोचना चाहिये कि इसमें कितनी बुराइयां हैं, समाज को क्या फायदा और क्या नुकसान है। इस दृष्टि को सामने रखते हुए, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए, मद्यनिषेध का कानून लागू किया जाये।

अन्त में एक बात और कहूंगा। सारे देश में मद्य निषेध लागू किया जाये। सारे राजस्थान में लागू किया जाये। अगर सरकार की मजबूरी है इसको लागू नहीं कर सके तो मैं यह बात अर्ज करूंगा।

मय भी पीते हो अगर,
तो शरे आम
न हो, यह भी हो अगर
तो बदनाम न हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री खेत सिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर डिबेट चल रही है, इस विषय पर मुझे, माननीय वित्त मंत्रीजी, चार निवेदन करने हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप रिप्लाई भी देंगे। आपका कल का भाषण रेडियो पर मैंने सुना। आपने कहा एक साल के अन्दर आप पूर्ण नशाबन्दी करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: यह नहीं कहा।

श्री खेत सिंह राठौड़: रेडियो पर आया है, मैंने सुना है। हरियाणा में कहा गया है, हम दो साल में मद्यनिषेध लागू करेंगे मध्य प्रदेश में चार साल में शराबबन्दी करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है. आपके पड़ोसी स्टेट्स हैं जिनमें से एक में चार साल में मद्यनिषेध होगा और दूसरे में दो साल में होगा। आप अगर एक साल में करेंगे और पंजाब न मालूम कितने वर्षों में करेगा तो आपके यहां पंजाब से शराब आयेगी। आपकी पालिसी यह है तो रेवेन्यू कम होगी और शराबबन्दी कभी नहीं होने वाली है। इसके लिये पास की स्टेट्स से बात करके सारी स्टेट्स में एक साथ मद्य निषेध किया जाय तो यह मैं मान सकता हूं कि मद्यनिषेध हो सकता है वरना जैसे मद्यनिषेध में महाराष्ट्र ने अगुवाई की थी और फिर मद्यनिषेध समाप्त किया वैसे ही आपकी पालिसी कामयाब नहीं हो सकेगी।

दूसरा यह निवेदन है कि आपने विलायती और देशी शराब पर टैक्स की रेट बढ़ाई हैं किन्तु दूसरी स्टेट्स में टैक्स रेट्स नहीं बढ़ी है। पंजाब में कम है, हरियाणा में कम है, मध्य प्रदेश में कम है। आपकी रेटस सबसे ज्यादा है। इसलिये आप निश्चित मानिये, वहां से अभी से ही शराब आना शुरू हो जायेगी। यहां अगर 60 रुपये में मिलती है और वहां 50 रुपये में मिलती है तो 10 रुपये का अन्तर देखकर निश्चित रूप से स्मगलिंग करेंगे। इससे आपको घाटा होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखना होगा।

तीसरी बात, आपने दो जोन कर दिये, कुछ जिलों में प्राहिबिशन कर दिया बाकी के उनके पास के जिलों में आपके ठेके हो रहे हैं। अगर आप ठेकों की रकम देखेंगे तो उनकी रेट बहुत ज्यादा आयेगी।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ब्यावर को ले लीजिये। वहां के ठेके की रकम जयपुर की बढ़िया से बढ़िया दुकान से ज्यादा आयेगी। पास में पाली लगता है, जहां प्राहिबिशन है। अगर आपको प्राहिबिशन करना ही है तो पूरे राजस्थान में एक साथ लागू कर दें तो समझ में आता है कि स्मगलिंग नहीं होगा, नहीं तो स्मगलिंग होगा। आज जिन इलाकों में आपने प्राहिबिशन कर रखा है, हमने भी किया था, उससे आदिवासी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आदिवासियों में क्या हुआ महुआ वहां पर होता है। महुआ की घर घर के अन्दर भट्टियां लग गई। आदिवासियों ने शराब छोड़ी नहीं। आपकी आमदनी जरूर कम हो गई। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था, लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह खराब चीज है इससे हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, इससे हमारी औलाद पर असर पड़ता है। लेकिन इस प्रकार आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होने वाला नहीं है।

एक बात और भी निवेदन करना चाहता हूं। जो गरीब है, यह निश्चित बात है कि अगर वह पीता है तो अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। इससे पहले कालाबादल जी ने कविता सुनाई और यह कहा कि गरीब पियेगा तो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। गरीब की कई समस्यायें रहती हैं, उन समस्याओं से दिमाग हटाने के लिये वह शराब पीता है और इल्लिसिट शराब पीता है। उसका नतीजा यह है कि दिल्ली में 8 लोग मर गये। इल्लिसिट शराब पीकर लोग खतम होते हैं। इस पर ध्यान देने की बात है। आप जब तक मद्य निषेध के साथ उन लोगों को कुछ शिक्षित करने की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की कोई बात नहीं करेंगे तब तक मद्य निषेध नहीं होगा। कुछ उनकी परेशानियां मिटें, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित मानिये, ज्यों ज्यों शराबबन्दी करेंगे त्यों त्यों इल्लिसिट डिस्टीलेशन बढ़ेगा, लोगों में गड़बड़ियां होंगी। यह समस्या उतनी आसान नहीं है, जितनी सोच रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दुनियां के इतने बड़े देश हैं, सारे देशों के अन्दर खाने-पीने की कहीं पर भी पाबन्दी नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे और कामयाब न हुए तो इसका कितना भयंकर असर पड़ेगा, यह हमको सोचना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते कि सारा देश निरामिष ही निरामिष रहेगा। नान-वेजिटेरियन रह नहीं सकता। आज दुनियां के देश बहुत नजदीक आ गये हैं। अपने यहां दूसरे देशों के लोग भी आते हैं। तो सारी समस्याओं को ध्यान में रख कर इस पालिसी को अमली रूप देना चाहिये तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। हमने जिस तरह कोशिश की इस तरह यह चीज होने वाली नहीं है, इसमें रेवेन्यू का लास भी होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। आपकी इमेज के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सदन के सामने जो यह संकल्प है यह पहले कभी

(श्री शंकरलाल)

आया है। इसके बाद करीब 4 संकल्प हैं और चारों ही संकल्प बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा अब काफी हो चुकी है इसलिये माननीय वित्त मंत्रीजो शराबबन्दी के बारे में कह दें, ताकि बैकवर्ड क्लासेज को संरक्षण देने के बारे में जो संकल्प आये हैं उनके बारे में चर्चा हो जाय। बिहार ने भी संरक्षण दिया है और दूसरी स्टेट्स ने भी दिया है। हमारे यहां करीब 40 बैकवर्ड काम्युनिटीज हैं जिनकी पापूलेशन राजस्थान की वन-थर्ड पापूलेशन है। जब कि कई माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव एक ही विषय पर दिये हैं, माननीय सदस्यों की भावना है तो इस पर चर्चा कर ली जाय। आप सदन की भावना ले लें और सरकार की भावना ले लें। समय बढ़ा कर भी इन पर चर्चा की जाय तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि इन पर चर्चा आज ही हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदर्श और यथार्थ में बहुत अन्तर हुआ करता है। इसका उदाहरण यह है कि माननीय मेहता साहब ही केवल पक्ष में बोले हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके पक्ष और विपक्ष में नेताओं ने अलग अलग बातें कही हैं। कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मुझे इस पर बोलना नहीं था, लेकिन चूंकि मैं जन-प्रतिनिधि हूं इसलिए जो जन-भावना है उसको आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। इस वजह से मैं एक दो बातें आपके आगे रखना चाहती हूं।

माननीय मेहता साहब ने फर्माया कि जो माननीय एम. एल. एज. शराब पीते हैं उनको सदन की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ बुलाना होगा। अगर आप ईमानदारी से हमारे एम. एल. एज. से पूछेंगे, मैं व्यक्तिगत तौर पर आरोप नहीं लगाती हूं, मगर ईमानदारी और धर्म से तैयार हो जायं कि शराब पीने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए तो मेरे खयाल से विधान सभा में सदस्यों की संख्या ये ही रह जायगी। हो सकता है कि मैं गलत होऊं लेकिन मेरे खयाल से पीने वाले माननीय सदस्यों की संख्या ½ तो होगी ही।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस वाले तो पीते ही नहीं हैं यह तो आप जानती हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डागाजी जरूर पीते हैं।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : मैं थोड़े अपने क्षेत्र के उदाहरण रखना चाहूंगी। आज भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मद्यनिषेध में शामिल नहीं है, लेकिन शराब जो बाजार में बिकती है वह काफी मंहगी है। हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र में महुआ काफी होता है; तो भील इलाके में लोग शराब बनाते हैं और वह शराब वे लोग लकड़ी के भारे में बान्ध कर शहर में ले आते हैं, महिलाएं अपने कपड़ों में छिपा कर ले आती हैं और शहर में बेच जाती हैं। बाजार में 12-15 रुपये बोतल की कीमत होती है और यह शराब घर बैठे ही 5-7 रुपये बोतल में मिल जाती है तो पीने वाला क्यों छोड़ेगा ?

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जबरदस्ती करने से काम नहीं चलता है। जबरदस्ती कानून बनाकर इस प्रकार की चीजें रोकी जाती हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी एक दफा निवेदन किया था कि कानून से आज तक कितने अपराध बन्द हो गये हैं? नियम बना दिया है तो क्या चोरियां होना बन्द हो गया है? श्रीमन् आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतनी मृत्यु हो गई। तो, श्रीमन्, ऐसी घटनाएं ज्यादातर ऐसी जगहों में होती है जहां नशाबन्दी हो चुकी है और जहां नियन्त्रित शराब नहीं मिलती है। स्प्रिट नौसादर वगैरह डालकर बनी हुई शराब बिकती है। इस प्रकार की शराब जहरीली होती है।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा राजनैतिक जीवन 9 महीने का है। इसमें मैं निवेदन करना चाहती हूं, मेरे पास मेरे क्षेत्र के कुछ लोग ट्रान्सफर्स की दरख्वास्तें लेकर आये। जब उनको मैं मना करती हूं तो वह कहते हैं कि बीमारी का सर्टिफिकेट बना कर ले आयें। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर ट्रांसफर के लिए बीमार होने का सर्टिफिकेट डाक्टर से प्राप्त हो सकता है तो शराब पीने के लिए भी वह कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा आफिसर है, मैं नाम नहीं लेती हूं, डाक्टर से भी मैं परिचित हूं; उस डाक्टर ने, श्रीमन्, उनके स्थानान्तरण के लिए झूठी बीमारी का सर्टिफिकेट दे दिया। यह मैंने मेरी आंखों से देखा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जबरन कोई चीज बन्द नहीं हो सकती है।

इसी प्रकार से मैं, श्रीमन् निवेदन करना चाहती हूं कि सदन में, विधान सभा में पहले पान खाना मना था, लेकिन चूंकि हमारे सुखाड़ियाजी को पान का शौक बहुत था और वह चाहते थे कि यहां पर पान की दुकान लग जाय, इसलिये पान की दुकान वर्षों से चली आ रही है। हमारे, माननीय नेता पान खाते हैं और ज्यादातर लोग पान खाते हैं इसलिए वह बन्द नहीं हो रही है। इसके अलावा और कोई नशा बन्द नहीं हो रहा है तो केवल शराब पर ही क्यों आक्षेप किया जाता है। जिस प्रकार सुखाड़ियाजी चीफ मिनिस्टर थे तो पान की दुकान लग गई, इसी प्रकार राजाओं के राज्य में बार लग गई तो क्या बुरा हो गया?

जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती भाई ने कहा कि मोरारजी ने बम्बई में मद्य-निषेध किया था तो भी वहां इतनी शराब बिकती थी कि प्रतिदिन लगभग 300 व्यक्ति पकड़े जाते थे, अपराध प्रमाणित होता था और सजा होती थी। आगे जाकर मद्य-निषेध उनको तोड़ना पड़ा। फिर संसार के 36 राष्ट्रों में, आप सभी जानते हैं, मद्य-निषेध हुआ था, लोगों को शहरों में शराब नहीं पीने दी जाती थी तो लोग-बाग समुद्र में नाव में बैठ कर जाते थे और वहां पर शराब पीते थे। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि आप जन-मानस बदलें। जनमानस इतना बदल जाय कि इस स्थिति को मन्जूर कर लें कि यह हमारे लिये घातक चीज है तभी शराब बन्दी हो सकती है। तो पहले जन मानस तैयार किया जाय उसके बाद मद्य-निषेध को लागू करें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक जनमानस तैयार नहीं होता है तब तक अच्छी शराब दी जाय और जो स्प्रिट,

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)

डी. डी. टी. मोलिसिल की खराब शराब मिलती है उसका मिलना बन्द कर दिया जाय। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी विचार हो चुका है। और दूसरे महत्वपूर्ण संकल्प हैं।

श्री पद्मसिंह राठौड़ : मैं कभी नहीं बोलता हूं। आप एक मिनट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय गिरधारी लालजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अमेंडमेंट दिया है। मैंने मालूम किया है कि आपका अमेंडमेंट खारिज हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने अस्वीकार कर दिया है लेकिन आपने डिबेट के लिए अलाऊ कर दिया है। हमारे बोलने का अधिकार है वह कायम रखा है।

श्री अयूब खां : वह अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। वह महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर बन्द करने का था।

श्री उपाध्यक्ष : जो वस्तुस्थिति है वह यह है।

श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष, आपने समय दिया उसके लिए अग्रिम धन्यवाद।

मैं एक शेर से इसको प्रारम्भ करता हूं—
जिन्हें खुदा ने दिया है वह खून पीते हैं
हमें वह भूल गया है चलो शराब पियें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक बार और कहिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शेर के पीछे जो भावना है उस पर ही आप गौर कर लीजिये, पर उसको कारगर प्रयोग में न लायें ··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य एक बार और कहें।

श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर :
जिन्हें खुदा ने दिया है वह खून पीते हैं
हमें वह भूल गया है चलो शराब पियें।

तो मेहता साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उत्साह से वे शराब-बन्दी की बात करते हैं उसी उत्साह से वे 70 पर्सेन्ट जो गरीब लोग हैं जो कि 15-20 रुपये महीने पर जीते हैं और जिन्हें रात को नींद नहीं आती है क्योंकि उनके पेट में अन्न नहीं है, वे बिना किसी उत्तेजना का सहारा लिये अपना जीवन अन्धकारपूर्ण गुजार देते हैं, उनके लिये बात करें। यह जो सामाजिक चेतना वाली बात कही गई यह बिल्कुल सही है, परन्तु सामाजिक चेतना के साथ-साथ आर्थिक उन्नति अगर आप नहीं कर पायें तो शराबबन्दी की बात जिस प्रकार से दिखती है उस प्रकार संभव नहीं होगी। इसके लिए आप दुनियां भर के कानून बना दें लेकिन जब तक हम लोगों का आर्थिक ढांचा ठीक नहीं करेंगे और गरीब को नहीं उठायेंगे तब तक शराबबन्दी नहीं होगी। अब दूसरी बात शराब के बारे में कही गई है कि इसमें सारे अवगुण हैं। एक कवि की पंक्ति है वह मैं पढ़ देता हूं—

मुसलमान और हिन्दू हैं दो
एक मगर उनका प्याला।

(श्री ईश्वर चन्द्र)

एक मगर उनका मदिरालय,
एक मगर उनकी हाला।
दोनों रहते एक न जब तक,
मन्दिर मस्जिद में जाते।
लड़वाते है मन्दिर मस्जिद,
मेल कराती मधुशाला।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी को इस तरह करना ठीक नहीं है। कोई डाक्टर का सर्टिफिकेट दे दे तो उसको छूट मिल जाय, इस प्रकार तो दुनियां भर की बात हो जायेंगी। इसलिए जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि अखिल भारतीय नीति को अपना कर सम्यक् रूप से प्रधान मंत्री मोरारजी से हमारे मुख्य मंत्री मिल कर शराबबन्दी कर दें। और उसी तरह बन्द कर दें जैसे रातों रात हजार हजार के नोटों का चलन बन्द किया। मेरा निवेदन है एक स्वर से सब जगह शराबबन्दी कर दीजिये। अगर नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं है कि कोटा में तो पी रहे हैं और बूंदी वाले तरस रहे हैं

हमको दो बून्दें मयस्सर हो न
और कुछ ओठों से मयखाने लगे हैं।

इस तरह करने से तो, वित्त मंत्री जी, आपकी पालिसी डेफिनेटली फेल होगी। इस पर आप सम्यक् रूप से विचार करें।

मैं निवेदन करूं ज्यादा समय तो आप मुझे देंगे नहीं शेर तो बहुत सारे बोल सकता हूं। माननीय मेहता साहब, आप कल्पना कीजिये, इनके सामने कभी बोतल चली जाय—

बोतल खुली जो हजरते जाहिद के वास्ते
मारे खुशी के काश भी दो गज उछल गया

मैं निवेदन करना चाहता हूं यूं तो ढेर सारी शेरों-शायरी है। किन्तु यह गंभीर विषय है। जो शराब पीने वाले लोग हैं वे इस शराब को ज्यादा समझते हैं—

आये थे हंसते खेलते मयखाने में—
जब पी चुके शराब तो संजीदा हो चुके।

आदमी शराब पीकर गंभीर हो जाता है। जैसा बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शराब पीकर साहित्य का सृजन होता है, कला और संस्कृति का विकास होता है। अगर आपकी यही राय है और आपके चिन्तन की यही प्रक्रिया है तो सम्पूर्ण विनाश हो जायगा। इससे तो अच्छा है कि सदन के ताले लगा दिये जायं, शेरों-शायरी को अवरुद्ध कर दिया जाय।
बनाने वाले को बनानी थी भट्टी शराब की
बन्दा बना के क्यों मेरी मिट्टी खराब की

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिसने गांधी जी की समाधि पर जाकर शपथ खाई है—

(व्यवधान)

जितना आपको अधिकार है, उतना मुझे भी अधिकार है। मैं तो इजाजत मांग रहा रहा हूं बोलने की…

(व्यवधान)

गांधी जी का समाधि पर शपथ खाई है, इसलिए जरूर पीना चाहिये और हम चाहते हैं घर घर में, गली गली में, गांव गांव में शराब पीयें? यही हम चाहते हैं? जनता पार्टी ने कसम खाई है और आप शराब पर बोल रहे है…

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस स्तर पर बहस को मैं ले जाना चाहता हूं उसमें व्यवधान बीच बीच में डालते है। मेरा यह तात्पर्य नहीं है और न मैं कहता हूं कि शराब बन्दी न हो। लेकिन इसके बारे में आप गम्भीरता से विचार करें। अपने कान और आंख खोलकर विचार करें। अगर हम इसी प्रकार केवल सदन में बहस मुबाहिशा करते रहे तो सब बेकार हो जायगा। आज तो हालत यह है—

मय भी होटल में पियो,
चन्दा भी दो मस्जिद में
शेख भी खश रहे,
शैतान भी नाराज न हो।

मेरा निवेदन है आपकी नीति क्या है। आप शराबबन्दी पूरी लागू क्यों नहीं करते है? क्यों इसको आंशिक रूप से बन्द करते है? गंगानगर में बन्द नहीं करते है, बीकानेर में बन्द कर देते हैं। कोटा में बन्द नहीं करते है, बूंदी में कर देते है। तो सब जगह एक साथ बन्द क्यों नहीं कर देते है और नहीं करते है तो क्यों नहीं आप त्याग पत्र दे देते हैं? इस तरह की नीतियों से काम नहीं चलेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा माननीय खेत सिंह जी ने कहा, सामाजिक चेतना कीजिये, जागृति लाइये। घर घर में, गली गली में और गांव गांव में जब तक इस प्रकार की सोशल एजूकेशन नहीं दे पायेंगे, जब तक जन मानस में इस बात को पूरी तरह से नहीं उतारेंगे तब तक शराब को आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिये इस पर सब तरफ से विचार करके जन जागरण करिये तभी विकास होगा, अन्यथा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पदम सिंह।

श्री पदमसिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : दारू देते मांस दें, गौरस बिचली ग्रास तिरिया देय हुंस बोलनी—पांच भाया रो वास।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही बात तो यह है कि नशा बन्दी जठा ताईं लागू नहीं करनी चाहिये जतरे लोगां रों मान्स नहीं पलटे। लोगों रा मानस पलट्या बिना अगर नशाबन्दी लगाई तो फेल होनी ज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सही बात तो या है कि शराबबन्दी पर असलियत में आनो पड़सी और ई कारण आनो पड़सी कि गरीब लोगां रो एन्जायमेंट को कोई साधन नहीं है। नशा बन्दी करनी चाहिजे तो बड़ा शहरां में करनी चाहिजे। 20-30 किलो मीटर एरिया में शराबबन्दी हो। जितनी गुण्डा गर्दी बडा शहरां में होवे उतरी गांवां में नहीं होवे। गांवां में कोई एन्जायमेंट रो साधन है तो वा दारू ही है।

होली दिवाली त्योहार और त्योहारां पर गरीबां रे राग रंग रो साधन दारू है। खास तौर से फाल्गुन रो महीनों है जिनमें होली आवे अर रंग उछले, अगर दारुबन्दी करनी ही है तो बारह महीना माय सू फाल्गुन रो महीनो निकाल दो, क्योंकि गरीबां रे तो यो ही महीनो चंग ढबरों, रंग अबीर रो ने दारू पीवण रो है। माननीय मेहता जी कहवे महात्मा गांधी की समाधि पर दारू नहीं पीवाण रां सौगन्ध खावी पण म्हारो शरीर तो म्हारे साथ है। शरीर री जरूरत पर अंकुश नहीं लागे। महात्मा गांधी ने म्हारा सौ सौ प्रणाम, परन्तु रंग मौज न शरीरी आव-

(श्रीपदमसिंह राठोड़)

टयकना ने, शरीरी जरूरत ने रोकनी नहीं आवे। प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई आज सूं 17 साल पहली सोना रो गहणां रो पैंरवा रा कन्ट्रोल करो परन्तु वह चाल नहीं सक्यो और सरकार ने करोड़ां रां घाटा हुयो जना पांच्छा अवे इतरा वर्षां बाद वानै ही यो कन्ट्रोल तोड़नो पड़यो । जो चीज जन भावना में नहीं समावे उनने लागू करवा री परिणाम इन माफिक होवे । इन वास्ते म्हारो तो निवेदन यह है कि जो चीज जनता नहीं माने ऊने मत लागू करो, क्योंकि कानून बणे तो जनता रे ही वास्ते हैं इस्या कानून रो कोई लाभ जिने जनता नहीं माने ।

आज सूं 10 वर्ष पहली या कतराक वर्ष पहली महाराष्ट्र मां शराब बन्दी ही परन्तु नाजायज शराब पीने घनै मणक मरबा लाग्या जदै महाराष्ट्र पण शराब पाच्छी चालू कर दियो । अब राजस्थान सरकार नशाबन्दी करने पाच्छा कदै चालू कर सी ?

म्हारो बेटो छाने छाने बीड़ी पीवे, म्हूं पण बीड़ी पीऊं, बेटो जाने म्हारा पिताजी बीड़ी पीवे परन जद, ज्यादा कन्ट्रोल करूं तो म्हारा भुन्डा आगे ही बीडी पी ही और धूंवो पण म्हारा ही भून्डा पै निकाले। तो राज्य ने चाहिजे घर घर में दारू निकने इसी दारू बन्द नहीं करनी चाहिजे। अगर नसाबन्दी करनी ही हैं तो इण वास्ते सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करे जो लोगां में या भावना भरें कि दारू घर ने धन ने और शरीर ने नास करे जदै जार कोई बात बणै ।

महुआरां गौड गांवा में होवे बारां फूल री शराब वणै है पण इने आप बिकर बंद करो। अगर महुआ री पैदावार रुखड़ा काट कर बन्द कर दो तो सांटा ऊगता तो बन्द नहीं कर सकतां, क्योंकि सांठा रो गुड बणै, न गुड री शराब बणै तो म्हारो यो कहणो कि जतरे महुआ रां फूल न गुड़ रह ही वतरे दारू बननी बन्द नहीं होसी, या तो घर घर बनवारी चीज हैं। इने रोकवां रे वास्ते अगर आप बन्दोबस्त करो तो करोड़ों रुपया खर्च होवे और लाभ कोई न ।

म्हारे छोटी सादडी तहसील रा प्रताप गढ़ है अठै आप पिछला संशन में दारू बंद करो, अब छोटी सादड़ी में, नीमच में, निम्बा हेडा में और बडी सादडी में जठे के हजारों रुपयां रां होता हा वै अब लाखा रां होवा लाग्या। इनरां कारण कांई। इनरो मतलब यो कि प्रतापगढ़ मे आप नसाबन्दी करी या दुकानां री दारू दठै खपै । तो आप रे लाभ तो कांई हुयो नहीं और आप नवरी बला मोल ले लेनी। इधर रोकना रो खर्चो करो और उधर गांव वाला ने लाभ नहीं इनरै बजाय तो सस्ती शराब दो गांवों में और वाणै राजी राख्यो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बात है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण तो बहुत हो गए, जवाब तो हो जाने दीजिए ।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य-सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक 31 मार्च, 1978 को अपराह्न 3-00 बजे हुई। समिति यह सिफारिश करती है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात् बैठकों का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाय :—

बुधवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1978

(1) राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1978

(2) राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर (निरसन) विधेयक, 1978

इन पर विचार एवं उनका पारण।

गुरुवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1978

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978

(2) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1978

इन पर विचार एवं पारण।

शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1978

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं पारण।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सातवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सदन 7 तारीख तक ही चलेगा या आगे का भी प्रोग्राम है ? आप एक दो दिन का प्रोग्राम देते हैं। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मेहरबानी करके दस पन्द्रह दिन का प्रोग्राम बता दें। पूरी बात पहले से बता दें ताकि सारे सदस्य अपना प्रोग्राम बना सकें। आप सदन को एक-एक दिन के लिए बढ़ाते हैं। यह प्रोग्राम बिजनेस एडवाईजरी कमेटी किस तरह से देती है ? क्या यहां पर इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड की रिपोर्ट डिस्कस होगी ? क्या यहां पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा ? पहले आपके मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि इस पर डिस्कशन किया जाएगा। इस संबंध में कल ही माथुर साहब बोले हैं, उस पर आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं ? इस प्रकार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिठा कर आप सदन के सारे सदस्यों को एक एक दिन बिठाते हैं। आप मेहरबानी करके अपना पूरा टाइम टेबल मुकर्रर करिये कि क्या करना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फैसला तो शिरोधार्य है और उसका जो प्रतिवेदन माननीय मुख्य सचेतक महोदय यहां पर रख रहे हैं उसको स्वीकार करेंगे। मगर जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, हमें यह मालूम पड़ना चाहिए कि

(श्री मथुरादास माथुर)

7 तारीख को यह सदन समाप्त हो जाएगा या 7 तारीख के बाद भी आप बिजनेस रखेंगे ? आप दो दो दिन करके सदन बढ़ा रहे हैं। इस सदन के उपनेता यहां पर बिराजमान हैं, नेता महोदय नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग दो रिपोर्ट्स पर डिस्कशन करने को बड़े इच्छुक हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की 76-77 की और 77-78 की रिपोर्ट। यह अभी तक डिस्कस नहीं हुई है। कल भी मैंने प्रश्न उठाया था कि अभी तक रेटिफिकेशन का प्रस्ताव आपने नहीं रखा है जो आपको लाना पड़ेगा। इस तरह से करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है। आप देख लीजिए, चीफ व्हिप की बात है। दूसरा नम्बर शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट का है। इतने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उनकी भी शिकायत है, उनकी बड़ी इच्छा है कि यह रिपोर्ट डिस्कस हो। इसलिए जो सदन की भावना है वह आप, उपनेता महोदय, नेता महोदय को पहुंचा दें और प्रोग्राम को किस तरह से एडजस्ट करें यह आपको देखना है। 7 तारीख को छुट्टी करके चले जाते है तो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद साल भर में आपने दो बजट तो पेश कर दिए लेकिन अभी तक ये दो रिपोर्ट डिस्कस नहीं हुई हैं यह अच्छा नहीं है।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं आपके विचारों को सदन के नेता तक पहुंचा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का पांचवां प्रतिवेदन, जो मुख्य सचेतक महोदय ने रखा हैं, स्वीकृत किया जावे ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति का सातवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के चुनाव कार्यक्रम में संशोधन

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन और है और यह उधर पक्ष वाले सचेतकों की सहमति से है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के चुनाव-कार्यक्रम में निम्न आधार पर संशोधन किया जावे:—

नाम वापस लेने की तिथि	दि. 3-4-78 को सायं 4 बजे तक।
मतदान यदि आवश्यक हुआ	दि. 5-4-78

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति हैं कि वित्तीय समितियों के चुनाव कार्यक्रम में संशोधन का जो प्रस्ताव मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के चुनाव-कार्यक्रम में संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

2 अक्टूबर, 1977 से सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी

श्री शिवचरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सूरजपालसिंह : हमें भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय सदस्या को बोलने दें।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा निवेदन है एक बहुत ही गंभीर विषय है। अभी आप टाइम बढ़ायेंगे और हमेशा बढ़ाते हैं। यहां के प्रहरियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देने के बारे में पहले भी सदन में घोषणा हुई थी कि हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाएगा। वह अभी नहीं दिया गया है जब कि मंत्री महोदय ने घोषणा की थी। इसी तरह से विधान सभा के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी कहा था कि अलाउन्स दिया जाएगा लेकिन आज 31 तारीख हो चुकी है, उनको भी नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज आप घोषणा करें। इनको आज तक एक पैसा नहीं दिया गया है।

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय सदस्या पहले बोल चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन करता हूं कि मेरे पास जो सूची है पूर्व वक्ताओं की उसमें श्री मथुरादास माथुर, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री शंकरलाल, श्री रामकरणसिंह, श्री रतन लाल, श्री अब्दुल अजीज और श्री श्योपत सिंह। श्रीमती उजला अरोड़ा का नाम नहीं है।

श्री सूरजपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सूची अधूरी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जब भी बोलने के लिए खड़ी होती हूं ये डिस्टर्ब करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप स्मरण करके बतायें कि क्या आप इस संकल्प पर अपने विचार प्रगट कर चुकी हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नहीं बोली थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप निश्चितरूप से स्मरण करके बतायें कि आप इस संकल्प पर नहीं बोलीं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं है। मैं इस विषय पर नहीं बोली हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक आप स्मरण नहीं कर लेती मैं दूसरे माननीय सदस्य को अवसर दे देता हूं। आप अच्छी तरह से स्मरण करके बतायें या मैं वेरीफाई कर लेता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह नहीं बोली हैं। इस प्रश्न पर एक महिला के विचार आना आवश्यक है, अतः इन्हें बोलने का आज मौका दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बोली हूं, मुझे बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोलिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर मसला है, लिहाजा हमारे समाज में जो कुछ बुराइयां हैं वह दूर हो जानी चाहिए। शराब समाज को विकृति की ओर ले जाने

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वाली और समाज को विकृति की अवस्था में पहुंचाने वाली है। यह शराब बहुत खराब है। सारे धर्मों में इसका विश्लेषण करके कहा गया है कि यह बहुत ही खराब है। कोई धर्म ऐसा नहीं जो इसकी ताईद करता हो। कोई संत ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि यह पी जाय। हम आदेशों पर चलने वाले लोग हैं। आदेशों से प्रेरित होकर, मैं समझती हूं, हम प्यार आचरण करना चाहेंगे। शराब का व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं कहा गया, कभी भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली प्रधान मंत्री महिला थी लेकिन महिला प्रधान मंत्री होते हुए भी उन्होंने पूरे देश में इसको बन्द करने की कोशिश नहीं की बल्कि ज्यादा से ज्यादा ठेके दिए गए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ ली थी उनका यह कर्त्तव्य है कि वे शराबबन्दी करें। महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे एक दिन के लिये भी राज्य मिल जाय, या एक दिन भी मैं राज्य करता तो सबसे पहला काम जो करता वह शराब को बन्द करने का करता। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह दलील थोथी है कि कानून बना दिया जाएगा तो भी शराब बन्द नहीं होगी। अगर यही बात है तो आपको ये सब थाने बन्द कर देने चाहिये। आज भी चोरियां होती है, थाने होने के बाद भी हत्यायें हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। फिर थानों को रखने की क्या जरूरत है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक पक्ष इसका यह है तो दूसरा पक्ष यह नहीं है कि हम कानून बनायें। कानून के आतंक से तो भी गलत काम रुक जाते हैं। अगर आप यह कर दें कि हत्या कर दे तो भी फांसी नहीं होगी तो निश्चित रूप से कह सकती हूं कि असामाजिकता फैलेगी। यह असामाजिक कार्य है। एक और समाज कल्याण विभाग ऐसा विभाग है जो सामाजिक सुधार का काम करता है, उसमें लाखों रुपये खर्च करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शराबबन्दी नहीं हो सकती। आप कहते है कि हमें समाज का कल्याण करना है। परिवार कल्याण की हम बात करते हैं तो क्या यह परिवार कल्याण की बात नहीं है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी राज्य में इस तरह का व्यापार किसी सरकार को नहीं करना चाहिये। सरकार जो बात करे खुले आम करे। सरकार इस तरह से शराब बेचेगी तो लोग पियेंगे और इसका असर उनके परिवार पर विपरीत होगा। उनके घरों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट बिगड़ेगा, दूसरे कामों के लिये बजट बिगड़ेगा। कौन महिला पसन्द करेगी कि उसका पति शराब पीये? कौन सी मां चाहेगी कि उसका बेटा शराब पिये? कौन बहिन यह चाहेगी कि उसका भाई शराब पिये? मैं समझती हूं कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी से भी पूछ ले, कोई भाई या कोई बहिन यह पसन्द नहीं करेगी। जब महिलाओं की संख्या आधी है, पचास प्रतिशत जन संख्या उनकी है और वह चाहती है कि शराब न रहे तो मैं नहीं समझ पाती कि इस शराब का व्यापार सरकार क्यों करना चाहती है? क्या सरकार इस बात को नहीं जानती कि शराब पीने के बाद में आदमी की क्या हालत हो जाती है? दारू से बदमस्त होकर जब आदमी पड़ता है तो उसके मुंह पर दाग, उसके पेट पर दाग पड़ जाता है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और उसके घर का बजट बिगड़ जाता है । वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता । एक एक किताब और कापी के लिए उसके बच्चे मोहताज हो जाते हैं । फिर हमारी सरकार शराब का व्यापार क्यों करे ? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों के पास में शराब की दुकानें खोलकर विदेशी दारू की और देशी दारू की दुकानें खोलकर हम क्या समाज की आवश्यकता की पूर्ति करने जा रहे हैं ? यह अन्त्योदय के लिये अनुकूल नहीं है । गरीब से गरीब की स्त्री का इससे भला होने वाला नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरी सरकार इस तरह का काम क्यों कर रही है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तब जनता पार्टी को छोड़ कर इधर आ जाइये ।

श्रीमति उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, आपातकाल के दौरान यह कानन बना था कि स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास, मन्दिरों के पास शराब की दुकानों को नहीं रखा जाएगा । इनका स्थान सीमित कर दिया गया था । कालेजों और विश्व विद्यालय के पास दुकानें नहीं खुलेंगी । मैं निवेदन करूंगी कि वह संशोधन कानून, जो आपातकालीन स्थिति में पारित किया गया था, हो वापस आप लागू करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कच्ची बस्तियों में और मन्दिरों के पास शराब की जो दुकानें हैं, वह हटानी चाहिए । मैं पहले भी मेरी सरकार से निवेदन कर चुकी हूं यह बड़े दुख: की बात है कि ये शराब की दुकानें चल रही है । यह गंभीर मसला है । मैं समझती हूं कि एक एक घर में जो शराब पी जाती है, वह शराब नहीं जहर पी जा रही है । हम एक तरफ जनसंख्या कम करने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ यह अनैतिक व्यापार करते हैं । इस तरह सरे आम यह कहें कि तुम कुकर्म करो । हमने महात्मा गांधी की समाधि पर संकल्प लिया है । उन्होंने यह कहा था राज्य को शराब से होने वाली आमदनी मैं वेश्यावृत्ति की आमदनी समझती हूं । तो क्यों नहीं यह सरकार वेश्यावृति पर टैक्स लगा दे ? शराब में तो वह आमदनी कर ही रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहमियत का प्रश्न है । पिछले सदन में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था । कांग्रेस के राज्य में भी मैंने इसी सदन में कई बार यह बात कही थी, जयपुर में रैगरों की बस्ती में गरीब लोग शराब के पीने मे मर गए । चौकड़ी पुरानी बस्ती में भी एक नौजवान व्यक्ति अंधा हो गया । इसलिए निवेदन यह करना है कि यह शराब का व्यापार जारी रहा और इस पर रोक नहीं लगी तो परिणाम यह हुआ कि कई लोगों के घर बरबाद हो गए । आगे भी कई लोगों के घर बरबाद निश्चित रूप से होंगे । जयपुर शहर में आमेर रोड पर शराब का ठेका चलता है । लोग शराब पीकर सड़क के बीच में पड़े रहते हैं । ऐसा लगता है जैसे जानवर बैठे हुए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती गांधी के नाम से जयपुर शहर में एक बाजार आपातकालीन स्थिति में बनाया गया था । अब उसका नाम कवि बिहारी के नाम पर कर दिया गया है । अब इस कवि बिहारी बाजार में शराब के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ठेके चलते हैं इस बाजार में लोग शराब पीकर उपद्रव करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि शराब मुक्त रूप से मिलना बन्द हो। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जो राज्य शराब से आय करते हैं, वह वेश्यावृत्ति के समान है। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, यह कांग्रेस के राज्य में भी सेक्रेटेरियेट में लिखा हुआ था यह बात लिखी हुई थी।

सदन की अवमानना

श्री विनोद कुमार द्वारा सदन की अवमानना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे एक आवश्यक सूचना सदन को देनी है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज अपराह्न 1.30 बजे जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तब दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति, जो अपना नाम विनोद कुमार बताते हैं, ने सदन के प्रांगण में पर्चे फेंके तथा निम्नांकित नारे लगाये :

"भारत माता की जय।

आपातकाल के अत्याचारियों का नाश हो।

श्री विनोद कुमार को अध्यक्ष महोदय ने अपने कक्ष में बुला कर उनका बयान लिया। वे अपने इस कार्य पर खेद प्रकट करते हैं और यह मानते हैं कि उनके आचरण से सदन की कार्यवाही को बाधा पहुंची है। क्योंकि श्री विनोद कुमार ने अपने कार्य के लिए अध्यक्ष महोदय के समक्ष क्षमायाचना कर ली है अत: यदि सदन की अनुमति हो उन्हें क्षमा प्रदान की जाए तथा सशस्त्र परिचारक की अभिरक्षा से उनको रिहा कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति के अनुसार श्री विनोद कुमार को रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

2 अक्टूबर, 1977 से सम्पूर्ण राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आप से यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास कई आय के स्रोत हैं, वह कई मदों में बचत कर सकती है और शराबबंदी से होने वाले घाटे को पूरा कर सकती है। सरकारी दफ्तरों में बिजली के खर्च को वह कम कर सकती है। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, राक फास्फेट राजस्थान में उपलब्ध है फिर भी दूसरे देशों से यह हमारे यहाँ पर आयात हो रहा है। इससे राजस्थान सरकार आय बढ़ा सकती है और शराबबंदी लागू कर सकती है। हमारे राज्य में यह एक आय का स्रोत हो सकता है। वित्त मंत्री महोदय मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वयं हृदय से शराबबंदी लागू करना चाहते हैं, परन्तु इसमें आपकी विवशता है, मजबूरी है इसलिये आप केन्द्र की ओर देख रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में यह जो खनिज उपलब्ध है, इसका आप खनन करेंगे और इसको विदेशों में भेजना प्रारंभ करेंगे तो आपको आय का एक साधन मिलेगा।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन का समय बढ़ाया जाएगा या नहीं? वित्त मंत्री महोदय इसका जवाब दें ताकि आगे का जो संकल्प

(शंकरलाल)

है उसको लिया जाए। क्या जो दूसरे संकल्प हैं उनको लिया जाएगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे संभावना कम ही दिख रही है।

श्री शंकरलाल : वित्त मंत्री महोदय का जवाब हो जाना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर दूं तब तक वित्त मंत्री महोदय का भाषण न हो। बीच में दूसरे सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं है। मेरा निवेदन है कि स्कूल के पास शराब के ठेके नहीं खोले जाने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, चांदपोल बाजार में हनुमानजी का मन्दिर है और जो दूसरे मन्दिर है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव, कृपया अपना भाषण समाप्त करें

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : पाइन्ट आफ आर्डर

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्षमहोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो दूसरा संकल्प है, उसको सदन में नहीं आने देने के लिए यह साजिश की जा रही है, इस प्रस्ताव पर बहस जारी रखी जा रही है····

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) उपाध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1 पर जो संकल्प है, वह लिया जाएगा या नहीं ? इसके लिए सदन का समय बढ़ाया जाएगा या नहीं ? इस संकल्प के बाद क्रम संख्या 1 से 4 तक जो गैर सरकारी संकल्प हैं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश व बिहार में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार का आरक्षण राजस्थान में दिया जाए और जो समाज कल्याण विभाग द्वारा लिस्ट बनायी गयी है उसको दुबारा बनाया जाए, यह संकल्प है। यह महत्वपूर्ण संकल्प है परन्तु सत्ता पक्ष के सदस्य इस संकल्प को सदन में नहीं आने देना चाहते हैं और इस प्रकार बहस जारी रख कर टाइम जाया कर रहे हैं। इसलिये समय बढ़ा कर यह संकल्प लिया जाए···

(व्यवधान)

समय बढ़ाया जाएगा तो यह मसला आ सकेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है····

(व्यवधान)

शराब, न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको न दे मुझको जबां और।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें।

चूंकि सदन का कार्य समय पांच बजे तक है और पांच बज गये हैं इसलिए सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 3 अप्रेल, 1978 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5-00 बजे सोमवार दिनांक 3 अप्रेल, 1978 के म. पू. 11 बजे के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची)

राजस्थान को आवंटित ऊनी तकुओं की सूची

क्र. सं०		नाम ईकाई	तकुओं की संख्या	आवंटन की तिथि
1.	मैसर्स	बजाज वूलन मिल्स, केकड़ी	600	18-10-75
2.	,,	गणपती वूलन मिल्स, बीकानेर	600	16-10-75
3.	,,	भारत वूलन मिल्स, बीकानेर	1200	21-6-76
4.	,,	स्वातिक वूलन इण्डस्ट्रिज, अलवर	600	19-7-77
5.	,,	जोधपुर वूलन मिल्स, जोधपुर	720	18-4-77
6.	,,	वूल स्पीनर्स बाम्बे, अलवर	120	20-8-77
7.	,,	राजस्थान स्टेट इन्डीस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर	3600	11-8-77
8.	,,	महावीर वूलन इण्डस्ट्रीज	300	18-4-77
9.	,,	अग्रवाल वूलन मिल्स, बीकानेर	600	22-6-77
10.	,,	एलाइड फाइबर एण्ड टैक्सटाइल्स, बाम्बे	600	22-6-77
11.	,,	कमल कारपेट, बीकानेर	600	20-8-77
12.	,,	इण्डिया कारपेट एन्ड फिनिशिंग कं. जयपुर	600	20-8-77
13.	,,	बालाजी वूलस मिल्स, बीकानेर	200	20-8-77
14.	,,	वूल इंडिया, भीलवाड़ा	600	25-8-77
15.	,,	एच. जे. वूलन मिल्स, बीकानेर	600	24-9-77
16.	,,	राजस्थान स्टेट इण्डस्टियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपो. लि.	1200	21-1-77
17.	,,	त्रिलोक स्पिनिंग मिल्स, सीकर	300	22-10-77
18.	,,	राजस्थान कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गुलाबपुरा	1200	22-10-77
19.	,,	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज, जयपुर	600	22-10-77
20.	,,	जगदम्बा वूलन मिल्स, मेड़तासिटी	300	22-10-77
21.	,,	परमेश्वरी वूलन मिल्स, बीकानेर	300	22-10-77
22.	,,	जनता कारडिंग एण्ड स्पिनिंग इंडीस्ट्रीज, बीकानेर	200	22-10-77
			16720	

Page No 131

(131)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 635 की सूची)

राजस्व अभियान के दौरान भू आवंटन एवं कब्जों की जिलेवार सूची

		भू आवंटन (क्षेत्रफल एकड़ में)				अलाटिंग कब्जा (क्षेत्र.एकड़ों)	
क्र. सं.	नाम जिला	अनुसूचित जाति	जनजाति	अन्य	योग	अनुसूचित जाति	जनजाति
1	अलवर	526	882	1638	3046	456	614
2	बांसवाडा	721	13311	2016	16048	721	13311
3	भीलवाडा	823	729	1884	3436	674	296
4	डूंगरपुर	313	8893	3005	12211	313	8442
5	जयपुर	909	1011	2746	4666	548	642
6	जैसलमेर	1049	72	7879	9000	1049	72
7	जालोर	246	160	626	1032	246	160
8	झालावाड	4024	1619	6713	12356	3568	1462
9	जोधपुर	326	49	378	753	326	49
10	पाली	165	25	234	424	165	25
11	सीकर	137	2	116	255	137	2
12	टोंक	3141	1639	6913	11693	3141	1639
13	उदयपुर	3675	14608	5413	23696	3675	14608
14	बाडमेर	196	—	316	512	196	—
15	चुरू	—	—	—	—	—	—
16	कोटा	—	—	—	—	—	—
17	बीकानेर	291	—	1240	1531	291	—
18	झुंझुंनू	6	—	9	15	6	—
19	अजमेर	519	170	1009	1698	सूचना प्राप्त नहीं हुई है	
20	भरतपुर	342	53	850	1245	,,	
21	बुन्दी	4401	4838	10743	19982	,,	
22	चितौड़गढ़	2078	5175	3539	10792	,,	
23	गंगानगर	6940	—	6865	13805	,,	
24	नागौर	20	—	11	31	,,	
25	सवाईमाधोपुर	1757	586	2606	4949	,,	
26	सिरोही	587	478	652	1717	,,	
	योग —	33192	54300	67401	154893		

परिशिष्ट-३

समयाभाव के कारण नहीं लिए गए तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

धरियावद तहसील की कच्ची सड़कों को पक्की करना

636. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) - क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धरियावद तहसील जिला उदयपुर में राज्य सरकार द्वारा किनकिन सड़कों को जो कि अभी तक कच्ची हैं पक्की बनाने का प्रावधान रखा गया है व उसके लिए कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) अब तक धरियावद तहसील में कितनी पक्की सड़कें हैं व कितनी कच्ची सड़कें हैं ? क्या धरियावद से लसाड़िया जाने वाली सड़क एक दम कच्ची है ? क्या राज्य सरकार इस सड़क को पक्की बनवाने का कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) दो सड़कों के लिये ऐसा प्रस्ताव है जिनके नाम एप्रोच रोड टू कालीभीत तथा पारसोला से भारकुण्डी है। इन पर क्रमश: 5 लाख तथा 10.78 लाख के व्यय की स्वीकृति है।

(2) धरियावद तहसील में दो पक्की तथा 8 कच्ची सड़कें हैं। सूची संलग्न है। धरियावद से लसाड़िया जाने वाली सड़क कच्ची है। इस सड़क को पक्की बनाना अभी विचाराधीन नहीं है। इस सड़क की अनुमानित लागत 55 लाख रुपये होगी।

सूची

			सड़क की किस्म			
क्र.सं.	सड़क का नाम	कि. मी.	डामर	कंकरीट	फेयरवेदर	अर्थवर्क
1.	भखारा से धरियावद	24	16	8	–	–
2.	धरियावद प्रतापगढ़ रोड	10.5	10.5	–	–	–
3.	बान्सी धरियावद डिस्ट्रक्ट बोर्डर से धरियावद	16.70	13.20	2.5	–	1
4	धरियावद पारसोला रोड	25.73	5	14	6.73	–
5.	भुगांणा से बरवाली	5	–	3.5	1.5	
6.	लसाडीया से धरियावद	33.50	–	–	–	3.50
7.	झुझपुरा से लसाडिया	15	–	–	15	–
8.	बम्बोरा से कुण	24	–	–	–	24
9.	पान्दुद से भीन्डर	17	–	–	–	17
10.	सलुम्बर लसाडिया बान्सी रोड	39.5	–	–	–	39.5

जोधपुर शहर की कृषि मंडियां

637. श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर शहर में कितनी कृषि मण्डियां हैं तथा किस किस मन्डी में कितनी कितनी दुकानें व कितने किसने गोदाम बने हुए हैं? जिसमें से किन किन व्यक्तियों को आवंटन की गयी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की कृषि मन्डियों में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को अपना कारोबार करने हेतु दुकानों व गोदामों के आवंटन से कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों नहीं दी गयी ? क्या शेष बची हुई दुकानों के आवंटन में इन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ? अगर हां तो कितने प्रतिशत तथा नहीं, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में एक कृषि उपज मन्डी समिति है जिसके अन्तर्गत दो अन्य गांव मण्डियां है। इन तीनों मण्डियों में बनी दुकानें व गोदामों की सूची तथा जिन जिन व्यक्तियों को यह आवंटन की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दुकानों व गोदामों के आवंटन में अनुसूचित जाति व जन जाति का कोई आधार नहीं होता है। मन्डी में अनुज्ञा पत्रधारी व्यापारियों को ही दुकानें आवंटित की जाती हैं। अनुसूचित जाति व जन जाति के किसी व्यक्ति ने थोक का कार्य करने के नाते दुकानों के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया। केवल फल सब्जी मन्डी पावटा में चार अनुसूचित जाति के फुटकर व्यापारियों को आवेदन करने पर फुटकर दुकाने आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त इस मन्डी यार्ड की चार दीवारी में बाहर की ओर बिलाड़ा रोड पर बनी 20 विविध प्रकार की दुकानों में से भी चार दुकानें अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई। इस समय इन मन्डियों में कोई दुकानें आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नेशनल हाई वे की मरम्मत

638. श्रीमती इजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाई वे की मरम्मत के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ धनराशि दी गई है? यदि हां तो कितनी और उसे कहां कहां कितनी कितनी उपयोग में ली गई और कितना कितना निर्माण कार्य करवाया गया है ?

(2) क्या राज्य में नया हाईवे बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कहां कहां से ?

उत्तर

(1) जी हां। चालू वित्त वर्ष 1977-78 में राष्ट्रीय राज मार्ग की मरम्मत हेतु भारत सरकार से अभी तक 171.13 लाख रुपये उपलब्ध हुए है एवं सलंग्न सूची 'क, के अनुसार खडवार खर्च किया गया है। इस धनराशि से राज्य में 2109 कि. मी. राष्ट्रीय राज मार्ग की मरम्मत व देखरेख की गई।

(2) राज्य में नये राज्य पथ बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है राज्य सरकार स्वयं कोई बड़े नेशनल हाई वे बनाने के लिए सक्षम नहीं है। केवल प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाते हैं और संलग्न सूचि 'ख, में अंकित सड़कों को राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से बनाया गया है।

सूची "क"

वर्ष 1977-78 में राष्ट्रीय राज मार्गों की मरम्मत हेतु आवंटित की गई राशि की खण्ड वार सूचि।

खण्ड के नाम	राशि (लाखों में)
1-धोलपुर	23.30
2-भरतपुर	14.42
3-जयपुर	32.67
4-सीकर	9.61
5-अजमेर	9.12
6-उदयपुर	31.45
7-बीकानेर	20.35
8-गंगानगर	8.44
9-बाड़मेर	6.22
10-सांचोर	4.00
11-जोधपुर	4.40
12-जैसलमेर	6.56
योग:—	171.13

सूची "ख"

राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिये प्रस्तावित की गई सड़कों की सूची

क्रम संख्या	मार्ग का विवरण	राजस्थान राज्य में लम्बाई
1.	जयपुर देवली कोटा भोपाल मार्ग	320 कि मी.
2.	सांगोद पहोरा सादुलपुर गजवारा असवका गोसाड	15 कि. मी.
3.	पोकरण जोधपुर ब्यावर	290 कि. मी.
4	बीकानेर नागौर अजमेर देवली कोटा शिवपुरी (म.प्र.)	450 कि. मी.
5.	अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ इन्दौर	320 कि. मी.
6.	श्री डूंगरपुर तारानगर हिसार पटियाला चण्डीगढ	175 कि. मी.
7.	कोटा भरतपुर धौलपुर सिर्फ	130 कि. मी.

नव निर्वाचित सरपंचो को चार्ज दिया जाना।

639. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:—

नव निर्वाचित पंचायत के सरपंचों को क्या सभी जगह सम्पूर्ण चार्ज दिला दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? अब कब तक चार्ज दिला दिया जायेगा ?

उत्तर

केवल 21 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को छोड़कर शेष समस्त नव निर्वाचित पंचायतों के सरपंचों को पंचायत का सम्पूर्ण चार्ज दिया जा चुका है। जिन पंचायतों का चार्ज अब तक नहीं दिया जा सका है उनका विवरण चार्ज न देने के कारणों सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है। इन पंचायतों का चार्ज भी यथाशीघ्र नवनिर्वाचित सरपंचो को नियमानुसार दिलाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

सूची

क्र० सं०	नाम जिला	नाम पंचायत जिसका चार्ज नहीं किया गया है	पंचायतों का चार्ज अब तक नहीं देने का कारण
1	2	3	4
1-सीकर		सुलियावास	ग्रुप सचिव के फरार होने के कारण इन पंचायतों के सरपंचों ने स्वयं ही चार्ज नहीं लिया है।
2-अजमेर		शेरगढ़	
		फतहगढ़	,, ,,
		नौसल	,, ,,
		भदून	,, ,,
		कोटड़ी	,, ,,
		जाजोता	,, ,,
		सामला	,, ,,
3-कोटा		बड़वा	ग्रुप सचिव के अनुपस्थित के कारण
		कटावर	,, ,,
		खातोली	,, ,,
		नियाना	,, ,,
		बोराबास	,, ,,
		गिरधरपुरा	,, ,,
		कड़ोलिया	,, ,,
		किशनपुरा तकिया	,, ,,

1	2	3
4—जालौर	निम्बावास	सरपंच स्वयं अनुपस्थित रहने के कारण
	जैसावास	,, ,,
	जैरण	,, ,,
5—बाड़मेर	हुरसानी	ग्राम सेवक की अनुपस्थिति के कारण
	सजियावाली	,, ,,

कानसिंह आयोग

640. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राज्य सरकार द्वारा जो कानसिंह आयोग बैठाया गया था—उसके क्या उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज दिन तक कुल कितनी धनराशि व्यय कर दी गई और क्या क्या उद्देश्य प्राप्त हो गए ?

(2) आयोग का कितना काम शेष है ? शेष काम निपटाने के लिए आयोग को कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 7 (39) 2-आर/ग्रुप–5/77 दिनांक 14–7–77 द्वारा श्री कानसिंह की अध्यक्षता में एक तथ्यान्वेषण समिति का गठन किया गया था, जो अब राजस्थान आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है, इस समिति के उद्देश्यों की एक प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, तथापि उसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल में और उसके ठीक पूर्व एवं बाद की कालावधि में की गई ज्यादतियों की जांच करके तथ्यों का अन्वेषण करना है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समिति/प्राधिकरण निरन्तर कार्य कर रही है। अब तक संलग्न तालिकानुसार इस प्राधिकरण द्वारा शिकायतों का निपटारा किया गया है। माह फरवरी, 1978 तक कुल 80,318 रुपये खर्च किये जा चुके हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है।

संवेतन	57,717
यात्रा व्यय	13,140
चिकित्सा व्यय	1,698
कार्यालय व्यय	17,763
	80,318 रु.

(2) शेष काम को निपटाने के लिए समिति/प्राधिकरण को कम से कम 6 माह का समय लग जाने का अनुमान है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Personnel & Administrative Reforms

(Administrative Reforms Groups-V)

No. F.7(39)AR/Gr.5/77 Jaipur, dated the 14 July, 1977

ORDER

Whereas the Central Government has appointed a Commission under the chairmanship of Hon'ble Justice Shri J. C. Shah, retired Cheif Justice of Supreme Court of India vide Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification of 28th May, 1977 published in the Gazette of India Extraordinary, part II Section 3 sub-section (ii), of even date numbered S. O. 374 (E) (herein after referred to as Central Notification), and whereas in view of clause (ii) of para 3 of the aforesaid notification, the State Government of Rajasthan has decided to appoint a Fact Finding Committee to receive, enquire and process the allegations and instances or series of allegations and instances, as referred to in paragraph 2a (i) to (v) in the Central Notification for submissioa the Shah Commission by the State Government, the State of Government hereby constitutes the aforesaid Facts Finding Committee as under :

1.	Hon'ble Justice Shri Kan Singh retired Judge of the High Court	Chairman
2.	Shri Ram Raj Lal Gupta, District & Session Judge, Pali.	Member Secy.

The aforesaid Committee shall lay down its own procedure of working.

The Committee shall submit its final report to the State Government by 31-10-77. In case the committee is able to conclude enquiry into any particular allegation or series of allegations before the aforesaid date, it shall make interim report to the State Government earlier.

By order of Governor
Sd/-(H. P. AGRAWAL)
Dy. Secretary to Government,

आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण को प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या	कुल शिकायत पत्रों के निपटारें की सख्या	कुल शिकायत पत्रों की संख्या जो पेण्डिंग है।	शिकायतों का विवरण	विशेष विवरण
1–	4586	769	3817	ये शिकायत पत्र सीधी समिति को प्राप्त हुई।	
2–	1314	21	1293	ये शिकायत पत्र शाह आयोग से प्राप्त हुए हैं।	540 मीसा बन्दियों की फाईलों (इन शिकायतों के अतिरिक्त) का निरीक्षण कर शाह आयोग को व राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है।

बाड़मेर जिले के बालोतरा और पाटोदी कस्बों को घरेलू उद्योगों (जूतियां बनाने) पर आश्रित परिवारों को ऋण सुविधा

641. श्रीमती मदनकौर (पदपदरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बालोतरा और पाटोदी कस्बों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के परिवार कलात्मक जूतियां बनाने के छोटे और घरेलू उद्योग में लगे हुए हैं ? यदि हां, तो इनकी अनुमानतः क्या संख्या है ?

(2) अब तक ऐसे कितने परिवारों को राज्य सरकार की ओर से या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज प्राप्ति करने की सुविधा दी गई ?

(3) क्या राज्य के लघु उद्योग निगम या उद्योग विभाग की ओर से उक्त घरेलू उद्याग और लघु उद्योग को विकसित करने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाये गये ? यदि हां तो उसका बिस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां। बालोतरा में 153 एवं पाटोदी में 56 परिवार अनुसूचित जाति के कलात्मक जूतियां बनाते हैं।

(2) अब तक राज्य सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा बालोतरा एवं पाटोदी में 22,500) रुपये का ऋण दिया गया है। तथा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा 82 परिवारों को कर्जा प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। तथा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर द्वारा तीन चर्म उत्पादक समितियों को 3000) रु. का ऋण एवं 4000) रु. की सहायता दी गई जूतियां व चमड़े का कार्य करने वाले 9 परिवारों एवं 2 सहकारी समितियों को है।

(3) जी हां। बालोतरा एवं पाटोदी क्षेत्र के कलात्मक जूती उद्योग के भावी विकास के सम्बन्ध में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग पंजीयन योजना के तहत इन घरेलू उद्योगों का भी पंजीयन करना आरम्भ कर दिया है। पंजीकरण के बाद विभिन्न सुविधायें एवं सहायताएं उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। इन सुविधाओं और सहायताओं का ब्योरा सदन के पटल पर रख दिया है।

इसके अलावा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जूती बनाने वाले चर्मकारों को 2250) रु. का ऋण एवं 250) रु. की सहायता दिये जाने की योजना है।

राजस्थान में लघु उद्योग इकाइयों को दी जाने वाली सहायताएँ एवं सुविधायें

(1) लघु उद्योग इकाइयों का पंजीयनः-

लघु उद्योग इकाइयां वे कहलाती हैं जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी पर 10 लाख रुपये तक पून्जी विनियोजन किया हुआ हो। इसी प्रकार सहायक इकाइयां (एनसिलरी-उद्योग) वे हैं जिनमें 15 लाख रुपये तक की पून्जी निवेश हो। इन इकाईयों का पंजीयन क्रमशः जिला अधिकारियों एवम् निदेशक, उद्योग विभाग के कार्यालय में किया जाता है। जिन लघु उद्योगों में संयंत्र एवम् मशीनों पर पून्जी विनियोजन 2 लाख रुपये से अधिक का होता है। उनके पंजीयन के लिए पिछड़े जिलों मे 25 रुपये तथा अन्य विकसित जिलों में 50 रुपया शुल्क देना होता है। उद्यमी अपनी इकाई का पंजीयन कराने के बाद रियायतें एवम् सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं।

(2) भू-आवंटनः—

राजस्थान राज्य उद्योग एवम् खनिज विकास निगम औद्योगिक क्षमता वाले स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के लिए भूमि 99 वर्ष के लिए पट्टे पर आवंटित की जाती है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन) नियम, 1961 के अधीन जिलाधीशों को कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तन करने के अधिकार हैं।

(3) औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं का विकासः—

(क) राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास :—

राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम ने निम्नलिखित जिलों में 42 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया है :— (प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कोष्ठक में दी गई है)

अजमेर (4)	अलवर (2)	बाड़मेर (1)
भरतपुर (1)	बीकानेर (3)	चरू (2)
गंगानगर (3)	जयपुर (3)	जोधपुर (2)
कोटा (4)	झुंझुनुं (2)	पाली (3)
सिरोही (2)	सवाईमाधोपुर (1)	टोंक (2)
उदयपुर (1)	भीलवाड़ा (1)	चित्तौड़गढ (1)
डूंगरपुर (1)	सीकर (1)	झालावाड़ (1)
नागौर (1)		

विकास दरें निम्न हैं:—

श्रेणी	प्रति वर्ग मीटर दर (रुपये)	
श्रेणी (ए) :—	जयपुर नगर के समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र	10-00
श्रेणी (बी) :—	कोटा शहर, सूरतगढ़ के समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र	9-00
श्रेणी (सी) :—	अलवर एवं जोधपुर नगरों के समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र	7-50
श्रेणी (डी) :—	उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, भीलवाड़ा, किशनगढ़, गंगापुर के औद्योगिक क्षेत्र	6-50
श्रेणी (ई) :—	मकराना एवं भीवाड़ी (अलवर) नगरों के औद्योगिक क्षेत्र	5-50
श्रेणी (एफ):—	सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, टोंक, भिवाड़ी, पिलानी, श्योगंज (सिरोही) सीकर तथा आबूरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र	4-00
श्रेणी (जी) :—	डूंगरपुर, बालोतरा (बाड़मेर), जालोर, चिड़ावा, (झुन्झुनू), डूंगरगढ़ (चूरू), सोजतसिटी (पाली), शहरों के औद्योगिक क्षेत्र	3-50

वार्षिक किराया तीन लाख एवं अधिक की आबादी वाले नगरों में 30-00 रुपये प्रति 4000 वर्ग मीटर व 10000 की एवं 3 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 25-00 रुपये प्रति 4000 वर्ग मीटर व 1000 से कम की आबादी वाले नगरों में 15-00 रुपये प्रति 4000 वर्ग मीटर निर्धारित है।

(ख) हायर पर्चेज पर शेड्स :—

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने अपने अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत से शेड्स बनाए हैं जिन्हें सुविधाजनक शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है।

(4) उद्योग विभाग के औद्योगिक क्षेत्र:—

उद्योग विभाग ने भी 16 स्थानों पर, अर्थात् बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर (झोटवाड़ा एवं सुदर्शनपुरा), झालावाड़, जालोर, कोटा एवं पाली में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है।

(5) उद्योग विभाग की औद्योगिक सम्पदायें :—

उद्योग विभाग ने 11 स्थानों पर अर्थात् माखुपुरा, (अजमेर,) भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर, औद्योगिक सम्पदाओं का विकास किया है।

(6) सहायता प्राप्त औद्योगिक सम्पदायें: —

उद्योग विभाग प्राइवेट एजेन्सियों को भी औद्योगिक सम्पदाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार सहायता प्राप्त औद्योगिक सम्पदायें रानी एवं फालना (पाली) और ब्यावर (अजमेर) में कार्यरत हैं।

(7) क्षारीय क्षेत्र :--

नमक बनाने के लिए क्षारीय क्षेत्रों का आवंटन निदेशक, उद्योग विभाग की सिफारिश पर सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। क्षारीय क्षेत्र जैसलमेर, नागौर, चूरू एवं जोधपुर जिले में है।

(8) वित्तीय सुविधायें :–

(क) उद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधायें :—

(II) बिक्री कर के बराबर ब्याज रहित ऋण :–

उद्योग विभाग तथा राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम स्थाई परिसम्पत्तियां सृजित करने के लिए नए ऋणों एवं उस पर ब्याज की अदायगी के लिए औद्योगिक इकाई द्वारा चुकाए गए राजस्थान बिक्री कर या केन्द्रीय बिक्री कर की राशि के बराबर का ब्याज रहित ऋण देते हैं। यह ब्याज रहित ऋण स्थिर परि-सम्पित्तियां के कुल मूल्य के 8 प्रतिशत तक दिया जाता है। यह सुविधा 1-4-76 से 31-3-87 तक स्थापित होने वाली समस्त नई उद्योग ईकाईयां को उपलब्ध है। पुरानी इकाइयां यदि दिनांक 31–3–76 को अपनी संस्थापित क्षमता में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि करती है तो उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

(III) शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनि ऋण :–

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षित बेरोजगार जो अपना नया लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको 10 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण कार्यशील पूंजी एवं पूंजी विनियोजन के लिए ब्याज की उदार शर्तों पर दिया जावेगा।

(ख) राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त वित्तिय सुविधायें :–

(1) दीर्घ कालीन ऋण

राजस्थान वित्त निगम, स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकरण एवं नवीनीकरण के लिए दीर्घकालीन ऋण स्वीकृत करता है। सामान्य निगम एक औद्योगिक इकाई को 10000 रु. से लेकर 3 लाख रु. तक के ऋण स्वीकृत करता है। ब्याज की दर 8 प्रतिशत से लेकर 13-5 प्रतिशत तक ली जाती है।

(II) सुलभ ऋण योजना :-

राजस्थान वित्त निगम इस योजना के अधीन लघु उद्योगों की भूमि क्रय करने, कारखाना भवन बनाने, मशीनों की खरीद करने के लिए 10,000 रु. से लेकर 1–5 लाख रु. तक ऋण देता है। मार्जिन ऋण नई भूमि, भवन एवं

(III) तकनिशनों को सहायता योजना

इस योजना के अधीन बिना किसी मार्जिन के, किसी भी एक एक परियोजना के लिए अधिकतम दो लाख रु. तक की सहायता दी जा सकती है। आवेदन योग्य इंजीनियर (डिग्री धारक) या इंजीनियरिंग में पोलोटेकनिक डिप्लोमा धारक या किसी तकनीकी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त होनी चाहिये।

(ग) राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम द्वारा प्रदत्त वित्तिय सहायता

राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम भी लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योगों को 30 लाख रु. तक ऋण देता है।

(घ) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता

(1) मध्यावर्गीय ऋण :-

यह ऋण फैक्ट्री भवन। शेडों के निर्माण हेतु तथा मशीनों एवं उपकरण खरीदने के लिये दिया जाता है। इसमें लगभग 25 प्रतिशत मार्जिन मनी रहता है। तथा 5 से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि में इसकी अदायगी करनी होती है। इन बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी ऋण भी दिया जाता है।

(II) निर्यात हेतु वित्तीय सहायता

बैंक निर्यात हेतु माल लदे जाने से पूर्व। पश्चात वित्तीय सहायता स्वीकृत करती है।

(III) तकनीकी उद्यमियों को ऋण :-

कुछ बैंकों तकनीकी उद्यमियों को बिना किसी प्रतिभूति के 2-00 लाख रु. तक का तथा एक ही इकाई में एक से अधिक तकनीकी उद्यमियों के सहयोग होने पर 3 लाख रु. तक का ऋण स्वीकृत करती है।

(4) ब्याज की विभेदक दर योजना, 1977

यह योजना अब सभी जिलों में लागू की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत कुछ बैंकों मशीनों एवं उपकरणों के लिये 5,000 रु. तक तथा कार्यशील पूंजी के लिये 1500 रु. तक का ऋण उन्हीं आवश्यकतामंद शिल्पकारों को स्वीकार करती है। जिनके परिवारों की ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रु. तक प्रतिवर्ष तथा नगरीय क्षेत्रों में 3000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक आय नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर सिर्फ 4 प्रतिशत है। ये ऋण बिना किसी प्रतिभूति के स्वीकृत किये जा सकते हैं।

(ड) इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता एवं अन्य

लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थिर परिसम्पतियों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं एवं इसके बदले में वे अपनी पूर्ति इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया की पुनर्वित योजना के अंतर्गत करते हैं। लघु उद्योग इकाइयों के मामले में कम से कम 10,000 रु. की राशि के ऋण का पुनर्वित (रिफाईनेन्स) किया जा सकता है।

इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इण्डिया भी भारत सरकार की क्रेडिट गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाईयों को विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को दिए गए ऋण के शत प्रतिशत पुनर्वित की सुविधा प्रदान करता है।

(II) उद्यमियों को सीड केपीटल सहायता:-

इस योजना के अधीन लघु उद्योग इकाईयों को सहायता एवं इक्विटी या सुलभ ऋण (सोफ्ट लोन) के रूप में दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत या 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, होगी। इस योजना के अन्तर्गत नये तकनीकी उद्यमियों को तथा विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों की परियोजना को प्राथमिकता दी जाती है।

(।।।) विश्व बैंक ऋण:-

लघु उद्योग इकाइयां आई. डी. बी. आई. से विश्व बैंक ऋण प्राप्त कर अब मशीनों का आयात कर सकती है। विदेशों से संयंत्र एवं मशीनें खरीदने के लिए सहायता राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से की जा रही है। मार्गदर्शन हेतु इस सम्बन्ध में अधिक विस्तृत सूचना इस निगम से प्राप्त की जा सकती है।

(4) रिडिस्काउटिंग सहायता:-

इकाइयों को आस्थगित भुगतान आधार पर मशीने खरीदने के लिए आई. टी. बी. आई. स्वदेशी मशीनों की बिक्री के बिलों। प्रमीसरी नोटों पर रिडिस्काउन्ट देती है इससे लघु उद्योग इकाईयों की आस्थगित भुगतान के आधार पर आधुनीकरण। नवीनीकरण में सहायता मिल सकती है

9— पिछड़े क्षेत्रों में सुविधायें:-

(क) राज्य के 16 जिले अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, झुन्झुनू, नागौर, सीकर, सिरोही, टौंक एवं उदयपुर पिछड़े जिले घोषित किये गये हैं। इन जिलों में राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋणों पर ब्याज (रिफाइनेंसिंग के बाद) की प्रभावी दर 8½ प्रतिशत है। इन जिलों में उदार ऋण योजना के अन्तर्गत ब्याज की अधिकतम सीमा 1000 रुपये कर दी गई है।

(ख) 15 प्रतिशत केन्द्रीय सबसिडी योजना

भारत सरकार, विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों अर्थात अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा उदयपुर, नागौर, और चूरू जिलों में निदेशक, उद्योग विभाग। राजस्थान वित्त निगम। जिला अधिकारी। उद्योग विभाग के मार्फत नई इकाईयों की, प्रति औद्योगिक इकाई अधिकतम 15 लाख रुपये की स्थिर पूंजी पर 15 प्रतिशत की दर पर सबसिडी प्रदान करती है। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बाकी के 10 विनिर्दिष्ट पिछड़े जिलों अर्थात जालौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टौंक, झुन्झुनू, सिरोही, झालावाड़, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी अपने वित्तीय साधनों से 15 प्रतिशत केपीटल सबसिडी लघु उद्योग इकाईयों को दी जायेगी।

(ग) ग्रामीण उद्योग परियोजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पांच पिछड़े जिलों नागौर, चूरू, टौंक, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ जिलों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 1971 की जन गणना के अनुसार 25,000 तक की आबादी वाले समस्त गांव एवं कस्बों को ले लिया गया है। ग्रामीण उद्योग परियोजना क्षेत्रों में, व्यक्तिगत रूप से या सहकारी समितियों द्वारा संचालित इकाईयों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज की वर्तमान दर 5½ प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा उपकरणों के ऋण एवं सबसिडी, सहकारी समितियों द्वारा संचालित इकाईयों को प्रबन्धकीय सबसिडी, कच्चे माल एवं परिष्कृत उत्पादों की जांच पर सबसिडी एवं इन-प्लांट ट्रेनिंग के लिये सबसिडी दी जाती है।

(उद्योग मंत्री)

(10) हायर परचेज के आधार पर मशीनों की सप्लाई,

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड नई दिल्ली, नई या विस्तारशील इकाईयों को हायर परचेज योजना के अन्तर्गत नये संयंत्र एवं मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इसके अन्तर्गत निगम वितरक को पहले वस्तु की पूर्ण राशि का भुगतान कर देता है तथा बाद में वह उसकी क्रेता से वसूली किश्तों में करता है।

(11) विद्युत प्रभार में रियायतें:-

विद्युत प्रभार में निम्न रियायतें दी गई है:-

1) इलक्ट्रिक कैमिकल एवं इलक्ट्रिक थर्मल उद्योगों को विद्युत ड्यूटी के भुगतान से मुक्त रखा गया है। (2) उपर्युक्त (1) में वर्णित उद्योगों के अलावा विनिर्माण, उत्पादन, संसाधन या माल की मरम्मत आदि से सम्बन्धित उद्योगों में बिजली की खपत पर प्रति यूनिट एक पैसे का दर से ड्यूटी लगाई जातीहै।

(16) परीक्षण सुविधायें :—

मानकीकरण के लिए नाममात्र की दर पर परीक्षण सुविधायें उद्योग विभाग, जयपुर की रसायनशाला, अभियांत्रिकी महाविद्यालय जयपुर और जोधपुर एवं सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स अनुसंधान, पिलानी में उपलब्ध है।

(17) परीक्षण उपस्कर आर्थिक सहायता :—

उद्योग विभाग परीक्षण उपस्कर की कीमत के 50 प्रतिशत की सीमा तक या प्रति प्रार्थी प्रतिवर्ष 5000 रु. की सीमा तक इनमें से जो भी कम हो, परीक्षण उपस्कर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह योजना दिनांक 1-4-74 से लागू की गई और दिनांक 31-3-79 तक जारी रहेगी।

(18) आई० एम० आई० प्रमाणन चिन्ह योजना :—

भारतीय मानकीकरण संस्थान, नई दिल्ली से (आई. एस. आई) मानक चिन्ह प्राप्त किया जा सकता है। इनका एक कार्यालय जयपुर में भी स्थापित किया गया है।

(19) तकनीकी सहायता :—

राज्य का उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग सेवा संस्थान (आई. एस. आई) और राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लघु उद्योगों को उत्पादन की लाभकारी दिशाओं को चुनने एवं अन्य प्रक्रियाओं के जानने हेतु तकनीकी सहायता परामर्श प्रदान करता है।

(20) निर्यात संवर्धन :—

राजस्थान में निर्यात संवर्धन के लिए नामतः राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम दो निर्यात केन्द्र हैं जो कि औद्योगिक इकाइयों के उत्पादनों के निर्यात का संवर्धन करते हैं।

(उद्योग मन्त्री)

(21) कच्चा माल :—

लोहा और इस्पात, कोयला, मोम, फैटी-एसिड आदि जैसे दुर्लभ कच्चेमाल का वितरण राजसिको के 15 डिपो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर और उदयपुर द्वारा किया जाता है।

(22) अभियांत्रिकी उद्यमियों को ब्याज में आर्थिक सहायता :—

उद्योग विभाग, तकनीकी तन्त्री उद्यमियों के मामले में पिछड़े जिलों में 5 वर्ष और अन्य जिलों में 3 वर्ष के लिये वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋणों पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज एवं सामान्य दर के ब्याज के

23. औद्योगिक संभाव्यता/सर्वेक्षण/परिच्छेदिका (प्रोफाइल)

जिलेवार औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट, योजना परिच्छेदिका उद्योग निदेशालय, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, एस आई.एस.आई, आई.डी.बी.आई, आर.एस.आई.सी, आर.एफ.सी. में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(24) हाथकर्घा विकास योजनाओं के अधीन सुविधाएं :—

(क) राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मंडल

गैर सहकारी खंड में बिभिन्न हाथकर्घा विकास गतिविधियों में समन्वय एवं उनके कार्यान्वियन के लिए सन् 1975 में राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मंडल का गठन किया गया है। वर्तमान में, मंडल की गतिविधियों निम्नलिखित 11 जिलों तक सीमित है। इन जिलों के नाम जयपुर, जोधपुर, अजमेर अलवर, भीलवाड़ा, जालोर, कोटा, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, और पाली है। मंडलकर्घा और उनके सहायता उपकरणों की खरीद के लिए व्यक्तिगत बुनकर को 50–75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता देता है। और बाकी राशि के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण सहायता देता है। मंडल ब्याज की सस्ती दरों पर बैंकों की मार्फत कार्यशील पूंजी ऋण (वर्किंग केपीटल लोन) भी दिलवा देता है। मंडल राजस्थान लघु उद्योग निगम के माध्यम से अपनी निर्यात अभिमुख (एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड) उत्पादन योजना को निष्पादित करता है।

(ख) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. जयपुर :—

इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में संबद्ध सहकारी बुनकर समितियों को कच्चा माल उपलब्ध कराना और उनके उत्पादन के विपणन की व्यवस्था करना है। यह व्यवस्था इनके बिक्री केन्द्र जयपुर व अलवर द्वारा की गई है।

(उद्योग मन्त्री)

(ग) उद्योग विभाग की योजना:—नई डिजाइन एवं तकनीकी प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक निरीक्षक/डिजाइनर हैं। डी.आर.आई. योजना के अधीन बैंकों के जरिए व्यक्तिगत बुनकरों को कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। आर.बी.आई. योजना के अधीन केन्द्रीय सहकारी बैंक के जरिए समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मंडल के पेटर्न पर एक योजना के विचाराधीन जिसके अंतर्गत मंडल द्वारा शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों में हाथकर्घा और उनके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए आर्थिक सहायता और ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। विभाग भी अनुमोदित हाथकर्घा सहकारी समितियों को उनकी बिक्री पर 5 प्रतिशत दर से छूट देता है। उत्पादनों का प्रदर्शन एवं व्यापार करते हैं। निगम सामग्री की प्राप्ति पर इकाइयों को 90 प्रतिशत अग्रिम देता है एवं बाकी 10 प्रतिशत का भुगतान बिक्री होने के बाद किया जाता है। व्यापार केन्द्र भी 15 प्रतिशत अधिमान्य मूल्य (प्राइसप्रिफेन्स का हकदार है।

(26) हस्तशिल्प का विकास:- राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम राजस्थान के हस्तशिल्प के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहन करता है तथा शिल्पियों को सामान्य सुविधायें एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है। हस्तशिल्प डिजाइन, निकास एवं अनुसंधान केन्द्र संचालित करता है और अपने एम्पोरियम के जरिये विपणन की व्यवस्था करता है। निगम अपने डिजाइन केन्द्र जयपुर और हस्तशिल्प के कच्चा माल डिपो नाथद्वारा के जरिये कच्चे माल की सप्लाई करता है। निगम शिल्पियों को उनके द्वारा की जाने वाली सप्लाई के संबंध में ऋण भी देता है निगम के जरिये हस्तशिल्प सामग्री का निर्यात भी किया जाता है।

(27) खादी एवं ग्रामोद्योग: राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर द्वारा विशिष्ठ खादी एवं ग्रामोद्योग तथा खादी सूती ऊनी एवं जटपट्टी धान्य एवं दलहन के संसाधन ग्राम्य चर्मउद्योग, ग्राम्य तेल उद्योग, घरेलू माचिस उद्योग, गुड़ एवं खाण्डसारी, अखाद्य तेल और साबुन, हस्त निर्मित कागज, मधुमक्खी पालन, तंतु (फाइबर) मृदभांड (पोटारी) बढ़ईगिरी, लुहारी, चूना, निर्माण ताड़गुड़, गोंद, राल, फल संसाधन तथा गोबर गैस संयंत्र के संरक्षण एवं विकास के कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ऐसे उद्योगों में लगे संस्थानों, समितियों और व्यक्तियों को सचित्र, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग मंडल से खादी और ग्राम्य उद्योग आयोग अनुमोदित पेटर्न के अनुसार ऋण, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधायों की प्राप्ति के लिए संपर्क करना पड़ता है। इसका उद्देश्य परम्परागत उद्योगों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी को दूर करना और ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में विस्थापित होने से रोकना है। अब ग्रामोद्योगों को भी जिला अधिकारियों द्वारा पंजीयन करने के आदेश दिये हैं ताकि अन्य उद्योगों को दी जाने वाली रियायते, सुविधायें इनको भी उपलब्ध हो सके।

[redacted]

सांचोर तहसील में भूमिहीन कृषकों को आवंटित भूमि का कब्जा

642. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील में भूमिहीन काश्तकारों को आवन्टित भूमि का कई काश्तकारों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है? अगर हां, तो इन काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब उनको कब्जा कब तक दे दिया जावेगा? अब तक कब्जा नहीं दिये जाने के क्या कारण थे?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पावटा में भूमिहीन काश्तकारों को जमीन आवंटित की गई थी? अगर हां, तो कब कब एवं कितने काश्तकारों को?

(4) क्या यह सही है कि फिर उक्त आवंटित जमीन पर गुजरात राज्य के एक भूतपूर्व जागीरदार ने अपना दावा पेश कर खुदकाश्त में जमीन मांगी थी? अगर हां, तो कब एवं उसका क्या निपटारा किया गया?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त भूतपूर्व जागीरदार को भूमिहीन काश्तकारों की आवंटित जमीन न देने के राज्य सरकार के आदेश हुए थे? अगर हां, तो कब?

(6) उन आदेशों की पालना अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं?

(7) उक्त आदेशों के अनुसार भूमिहीन काश्तकारों के गलत तौर से म्यूटेशन्स खारिज, जो तहसीलदार सांचोर द्वारा किये गये थे, उनको वापिस ठीक कब तक करवा दिया जावेगा?

(8) अब कार्यवाही में देरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां सूची संलग्न है।

(2) उक्त आवंटियों को उपलब्ध भूमि से अधिक भूमि का एवं नियमों के प्रतिकूल आवंटन होने से आवंटित भूमि के कब्जे नहीं दिये गये हैं। आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है अतः कब्जा देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हां यह सही है। संवत 2022 एवं संवत 2023 में 38 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी।

(3) जी नहीं। बल्कि सही यह है कि भूतपूर्व जागीरदार को दिनांक 29-2-60 के आदेश में खुदकाश्त में यह भूमि पहले ही आवंटन की गई थी एवं बाद में इसी खुदकाश्त में आवंटित भूमि का भूमिहीन काश्तकारान को संवत् 2022 व 2023 में आवंटन कर दिया गया था।

(4) राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 5-6-73 से उक्त भूमि भूतपूर्व जागीरदार को नहीं देने के आदेश दिये गये थे।

(राजस्व मन्त्री)

(5 व 6) उक्त आदेशों की पालना हेतु तहसीलदार, सांचोर को लिख दिया गया था लेकिन इस आदेश से पूर्व ही तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 30-11-67 से उक्त भूमि को रेकर्ड में उक्त जागीरदारान के नाम खुद-काश्त में दर्ज करवा लेने से अग्रिम पालना नहीं हो सकी।

(7) इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम भूतपूर्व जागीरदार के नाम स्वीकृत नामांतरण को निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है। तत्पश्चात् आवंटियों के नाम अस्वीकृत नामांतरण-करणों पर नियमानुसार कार्यवाही संभव होगी।

(8) कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा कार्यवाही में देरी नहीं की गई है अपितु न्यायिक प्रक्रिया में प्रकरण आ जाने से समय लगा है अतः कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्व अभियान के तहत विवादास्पद मामले

744. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत राज्य में अब तक कितने विवादास्पद मामले निपटाये गये हैं ? इनमें खातेदारी अधिकार, भूमि का नियमन आदि मामले की ब्यौरेवार संख्या सदन के पटल पर रखी जावे।

(2) राजस्व अभियान के अन्तर्गत किशनगंज/शाहबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितने मामले निपटाये गये ?

(3) अभी तक क्षेत्र के भू-विवाद संबंधी अनिर्णीत मामलों को कब तक सुलझाया जायेगा ?

(4) क्या सरकार छोटी जोतों पर लगान माफ करने के प्रस्ताव के निर्णय को क्रियान्वित कर रही है ? यदि हां, तो छोटी जोत की सीमा कितनी निश्चित की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) इस हेतु प्रयास जारी है।

(4) इस हेतु आदेश दिनांक 16-1-1978 को जारी कर दिये गये है। आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(150)

राजस्व अभियान के दौरान निपटाये गये मामलों का विवरण

(1) खातेदारी अधिकार

(क) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये		1,23,106
(ख) दिसम्बर, 74 से पूर्व आवंटित भूमि वाले व्यक्ति जिन्होंने दस वर्ष की शेष अवधि का ढाई गुना लगान जमा कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये।		13,156

(2) नामान्तरकरण के मामलों का निपटारा

(क) कुल व्यक्तियों की संख्या जिन्हें नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये		5,77,393

(3) सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान व बाड़ों का निपटारा

(क) निपटाये गये कुल मामलों की संख्या		31,017
(1) नियमन द्वारा		21,660
(2) बेदखली द्वारा		9,357

(4) सिवाय चक गैर मुमकिन पड़त अंगोर या वन भूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों और ढाणियों की संख्या जिनका नियमितीकरण किया गया।		575
	संख्या	रकबा
(5) अतिक्रमण के निपटाये गये मामलों की संख्या एवं रकबा	2,66,539	4,38,373 एकड़
(क) नियमन द्वारा	48,157	93,720 एकड़
(ख) बेदखली द्वारा	2,18,382	3,44,653 एकड़
(6) रहन बिल कब्ज की भूमि का कब्जा दिलाये गये व्यक्तियों की सं०	3,462	
(7) काश्तकारों की अप्राप्त भूमि के लगान में कमी की गई व्यक्तियों की संख्या एवं राशि	सं. 32713 एवं राशि 63194 रु.	

(8) कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के निपटाये गये मामलों की संख्या।	12,778	
(9) ग्रामों की संख्या जिन्हें आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई की संख्या क्षेत्रफल	1,838 ग्राम एवं 15,864 एकड़ में।	
(10) बैंकिंग संस्थाओं से काश्तकारों को ऋण दिलाने के निपटाये गये मामलों की संख्या	27,095	
(11) कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमांत कृषकों जिनकी आय 2400) रुपये वार्षिक से कम है के ऋण भार समाप्ति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने बाबत निपटाये गये मामलों की संख्या		1,131
(12) वृद्धावस्था पेंशन दी गई व्यक्तियों की संख्या		18,611
(13) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों की संख्या		1,32,777
(14) पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था संबंधी ग्रामों की संख्या जिनके लिये प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है।		4,989

राजस्व अभियान के दौरान तहसील किशनगंज व शाहबाद में निपटाये गये मामलों का विवरण

	किशनगंज	शाहबाद
(1) खातेदारी अधिकार		
(क) दिसम्बर, 1974 से पूर्व आवंटित भूमि वाले व्यक्ति जिन्होने दस वर्ष की शेष अवधि का ढाई गुना लगान जमा कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये।	446	566
(ख) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये।	—	—
(2) कुछ व्यक्तियों की संख्या जिन्हें नामान्तरकरण स्वीकृत किए गए।	144	58
(3) सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान व बाड़ों के निपटाए गए मामलों की सं०		
(क) बेदखली द्वारा	—	57
(ख) नियमन द्वारा	—	200

(152)

(4) सिवायचक, गैर मुमकिन, गूहल, अंगोर व वन भूमि पर स्थापित फार्मों व ढाणियों के नियमितीकरण की संख्या	—	—
(5) अतिक्रमण के मामले जो निपटाए गए की संख्या एवं रकबा		
(1) बेदखली द्वारा	1127 एवं 1237 रकबा एकड़	1642 एवं 2939 रकबा एकड़
(2) नियमन द्वारा	929 एवं 2345 रकबा एकड़	350 एवं 574 रकबा एकड़
(6) रहन बिल कब्ज की भूमि का कब्जा दिलाए गए व्यक्तियों की संख्या	30	—
(7) काश्तकारों की अवास भूमि के लगान में कमी की गई व्यक्तियों की संख्या एवं राशि।	16 एवं 65) रुपये	30 एवं 109रु०
(8) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण निपटाये गये मामलों की सं०	—	—
(9) फार्मों की संख्या जिन्हें आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराई की संख्या एवं क्षेत्रफल	— एवं क्षेत्र०	— एवं क्षेत्र०
(10) बैंकिंग संस्थानों से काश्तकारों को ऋण दिलाने के निपटाए गए मामलो की संख्या	11	5
(11) कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमान्त कृषकों जिनकी आय 24(0) रु० वार्षिक से कम है के ऋण भार समाप्ति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने बाबत निपटाये गये मामलों की संख्या	—	—
(12) वृद्धावस्था पेंशन दी गई व्यक्तियों की सं०	12	18
(13) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों की संख्या	600	471
(14) पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सम्बन्धी ग्रामों की संख्या जिनके लिए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए गए हैं।	66	28

———

राजस्व (ग्रुप-4) विभाग

आदेश

विषय: —काश्तकारों को राहत देने के लिए भू-राजस्व में छूट।

क्रमांक प. 5(4)राज/ग्रुप-4/77 जयपुर, दिनांक 16-1-1978 राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कृषकों के पास 1 अप्रेल, 1977 को राजस्थान में कुल जोत की भूमि नीचे लिखे गये क्षेत्रों में उनके आगे अंकित भूमि के बराबर अथवा कम है और समस्त ऐसी जोत की भूमि असिंचित है उन जोतों पर खरीफ, सम्वत् 2034 की फसल से भू-राजस्व नहीं लिया जायेगा:—

1	उपजाऊ, अर्द्ध उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र (Fertile, semi fertile and hilly zone)	6-178 एकड़ अथवा ढाई हैक्टेयर असिंचित भूमि।
2	अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्र (Semi Desert zone)	16-475 असिंचित भूमि।
3	रेगिस्तानी क्षेत्र (Desert zone)	22-53 एकड़ असिंचित भूमि।

उपरोक्त उपजाऊ, अर्द्ध उपजाऊ एवं पहाड़ी क्षेत्र तथा अर्द्ध रेगिस्तानी व रेगिस्तानी क्षेत्र का वर्गीकरण वही होगा जो कि (Rajasthan Imposition of ceiling on Agricultural Holding Act, 1973) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1973 के शिड्यूल में दिया गया है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि जो ऐसी भूमि देहरी, सेवज, सारिण्ड, सेलाबी, तालाबी पेटा, कछार, सातली भूमि भू-अभिलेख में दर्ज है वह इस छूट के लिए असिंचित नहीं मानी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(एस. एल. जोशी)

विशिष्ठ शासन सचिव राजस्व

उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये डी. पी सी.

645. श्री बहादुर सिंह (दानपुर):-(89)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए डी पी. सी. कब से नहीं बैठी है काफी समय से यदि नहीं बैठी है तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि डी. पी. सी. की बैठक जब हुई है उसमें से कुछ तदर्थ नियुक्त तकनीकी अधिकारियों को नियमित किया गया है यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या तकनीकी अधिकारियों को डी. पी. सी. के न होने के कारण अथवा नियमों में दोषपूर्णता होने के कारण पदमान आदि की हानि हो रही है ? उसकी क्षति पूर्ति का क्या प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत राजस्थान उद्योग सेवा के अधिकारियों के बारे में विभागीय पदोन्नति (डी. पी. सी.) की मीटिंग 25-6-76 को हुई थी। तत्पश्चात कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 4-6-77 के द्वारा प्रतिबन्ध के फलस्वरूप अभी तक डी. पी. सी. की मीटिंग का आयोजन नहीं हो सका है।

(2) जी नहीं। राजस्थान उद्योग सेवा नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में सहायक निदेशक के समकक्ष तकनीकी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। सेवा नियमों के अनुसार वांछित ग्राह्यता के अभाव में किसी भी ऐसे तदर्थ नियुक्त तकनीकी अधिकारी का नियमन गत डी. पी. सी. की मीटिंग में नहीं दिया गया।

(3) जी नहीं। भविष्य में विभाग में उपलब्ध तकनीकी अधिकारियों को पदोन्नति के अवसर प्रत्यक्ष प्राप्त होते रहें, इसलिए उनकी ग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

अजमेर जिले में एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला का अभाव

646. (68 । क्र. सं.) श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला नहीं है ?

क्या यह भी सही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से ब्यावर में ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति ने 40,000/ रु. लगाकर एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला अप्रेल 1977 में स्थापित की थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रयोगशाला स्थापित होने के बाद ब्यावर तथा आसपास की मण्डियों में शुद्ध तेल, मसाला आदि उपलब्ध होने लगा था ? यदि हां तो जून 1977 में बिना कोई कारण बताए सरकार ने उसे बन्द करने का आदेश क्यों दिया ?

(4) क्या सरकार जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एवं कृषि मण्डी के 40,000/- रु. के व्यय को बचाने हेतु उपरोक्त प्रयोगशाला चालू करने के आदेश देने का विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) ब्यावर में एक एगमार्क प्रयोगशाला है।

(2) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति ब्यावर ने एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशाला स्थापित की है जिस पर मण्डी समिति ने दिनांक 11-7-77 तक 25,000/ रु. व्यय किये।

(3) प्रयोगशाला ने मण्डी समिति की देखरेख में माह अप्रेल में कार्य प्रारम्भ किया किन्तु निदेशक कृषि विभाग द्वारा दिनांक 24-6-77 को कार्य बन्द करने के आदेश दिए गए क्योंकि 'एगमार्क' का कार्य कृषि निदेशक के अधीन है एवम् विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा है न कि मण्डी समितियों द्वारा।

(4) कृषि विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रयोगशाला को प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

मैसर्स शिरोधा एण्ड ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज खैरथल का कर निर्धारण

647. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सहायक खनिज अभियन्ता अलवर ने अपने पत्र दिनांक 30-6-76 द्वारा सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अलवर से मैसर्स शिवरोधा लाइम एण्ड ब्रिक्स इन्डस्ट्रीज, खैरथल के कर निर्धारण के सम्बन्ध में वर्ष-1972-73 व 1973-74 में कितनी ईंटों व कली की बिक्री मानी जाकर कर निर्धारण किया गया इसकी जानकारी मांगी थी यदि हां, तो क्या यह जानकारी दे दी गई है? यदि हां, तो यह जानकारी कब दी गई।

उत्तर

जी हां, सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर ने उनके पत्र दिनांक 30-6-76 से जानकारी चाही थी, किन्तु मैसर्स शिवरोधा लाइम एण्ड ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज, खैरथल की कर निर्धारण पत्रावली उपायुक्त (अपील्स) एवं राजस्व मण्डल में जाने के कारण चाही गई सूचना नहीं दी जा सकी। सहायक खनिज अभियन्ता, अलवर को इस बाबत अन्तरिम उत्तर दे दिया गया था उक्त फर्म की कर निर्धारण पत्रावली वर्ष 1972-73 से 1973-74 की वाणिज्यिक कर अधिकारी के पास प्राप्त होने के पश्चात ही चाही गई सूचना प्रेषित की जा सकेगी यह पत्रावली अभी राजस्व मण्डल में है।

राजस्थान में डी. पी. ए. पी. स्कीम में सीकर जिले को सम्मिलित करना

648. श्री रिढमलसिंह (सीकर): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई जिलों व तहसीलों में डी.पी.ए.पी. स्कीम चल रही है यदि हां, तो कहां 2? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिला अर्द्ध रेगिस्तानी है? यदि हां, तो इसे कब तक इस स्कीम में सम्मिलित कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर,

(156)

(भेड़ व ऊन मन्त्री)

बाड़मेर जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, बीकानेर जिले तथा उदयपुर जिले की भीम, देवगढ़ और खेरवाड़ा तहसीलें तथा अजमेर जिले की ब्यावर तहसील तथा झुंझुनु जिले की झुंझुनु तथा चिड़ावा तहसीलें आती है।

(2) सीकर जिले को एक केन्द्र प्रवर्तित योजना मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु भारत सरकार के द्वारा चयनित किया गया है।

बाड़मेर जिले की भेड़ों में भयंकर बीमारी की रोकथाम

649. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में किन किन स्थानों से भेड़ों में भयंकर बीमारी के कारण हजारों कि तादाद में उनके मरने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो वे किन किन बिमारियों से पीड़ित थी।

(2) उक्त बीमारी के उपचार एवं रोकथाम के लिए विभाग ने क्या क्या प्रबन्ध किये और उसके क्या परिणाम रहे ?

(3) उक्त जिले में भेड़ों में बीमारी की अब क्या स्थिति है और उनके उपचार के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे है ?

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले की राव तहसील में बीमारी की सूचना जिलाधीश बाड़मेर से प्राप्त हुई थी। वहां पर भेड़ों में बीमारी फैलने के कारण काफी तादाद में मृत्यु हुई है। यह बीमारी सीसजनीयोसीस की थी जो कि राजस्थान प्रान्त में पहली बार देखी गई है।

(2) उक्त बीमारी के उपचार एवं रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग के रोग अनुसंधान अधिकारी एवं भेड़ व ऊन विभाग के उप-निदेशक मौके पर पहुंच गये थे।

(3) उन्होंने बीमारी की जांच की और लक्षणात्मक उपचार की यथा सम्भव स्थानीय व्यवस्था की। तत्पश्चात् अन्य स्थानों से भी दवाइयां वहां भिजवाई गई। परिणाम स्वरूप बीमारी पर काबू पा लिया गया।

नशाबंदी के लिये घोषित क्षेत्र में अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियां

650. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नशाबन्दी के लिए घोषित (Prohibited Areas) में ऐसे राज्याधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां सरकार द्वारा कर दी जाती है जो आदतन नशेबाज होते हैं ? इससे उन अधिकारियों को या तो शराब पीने के लाइसेन्स हासिल करने पड़ते अथवा चोरी छिपे गैर कानूनी जरिये से अपना शौक पूरा करना पड़ता है जिससे नशाबन्दी उसूलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा नशाबन्दी कानून तोड़ने की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलता

(श्री मेघराज पंवार)

है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में शराब के आदी अफसरों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति प्रोहीबिटेट ऐरिया में किये जाने पर पाबन्दी लगाने की कोई योजना रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। नियमों में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर शराब के आदी सरकारी कर्मचारियों का पता लगाया जा सके एवं इस प्रकार के कर्मचारियों के मद्य निषेध क्षेत्रों में पदस्थापन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी राज्य कर्मचारी ने मद्य निषेध क्षेत्र में परमिट नहीं ले रखे हैं। कानून तोड़ने वाले चाहे कोई भी हो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतः कानून तोड़ने की वृत्ति को प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना नहीं है। फिलहाल ऐसी पाबन्दी नहीं है परन्तु राज्य सरकार इस बारे में विचार कर रही है।

ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत लिये गये आदिवासी क्षेत्र

651. (191 क. मं) श्री कुन्जीलाल (बामणवास)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):—

क्या जन जातीय क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत रखे गये आदिवासी क्षेत्रों के अलावा वे क्षेत्र जहां पर अपेक्षाकृत आदिवासियों की घनी आबादी है, उन क्षेत्रों में माईक्रो प्रोजेक्ट योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो किन किन जिलों के किन-किन ग्रामों तथा इस योजना का ब्योरा क्या है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त योजना के लिये ग्रामों व क्षेत्रों का चयन का क्या मापदण्ड है ?

(3) अब तक इस योजना पर कितनी धन राशि किन किन वर्षों में खर्च की गई है ? अगले वित्तीय वर्ष में कितनी धन राशि खर्च करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है। माईक्रो प्रोजेक्ट योजना अभी नहीं बनाई जा रही है।

(2) ग्रामों व क्षेत्रों के चयन का मापदण्ड यह है कि एक दूसरे से मिले ऐसे गांवों का समूह जिनकी कुल आबादी 10 हजार या इससे अधिक होनी चाहिये और उनमें जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 50% या इससे अधिक होनी चाहिये।

(3) इस योजना पर अब तक अलग से कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। वर्ष 1978-79 के लिये केन्द्रीय सहायता के लिये निवेदन किया गया है।

धनिया, अजवाइन एवं जीरे के भावों में गिरावट

652. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष धनिया व अजवाइन एवं जीरे की फसल की कीमतों में भारी गिरावट आई है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने किसान को उचित दर दिलवाने का क्या प्रयास किया है?

(2) दो फसलों के बीच दामों की बढ़ती घटती कीमतों को स्थिर रखने हेतु राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? क्या राज्य सरकार के पास इन कीमतों की लूट को नियन्त्रण में रखने की कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी हां। किसान उचित दर प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादन को क्रय विक्रय सहकारी समिति अथवा राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के गोदामों में अमानतन रख कर 'आफसीजन' में स्वेच्छा से ऊंची दरों पर बेच सकते हैं।

(2) उपरोक्त व्यवस्था दो फसलों के बीच घटती बढ़ती कीमतों को किसी हद तक नियन्त्रण करने हेतु की गयी है।

हाई-टेक ग्लास वर्क्स कम्पनी, गंगानगर के सी. ओ. द्वारा ठेके देने में अनियमितता

653. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि धौलपुर की हाई-टेक ग्लास वर्क्स कम्पनी जो गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन है उसके सी.ओ. ने धौलपुर के एक ही शख्स से मिल कर हर चीज का ठेका एक ही शख्स को या उसकी बीवी या दूसरे भाई को देकर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करेगी?

उत्तर

जी नहीं। अतः राज्य सरकार द्वारा जांच करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अजमेर में निःशुल्क कानूनी सहायता समिति

654. श्री नवल राय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर में निःशुल्क कानूनी सहायता कमेटी के संयोजक कौन थे और सदस्य कौन-कौन थे? नाम व पते सदन की मेज पर रखे जायें?

(2) निर्धनों के मामले लड़ने के लिये कितनी राशि अजमेर में ऐसे वकीलों के लिये सरकारी स्तर पर मंजूर की गई?

उत्तर

(1) जिला, उपखण्ड व तहसील स्तर विधिक सहायता समितियां बनाते समय यह नीति निर्धारित की गई थी कि प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष, व तीन सदस्य होंगे। अतः अजमेर विधिक सहायता समिति में कोई भी संयोजक नहीं था। दि0 5-6-76 को गठित अजमेर विधिक सहायता समिति में अध्यक्ष व सदस्यगण निम्न प्रकार से थे।

(विधि मंत्री)

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश अध्यक्ष
2. श्री देव दत्त शर्मा, एडवोकेट सदस्य अजमेर
3. श्री एस. एन. अग्रवाल, एडवोकेट, सदस्य अजमेर
4. श्री गजेन्द्र कुमार जैन, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता, अजमेर

(2) सन् 1975-76, 76-77, 77-78 में हर साल 2-2 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई।

अकालग्रस्त घोषित क्षेत्र शिव में राहत कार्य

655. श्री कानसिंह (शिव): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल पीड़ित घोषित शिव क्षेत्र में क्या 2 राहत कार्य किन-किन गांवों में खोले जा रहे हैं?

(2) पुराने तालाबों को गहरा करवाने एवं कई कुओं व टांके जो अधूरे पड़े हुए हैं उनको खुदवाने व पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार क्या नीति अपना रही है?

(3) चालू वित्त वर्ष में शिव क्षेत्र में कितनी इर्रीगेशन भूमि पर व किन-किन गांवों में धोरे बांधने का प्रावधान है?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में निम्न 3 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं:—

(1) भीयाडर, चोधरा, आरंग कानासर सड़क कार्य।

(2) गिराब फोटा सुन्दरा सड़क कार्य

(3) हस्साणी से सांगड सड़क कार्य

(2) ऐसे पुराने या अधूरे और श्रम प्रधान कार्यों को राहत कार्यों में प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं। लेकिन बाड़मेर जिले से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया।

(3) शिव क्षेत्र में नये सिंचाई के कुए खोदे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केवल ग्राम सुन्दरा में गांवाई कुए की मरम्मत की स्वीकृति देने हेतु जिलाधीश का प्रस्ताव सहायता विभाग में विचाराधीन है।

भवानीमंडी में एस. डी. एम. का हैडक्वार्टर

656. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार भवानीमण्डी जिला झालावाड़ में जनता की सुविधा के लिए एस. डी. एम. का हैडक्वार्टर रखने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं।

प्रशासनिक मितव्ययता एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रस्ताव पर विचार संभव नहीं है।

जालौर-सिरोही जिले में डिफाल्टर सहकारी समितियां एवं उनके चुनाव

657. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर सिरोही में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जो डिफाल्टर है और उनके चुनाव नहीं करवाए गए हैं, इन्हीं से सम्बधित क्या विक्रय सहकारी समितियां शिवगंज, आबू रोड़, सरूपगंज, जालौर व भीनमाल में भी क्या चुनाव नहीं हो रहे है?

(2) क्या इनके चुनाव करवाये जाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक चुनाव करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जालोर-जिले में 130 व सिरोही जिले में 60 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों की डिफाल्टर है और जिनके चुनाव नहीं करवाये गये हैं। शिवगंज, आबूरोड़, स्वरूपगंज, जालौर व भीनमाल क्रय विक्रय सहकारी समितियों में भी निर्वाचन नहीं हुए है।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

झालावाड़ एवं चित्तौड़ जिले में अफीम की खेती के लिये लाइसेन्स

658. श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा-झालावाड़ एवं चित्तौड़ जिलों में अथवा राज्य के अन्य हिस्सों में जहां भी अफीम की खेती होती है कितने कृषकों को कितने रकबे के लाइसेन्स दिये हुए है ?

(2) क्या यह सही है कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी पट्टे देते समय, रकबा नापते समय एवं तौल के समय कृषकों को अनुचित परेशान करके अनुचित पैसा ले रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अकलेरा-खानपुर में इस वर्ष पट्टे देने में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है और नारकोटिक्स वालों ने लाखों रुपयों की रिश्वत ली है ?

(4) पट्टा प्राप्ति के सरलीकरण एवं कृषकों की खुली लूट से बचाने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के समक्ष कोई योजना रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

क्योंकि अफीम की खेती आदि के लिये लाईसेन्स केन्द्र सरकार द्वारा ही दिये जाते हैं।

इन प्रश्नों का सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है।

पैन्शन पाने वालों को न्यूनतम पैन्शन में कमी एवं रिकवरी

659. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार पेन्शन पाने वालों को कम से कम 40/- रुपये माह वार देगी ?

(श्री श्रवणलाल)

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त पेन्शन 40/– रु. माहवार को राज्य सरकार ने बढ़ा कर 60/– रु. माहवार कर दिया था ? यदि हां, तो पेंशन कब से बढ़ा दी गई है और क्या बढ़ाया हुआ पेन्शन का भुगतान बढ़ाए हुए के अनुसार किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सच है कि कुछ समय बाद में 60 /– रुपये माहवार पेन्शन को घटा-कर 40/ – रुपया माहवार कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कब किया गया है ? और बढ़ाये गये पेन्शन के रुपये को वापस जमा कराने को बाध्य किया गया है यदि हां, तो किस–किस विभाग ने किया है पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अब राज्य सरकार ने सं. एफ./ (44) वित्त/ग्रुप–2 / 75–11 दिनांक 13–3–73 द्वारा 1–9–76 के पश्चात् सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को कम से कम 60/ – माहवार की दर से पेंशन के भुगतान हेतु आदेश जारी कर दिए हैं।

(3) राज्य सरकार ने 60/– रु. माहवार की पेन्शन को घटाकर 40/– रु. माहवार करने के कोई आदेश जारी नहीं किये हैं ?

राजस्थान को-आपरेटिव बैंक द्वारा आपातकाल में सदस्यों को वितरित पास बुक

660. श्री गोविन्द सिंह रास्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक द्वारा आपातकाल में ऋण के लिये सदस्यों को वितरण के लिये जो पास बुकें छपवा कर सभी जिला सहकारी बैंकों को दी गई उसकी क्या कीमत थी तथा किस दर से बेची गई ?

(2) बैंकों को क्या फायदा या नुकसान हुआ ?

(3) उदयपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में स्टेशनरी कहां से खरीदी जाती है तथा कहां से प्रिंटिंग कराई जाती है तथा टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं या नहीं ?

(4) यू. सी. सी. बी. बैंक की गाड़ियों की लोग बुक समय पर क्या उपयोग करने वाले अधिकारी भरते हैं और अपने हस्ताक्षर करते है।

(5) भूमि विकास बैंक उदयपुर में प्रिंटिंग कार्य पिछले 3 वर्षों में किस-किस पार्टी द्वारा किया गया ?

(6) आपातकाल में भूमि विकास बैंक में नीलाम की गई मोटर साईकिलें किस दर से दी गईं ? नीलाम के बाद कम रेट से क्यों दी गई जबकि नीलामी की रेट अधिक थी लेकिन उन्हें न देकर अन्य को दी गई जो कि बैंक की स्टेशनरी प्रिन्ट करता है।

(7) 14000/रु की सागवान की लकड़ी (यू.सी.सी.बी.) बैंक के ऋण पर किसी संस्था की कुर्क में ली गई थी उस सामान का बैंक ने अब तक क्या किया ?

(8) यू.सी.सी.बी. के अकाउन्टेन्ट की सम्पति की जांच कराई जावे तथा यह भी ज्ञात किया जाये कि बाबेल स्टेशनरी सप्ला.

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

फर्म का मुख्य व्यवसाय क्या है तथा यह फर्म क्या क्या करती है ? इसका मुख्य कार्यकर्ता कौन है ?

(9) यू. सी. सी. बी. में पुराने ऋण वितरण नक्शे न आने पर भी कितने रुपयों के नये एडवान्समेन्ट किये गये तथा पुराने बकाया ऋण वितरण नक्शों के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) प्रत्येक पास बुक की कीमत 8/24-81 पैसे लगी थी एवं सहकारी बैंकों को 25 पैसे प्रति पास बुक की दर से बेचने के लिए दी गई थी।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने जिस कदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज व चुंगी कर में खर्च किया है वह उन्हें अवश्य वहन करना पड़ा है। क्योंकि यह पास बुकें नो प्रोफिट नो लोस पर सहकारी समितियों को अपने सदस्यों में वितरण करने हेतु दी गई थी।

(3) उदयपुर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. द्वारा स्टेशनरी, स्थानीय स्टेशनरी फर्मों से क्रय की जाती हैं एवं स्थानीय प्रेसों से ही प्रिंटिंग कराई जाती है। जिन वस्तुओं के दाम कंपनियों द्वारा घोषित है उनका माल क्रय करते समय टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये जाते है। इसी प्रकार 50/–रुपये से कम कीमत की स्टेशनरी क्रय करते समय एवं 250/–रुपये से कम कीमत का प्रिन्टिंग कार्य कराते समय टेण्डर्स आमन्त्रित नहीं किये जाते है। इससे अधिक कीमतें व्यय होने की दशा में नियमानुसार टेण्डर्स आमंत्रित किये जाते है।

(4) वर्ष 1976-77 से पूर्व बैंक की गाड़ियों की लॉग बुक बैंक के व्यवस्थापक द्वारा उपयोग में लेने वाले अधिकारियों के नाम से भरकर व्यवस्थापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाते थे, किन्तु वर्ष 1976-77 से उपयोग में लाने वाले अधिकारियों द्वारा ही लाग बुक भरी जाकर उनके द्वारा हस्ताक्षर करवाने की प्रणाली जारी की गई हैं।

(5) फर्मों के नाम संलग्न सूची में अंकित है ?

(6) आपातकाल में भूमि विकास बैंक में नीलाम की गई मोटर साईकिले निम्न दरों पर उनके सामने अंकित व्यक्तियों को दी गई:—

क.सं.	गाड़ी नम्बर	अन्तिम बोली नीलाम की	क्रय कर्ता का नाम
1-	आरजेवाई 4495	2150रु.	नन्दकिशोर
2-	,, 4887	2500रु.	तुलसीराम
3-	,, 5378	2300रु	तुलसीराम

कोई मोटर साईकिल नीलामी में प्राप्त अन्तिम बोली से कम रेट पर नहीं बेची गई है। यह सही है कि श्री तुलसीराम बैंक को स्टेशनरी प्रिन्ट करता है। उन्हें मोटर साईकिलें नीलामी में दी गई है किन्तु नीलामी की अन्तिम बोली से कम पर नहीं दी गई।

(श्री सहकारिता मंत्री)

(7) उदयपुर फर्नीचर टिम्बर उत्पादक सहकारी समिति से ऋण वसूली के लिये कच्चे गोदाम पर वर्ष 1964 में ताला लगाया गया था। जो वर्तमान में भी लगा हुआ है किन्तु ताला किसी प्रकार की कुर्की के कारण नही लगाया गया है।

उदयपुर सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक लि. उदयपुर के एकाउन्टेन्ट श्री इन्द्रसिंह बावल की सम्पत्ति की जांच कराये जाने हेतु प्रशासक (जिलाधीश, उदयपुर) को लिख दिया गया है।

(8) आवेक्षण स्टेशनर्स सप्लायर्स का मुख्य व्यवसाय स्टेशनरी आदि सप्लाई करना है इस फर्म का मुख्य कार्यकर्ता श्रीमती पुष्पा बावेल है।

(9) वर्ष 1976-77 के बैंक द्वारा दिये गये समस्त ऋण मे से 9-56 लाख रुपये के "ब" अग्रभाग के ऋण वितरण नक्शे प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी ऋण के ऋण वितरण नक्शे प्राप्त हो गये है। जिस ऋण के नक्शे प्राप्त नही हुए हैं उसमें "ब" लगभग 86 सहकारी समितियों द्वारा सदस्यों को न बांटकर नकद में बेच दिया था। इसके उपरान्त भी 1977-78 में कृषि उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इन समितियों को 43.72 लाख रुपये के ऋण दिये गये हैं। जिन समितियों द्वारा ऋण का "ब" अंगभाग नकद में बेचा गया है उनकी सूचियां प्राप्त करने हेतु एवं दोषी अधिकारियो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रशासक, केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुर को आदेश दे दिये गये है।

सूची

भूमि विकास बैंक उदयपुर द्वारा प्रिंटिंग कार्य गत 3 वर्षों में जिन पार्टियों से कराया गया उनकी सूची :–

(1) श्री मेहता प्रिंटर्स, उदयपुर।

(2) श्री वर्द्धमान प्रिंटिंग प्रेस, उदयपुर।

(2) श्री रचना प्रिंटर्स, उदयपुर।

(4) श्री श्रीनाथ प्रिंटर्स, उदयपुर।

(5) श्री प्रापर्टी प्रिंटर्स, उदयपुर।

(6) श्री जगदीश प्रिंटिंग प्रेस, उदयपुर।

(7) श्री मानिक प्रिंटिंग प्रेस, उदयपुर।

(8) श्री न्यू मेहल प्रिंटर्स, उदयपुर।

(9) श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, उदयपुर।

राज्य सरकार की खनिज नीति एवं मजदूरों को प्लाटों का आवंटन

661. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार क्या राज्य सरकार खनिज सम्पदा के छोटे छोटे प्लाट बनाकर मजदूरों को देगी ?

(2) करौली क्षेत्र में कितने प्लाट अब तक दिये है ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि अब भी राज्य सरकार ठेका प्रणाली से प्लाट दे रही है ?

(श्री शिवचरण सिंह)

(4) क्या राज्य सरकार अब होने वाले ठेकों को निरस्त कर प्लाट देगी ?

(5) क्या यह सही है कि हिन्डोन व धौलपुर के प्लाट मजदूरी के नाम पर और लोगों ने लिये है ?

(6) क्या यह सही है कि प्लाटों की घोषित नीति की पालना अधिकारी नहीं करना चाहते है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) करौलीक्षेत्र में हिन्डोन के पास कोटडीनगर में छोटे छोटे प्लाट आंवटन करने के सम्बन्ध में जो नीति हाल ही में लागू की गई है और लगभग 2000 प्लाट आवंटन करने के लिये बनाये है उनके लिए 122 आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिनमें से 42 प्लाट आवंटित कर दिए गये है शेष आवेदन पत्रों पर आवंटित करने की कार्यवाही जारी है।

(3) जो क्षेत्र पूर्व में नीलाम से ही खनन पट्टे पर दिये जा रहे है।

(4) जी नहीं।

(5) जो ठेके पूर्व में दिये हुए है कानूनन निरस्त करना संभव नहीं है। भविष्य में छोटे प्लाट बनाकर देने की राज्य सरकार की नीति है।

(6) यह सही नहीं है। शासन की नीति का पालन प्रत्येक अधिकारी पूर्ण रूप से कर रहें है।

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

सूची अनुसूचित जन जाति के कृषक ग्राम नाहरगढ़ सन् 1958 तक मुताबिक रजिस्टर चकबन्दी संख्या 2015

क्रम सं०	नाम खातेदार	पिता का नाम	भूमि का क्षेत्रफल
1	छोटू	नानगराम मीना	4 बीघा 14 बिस्वा
2	बीजा	गुल्ला मीना	8 बीघा 12 बिस्वा
3	भेरू	जवाना मीना	1 बीघा 1 बिस्वा
4	मु० भौंरी	दुसतर भूधा मीना	3 बीघा 7 बिस्वा
5	रामचन्द्र	मातोराम मीना	1 बीघा 14 बिस्वा
6	सुन्दरलाल	हेमाराम मीना	4 बीघा 5 बिस्वा
7	दुला (गैर खातेदार)	जवाहर मीना	3 बीघा 11 बिस्वा
8	भौरा	भवाना मीना	12 बीघा 16 बिस्वा

(बाम सरकारी लगानी व काश्त इजाजतदार)

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 437 का विवरण)

"तालिका"

क्र.स.	इकाई का नाम	66–67	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72	72–73	73–74	74–75	75–76	76–77
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1–	लवण स्रोत डीडवाना	5.40	10.98	11.07	6.67	5.88	5.90	1.60	(–)0.37	17.96	7.17	9.24*
2–	लवण स्रोत, पचपदरा	(–)0.57	(–)0.91	(–)2.88	1.21	1.08	1.07	(–)0.13	(–)3.81	(–)3.62	0.13	(–)1.60*
3–	राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना											
	(क) सोडियम सल्फेट वर्क्स	5.49	13.01	7.35	5.46	4.10	5.66	8.72	14.21	19.22	4.28	7.56*
	(ख) सोडियम सल्फेट संयंत्र	5.93	5.77	(–)3.75	(–)2.34	(–)5.63	(–)13.27	(–)6.89	8.07	(–)6.88	(–)39.34	(–)13.90
	(ग) सोडियम सल्फाइड संयंत्र	—	(–)2.69	(–)0.37	0.96	(–)0.83	(–)1.23	1.99	3.19	1.77	1.67	2.10
4–	राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर	—	—	(–)5.24	– 11.05	(–)14.51	(–)16.11	(–)13.02	(–)10.30	(–)29.77	(–)31.50	0.54
5–	गंगानगर शुगर मिल्स	6.56	5.94	1.62	2.85	1.61	(–)11.60	(–)0.55	24.47	7.63	12.08	11.84
6–	हाईटेक प्रेसीजन ग्लास	(–)4.58	0.18	(–)0.76	(–)1.00	(–)0.16	(–)0.01	0.03	0.04	0.02	(–)0.33	0.08
7–	राजस्थान स्टेट टेनरीज लि.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(–)20.92	(–)17.04

* राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर, लवण स्रोत, पचपदरा/डीडवाना के वर्ष 76–77 के लेखे अपरिक्षीत है।
राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना की इकाइयों को वर्ष 1970 से वाणिज्य संस्थान घोषित किया गया है।
सोडियम सल्फाइड संयंत्र के वर्ष 76–77 के लेखे अपरिक्षीत है। सोडियम सल्फेट वर्क्स के लेखे तैयार किये जा रहे है।

परिशिष्ठ—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या – 439 की सूची)

पंचायत समिति, धोलपुर के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	पंचायत समिति धोलपुर में कब से कार्यरत है	मूल निवास स्थान	पंचायत समिति धोलपुर में सेवाकाल अवधि
1	2	3	4	5	6
1	श्री राम मूर्तिसिंह	विकास अधिकारी	22–9–77	मुसावर	6माह
2	,, रामप्रकाश दीक्षित	कृ.प्र.अ.	19–6–76	आगरा	1 वर्ष 9 माह
3	,, चन्द्रशेखर शर्मा	शि.प्र.अ.	8–3–76	इटावा	2 वर्ष
4	,, रघुवीर प्रसाद शर्मा	,,	14–8–76	(यू.पी.)	
5	,, शिवदत्त मिश्रा	सह.प्र.अधि.	12–11–75	धोलपुर	1 वर्ष 6 माह
6	,, देवीसिंह सेंगर	क.लेखाकार	7–7–72	अलवर	2 वर्ष से अधिक
7	,, जगदीश प्रसाद कटारा	क.लिपिक	5–10–61	इटावा (यू.पी.)	5 वर्ष 8 माह 16 वर्ष से अधिक

1		2	3	4	5	6
8	,,	रमेशचन्द	क. लिपिक	15–9–70	भरतपुर	7 वर्ष 6 माह
9	,,	कृष्णगोपाल शर्मा	क. लिपिक	28–9–65	धौलपुर	12 वर्ष 6 माह
10	,,	रामजीलाल शर्मा	,,	3–8–61	धौलपुर	16 वर्ष से अधिक
11	,,	महेन्द्रसिंह	,,	20–4–61 से 9|72 एवं जनवरी 1974 से	करौली	16 वर्ष से अधिक
					धौलपुर	11 वर्ष पूर्व में 4 वर्ष से उपर मध्य के काल में प.स. बाड़ी में स्थानान्तरण पर गये ।
12	,,	श्री राम बाबू अग्रवाल	कनिष्ठ लिपिक	1–3–78	धौलपुर	—
13	,,	नथुआराम	स्कन्धमाल	16–1–64 से	धौलपुर	14 वर्ष
14	,,	किशनसिंह	जीपचालक	2–6–77	भरतपुर	7 वर्ष 6 माह
15	,,	मजीरी	च. श्रे. कर्मचारी	1–9–56	धौलपुर	21 वर्ष 6 माह
16	,,	विजयसिंह	,,	9– 9–63	,,	14 वर्ष 6 माह
17	,,	रमेशचन्द्र शर्मा	,,	24–10–59	,,	18 वर्ष से अधिक
18	,,	विशनस्वरूप	,,	1–5–65	,,	12 वर्ष से अधिक

(167)

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 441 का विवरण)

बाड़मेर जिले में श्रमिक ठेका सहकारी समितियां जिनका पंजीयन किया गया है — परिशिष्ठ 'अ'

क्रमांक 1		नाम समिति 2	पंजीयन विधि 3	विशेष विवरण 4
1	विश्वकर्मा श्रमिक ठेका स. स. लि.,	बाड़मेर	15–1 –60	
2	पचपदरा 99 ,,	पचपदरा	17–1 –60	
3	बालोतरा ,,	बालोतरा	24–2 –60	
4	सम्दड़ी ,,	सम्दड़ी	31–3 –60	
5	बाड़मेर ,,	बाड़मेर	7–2 –64	
6	कोटड़ी भजीत ,,	कोटड़ी	16–9 –64	
7	नेहरू ,,	बाड़मेर	26–8 –65	समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक 11-12-72
8	बाड़मेर भवन एवं पथ निर्माण स.स.ल.	वाड़मेर	22–3 –66	समिति दिनांक 8-1-71 से प्रवसायन में है । को रद्द किया गया ।
9	मम्बे श्रमिक ठेका स स. लि.	बाड़मेर	5–3 –67	समिति दिनांक 8-1-71 से प्रवसायन
10	दीनान ,,	बाड़मेर	27–12–66	में है ।

1	2	3	4	5
11	वायतु भवन एवं पद निर्माण	वायतु	25–4–60	
12	आदर्श श्रमिक ठेका स.स. लि.,	बाड़मेर	3–8–67	
13	सरणु ,,	सरणु	13–3–70	
14	प्रगतिशील ,,	बाड़मेर	21–3–71	
15	भेरूजी ,,	बाड़मेर	7–5–71	
16	धारनू ,,	धारनू	28–9–72	
17	मूलनी ,,	बाड़मेर	16–2–73	
18	नवज्योति ,,	बाड़मेर	5–3–73	
19	सवाईपदमसिंह ,,	प्रदांश	11–8–73	
20	बाड़मेर जिलाढिम भावड़ा उद्योग सहकारी समिति लि., बाड़मेर		29–12–73	
21	जिप्सम श्रमिक ठेका स.स लि.,	कृष्णा	29–12–75	
22	भत निर्माण ,,	बाड़मेर	31–1–74	
23	जानियाना ,,	जानियाना	7–10–74	

बाड़मेर जिले की श्रमिक ठेका सहकारी समितियों की स्थिति का विवरण

क्रम संख्या	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक	दिनांक	सदस्य संख्या 30–6–77	हिस्सा पूंजी
1.	विश्वकर्मा श्रमिक ठेका स. स. लि. बाड़मेर	310/सी	15– 1–60	21	8375/–
2.	यसवड़ा ,, ,,	302/सी	17– 1–60	11	220/–
3.	बालोतरा ,, ,,	321/सी	24– 2–60	12	300/–
3.	समदड़ी ,, ,,	355/सी	31– 3–60	11	110/–
5.	बाड़मेर ,, ,,	555/सी	7– 2–64	25	625/–
6.	कोटड़ी ,, ,,	576/सी	16– 3–64	12	120/–
7.	,, ,,	610/सी	27–12–66	20	550/–
8.	वापनु भवन एवं पथ निर्माण	617/सी	25– 4–68	21	210/–
9.	आदर्श श्रमिक ठेका स. स. लि., बाड़मेर	615/सी	3– 4–67	15	310/–
10.	अरणू ,, ,,	626/सी	13– 5–70	22	220/–
11.	प्रगतिशील ,, ,,	631/सी	21– 5–71	18	9000/–
12.	भैरूंजी ,, ,,	632/सी	3– 6–71	17	1700/–
13.	पारलु ,, ,,	641/सी	28– 9–72	21	535/–
14.	नूतन ,, ,,	649/सी	16– 2–73	41	410/–
15.	ग्रह ज्योति ,, ,,	651/सी	5– 6–73	20	500/–
16.	सवाई पदमसिंह ,, सवाई पदम सिंह	653/सी	11– 8–73	11	180/–
17.	बाड़मेर जिला जिप्सम कपड़ा उद्योग स.	659/सी	29–12–73	20	200/–
18.	जिप्सम श्रमिक ठेका न. स. लि.	660/सी	29– 1–73	21	210/–
19.	नव निर्माण ,, ,, बाड़मेर	666/सी	31– 3–74	17	170/–
20.	जानियाना ,, ,, जानियाना	676/सी	7–10–74	15	300/–

श्रमिक ठेका सहकारी समितियों की ऑडिट बाबत सूचना

क्रमांक	नाम समिति का	ऑडिट का वर्ष	ऑडिट की दिनांक	ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जो अनियमितताएं पाई गई।
1	श्रीलाल श्रमिक ठेका स. स. लि.	66–67	22– 6–68	वाऊचर उपलब्ध नहीं है।
		66–69	9 – 1–70	
		69–71	22– 4–72	
		71–73	13–12–73	
		73–74	15– 3–75	
2	स्याऊ पदम सिंह ठेका स. स. लि. स्याऊ पदमसिंह	73–74	30– 6–74	
3	पचपदरा श्र. ठे. स. स. लि., पचपदरा	64–67	22– 6–68	1–सदस्यता रजिस्टर अपूर्ण
		70–71	—	2–खांचों की स्वीकृति में होना
		71–72	29–10–72	3–रसीद पर प्राप्ति के हस्ताक्षर न होना
		74–75	9 – 1–76	
4	सरणू श्रमिक ठेका स. स. लि. सरणू	69–70	26– 4–71	1–सदस्यता रजिस्टर अपूर्ण है।
		70–71	20– 1–72	2–वाऊचर उपलब्ध नहीं है
		71–74	28– 5–73	
		74–75	9 –12–75	

1	2	3	4	5
5	नूतन श्र. ठे. स. स. लि., बाड़मेर	72–73	26– 2–74	1-किताब कार्यवाही का नहीं होना
		73–74	21– 3–74	2–हिस्सा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना
		74–75	25– 3–76	3-कुछ वाऊचर्स उपलब्ध नहीं होना
6	नवज्योति श्र. ठे. स. स. लि.,	72–73	5 –12–73	1–हिस्सा रजिस्टर अपूर्ण है।
		73–74	24– 7–74	2–कुछ वाऊचर उपलब्ध नहीं है।
		74–75	6 – 9–75	3–हिस्सा प्रमाण पत्र जारी नही किये गये
7	बाड़मेर जिला जिप्सम छबड़ा उद्योग सहकारी समिति लि. बाड़मेर	73–74	13– 8–74	1 हिस्सा रजिस्टर अपूर्ण है।
		74–75	24– 3–76	
8	झानियाना जिला जिप्सम भाखड़ा उद्योग सहकारी समिति लि., झानियाना	74–75	6– 4–76	1 सदस्य रजिस्टर एवं हिस्सा रजिस्टर नहीं रखा गया
				2 संस्था की बकाया राशि वसूल करना
9	विश्वकर्मा ठेका श्र. स. स. लि.	70–71	—	1 सदस्यता रजिस्टर अपूर्ण है।
		72–73	10– 2–74	2 कुछ वाउचर्स नहीं लिये गये।
		73–74	31– 3–76	3 छात्रों की स्वीकृति नहीं लेना
		74–75	31– 3–76	
		75–76	30– 5–77	

10	समदड़ी श्रमिक ठेका स. स. लि. समदड़ी	64–65 66–67 69–70 70–71 71–72 73–74 74–75 75–76	16–9–65 8–3–66 28–5–71 23–3–72 25–12–72 22–11–74 9–1–75 17–1–77	1 आडिट आक्षेपोंकी पूर्ति नहीं। 2 हिस्से प्रमाण पत्र नहीं दिये गये।
11	बाड़मेर श्र. ठे. स स. लि.	68–70 70–71 71–72 73–74 74–75 75–76	3–6–71 23–2–72 3–11–72 8–5–75 23–5–76 9–10–76	1 हिस्सा राशि रजिस्टर अपूर्ण 2 आडिट रिपोर्ट की पालना नहीं होना 3 वाउचर उपलब्ध नहीं होना
12	कोटड़ी अजीत अ०ठे०स०स०लि०	66–67 67–68 69–70 70–71 71–72 72–73 73–74 75–76	20–5–66 6–11–68 20–12–70 13–2–72 16–1–73 6–10–73 24–9–74 27–1–77	1–सदस्य रजिस्टर एवं हिस्सा रजिस्टर अपूर्ण 2–रिकार्ड अपूर्ण
13	आयतु भवन एवं पथ निर्माण सहकारी समिति लि०, आयतु	71–72 73–74 75–76	28–1–72 31–5–75 30–4–77	1–सदस्य रजिस्टर एवं हिस्सा राशि रजिस्टर अपूर्ण 2–आडिट आक्षेपों की पूर्ति नहीं 3–ड्राफ्टों की स्वीकृति नहीं 4–रसीदों पर रेवन्यू टिकट नहीं

1	2	3	4	5
14	प्रगतिशीलश्र०ठे०स०स०लि० बाड़मेर	70–71	11– 8–71	1–सदस्य रजिस्टर अपूर्ण
		71–72	13–10–72	2–20 रु० का अधिक भुगतान किया गया।
		72–73	10–10–73	3–कुछ रसीदी पर रेवेन्यू टिकट नहीं लगी हुई है।
		73–74	11–10–74	4–खाता रजिस्टर अपूर्ण
		74–75	31– 5–76	5–रुपयों की स्वीकृति नहीं
		75–76	20–11–76	6–बाउचर्स उपलब्ध नहीं
15	जिप्सम श्रमिक सेवा स०स०लि० कुम्हला	73–75	24– 6–76	1–सदस्यता रजिस्टर अपूर्ण
		75–76	5– 7–77	2–हिस्सा प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये।
16	भेरूजी श्रमिक ठेका स०स०लि०, बाड़मेर	71–72	9– 2–73	1–सदस्यता रजिस्टर अपूर्ण
		73–74	21– 8–74	2–कुछ बाउचर्स बिना भुगतान करना
		74–75	25– 3–76	3–रोकड़ पोता अधिक रखाना
				4–वर्ष 71–72 के आडिट रिपोर्ट के आधार पर अनियमित भुगतान के कारण दिनांक 20-9-74 को 10012 रु० 28 पैसे का मामला दर्ज किया गया।
17	नवनिर्माण श्रमिक स०स०लि०, बाड़मेर	73–74	20– 8–74	1–हिस्सा रजिस्टर अपूर्ण है।
		74–75	23– 4–76	2–कुछ बाउचर्स बिना भुगतान करना
		75–76	20–10–76	3–सौदों की स्वीकृति नहीं लेना
18	आदर्श श्रमिक ठे०स०स०लि०	आडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।		
19	पाटसू श्रमिक ठेका स०स०लि०	आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।		
20	बालोतरा श्रमिक ठेका स०स०लि०	आडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।		

Page No 175

(175)

परिशिष्ट संख्या 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची)

जयपुर जिले में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत हटाये गये सरपंचों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत का नाम	जिस व्यक्ति को हटाया गया है उसका विवरण: नाम	आदेश व दिनांक जिसके द्वारा हटाया गया है	दिनांक जिसके पश्चात् चुनाव में खड़े रहने योग्य होगा
1	सिकराय	सिकराय	श्री जगराम सरपंच	2-6-76 के आदेश से पृथक किया	1-6-81
2	बस्सी	बड़वा	श्री जगन्नाथ प्रसाद सरपंच	5-2-77 ,,	4-2-82
3	जमवारामगढ़	थली	श्री हनुमानाराम का० सरपंच	6-6-77 ,,	5-6-82
4	सांभर	मादवा	श्री नरपतसिंह सरपंच	6-10-76 ,,	5-10-80
5	दूदू	रहलाना	श्री मदनलाल सरपंच	29-1-77 ,,	28-1-82
6	आमेर	अनूपपुरा	श्री नन्द किशोर पूर्व सरपंच	28-11-77 ,,	27-11-82

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची)

क्र. स.	नाम तहसील	नाम गांव	नाम बेरा	स्वीकृत राशि	सन्
1	2	3	4	5	6
1–	जायल	1–रोहिणा	गोवाई बेरा	4760–00	69–70
	,,	2–झाडेली	,,	4760–00	,,
	,,	3–सेवादे	,,	6500–00	,,
	,,	4–कमेडिया	,,	6766–00	,,
	,,	5–सुरमाडिया	,,	14490–00	,,
	,,	6–छाजोली	,,	2000–00	70–71
2–	डीडवाना	7–लाजबा	,,	4000–00	,,
3–	लाडनू	8–निम्दी जोवा	,,	2000–00	69–70
	,,	9–निम्धी की ढाणी	,,	2000–00	,,
4–	मेड़ता	10–सातलास	,,	8812–00	70–71
	,,	11–बासनी सेजा	,,	6000–00	,,
	,,	12–ओलावन	,,	8000–00	,,
	,,	13–ईसयाल	,,	3000–00	,,
	,,	14–हिरणखुही	,,	3000–00	,,
	,,	15–गागुडा	,,	3000–00	,,
	,,	16–साखडकी	,,	7300–00	,,
	,,	17–बासनी कछवाहा	,,	2000–00	73–74
	,,	18–केरिया मार्कडा	,,	2000–00	,,
	,,	19–मादुखुर्द	,,	2000–00	,,
	,,	20–सेंसड़ा	,,	2000–00	,,

1	2	3	4	5	6
5–	डेगाना	21–हरदान की ढाणी	सार्वजनिक	8250–00	69–70
	,,	22–मांगास	,,	6800–00	,,
	,,	23–पूनास	,,	7500–00	,,
	,,	24–उदीयास	,,	11000–00	,,
	,,	25–खुडीकला	,,	5700–00	,,
	,,	26–गणातियों की ढाणी	,,	7800–00	,,
	,,	27–आकेली	बाबाजी की प्याऊ	8800–00	,,
	,,	28–पूनियास	गांबाई	8500–00	,,
	,,	29–आकेली वी स्कूल के पास बेरा		2000–00	74–75
	,,	30–गुणसली	—	2000–00	,,
	,,	31–डाबोली पिठी मांकेयों का बेरा		2000–00	,,
	,,	32–जिसरनियाकला चोकीदारों का बेरा		2000–00	,,
	,,	33–नथावड़ी	सार्वजनिक बेरा	2000–00	,,
	,,	34–मेमड़ा	,,	2000–00	,,
	,,	35–खानपुरा	,,	2000–00	,,
	,,	36–कवास	,,	2000–00	,,
	,,	37–सयाना खुर्द	,,	2000–00	,,
	,,	38–नथापड़ा	,,	2000–00	,,
	,,	39–वोस	गांबाई	2000–00	,,
	,,	40–भंवरिया	गुजरों का बेरा	2000–00	,,
	,,	41– ,,	सार्वजनिक बेरा	2000–00	,,
	,,	42–सधानाकला	गांबाई	12870–00	69–70
	,,	43–पालमिया बास	,,	2000–00	,,
	,,	44–शेखपुरा	,,	8070–35	,,

(178)

जिला नागौर

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	नाम गांव	नाम बेरा	स्वीकृत राशि	सन्
1-	नागौर	1-करणू (1970)	रामसागर कुआ	6058-69	70-71
2-	मुन्डवा	2-मदोरा	गांवाई बेरा	8420-00	69-70
	,,	3-दुधिवाड़ी	,,	4760-00	,,
3-	मेड़ता	4-मूरियासनी	सार्वजनिक कुआ	20973-00	70-71
	,,	5-बड़गांव	,,	20973-00	,,
4-	परबतसर	6-रिड़	,,	2780-00	69-70
	,,	7-बहू	रेणराम	1600-00	,,
	,,	8-रो छिन्डी	,,	1900-00	,,
	,,	9-ललानाकला	,,	2690-00	,,
	,,	10-बिदियाद	,,	4770-00	,,
	,,	11-पीपलाद	,,	3215-00	,,
5-	रिंया	12-गंवारड़ी	गांवाई कुआ	4000-00	,,
	,,	13-डोवांलाई	,,	4000-00	,,
	,,	14-थालेराम खुर्द	,,	11979-00	,,
	,,	15-पनेरिया	,,	7295-00	,,
	,,	16-कात्यासनी	,,	10000-00	,,
	,,	17-बेडास खुर्द	,,	11633-50	,,
	,,	18-बूंदिया	,,	17000-00	,,
	,,	19-बीजाथल	गुजरों की बेरी	9181-50	,,
	,,	20-बीजाथल	बावरियों की बेरी	2642-25	,,
6-	डेगाना	21-खामोली पीठी (70-71)	सार्वजनिक	2000-00	70-71
	,,	22-डूगराम	,,	2000-00	,,
	,,	23-गूंदिसर	,,	2000-00	,,
	,,	24-नथाबड़ी	,,	14150-00	,,
	,,	25-इय्यासनी	,,	5658-00	,,

Page No 179

(179)

मरम्मत करवाये गये कुओं की सूची—तहसील—डेगाना. जिला नागौर

सन् 1969

क्र.सं.	नाम गांव	नाम कुआ	किस कार्य हेतु रकम स्वीकृत हुई	कितनी रकम स्वीकृत की गई	कब स्वीकृत हुई क्रमांक व दिनांक स्वीकृति	कितना कार्य हुआ	कार्य पूर्ण होने की तारीख	भुगतान करने की तारीख	भुगतान नहीं हुआ तो कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	चारणास	पीने के पानी के	कुए मरम्मत कराने एवं गहरे कराने	1000)	एफ 42 (27) रेवे/68/4278 दि० 11-6-69	1000)	30-6-69	6-6-69 से 30-6-69	भुगतान पूर्ण किया गया।	
2	किरड़	,,	,,	1000)	,,	1000)	,,	,, ,,	,,	
3	कितलसर	,,	,,	1000)	,,	999)	,,	,, ,,	,,	1-00 या 31 दि. 19-9-69 को जमा कराई गई।
4	मांझी	,,	,,	1000)	,,	1000)	11-8-69	5-8-69 से 11-8-69	,,	
5	दागड़ी	,,	,,	1000)	,,	1001-32	28-6-69	22-6-69 से 28-6-69	,,	1-32 जन सहयोग से
6	भादवासी	,,	,,	1000)	,,	1102-70	4-7-69	25-6-69 से 4-7-69	,,	102-70 जन सहयोग से
7	नूंद	,,	,,	1000)	,,	1000)	11-8-69	5-8-69 से 11-8-69	,,	—
8	गूंदीसर (मियां की ढाणी)	,,	,,	1000)	,,	1011-05	16-7-69	10-7-69 से 16-7-69	,,	11-05 जन सहयोग से
9	बांध की ढाणी	,,	,,	1000)	,,	1000)	7-7-69	16-6-69 से 7-7-69	,,	—
10	पिचपुड़ी	,,	,,	1000)	,,	1000)	25-7-69	17-7-69 से 25-7-69	,,	—
11	खैरवा	,,	,,	1000)	,,	1000)	5-7-69	25-6-69 से 5-7-69	,,	—
12	पचरंडा	,,	,,	1000)	,,	1005-50	14-8-69	25-7-69 से 14-8-69	,,	5-05 जन सहयोग से
13	मांडल जोधा	,,	,,	1000)	,,	999-50	10-8-69	22-7-69 से 10-8-69	,,	0-50 बा 31 दि. 19-9-69 द्वारा जमा कराये गये।
14	सावलियावास	,,	,,	1000)	,,	1000)	4-7-69	24-6-69 से 4-7-69	,,	—
15	धाटा	,,	,,	1000)	,,	1000)	14-8-69	1-8-69 से 14-8-69	,,	—
16	सूरियास	,,	,,	1000)	,,	1000)	26-7-69	12-7-69 से 26-7-69	,,	—
17	चुवा	,,	,,	1000)	,,	1000)	15-7-69	1-7-69 से 15-7-69	,,	—
18	बुई	,,	,,	1000)	,,	1000)	16-7-69	1-7-69 से 16-7-69	,,	—
19	बुई (शेड्यूल कास्ट)	,,	,,	1000)	,,	1000)	15-7-69	1-7-69 से 15-7-69	,,	—
20	पुन्दलोता	,,	,,	1000)	,,	1000)	16-7-69	1-7-69 से 31-7-69	,,	—
21	लंगोड़	,,	,,	1000)	एफ 42 (27) रेवे/4296 दि. 12-6-69	1007-80	13-8-69	30-7-69 से 12-8-69	,,	7-80 जन सहयोग से
22	गूंदोसर	,,	,,	1000)	,,	1000)	23-7-69	10-7-69 से 23-7-69	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	पोलास	पीने के पानी के	कुए मरम्मत कराने एवं गहरे कराने	1000)	एफ 42 (27) रेवे/69/4618 दि. 25-6-69	1024-50	21-7-69	10- 7-69 से 21-7-69	भुगतान पूर्ण किया गया	24-50 जन सहयोग से
24	चकड़ाणी	,,	,,	1000)	,,	1000)	16-7-69	5- 7-69 से 16-7-69	,,	--
25	डूंगरास	,,	,,	1000)	,,	999-50	30-7-69	25- 7-69 से 30-7-69	,,	0-50 चा. 32 दि 19-9-69 द्वारा जमा कराये गये।
26	झाड़रिया	,,	,,	1000)	,,	1020-00	15-8-69	1- 8-69 से 16-8-69	,,	20) जन सहयोग से।
27	केरिया रावां	,,	,,	1000)	कार्य शुरू नहीं किया राशि वापिस जमा कराई गई।				—	1000) चा. 32 दि.19-9-69 द्वारा जमा कराये गये।
28	देवला	,,	,,	1000)	एफ 42 (27) रेवे/69/4618 दि. 25-6-69	1000)	14-7-69	8 -7-69 से 14-7-69	भुगतान पूरा किया गया।	
29	सुसंवासनी	,,	,,	1000)	,,	998-50	15-7-69	1- 7-69 से 15-7-69	,,	1-50 चा. 32 दि. 19-9-69 द्वारा जमा कराये गये।
30	गोठड़ा	,,	,,	1000)	,,	1000)	14-8-69	25- 7-69 से 14-8-69	,,	—
31	बिलर नियांकला	,,	,,	1000)	,,	1000) 22-50	30-7-69	1- 7-69 से 30-7-69	,,	22-50 जन सहयोग से
32	बछबांस	,,	,,	1000)	,,	1000) 0-70	14-8-69	1- 8-69 से 14-8-69	,,	0-70 जन सहयोग से
33	मारखण्डा	,,	,,	1000)	,,	1000-40	10-8-69	1- 8-69 से 10-8-69	,,	0-40 जन सहयोग से
34	किरोदा (गुणसजी)	,,	,,	1000)	,,	1004-60	14-8-69	1- 8-69 से 14-8-69	,,	4-60 जन सहयोग से
35	बामना	,,	,,	1000)	,,	1000-00	15-7-69	1- 7-69 से 15-7-69	,,	—
36	हूरदान की ढाणी	पीने के पानी के	कुए मरम्मत कराने एवं गहरे कराने	6800) 1400)	एफ 42 (27) रेवे/68/4560 दि0 24-6-69 एवं 6434 दि0 14-8-69	6800) 1450)	15-8-69	8-7-69 से 29-7-69	भुगतान पूर्ण हुआ है।	
37	गोमाव	,,	,,	6800)	,,	6800)	14-8-69	4-7-69 से 14-8-69	,,	
38	पूनास	,,	,,	7500)	,,	7500)	13-8-69	15-7-69 से 13-8-69	,,	
39	उदियास	,,	,,	7000) 4000)	,, ,,	7000) 4000)	27-7-69	27-6-69 से 27-7-69	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	खुडीकला	पीने के पानी के	कुए मरम्मत कराने एवं गहरे कराने	5700)	एफ 42 (27) रेवे/684/560 दि. 24-6-69 एवं 6434 दि. 14-8-69	5700)	15-8-69	7-7-69 से 15-8-69	भुगतान पूर्ण हुआ	
41	ग्वालों की ढाणी	,,	,,	7800)	,,	7800)	,,	27-6-69 से 15-8-69	,,	
42	बाबाजी की ढाक	,,	,,	8800)	,,	8800)	,,	24-6-69 से 8-7-69	,,	
43	पूनीयास	,,	,,	8500)	एफ 42 (27) रेवे/68/4864 दिनांक 28-6-69	8310-22	,,	1-7-69 से 15-7-69	,,	189-78 चालान नं0 14 दिनांक 7-10-69 द्वारा जमा कराए ।
44	कुत्यासनी	सार्वजनिक बेरा	कुएं गहरे कराने हेतु	1000)	एफ 42 (34)सहा/73/4400-4404 दि0 28-5-73 एवं 4642 दि. 6-6-73	–	–	–	कार्य चालू नहीं हुआ है	
45	मोरियाणा	,,	,,	2000)	,,	–	–	–	,,	
46	थांवला	कुम्हारों की बेरा	,,	2000)	,,	–	–	–	,,	
47	घाटा	मांडियों का बेरा	,,	2000)	,,	–	–	–	,,	
48	भेरूंदा	हनुमान सागर बेरा	,,	2000)	,,	–	–	–	,,	
49	दुधोरदासा	गंवाई बेरा	,,	2000)	,,	–	–	–	,,	
50	भादवासी	,,	,,	2000)	,,	–	–	–	,,	
51	डाबोली मीठी	मांडियों का बेरा	,,	1000) 1000)	,,	1998)	21-6-73 से 6-7-73	–	बिल पास नहीं होने से बकाया है ।	
52	डाबोली की ढाणी	सार्वजनिक बेरा	,,	1000)	,,	994)	20-6-73 से 26-6-73	–	,,	
53	बिलरनिया वेल	रेगरों का बेरा	,,	2000)	,,	998-50	15-6-73 से–28-6-73 तक	–	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	बिखरनिया कलां	चोकीदारों का बेरा	कुए गहरे कराने हेतु	2000)	एफ 42(34) सहा/73/4400-4404 दि. 28-5-73 एवं 4642 दि. 6-6-73	1805)	15-6-73 से-8-7-73 तक	—	बिल पास नहीं होने से बकाया है	
55	नयावड़ा	सार्वजनिक बेरा	,,	2000)	,,	2000)	,,	—	,,	
56	मेवड़ा	,,	,,	2000)	,,	2000)	11-6-73 से-6-7-73 तक	—	,,	
57	खानपुर	,,	,,	2000)	,,	2000)	,,	—	,,	
58	केवाल	,,	,,	2000)	,,	1998)	21-6-73 से-3-7-73 तक	—	,,	
59	सयानाखुर्द	,,	,,	2000)	,,	756)	3-6-73 से-28-6-73 तक	—	,,	
60	बूटाटी	गंवाई बेरा	,,	2000)	,,	1998)	1-7-73 से-31-7-73 तक	—	,,	
61	वंक बेड़ोस	,,	,,	2000)	,,	2000)	16-6-73 से-15-7-73 तक	—	,,	
62	भंवरिया	गूजरों का बेरा	,,	2000)	,,	1974)	1-7-73 से-30-7-73 तक	—	,,	
63	मथावड़ी	गंवाई बेरा	,,	2000)	,,	2000)	16-6-73 से-8-7-73 तक	—	,,	
64	आखेड़ा	सार्वजनिक बेरा	,,	2000)	,,	—	—	—	जांच चल रही है।	
65	राजापुरा	गंवाई बेरा	,,	2000)	,,	—	—	—	,,	
66	भंवरिया	सार्वजनिक बेरा	,,	2000)	,,	360)	26-6-73 से-28-6-73 तक	—	,,	
67	आकेलीबी	स्कूल के पास बेरा	,,	2000)	,,	1841)	1-7-73 से-15-7-73 तक	24-9-73	भुगतान पूर्ण हो चुका है।	
68	बछवारी	बाबाजी की प्याऊ बेरा	,,	1000)	,,	999)	16-6-73 से-20-6-73 तक	—	,,	
69	गुणवली	गवाई बेरा	,,	2000)	,,	1990)	21-6-73 से-1-7-73 तक	—	,,	

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची)

सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1971 तक विभिन्न ठेकेदारों को किये गये भुगतान की सूची

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	कुल भुगतान की राशि	एक्स्ट्रा आइटम की राशि
		बीकानेर खंड		
1.	श्री भूराराम	बीकानेर पाल रोड माईल 18/0 से 50/0	5,15,573	8,876
2.	,, भंवरलाल बोहरा एण्ड ब्रादर्स	बीकानेर लूणकरणसर रोड माईल 7/0 से 22/0	3,17,890	43,234
3.	,, जगदीशप्रसाद अग्रवाल	बीकानेर लूणकरणसर रोड माईल 22/0 से 36/0	3,75,609	8,081
4.	,, सुरेश कन्स्ट्रक्शन कं.	बाप नोखा बीकानेर रोड माईल 0/0 से 12/0	85,112	18,775
5.	,, चिरंजीलाल अग्रवाल	बाप नोखा बीकानेर रोड 20/0 से 28/4 (वर्मस स्टेटीलाइजेशन)	57,755	—
6.	,, चिरंजीलाल अग्रवाल	बाप नोखा बीकानेर रोड माईल 20/0 से 28/4 (बी. टी. वर्क)	47,569	27,098

1	2	3	4	5
		बाडमेर खण्ड		
7	मैसर्स भंवरलाल बोहरा एण्डा ब्रादर्स	केरिया वांकासर रोड माईल 0/0 से 20/0	2,28,462.00	—
8	,, ,,	केरिया वांकसर रोड माईल 20/0 से 42/0	1,20,275.00	—
9	,, चोधरी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	बाडमेर सांचोर रोड	17,809.00	—
		जैसलमेर खण्ड		
10	मैसर्स भंवरलाल बोहरा एण्ड ब्रादर्स	जैसलमेर राज मुरार रोड माईल 24/0 से 51/0	12,37,176.00	6,18,921.74
11	श्री देवीसिंह	सी. डी. वर्क रोड रामदेवरा नाचना रोड	51,031,00	11,690.84
12	मैसर्स बिरधीराम हुकमाराम	रामदेवरा बाचला रोड माईल 0/0 से 42/0	5,84,121.00	1,06,292.02
13	,, गुमानीराम अग्रवाल	जैसलमेर खुडी मेजलार रोड माईल कि. मी. 32/0 से 69/0	4,58,946.00	20,572.82
14	,, ,,	जैसलमेर खुडी मेजलार रोड	4,60,601.00	40,977.78
15	,, मुन्शीलाल एण्ड कम्पनी	जैसलमेर खुडी मेजलार रोड माईल 0/0 से 24/0	8,84,567.00	3,84,420.00
16	,, भवानसिंह भाटी एण्ड कम्पनी	जैसलमेर खुडी मेजलार रोड 0/0 से 20/0	3,56,995.00	96,013.14